अष्टम माला, खण्ड 8, अंक 18

शुक्रवार, 16 अगस्त, 1985

25 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(आठवीं लोक सभा)



(खण्ड 8 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यबाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय सूची

अष्टम माला, खण्ड 8, तीसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 18, शुक्रवार, 16 अगस्त, 1985/25 श्रावण, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	**1—21**
*तारांकित प्रश्न संख्या : 347 और 349 से 356	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	**21—190**
तारांकित प्रश्न संख्या : 348, 357, 358 से 366	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3573, 3575 से 3602,3604 से 3609, 3614, 3616 से 3645, 3647 से 3715, 3717 से 3778, 3780 से 3795, 3797 से 3801 और 3803 से 3812	
विशेषाधिकार का प्रश्न	**191—192**
असम समझौते पर वक्तव्य के बारे में	**192—193**
असम समझौते पर वक्तव्य	**193—198**
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	**198—199**
विधेयक पर अनुमति	**199**
पंजाब विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक	
प्राक्कलन समिति	**200**
दसवां प्रतिवेदन	
लोक लेखा समिति	**200**
तीसरा, आठवां, नौवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	**200**
पहला प्रतिवेदन	

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	**201**
पहला प्रतिवेदन	
सभा का कार्य	**201—207**
विधेयक—पुरःस्थापित	**207—208**
आतंकवादी प्रभावी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) संशोधन विधेयक	
आवश्यक सेवा (संशोधन) विधेयक	**208—225**
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री आरिफ मोहम्मद खां	208
डा० जी० विजय रामा राव	211
श्री के० एन० प्रधान	211
श्री राम नगीना मिश्र	212
श्री बसुदेव आचार्य	215
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	218
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	219
श्री इन्द्रजीत गुप्त	221
(भाषण असमाप्त)	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	**225**
चौथा प्रतिवेदन	
पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प	**225—254**
श्री हरीश रावत	225
श्री आनन्द पाठक	233
श्री सुख राम	235
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	238
प्रो० नारायण चन्द पराशर	240
श्री एन० तोम्बी सिंह	243
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	245
प्रो० एन० जी० रंगा	246
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	249
श्री जनक राज गुप्ता	252
श्री मूलचन्द डागा	253

विषय	पृष्ठ
आधे घंटे की चर्चा	**254—267**
रंगीन टेलीविजन सेटों के मूल्य	
श्री चिन्त मोहन	254
श्री शिवराज वी० पाटिल	257
श्री अजय विश्वास	261
श्री सत्यगोपाल मिश्र	261
श्री सोमनाथ रथ	262
श्री चिन्तामणि जेना	263

लोक सभा

शुक्रवार, 16 अगस्त, 1985/25 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सरकारी कार्यालयों में भर्ती पर प्रतिबन्ध

*347. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की नई भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाने से सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों की कमी हो गई है तथा विद्यमान कर्मचारियों पर काम का बोझ अत्याधिक बढ़ गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मुद्रा स्फीति निरोधक उपायों के एक भाग के रूप में जनवरी, 1984 में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां भर्ती सम्बन्धी कार्यवाही पहले ही आरम्भ कर दी गई थी, विद्यमान रिक्तियों (प्रचलनात्मक या गैर-प्रचलनात्मक) को न भरने की सलाह दी गई थी। तथापि, अपवाद स्वरूप अनुकम्पा के आधार पर मृत कर्मचारियों के आश्रितों और अपंग व्यक्तियों की नियुक्ति, एक संगठन के फालतू हुए कार्मिकों को दूसरे संगठन में पुनः रोजगार देने, समूह "घ" रिक्तियों पर नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने, रिक्तियों को केवलमात्र पदोन्नति द्वारा भरने आदि जैसे कुछ चुने हुए मामलों में छूट दी गई है। तथापि संगठन की प्रचलनात्मक कार्य-कुशलता को ध्यान में रखते हुए अन्य प्रकार की रिक्तियों को भरे जाने के प्रस्तावों पर प्रत्येक मामले के गुण दोषों के आधार पर विचार किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी रखी जाती है कि रिक्तियों के न भरे जाने से सरकारी विभाग अथवा संगठन के कुशल एवं सुचारु रूप से कार्य करने पर प्रभाव न पड़े।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जो आखिरी हिस्सा था, उसका जवाब तो दिया ही नहीं गया है। इस बात का जवाब मांगा गया था कि मौजूदा कर्मचारियों पर काम का बोझ अत्यधिक बढ़ गया है। उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया है। बेरोजगारी हमारे यहां एक बहुत ही गंभीर समस्या है। भारत सरकार की इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करने की नीति है। हम उस सदी में बेरोजगारों की तादाद बढ़ाकर प्रवेश करना चाहते हैं। इसके मायने ये है कि गरीबी का बढ़ना और गरीबी बढ़ाकर मौजूदा सरकार इन्फ्लेशन पर रोक लगाना चाहती है। हमें ऐसा लगता है कि सरकार पैरों के बल पर खड़े होकर नहीं सोचती है बल्कि सिर के बल पर खड़े होकर सोचती है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शीर्षासन दिमाग के लिए अच्छा होता है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : सब कुछ उलट-पलट गया है।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : सरकार भी इस बात को मानती है कि पब्लिक सैक्टर एम्पलायमेंट देने का मैन इंस्टीच्युशन है। इस तरह की रोक लगने से न केवल नयी नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है बल्कि बहुत से कर्मचारी रिटायर भी हो जाते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जबसे आपने रोक लगाई है तब से कितने कर्मचारी रिटायर किए हैं और जो रिटायर किए हैं उनकी जगह पर नयी बहाली हुई है या नहीं। रेलवे तथा डाक और तार विभाग इसका बहुत बड़ा सफरर है और काम का बोझ मैं समझता हूं तमाम डिपार्टमेंट्स पर भर्ती पर रोक लगाने से काफी पड़ा है। मैं आपसे इतना ही जानना चाहता हूं कि आपके द्वारा भरती पर रोक लगाए जाने के बाद, विभिन्न विभागों की ओर से आपके पास शिकायतें आई हैं कि इससे उनकी कार्य-क्षमता पर असर पड़ रहा है और मजदूरों पर वर्क-लोड बढ़ रहा है। इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जब से यह बैन लगा है, उसके बाद जितने लोग रिटायर हुए हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप तो लैक्चर करने लग गए हैं···

श्री विजय कुमार यादव : ठीक है, मैंने जितने प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर ही दीजिए।

वित्त तथा वाणिज्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मान्यवर, लगता है माननीय सदस्य ने प्रश्न को ही सिर के बल खड़ा कर दिया है और मैं उसको सीधा करने का प्रयास करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : लगता है या लटका है···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि रोक शब्द जरा भ्रामक है क्योंकि रोक इसलिए नहीं है कि अब भरती की अनुमति मैरिट के आधार पर कैबिनेट स्तर से दी जाती है और इस तरह खाली अनुमति का स्तर ऊपर कर दिया गया है। अब वह कैबिनेट स्तर पर होता है और मैरिटपर जितने भी प्रस्ताव होते हैं, उन सबकी स्वीकृतियां दी जाती हैं। इसलिए रोक के इस अर्थ में कि काम बिल्कुल रुका हुआ है, ऐसी बात नहीं है। केवल अनुमति का स्तर ऊंचा कर दिया गया है। जहां तक रिटायर हुए लोगों के आंकड़े का सवाल है, वे आंकड़े इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं, पेश किए जा सकते हैं। तीसरा प्रश्न कि इससे विभागों की कार्यक्षमता में कमी आई है या वर्कलोड बढ़ा है, जितना उचित है उनको अनुमति दी जाती है तो मेरी ऐसी मान्यता नहीं है कि इस से कार्यक्षमता घटी है या वर्कलोड बढ़ा है।

श्री विजय कुमार यादव : खैर, आपके उत्तर से तो मुझे सन्तोष नहीं है, बहरहाल यह बात सही है कि रेलवे और दूसरे कई विभागों में परीक्षाएं हुई हैं और रोक की वजह से उनके नतीजे नहीं निकल पाए हैं। अगर यह बात सही है तो इससे जो विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको देखते हुए क्या सरकार इस बैन को हटायेगी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : रेलवे की परीक्षाओं के सम्बन्ध में मेरे पास जानकारी नहीं है और ऐसे आदेश दिए गए हैं कि कैबिनेट स्तर पर अनुमति दी जाए, फिलहाल इसमें परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सुखराम : महोदय, माननीय वित्त मंत्री कृपा करके यह बात ध्यान में रखें कि जब तक कोई

पद समाप्त नहीं किया जाता तब तक यही समझा जाता है कि उस पद के बनाए रखने की आवश्यकता है। यदि आवश्यकता है और उसे नहीं भरा जाता है तो या तो काम नहीं होगा अथवा किसी अन्य कर्मचारी को काम का अधिक भार उठाना पड़ेगा। इसलिए, इस विचार को ध्यान में रखते हुए क्या यह उचित नहीं होगा कि सरकार के व्यर्थ के काम कम कर दिए जाएं जिससे उन पदों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

टी० वी० और रेडियो के लायसेंस समाप्त कर देने से लिपिकों के सैकड़ों पद कम हो गए हैं तथा जनता को बड़ी राहत मिली है। क्या सरकार ऐसे कुछ अन्य उपाय भी सोचेगी जिससे कि ऐसे कार्य करने वाले कर्मचारियों की आवश्यकता समाप्त हो जाए तथा अर्थ व्यवस्था को भी सुधारा जा सके।

प्रो० मधु दंडवते : यदि आयकर समाप्त कर दिया जाए तो कर समाहर्त्ताओं की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय, अर्थ व्यवस्था सुधारने के लिए पहली बार एक ठोस सुझाव है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, जो आवश्यक है, वही व्यय करके हम लोग सरकार की अर्थ व्यवस्था को सुधारने के लिए विस्तृत प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मंत्री महोदय ने कहा था कि इस पर प्रतिबन्ध नहीं है। किंतु भर्ती पर रोक लगाने से अपने देश के बेरोजगार युवकों की स्थिति पर बुरा असर पड़ा है और इसी बहाने का लाभ उठाते हैं निजी क्षेत्र में नयी नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं और वे लोग अपने यहां कम्प्युटरीकरण अपना रहे हैं। यह श्रमिक-विरोधी रवैया है और इसकी आवश्यकता कतई नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आप प्रतिबन्ध उठाने के बारे में विचार करेंगे? जिन लोगों का आधा मूल्यवान वर्ष बेकार हो गया है और जो पदों के लिए आवेदन पत्र नहीं भेज सके हैं। अब अधिक आयु के हो गए होंगे। क्या आप आयु सीमा में उनको उतने समय की छूट देंगे क्योंकि इस प्रतिबन्ध के कारण उन्हें नुकसान हो रहा है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं है। अनुकम्पा के आधार के पर जिन मामलों में मृतक व्यक्ति के पुत्र या पत्नी अथवा पुत्री को रोजगार देने की आवश्यकता है, या विकलांग व्यक्ति को रोजगार देने की बात है अथवा जिन मामलों में फालतू कर्मचारियों को काम पर लगाने की बात है अथवा जिन मामलों में नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया जाना है या जिन स्थानों को नितांत पदोन्नति द्वारा भरा जाना है अथवा स्थानांतरण या प्रति नियुक्ति के द्वारा पदों को भरने के मामलों में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यह कार्य स्थानीय स्तर पर किए जाते हैं। इसलिए मैं उसे प्रतिबन्ध नहीं मानता। गुणवत्ता के आधार पर हम लोग उन पर विचार करते हैं।

मेरी समझ में नहीं आता कि निजी क्षेत्र और कम्प्युटरीकरण की बात यहां क्यों उठाई गई है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में अधिक कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। रोजगार के अधिक अवसर पर उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों को औद्योगिकीकरण करने की आवश्यकता है।

"पार्शियली ओरिएन्टिड यार्न" पर उत्पाद-शुल्क कम करने का प्रस्ताव

*349. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार धागे का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के लगभग बराबर लाने हेतु पोलिएस्टर

निर्माताओं में प्रतिस्पर्द्धा पैदा करने की दृष्टि से "पार्शियली ओरिएन्टिड यार्न" पर उत्पाद शुल्क कम करने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार "पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न" और "पार्शियली ओरिएन्टिड यार्न" पर "एन्टी-डम्पिंग" शुल्क हटाने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) पोलिएस्टर फिलामेंट सूत (पार्शियली ओरिएन्टेड सूत सहित) पर उद्ग्रहणीय उत्पादन शुल्क में जो कमी की गई है, वह फैब्रिक के विक्रय मूल्य को कम करने के लिए की गई है, न कि उत्पादन-लागत को कम करने के लिए। उत्पादन-लागत, एकक के क्षमता स्तर, पूंजीगत तथा कच्ची सामग्री की लागतों, ऊर्जा लागतों आदि जैसे कारकों पर निर्भर होती है। इसलिए, फिलामेंट सूत स्तर पर उत्पादन शुल्क में कमी करके अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर अथवा उनके निकटवर्ती मूल्यों पर पोलिएस्टर फिलामेंट सूत का उत्पादन करने हेतु स्वदेशी निर्माताओं को प्रोत्साहित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग). "एंटी डम्पिंग शुल्क" सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9-क के द्वारा उद्ग्रहणीय है। तथापि, यह धारा अभी प्रवृत्त होनी है, और इस वजह से पोलिएस्टर फिलामेंट सूत (पार्शियली ओरिएंटेड सूत सहित) के सम्बन्ध में "एंटी डम्पिंग शुल्क" को समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, यदि इसका अभिप्राय पोलिएस्टर फिलामेंट सूत पर उद्ग्रहणीय सामान्य आयत शुल्क से है, तो टैक्सटाइल उद्योग को राजस्व-राहत दिए जाने सम्बन्धी सुझाव की जांच की जा रही है, जिसका विवरण, इस समय देना सम्भव नहीं है।

श्री सोमनाथ रथ : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में धागे का मूल्य क्या है और स्वदेशी धागे का मूल्य क्या है ?

श्री जनार्दन पुजारी : पोलिएस्टर फिलामेंट धागे का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लएभग 20 रुपये से लेकर 25 रुपये किलो तक है और भारत में उत्पाद शुल्क के बिना रहित इसका मूल्य लगभग 80 रुपए प्रति किलो होगा।

श्री सोमनाथ रथ : मेरा प्रश्न यह है कि क्या उत्पाद शुल्क माफ कर दिया जायगा। माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट है कि स्वदेशी सूत उत्पाद शुल्क के बिना भी आयातित धागे के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से मंहगा है। इसलिए क्या मन्त्री महोदय यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठायेंगे कि स्वदेशी धागे का मूल्य कम से कम अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के बराबर बना रहे।

वित्त तथा वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : इसमें बहुत मामूली सा अन्तर है। इसका जहाज से उतरने पर लागत लगभग 175 रुपये प्रतिकिलो है जब कि स्वदेशी विक्रय मूल्य 182-184 रुपये है।

श्री सोमनाथ रथ : इसीलिए तो मैं उत्पाद शुल्क माफ करने को कह रहा था। मेरा यही प्रश्न है। मेरा प्रश्न है कि : "चूंकि यह मंहगा है, तो क्या सरकार स्वदेशी धागे पर उत्पाद शुल्क माफ करेगी जिससे कि उसका मूल्य आयातित धागे के मूल्य के बराबर हो जाए ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अन्तर बहुत थोड़ा है। आयातित धागे की जहाज से उतरने पर

लागत 175/- रुपये है और स्वदेशी विक्रय मूल्य 180/- रुपये है। स्वदेशी उद्योग के संरक्षण के लिए अन्तर बहुत है। यह रक्षा अनुचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हम लोगों को एक पहलू पर विचार करना होगा। क्या कपास उत्पादकों पर इसका कोई नाकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके बारे में विचार करना चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम सभी को कपास उत्पादकों की चिंता है और विशेषकर ऐसे समय में, जब आप पीठासीन हैं, हम लोग किसानों की उपेक्षा नहीं कर सकते। कपास उत्पादकों के लिए कोई और विकल्प नहीं है। निर्यात बाजार अच्छा है और वहां धागे की मांग सदा बनी रहती है।

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास यह भारी मात्रा में उपलब्ध है।

प्रो० एन० जी० रंगा : आप उसे मत खरीदिए।

मानव अस्थि-पंजरों के निर्यात के लिए लाइसेंस देना

*350. **श्री काली प्रसाद पांडेय** :

श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने व्यक्तियों को मानव अस्थि-पंजरों के निर्यात के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं ;

(ख) ये लाइसेंसधारी किन-किन राज्यों के हैं ;

(ग) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि बिहार से विभिन्न देशों को बच्चों की खोपड़ियों का निर्यात किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख). मानव कंकालों और उनके हिस्सों के निर्यात के लिए 1984-85 के दौरान कुल 13 फर्मों को, सभी कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल) में, लाइसेंस प्रदान किए गए।

(ग) तथा (घ). कोई विशिष्ट मामला सामने नहीं आया है। इस मद के निर्यात को विनियमित करने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय किए जाते हैं। सम्बन्धित राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि यह सुनिश्चित करें कि इस सम्बन्ध में कोई कदाचार न हों।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पांडेय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी द्वारा जो जवाब दिया गया है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। महोदय, आपको ज्ञात होगा कि आजकल भारत में और विशेष रूप से कलकत्ता और बिहार में मानव अस्थि-पंजरों का निर्यात बड़े जोर-शोर से हो रहा है। ये मानव अस्थि-पंजर निर्यातक लगभग 50,000 (पचास हजार) अस्थि-पंजर तक का एक वर्ष में निर्यात करते हैं।

मन्त्री महोदय ने बिहार प्रदेश के बारे में उत्तर दिया है। अभी पिछले माह जुलाई में पटना नगर के सरकारी अस्पताल के हाते एवं मन्दिरी रोड (मुहल्ले) से पुलिस ने चार बक्से अस्थि-पंजर सहित श्री मल्लिक नामक व्यक्ति, जो इस धन्धे का सरदार है, को हिरासत में लिया है। पिछले 5 वर्षों में बिहार के पटना एवं अन्य शहरों से लगभग 15 हजार बच्चे लापता हो गए हैं।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने नर-कंकालों के निर्यात पर रोक लगा दी थी कि विदेशी मुद्रा की आय की अपेक्षा देश का सम्मान सर्वोपरि है ? यह बात सही है कि नहीं ?

वित्त तथा वाणिज्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : यह बात सही है कि 1976 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मन्त्री थीं और कांग्रेस की सरकार थी तो इस पर रोक लगा दी गई थी। 1977 में जनता सरकार ने इसे फिर खोल दिया था। फिर भी जो थोड़ी आशंका है, अगर एक भी घटना हुई है, इस बारे में राज्य सरकारों को और होम मिनिस्ट्री को कहा गया है कि इसकी जांच की जाए। आज हमने फिर निर्णय कर लिया है कि इसको बन्द कर देंगे।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन

*351. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में इस वर्ष कपास का बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि कपास उत्पादन विपणन महा संघ को कम से कम तीन लाख गांठें निर्यात करने की अनुमति प्रदान की जाए क्योंकि महाराष्ट्र की कपास की विदेशी बाजार में अच्छी मांग है और प्रतिबन्धित सप्लाई से विदेशी बाजार के विकास में रुकावट आएगी और इसके परिणामस्वरूप देश में विदेशी मुद्रा कम मात्रा में आएगी ;

(ग) क्या उक्त अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ). एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) रुई सलाहकार बोर्ड द्वारा किए गए आकलन के अनुसार महाराष्ट्र में रुई का उत्पादन चालू रुई वर्ष (1984-85) के दौरान 17.50 लाख गांठों का होने का अनुमान है जो कि पिछले वर्ष में हुए उत्पादन से अधिक है।

(ख) से (घ). चालू रुई मौसम के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने निर्यात के लिए स्टेपल रुई की 3 से 4 लाख गांठों की मात्रा की रिलीज के लिए अनुरोध किया था। भारत सरकार ने अब तक चालू रुई मौसम के दौरान निर्यात के लिए लम्बे तथा अतिरिक्त लम्बे स्टेपल वाली रुई की 2.95 लाख गांठों की रिलीज की है। इस मात्रा में से महाराष्ट्र से निर्यात के लिए 0.95 लाख गांठों की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

श्री बाला साहेब विखे पाटिल : मन्त्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में फारेन-एक्चेंज का जिक्र नहीं किया है। दिन-प्रतिदिन कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में बढ़ रहा है और कपास निर्यात करते जा रहे हैं, लेकिन कोई दीर्घकालीन नीति न होने के कारण हर साल अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमेशा के लिए अच्छा

भाव नहीं मिलता है, कोई देश एग्रीमेंट के लिए आगे नहीं आता। इसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ऐसा सोचती है कि दीर्घकालीन कपास एक्सपोर्ट की कोई नीति बना दे जिससे फारेन-एक्चेंज भारत सरकार को मिले ? क्या 5 साल के लिए कोई नीति बनाने का विचार है ? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और गए साल इससे हमको कितना फारेन-एक्चेंज मिला है ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : माननीय सदस्य का यह सुझाव कि इसके निर्यात की दीर्घकालीन नीति होनी चाहिए, अच्छा है। लेकिन इसमें व दिनाई यही है कि निर्यात कितनी दूर तक किया जाए, इसको स्थिर करने के लिए, देश में कितनी आवश्यकता है और कितनी उपलब्धता है, इसका ख्याल करके ही निर्णय लेना सम्भव है। देश में कितना उत्पादन हुआ है, इस पर विचार करना इसके लिए आवश्यक होगा।

नीति निश्चित रूप से बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्पादन और आवश्यकता, दोनों का संतुलन कायम रखने के लिए चेष्टा पर ध्यान रखना चाहिए, यही सिद्धान्त हमारे सामने इसको नियमन के लिए रह जाते हैं।

श्री बाला साहेब विखे पाटिल : फारेन-एक्सचेंज कितना मिला है ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : फारेन-एक्सचेंज का डिटेल मैं नहीं कह सकता हूं,

अध्यक्ष महोदय : बता देंगे।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : लेकिन हम जानते हैं कि इस साल भी हम 3 लाख बेल का निर्यात कर रहे हैं और इस पर अभी भी विचार कर रहे हैं कि इससे भी कुछ अधिक और निर्यात किया जा सकता है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अभी 7 लाख बेल और फालतू पड़ी हैं।

श्री बाला साहेब विखे पाटिल : महाराष्ट्र ने 3, 4 लाख बेल निर्यात करने के लिए मांग की है आपने अभी 0.95 लाख बेल का निर्यात एलाऊ किया है। उसमें और बढ़ावा दे रहे हैं या नहीं ?

जब हम शार्ट स्टेपल का आयात करते हैं और लांग स्टेपल काटन का अपने यहां उत्पादन बढ़ते हुए भी हम खपत और उत्पादन के बारे में अभी तक सोच नहीं सके, तो अभी कितने दिनों में यह सोच सकेंगे ताकि किसानों को भी अच्छी राहत मिल सके ? अभी किसानों को बहुत कम भाव मिलता है। काटन कार्पोरेशन खरीदती नहीं है, लेकिन भारत सरकार उसको पैसा देती है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र को लगभग एक लाख बेल के निर्यात करने की व्यवस्था की गई है और हम लोग विचार कर रहे हैं कि इसको और कितना बढ़ाया जा सके। दूसरा, अभी वैराइटल असंतुलन है और उसको दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। उत्पादन और निर्यात दोनों की नीति में समन्वय स्थापित करके हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो वैराइटल असंतुलन है, उसको अगले चन्द वर्षों में दूर किया जा सकेगा।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार को पता है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों के पास कपास तथा बिना बिके कपास का भारी स्टाक अभी भी मौजूद है और कपास निगम उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है जितना कि उसे करना चाहिए था ? यद्यपि सरकार ने 2-1/2 लाख गांठों के निर्यात की अनुमति दे दी है तथापि उन्हें बाजार प्राप्य नहीं हैं। उपलब्ध कपास कोई उठाने को और बाद में निर्यात करने को तैयार नहीं है

जिसके परिणाम स्वरूप सरकार जो किसानों के हितों की जो बातें करती है वह सरकारी नीति निरर्थक सिद्ध हुई है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर सिंह : आन्ध्र प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में जहां काटन कपास की कीमत कम हुई है, वहां हम लोगों ने काटन कारपोरेशन को आदेश दिया है और काटन कारपोरेशन वहां खरीद कर रहा है। हम लोगों ने यह भी आदेश दिया है कि स्थानीय भाषा में काटन कारपोरेशन इस चीज की सूचना को प्रसारित करे कि किन जगहों में कैसे रैंगुलेटिड मार्किट में किस दर पर खरीद की जा रही है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : इस प्रश्न में मैं आपका हस्तक्षेप चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच नहीं है कि हाल ही में सरकार ने वर्तमान वस्त्र नीति में जो परिवर्तन किया है, उनमें कपास से बने रेशे की पृष्ठ भूमि की उपेक्षा करके कृत्रिम रेशे तथा सैन्थेटिक रेशे को अधिक प्रोत्साहन और बढ़ावा दिया गया है ? जिसके परिणाम स्वरूप, क्या वे इस बात को स्वीकार नहीं करते कि कपास की बिक्री की भरमार हो गई है और यदि यही होने वाला है, जिसके होने की नितांत सम्भावना है ; तो क्या वे लोग वर्तमान धागा नीति की, विशेष रूप से तथा तत्काल पुनरीक्षा करेंगे अथवा इसके विकल्प में, जैसा कि श्री पाटिल ने सुझाव दिया है, कपास उत्पादकों को और अधिक मात्रा में निर्यात करने की अनुमति देंगे जिससे कि आप उपभोक्ताओं में जो नयी आदतें डाल रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप इस देश के किसानों को नुकसान उठाना पड़े।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इससे पूर्व जो मैंने हस्तक्षेप किया था उससे आपके प्रश्न का समर्थन होता है ;

प्रो० मधु दंडवते : मेरे प्रश्न के पूर्वानुमान में, आपने निदेश दिये हैं। मंत्री महोदय, कृपया सही उत्तर दीजिए।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : आपके प्रश्न के प्रथम भाग के बारे में मेरा उत्तर नकारात्मक है। कपास की स्वदेशी मांग अगले पांच वर्षों में पर्याप्त बढ़ जाएगी।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। क्या यह सच नहीं है कि कृत्रिम रेशे और सिन्थेटिक रेशे के कारण कपास के रेशे का महत्व बहुत कम रह गया है जबकि पश्चिमी देश सूती कपड़ों की ओर लौट रहे हैं, हमारे देश में कृत्रिम रेशे को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि हम लोग इसकी अनुमति नहीं देंगे।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर नकारात्मक है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : यद्यपि आन्ध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां लम्बे और विशेष लम्बे रेशे वाली कपास बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है किन्तु अभी तक उसको निर्यात करने का अवसर नहीं प्रदान किया गया था और केवल इस वर्ष लगभग 70,000 कपास की गांठों को निर्यात करने की अनुमति दी गई है। इस वर्ष हुई अच्छी फसल को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश को एक लाख और कपास की गांठों का निर्यात करने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लेने का है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : महोदय, हम लोगों को पता है कि आन्ध्र प्रदेश में लम्बी और विशेष लम्बी रेशे वाली कपास उत्पन्न होती है। आन्ध्र प्रदेश फेडरेशन के पास निर्यात के लिए पर्याप्त अब-

संरचना उपलब्ध है। इसीलिए हम लोग भारतीय कपास निगम की आन्ध्र प्रदेश की आवश्यकता के लिए प्रेरित कर रहे हैं और भारतीय कपास निगम ने आन्ध्र प्रदेश से खरीददारी कर रही है और वह आन्ध्र प्रदेश से निर्यात करता है।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु एकाधिकार नहीं होना चाहिए।

श्री मधुसूदन वैराले : खान मन्त्री महोदय के किसानों के प्रति सहानुभूति पूर्ण रवैये की प्रशंसा करते हुए मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या भारत से कपास निर्यात करने की कोई बहुत पुरानी मांग है? किन्तु इसके साथ ही, वस्त्र मन्त्रालय ने भारत में लम्बे रेशे की कुछ रुई आयात करने का सुझाव दिया है किन्तु अन्ततोगत्वा हम लोग उसका लाभ नहीं उठा सके और उसको पुनर्निर्यात करना पड़ा। इस अनुभव के आधार पर क्या सरकार यथा सम्भव अधिक से अधिक कपास का निर्यात करने की अनुमति देने के बारे में विचार करेगी?

इसके अलावा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस देश में 80 प्रतिशत किसान शुष्क भूमि के किसान है, क्या सरकार कपास उत्पादकों, विशेष कर शुष्क भूमि के किसानों के सम्बन्ध में कोई समन्वय नीति बनाने तथा वित्त, योजना, वस्त्र, वाणिज्य और कृषि मंत्रालयों के मध्य समन्वय बनाने के बारे में पहल करेगी?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैं इस सदन में पहले ही बता चुका हूं कि जहां तक कपास की उपलब्धता का सम्बन्ध है, विभिन्न किस्म की कपास की उपलब्धता में असुन्तलन है। कपास सलाहकार बोर्ड के नवीनतम अनुमान के अनुसार छोटे रेशे की कपास की 0.84 लाख गांठों की कमी है, मध्यम प्रकार के रेशे की 1.56 लाख गांठों की कमी है तथा लम्बे और बहुत अधिक लम्बे रेशे की कपास की 4.72 लाख गांठें फालतू पड़ी हुई हैं। इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक हो गया है कि हम उन किस्मों की कपास का सीमित मात्रा में आयात करें जिसकी इस समय कमी है। हमने यहां अपने मित्रों को आश्वासन दिया है कि हम मंडियों के जरिए आयातित कपास का उपयोग तभी करेंगे जबकि उस विशेष किस्म की कपास की कीमतें असामान्य होंगी, अन्यथा हम इसे सुरक्षित स्टाक के रूप में रखेंगे तथा यह देखने की कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से कपास उत्पादकों के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

जहां तक विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय का सम्बन्ध है, उनके बीच समन्वय रहता है और जहां तक हो सकेगा हम इसमें और सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मोनोपली प्रोक्योरमेंट स्कीम केवल महाराष्ट्र में है और वह बहुत ही सफल हुई है। काफी फायदा उससे हुआ है। इस साल देश में एक करोड़ गांठ की फसल हो गई और कार्पोरेशन की रुई बिक नहीं रही है। आपने पाकिस्तान से 1 लाख गांठ इंपोर्ट किया बफर स्टाक बनाने के लिए। तो मेरा निवेदन सरकार से है कि हमारा कार्पोरेशन जो एक्सपोर्ट के भाव हैं उस भाव पर खरीदकर किसानों को बचाने के लिए बफर स्टाक बनाए, क्या सरकार इस पर विचार करेगी? 5 लाख गांठ यदि वह ले लेती है तो हमारे किसान बच जाते हैं उस घाटे से उनको होने जा रहा है। इसमें आपका का कोई घाटा नहीं होने वाला है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पालिसी पर भी कोई असर नहीं आता। तो बफर स्टाक होना बहुत जरूरी है ऐसे साल में जब भी बम्फर क्राप होती है, अच्छी फसल होती है। एक करोड़ गांठ के ऊपर की फसल नेक्स्ट ईयर होगी या नहीं इसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता। इसलिए सरकार को बफर का स्टाक करना चाहिए। हमारे पास में रूई पड़ी हुई है कार्पोरेशन के पास। केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय में आगे आना चाहिए। पांच लाख गांठ यदि

वह उनके यहां से खरीदकर ले लेती है तो किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। किसान इस समय तकलीफ में है और वह उनको बेनिफिट भी दे नहीं सकती है। तो इसका बोझा उठाने के लिए केन्द्रीय सरकार को आगे आना चाहिए। तो बफर स्टाक के लिए कारपोरेशन के जरिए किसान से आप रुई खरीदने का विचार करेंगे ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो यहां काटन उपलब्ध है उसको खरीद करके बफर-स्टाक बनाने से जो सोशल अवेलेबिलिटी है उसमें कोई तरक्की नहीं होती है। चूंकि डोमेस्टिक एवेलेबिलिटी लिमिटेड है इसलिए जितना गैप है उतना आयात किया जाता है। यहां के फेडरेशन से ही खरीदकर बफर स्टाक बनाएं तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अभी देश में जो काटन उपलब्ध है उसको हिसाब में लेने के बाद यह अन्दाज किया गया है कि कितनी जरूरत है, कितना आयात करना जरूरी है इसलिए इस नीति से उसमें कोई फायदा नहीं होगा। काटन कार्पोरेशन आफ इण्डिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपरेशन्स करती है और सरकार इस बात के लिए जागरूक है कि इसमें कोई कमी न हो, किसानों को उससे कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य न होना पड़े।

अध्यक्ष महोदय : यह मोनोपली स्कीम महाराष्ट्र में कामयाब है तो दूसरी जगह भी हो सकती है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : यह सूबों के लिए विचारणीय है कि कितनी हद तक काटन ग्रोअर्स के हितों को देखते हुए कर सकते हैं।

[**अनुवाद**]

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यातित माल को विदेशों द्वारा अस्वीकार किया जाना

*352. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है, जिनमें राज्य व्यापार निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किए गए निर्यात के माल को दूसरे देशों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है और ऐसे मामलों की वर्षवार संख्या कितनी है तथा कौन सी वस्तुओं का निर्यात किया गया था और इस प्रकार किए गए निर्यात के प्रत्येक मामले में कितना घाटा हुआ और उसे अस्वीकार किए जाने के क्या कारण थे ;

(ख) क्या इस कमी के लिए, जिसके कारण घाटा हुआ और देश की बदनामी हुई, किसी को दोषी ठहराया गया है ; और

(ग) क्या भविष्य में इस प्रकार की कमियां न होने देने के लिए सुचारू कार्य सुनिश्चित करने हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग). एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) गत 3 वर्ष के दौरान बाईस परेषकों के मामले में राज्य व्यापार निगम द्वारा हैंडल किए गए निर्यातों के क्वालिटी दावे/अस्वीकरण प्राप्त हुए हैं। इन मामलों में निर्यातित मदें हैं चमड़ा, चमड़ा उत्पाद, आम का गूदा, इलायची, बासमती चावल, प्रशीतित तथा जमाई हुई मटन कयूब्स, तथा सिले सिलाए परिधान। इन मामलों में से बीस में राशियों का उत्तरदायित्व सम्बन्धित सहयोगी पूर्तिकर्ताओं पर है और राज्य व्यापार निगम ने कोई हानि नहीं उठाई है। चमड़ा परिधान तथा सिले सिलाए परि-

धान से सम्बन्धित 2 मामलों में देयता क्रमशः 2.99 लाख रुपये और 1.63 लाख रुपये की सीमा तक राज्य व्यापार निगम के खाते में रही है।

(ख) राज्य व्यापार निगम के खाते में दोषपूर्ण पूर्तियों के बारे में एक मामले में जांच पड़ताल शुरू की गई है और जांच-पड़ताल पूरी होने पर ही कार्यवाही सम्भव होगी। अन्य मामले में जहां राज्य व्यापार निगम को हानि हुई, हालांकि यह महसूस किया गया कि राज्य व्यापार निगम के दावे का अच्छा आधार था परन्तु 1.6 लाख रुपये की इस राशि को बट्टेखाते डालने का निर्णय किया गया क्योंकि मुकदमेबाजी में कहीं अधिक व्यय होता।

(ग) निगम द्वारा अपने सभी निर्यातों के लिए क्वालिटी नियन्त्रण लागू करने के लिए मार्ग-निर्देश विद्यमान हैं।

[हिन्दी]

श्री मूलचंद डागा : अध्यक्ष जी, पता नहीं मेरा यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य कि जब भी मेरा कोई सवाल है तो उसके उत्तर में "रिटेन स्टेटमेंट" ही आता है।

अध्यक्ष महोदय : आपको पढ़ा-लिखा समझते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आपने इसमें कुल 22 मामले बताए हैं लेकिन कौन से साल के थे—यह आपने उत्तर में नहीं बताया। 6 मार्च, 1985 को आपके एस० टी० सी० के चेयरमैन, श्री प्रेमचन्द लूथरा आबू-धाबी म्युनिसिपैलिटी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, दस हजार टन चावल देने का और एग्रीमेंट में स्पेसिफिकेशन भी दिए कि इस प्रकार का चावल सप्लाई किया जाएगा। वे आए लेकिन वे अपना एग्रीमेंट पूरा नहीं कर सके। व्यापारियों ने कहा कि जो आपने स्पेसिफिकेशन दिए हैं वह हमें नहीं बतलाए गए :

[अनुवाद]

अगर राज्य व्यापार निगम ने आबूधाबी के साथ सोने की सप्लाई करने के लिए किए गए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं परन्तु चांदी की सप्लाई की गई है, तो हम इससे सहमत नहीं हो सकते। हमारे साथ धोखा हुआ है राज्य व्यापार निगम ने यहां तक कि नमूना भी कभी नहीं दिखाया जो कि वे आबूधाबी म्युनिसपैलिटी को देंगे।

[हिन्दी]

विश्वनाथ प्रतापसिंह जी के ध्यान मे आ जाता है तो उस आदमी की खैर नहीं। वे तो चले गए। अभी चार साल में चार तो एस० टी० सी० के चेयरमैन चले गए। आप कृपा करके मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। 6 मार्च, 1985 को लूथर साहब को विदेश मंत्रालय के राजदूत ने दबाव डालकर कहा कि दस्तखत कर दो और इस तरह से एग्रीमेंट साइन हुआ तो विदेश मंत्रालय भी इसमें इन्वाल्व है, इसकी आप जांच कराएं। और साइन करने के बाद, आप बतलाएं कि कब तक चावल देना था और आप उनको चावल क्यों नहीं दे पाए ? इससे हमारी ख्याति को धक्का लगा है। व्यापार करने वाली किसी भी संस्था को अपनी गुडविल रखनी चाहिए। अगर एस० टी० सी० की गुडविल चली जाए तो देश को धक्का लगता है। यह नहीं होना चाहिए। आप यह भी बतलाएं कि जब 10 हजार टन चावल का आपने एग्रीमेंट किया तो क्या डायरेक्टर (एग्रीकल्चर) इन्चार्ज को भी कन्सल्ट किया गया ? क्या एग्रीमेंट में स्पेसिफिकेशन्स दिए गए, आबूधाबी की म्युनिसिपैलिटी को ? और आपने जो माल भेजा वह रेजेक्ट हुआ जिसके कारण आपके विदेश व्यापार को धक्का लगा तो इस सम्बन्ध में आपने क्या कार्यवाही की और

क्या अब आप अपनी इज्जत को कायम रखने के लिए, चाहे नुकसान ही क्यों न हो जाए, उस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त तथा वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : अध्यक्ष जी, सूचना तो स्वयं डागा जी ने ही दे दी है कि एस० टी० सी० के चेयरमैन छोड़कर चले गए हैं। जहां तक कार्यवाही का सवाल है, इसमें हम लोगों को एहसास जरूर हुआ है कि इसकी जांच की आवश्यकता है। आबू-धाबी का पूरा मामला जांच करने के लिए सी० बी० आई० को दे दिया गया है। जहां तक हानि का सवाल है, चूंकि आबूधाबी की म्यूनिसपैलिटी ने स्वयं एग्रीमेंट कैंसल कर दिया है, इसलिए एस० टी० सी० की कोई छानबीन नहीं होगी।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि दिल्ली के जो आपके ब्रांच मैनेजर हैं और दूसरे जो आपके मैनेजर हैं, उन्होंने यह एग्रीमेंट किया है। उन्होंने व्यापारियों से परसुएशन किया कि तुम किसी तरह ये चावल दे दो, लेकिन चावल महंगा हो जाने की वजह से दस हजार टन चावल नहीं दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आबूधाबी की मांग को आप पूरा करेंगे या नहीं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि एग्रीमेंट कैन्सिल हो गया, लेकिन आबूधाबी हमारी एक टीम गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार में शिक्षित बेरोजगार लोगों को ऋण

*353. **डा० गौरीशंकर राजहंस :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीयकृत बैंक बिहार में शिक्षित बेरोजगार लोगों को ऋण नहीं दे रहे हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने शिक्षित बेरोजगार लोगों को ऋण देने के लिए देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं ;

(ग) यदि हां, तो जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से बिहार में शिक्षित बेरोजगार लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत ऋण देने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनकी मुख्य बातें ये हैं :

(i) पात्र उद्यमी पिछड़े क्षेत्रों में 10 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज और अन्य क्षेत्रों में 12 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर से अधिक से अधिक 25 हजार रुपये तक के संयुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

(ii) हिताधिकारी कुल ऋण राशि के 25 प्रतिशत के बराबर की राशि पूंजीगत आर्थिक

सहायता के रूप में सरकार से प्राप्त करने के पात्र होंगे जो बैंकों के माध्यम से दी जाएगी।

(iii) सावधि ऋण राशि के अंश की वापसी अदायगी की अवधि से 18 महीने की अधिस्थगन अवधि के साथ 3 से 7 वर्ष के बीच होगी।

(iv) बैंक ऋणकर्ताओं से सांपार्श्विक अथवा अन्य पार्टी गारण्टी नहीं मांगेंगे। बैंक की गारण्टी बैंक की सहायता से निर्मित परिसम्पत्तियां होंगी।

(v) आवेदनों की जांच करने और बैंकों की उपयुक्त आवेदनों की सिफारिश करने के लिए जिला स्तर पर कृतिक बल गठित किए जाएंगे।

इस योजना को और अधिक उत्पादक बनाने के लिए वर्ष 1984-85 से यह परिकल्पना की गई है कि कुल लक्ष्यों में औद्योगिक धन्धों का अनुपात 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा और व्यापारिक धन्धों का अनुपात मंजूर किए गए मामलों के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

बिहार राज्य में इस योजना के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंक ऋण दे रहे हैं। 1983-84 में, बिहार में, 14,230 मामले मंजूर किए गए जिनकी राशि 22.79 करोड़ रुपये बैठती है। वर्ष 1984-85 में, बिहार में, वाणिज्यिक बैंकों ने 26.76 करोड़ रुपये के 14806 मामलों के लिए मंजूरी दी।

डा० गौरी शंकर राजहंस : महोदय, लगभग 7 करोड़ की जनसंख्या के लिए, जिसमें से 1/4 लोग शिक्षित बेरोजगार हैं, आप 26.75 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर कर रहे हैं। फिर भी क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि औसतन एक आवेदन पत्र के निपटान में कितना वक्त लगता है?

श्री जनार्दन पुजारी : लाभग्राहियों के पता लगाने का काम कार्य दल द्वारा किया जाता है। जिला औद्योगिक केन्द्रों, बैंकों, लीड बैंकों, तथा दो अन्य बैंकों के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया है। कार्य दल द्वारा लाभग्राहियों का पता लगा लेने के पश्चात आवेदन पत्र बैंकों को भेजे जा रहे हैं। बैंकों को भी यह देखना होता है कि क्या ये परियोजनाएं अर्थक्षम हैं या नहीं। 25,000 रुपये तक के आवेदनपत्रों को उसकी प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर निपटाया जाना होता है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि कितने जिलों में कार्यदल कार्यरत हैं तथा उनके सदस्य कौन-कौन हैं तथा उनके कार्यकरण पर कौन निगरानी रखता है?

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय मैं पहले ही बता चुका हूं कि कार्य दलों के प्रतिनिधि ही इसके सदस्य हैं। इन कार्य बलों का कार्य जिला औद्योगिक केन्द्रों के कार्य-करण का निरीक्षण करना है। एक सलाहकार समिति भी है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : महोदय, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है तथा माननीय मन्त्री जी का उत्तर स्पष्ट नहीं है।

मैं प्रधान मन्त्री जी का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत युवकों का शोषण हो रहा है। वर्तमान नीति के अनुसार युवक प्रस्तावों के साथ जिला औद्योगिक केन्द्रों को दरख्वास्त दें तथा ये केन्द्र इन मामलों की सिफारिश राष्ट्रीयकृत बैंकों से करें तथा इसके पश्चात राष्ट्रीयकृत बैंक इन अर्जियों का निपटान करेंगे। मन्त्री जी का कहना है कि 14 दिनों के भीतर इनका निपटान करना होता है। अगर जिला औद्योगिक केन्द्रों को अर्जियां प्राप्त होती हैं तथा ये केन्द्र

बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से बेईमानी करते हैं ये लोग राजनैतिक तथा अन्य जातिगत संरक्षण में कुछ चुने हुए मामलों को आगे भेजते हैं और इसके परिणामस्वरूप बैंक प्रबन्धकों के साथ समझौता कर लेते हैं तथा बैंक न सिर्फ 14 दिन लगाते हैं बल्कि वर्ष में 14 महीने लगाते हैं तथा युवकों से पैसों की मांग करते हैं...(**व्यवधान**) इस मामले में अवैध धंधा हो रहा है। अतः मैं मन्त्री जी से पूछूंगा ..... (**व्यवधान**) यह स्पष्ट है कि वे भ्रष्ट हैं। (**व्यवधान**) उसे जिला औद्योगिक केन्द्र, बैंक के मैनेजर आदि को पैसा देना पड़ता है और फिर उसे 5000 रुपये मिलते हैं। एक बहुत बड़ा अवैध धंधा हो रहा है। (**व्यवधान**) मेरा प्रश्न है : क्या मन्त्री जी सदन में स्पष्ट घोषणा करेंगे...(**व्यवधान**) क्या मामलों को निपटाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम होगा ? यदि 31 मार्च तक समाप्त हुई अवधि तक अतीत के मामलों में ऐसा नहीं किया गया है, तो क्या वे बैंक के प्रबन्धकों या इन मामलों से सम्बन्धित एजेन्टों के विरुद्ध जांच करवाने के लिए कोई कदम उठायेंगे ? उनमें अवैध धंधा हो रहा है। (**व्यवधान**)

वित्त तथा वाणिज्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : इस प्रकार की शिकायतें हैं। मैं भी उनके प्रतिनिधि के रूप में गांवों में गया हूं। (**व्यवधान**) मैं कहता हूं कि ऐसा है। मैं बिहार के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि मैं इस समस्या से अवगत हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शांत, शांत।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं ऐसा कह रहा हूं। अगर आप मुझसे सहमत नहीं हैं तो मुझे बताइए। जो कुछ मैं कह रहा हूं अगर आप उसका खण्डन करते हैं तो आप कुछ कहिए।

श्री भागवत झा आजाद : नहीं, हम खण्डन नहीं कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह समस्या है। हम इस बारे में जानते हैं। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता। सच तो यह है कि जब पुनरीक्षा की गई तो हमने बैंकों के चेयरमैनों को साफ-साफ कहा था कि इस प्रकार की सही शिकायतें हैं तथा इससे बैंकों के कार्य-प्रणाली का पता चलता है। हम इस बारे में बहुत ही चिन्तित हैं तथा इसे सुधारने के लिए उन्हें अवश्य ही कदम उठाने चाहिए। तथा कुछ प्रक्रिया यानि कि समय-बद्ध कार्यक्रम, आदि के बारे में, जिसका आप सुझाव दे रहे हैं, ये प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए हैं। जहां कहीं भी ऐसा पाया जाएगा, हमें आशा है कि दृढ़ कार्यवाही करके हम इसे नियंत्रित करेंगे। परन्तु मैं यह नहीं कहूंगा कि इसमें सभी लोग शामिल हैं, परन्तु यह समस्या बनी हुई है। मैं इससे इन्कार नहीं करूंगा। हम इस बात से अवगत हैं तथा हम इसके लिए कदम उठा रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री प्रताप भानु शर्मा : कृपया नियम 193 के अधीन चर्चा की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अगर समय हुआ तो हम इसकी अनुमति दे सकते हैं, क्योंकि यह एक महत्व-पूर्ण विषय है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम इसे करेंगे।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम इसकी अनुमति देंगे। अब श्रीमती ऊषा चौधरी प्रश्न संख्या 354

महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता

*354. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजना के लिए भारत को 2010 लाख डालर की सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप उस राज्य में कृषि उत्पादन में तथा रोजगार की उपलब्धता में कितनी वृद्धि होगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के निदेशक मण्डल ने तीसरी महाराष्ट्र संयुक्त सिंचाई परियोजना के लिए 16 जुलाई, 1985 को 16.42 करोड़ एस० डी० आर० (16.00 करोड़ अमेरिकी डालर के बराबर) के एक ऋण का अनुमोदन किया है।

(ख) इस परियोजना के पूरा हो जाने पर कृषि उत्पादन के कुल मूल्य में लगभग 264 करोड़ रुपए तक की वृद्धि हो जाने की आशा है और इससे 95.000 पूर्ण-कालिक अतिरिक्त रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा चौधरी : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के विदर्भ और खानदेश में काफी पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र सम्मिलित हैं, जहां खारिया प्रोजैक्ट और नावथा प्रोजैक्ट बहुत वर्षों से पैंडिंग चले आ रहे हैं। जब मोरारजी भाई महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री थे, तब उन्होंने महाराष्ट्र के क्लेम को छोड़कर गुजरात के उकई प्रोजैक्ट को प्रधानता दी, जिसकी वजह से हमारे ये प्रोजैक्ट पीछे रह गए। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहती हूं—महाराष्ट्र की अधिकतम क्षमता, सिंचाई की, 35 प्रतिशत है, जो अभी आधी भी नहीं पहुंची है, ऐसी स्थिति में वे कौन से नए प्रोजैक्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तथा मैंने जिस प्रोजैक्ट का उल्लेख किया है, क्या वे उसको भी पूरा करायेंगे अथवा नहीं ?

[अनुवाद]

श्री जनादन पुजारी : जहां तक इस परियोजना का सम्बन्ध है, विदेशी सहायता की मंजूरी अक्तूबर के अन्त तक दिए जाने की संभावना है। परियोजना के पूरा होने के बारे में, यह अच्छा होगा कि यह प्रश्न सम्बन्धित मन्त्रालय से किया जाए कि यह कब पूरा होने वाला है। वह इस प्रश्न का सही सही उत्तर दे सकता है।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा चौधरी : हमें आशा थी कि मन्त्री महोदय इसके बारे में कुछ निश्चित जवाब देंगे और बड़े जोर से रिकमेंड करेंगे लेकिन उन्होंने वैसा जवाब यहां पर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : आशा निराशा में बदल गई।

श्रीमती ऊषा चौधरी : आपने वर्ल्ड लोन के बारे में यहां पर काफी आंकड़े दिए हैं और कितना रोजगार उपलब्ध होगा, उसके बारे में बताया है लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि अपर वर्धा प्रोजैक्ट, जो विदर्भ में हैं, जो पिछली पंचवर्षीय योजना में पूरी होनी चाहिए थी, वह अभी तक आधी भी नहीं हुई है और वर्ल्ड बैंक से सहायता मिलने के बावजूद भी हमारी प्रोजैक्ट एक पंचवर्षीय योजना से दूसरी पंचवर्षीय योजना में पहुच जाती है, जिसकी वजह से उसकी कास्ट बढ़ जाती है और वहां पर फसल का नुकसान होता है। प्रोजैक्ट देर से पूरी होने के कारण अमरावती और वर्धा में काफी नुकसान हुआ है। मैं पूछना चाहती हूं कि कभी आपने इसका अनुमान लगाया है। लम्बे स्तर की योजना आप बनाते हैं और उसमें काफी समय लगता है और बहुत नुकसान होता है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या नए प्रावधान रख कर आप यह योजना बनाएंगे ताकि निर्धारित समय के अन्दर, जो समय हमने डेक्लेयर किया है, उसके अन्दर वर्ल्ड बैंक की सहायता से प्रोजैक्ट बन सकें।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : मैं पहले ही बता चुका हूं कि निश्चित एवं एकदम सही समय मैं नहीं बता सकता हूं। परन्तु कार्यक्रम के अनुसार इसे 1990 तक तैयार हो जाना चाहिए। परियोजना की कुल लागत 387 करोड़ रुपये हैं। वर्ष 1985-86 में 5630 लाख रुपये, यानि 50 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1986-87 में 63.2 करोड़ रुपए, 1987-88 में 89 करोड़ रुपए तथा वर्ष 1988-89 में यह राशि 91 करोड़ रुपए है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : इसीलिए मैंने कहा है कि निश्चित एवं सही तारीख मैं नहीं बता सकता। मैंने निर्धारित समय के बारे में बता दिया है।

[हिन्दी]

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : अब तक यह देखा गया है कि सिंचाई की योजनाएं चाहे वे विश्व बैंक की सहायता से और चाहे अपने निजी साधनों और क्षमता से शुरू की जाती हैं, निर्धारित समय के अन्दर न बनने के कारण बिल्कुल बेकार सिद्ध हुई हैं और सारा पैसा नष्ट हो गया है और सिंचाई के उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं हो पाती। क्या सरकार और मंत्रालय इस ओर देखेगा और भविष्य में इस बात का प्रयास करेगा कि स्टीपूलेटेड टाइम में योजना पूरी हो और धन की बरबादी न हो।

[अनुवाद]

वित्त तथा वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : एक दल है जो कि विभिन्न परियोजनों में त्रुटियों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए कर रहा है कि भविष्य में त्रुटियां न हो।

लौह अयस्क के निर्यात के लिए विदेशों में नये बाजार

*355. **श्री श्रीहरि राव :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों को दिए जाने वाले लौह अयस्क के निर्यात में अब गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनमें लौह अयस्क के निर्यात में अभी हाल में गिरावट आई है और उसके क्या कारण हैं तथा इसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की कितनी हानि हुई है ; और

(ग) खोये हुए बाजारों को पुनः प्राप्त करने के लिए अथवा नए विदेशी बाजारों का पता लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सभा पटल पर विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) 1984-85 में लोह अयस्क (कुद्रमुख सांद्रित पदार्थों को छोड़कर) के समग्र निर्यात 442.74 करोड़ रु० से अधिक के हुए हैं और 1983-84 की तुलना में मूल्य की दृष्टि से उनमें 15.4 प्रतिशत और मात्रा की दृष्टि से 15.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि, 1983-84 की तुलना में 1984-85 में निम्नलिखित देशों को, जो हमारे मुख्य खरीदार नहीं हैं, निर्यात घटे :—

1. चैकोस्लोवाकिया

2. बल्गारिया
3. दुबई
4. सऊदी अरब
5. ओमान
6. टर्की और
7. मलयेशिया

1983-84 की तुलना में 1984-85 में इन देशों से 5 करोड़ रु० की कम निर्यात आय हुई। इनमें से कुछ देश लोह अयस्क के हमारे नियमित खरीदार नहीं है। अन्य देशों के मामले में निर्यात आय मुख्य रूप से उनकी भीतरी वित्तीय समस्याओं और आयात आवश्यकताओं की कमी के कारण घटी।

(ग) हमारे दूतावासों, प्रमुख व्यापार सदनों, एम० एम० टी० सी० के विदेशी कार्यालयों के के जरिए और साथ ही विश्व में लोह अयस्क के महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं के साथ सीधे सम्पर्क रखा जा रहा है ताकि नए बाजारों का पता लगाया जा सके और अन्य बाजारों में निर्यात की सम्भावनाओं का उपयोग किया जा सके।

[अनुवाद]

श्री श्रीहरि राव : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि हमारे द्वारा कुछ देशों को किए जाने वाले लौह अयस्क के निर्यात में कमी आई है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि इसके मुख्य खरीददार कौन हैं, कौन हमारे लौह अयस्क का आयात करते हैं तथा इस बारे में जापान की क्या स्थिति है ? क्या इसका प्रथम स्थान है ? अथवा क्रम में इसका क्या स्थान है ?

श्री पी० ए० संगमा : अगर हम सम्पूर्ण लौह अयस्क के निर्यात की बात करें तो इसमें कोई कमी नहीं आई है। सच तो यह है कि मात्रा के रूप में इसमें 15.4 प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा मूल्यों में 15.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। परन्तु कुछ देशों को किए जाने वाले निर्यात में कमी आई है जोकि वास्तव में हमारे परम्परागत आयातक नहीं हैं। उनकी मात्रा और इसका मूल्य बहुत ही कम है। कुल मिलाकर मात्रा तथा मूल्य दोनों में ही 15 प्रतिशत से कुछ अधिक की वृद्धि हुई है। हमारा मुख्य खरीदार जापान है। वास्तव में एम० एम० टी० सी० ने 6000 लाख अमरीकी डालर मूल्य का 300 लाख टन लौह-अयस्क निर्यात करने का 10 वर्षीय लम्बा करार किया है।

श्री श्रीहरि राव : क्या जापान से जलयानों के आयात की कोई योजना है ?

श्री पी० ए० संगमा : प्रश्न लौह अयस्क से सम्बन्धित है न कि जलयानों से।

श्री जी० जी० स्वैल : मैं जानना चाहूंगा कि क्या एक मंत्री के नेतृत्व में चीन का एक दल अपना इस्पात उत्पादन 450 लाख टन से बढ़ाकर 900 लाख टन करने के लिए लौह अयस्क की सप्लाई के स्रोत का पता लगाने के लिए हाल ही में भारत आया था। मैं जानना चाहूंगा कि क्या चीनी दल के साथ आपने गम्भीरता के साथ बातचीत की है। यदि हां, तो इस चर्चा में कहां तक प्रगति हुई है ?

वित्त और वाणिज्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : चीनी के उद्योग मंत्री यहां आए थे और हमसे मिले हैं। हमने लौह अयस्क के निर्यात के सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण से अवनत कराया है।

उन्होंने बताया है कि मूल्यों की दृष्टि से भारतीय लौह अयस्क प्रतिस्पर्धी है। चीन के साथ हम आगे बातचीत कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मानकूराम साढी : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश से विदेश को किस-किस जगह से आयरन और सप्लाई किया जाता है ? क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश के बेलाडीला जिले के भायरन और के लिए जापान से कोई एग्रीमेंट हुआ था ? क्या उस एग्रीमेंट में कुछ कटौती कर दी गई है ? जापान से हुए एग्रीमेंट से शासन को जो विदेशी मुद्रा उजरत प्राप्त होनी थी, क्या इस कटौती से उसमें कोई कमी नहीं आई है ? क्या इस कमी को दूर करने के लिए शासन जापान से कोई नया समझौता करने का प्रस्ताव रखती है ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : मुख्य उत्तर में सूची दी गई है।

श्री शान्ताराम नायक : जब 1961 में गोवा स्वतन्त्र हुआ था तब हमने सोचा था कि अधिक से अधिक लौह-अयस्क का इस देश में उपयोग किया जा सकेगा। परन्तु अभी भी ऐसा नहीं किया गया है। क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि क्या वाणिज्य मंत्रालय ने उद्योग मंत्रालय के सहयोग से लौह-अयस्क का अधिक से अधिक मात्रा में स्वदेश में उपयोग किए जाने के लिए कोई योजना बनाई है जिससे उसका निर्यात उस हद तक न हो सके और लौह अयस्क देश में उपलब्ध हो सके ?

श्री पी० ए० संगमा : हमारे देश में इसका वार्षिक उत्पादन 380 से 400 लाख टन है। परन्तु हमारे देश के इस्पात संयंत्र 160 से 170 लाख टन तक इसका उपयोग कर सकते हैं। अतः जितने लौह अयस्क की देश में खपत नहीं हो पाती है उसका निर्यात किया जाता है।

डा० कृपासिन्धु भोई : क्या धातु तथा खनिज व्यापार निगम ऐसे लौह अयस्क की खरीद नहीं कर रहा है जिसमें लौह की मात्रा 58 प्रतिशत से अधिक है और 'सीलिका' की मात्रा बहुत कम है ? परादीप से लौह अयस्क के निर्यात करने में कठिनाई के कारण क्या मंत्रालय अपना निर्यात उड़ीसा के किसी अन्य पत्तन से करेगा ? क्या उन्हें दक्षिण अफ्रीका से ऐसा कोई प्रस्ताव मिला है जिसके बारे में श्री वसन्त साठे पिछले दिन उल्लेख कर रहे थे ? लोगों की उस प्रस्ताव के बारे में जानने की बहुत रुचि है। क्या सरकार क्योंझर से लौह अयस्क खरीदेगी जोकि भारत की "रूह" है जहां मूल कच्चे माल की अधिक मात्रा वाले सभी तरह के खनिज उपलब्ध हैं। अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनके पास कोई वास्तविक प्रस्ताव है, अथवा नहीं ?

श्री पी० ए० संगमा : वास्तव में परादीप पत्तन से हमारा निर्यात बढ़ा है। 1983-84 में हमने 162.9 लाख टन निर्यात किया था और 1984-85 में 198.1 लाख टन।

जहां तक परादीप पत्तन का सम्बन्ध है हमें वहां पर एक समस्या है। यह केवल 55000 डी० डब्ल्यू० टी० की क्षमता वाले पोतों को ले जा सकता है। दक्षिण कोरिया ने एक प्रस्ताव दिया है जिसके अन्तर्गत उसे लगभग 2,00,000 डी० डब्ल्यू० टी० के पोतों को ले जाने के लिए गहरा बनाया जा सकता है। इस मामले पर नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों के धन का दुरुपयोग

*356. **श्री मुकुल वासनिक :**

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अनेक क्षेत्रों में बैंकों से धन के दुरुपयोग के बारे में समाचार प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या इस दुरुपयोग के लिए लाभार्थियों की दोषपूर्ण पहचान, योजनाओं को गलत तरीके से तैयार करना और उनकी व्यवहार्यता का गलत मूल्यांकन जैसे कारण बताए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस समस्या को हल करने के लिए किन उपायों पर विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए किए गए अध्ययनों से बैंकों की धनराशियों के अनुचित उपयोग के लिए जिम्मेदार कुछ कमियों का पता चला है। पता लगाई गई मुख्य त्रुटियां हैं :—विभिन्न विभागों और अभिकरणों के बीच समन्वय का अभाव, आधारभूत ढांचे और विपणन सम्पर्कों का अभाव, स्कीमों का गलत डिजाइन, परियोजनाओं का दोषपूर्ण मूल्यांकन, हिताधिकारियों की त्रुटिपूर्ण पहचान और अपर्याप्त पर्यवेक्षण।

इस सम्बन्ध में उपचारात्मक उपाय करने के लिए इन कमियों की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया, निःसन्देह यह सही है कि जिस उद्देश्य से आई० आर० डी० पी० प्रोग्राम आरम्भ किया गया था, उस उद्देश्य को हम प्राप्त नहीं कर पाए और कई प्रकार की कमियां इस कार्यक्रम में स्वयं मंत्री जी ने स्वीकार की हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि इस आई० आर० डी० पी० कार्यक्रम में कितने धन का दुरुपयोग हुआ है और उसकी मात्रा कितनी है तथा कौन-कौन लोग उसके दोषी हैं तथा उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है। दूसरा माननीय मंत्री जी से मै यह सवाल करना चाहूंगा कि क्या इस आई० आर० डी० पी० प्रोग्राम के मूल ढांचे मे कोई परिवर्तन करने की योजना सरकार की है ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने एक सर्वेक्षण किया है जिसके अन्तर्गत 1498 लाभार्थियों का अध्ययन किया गया है। उस अध्ययन से पता चला है कि इनमें से 14 लाभार्थियों ने अपनी परिसम्पत्तियां बेच दी हैं और इसलिए ऋणों का दुरुपयोग हुआ है। 1498 में से 9 लाभार्थियों की परिसम्पत्तियां खराब हालत में थीं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 3000 करोड़ रुपए की राशि के ऋण दिए जाने का लक्ष्य था और यह राशि बैंकों तथा सहकारी बैंकों

से आनी थी। छठी योजना के दौरान डेढ़ करोड़ परिवारों का पता लगाया जाना था। हमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और हम 1.64 करोड़ लाभार्थियों को छठी योजना के दौरान मदद पहुंचा सके हैं और 3,000 करोड़ रुपए देने की बजाय छठी योजना में उन्हें 3080 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

जहां कहीं भी विशेष मामलों की जानकारी हमें प्राप्त हुई है उनमें कार्यवाही की गई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की पिछली बैठक में हमने पता लगायी गयी कमियों की ओर ध्यान दिलाया है तथा हमने उनसे कहा है कि जहां तक लाभार्थियों का पता लगाने तथा धन वितरण करने का सम्बन्ध है, इसकी कार्यवाही की जानी चाहिए। परन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसमें भी राज्य सरकारों की भूमिका की बात आती है। पता लगने का काम राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। अतः उनके राज्य सरकारों को लिखा है कि पता लगाने का काम शीघ्र किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मंत्री जी ने बताया है, मेरे मूल प्रश्न का जवाब नहीं आया। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आई० आर० डी० पी० प्रोग्राम में यदि आप कमियां देख रहे हैं तो निकट-भविष्य में क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में आप इस आई० आर० डी० पी० प्रोग्राम के कार्यक्रम में कोई आमूल-चूल परिवर्तन लाने की बात सोच रहे हैं, यदि हां तो उसका स्वरूप क्या होगा। दूसरा मेरा सवाल यह है कि इसमें जिन लोगों को आपने सम्मिलित किया है, उनमें गरीब व्यक्ति भी हैं, लेकिन उनकी आई०आर०डी०पी० प्रोग्राम का लाभ नहीं मिल रहा है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले सभी व्यक्तियों को आई० आर० डी० पी० प्रोग्राम का लाभ मिल सके, उसके लिए सरकार की आनेवाली योजना क्या है ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, जिन लोगों को पहले सहायता दी गई है उनको पुनः सहायता देने के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन किए जाने का विचार है। सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि छठी योजना के दौरान दी गई सहायता पर्याप्त नहीं थी। अतः सातवीं योजना के दौरान यह विचार किया गया है कि गरीब लोगों में से उन लोगों को दूसरी बार सहायता दी जाए जो गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ सके हैं। माननीय सदस्य ने ठीक बात बतायी है कि सहायता सबसे गरीब लोगों को दी जाए। जिन लोगों के बारे में पता लगाया जाए वे सबसे अधिक गरीब होने चाहिए जो कि गरीबी की रेखा से नीचे निर्वाह कर रहे हों। इस बारे में भी राज्य सरकार की भूमिका पर विचार किया जाना चाहिए। उन्हें उस समय सही लोगों का पता लगाना है जबकि वे राज्य सरकारों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।

श्री भागवत झा आजाद : मैं सभी की ओर से सरकार को तथा बैंकों को विशेष रूप से इसलिए बधाई देता हूं क्योंकि वे भ्रष्टाचार को अति सावधानी से गांवों के स्तर तक ले आए हैं।

वित्त तथा वाणिज्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, मैं इसका दृढ़ता पूर्वक खंडन करता हूं। भ्रष्टाचार हो सकता है, परन्तु मैं इस आरोप का दृढ़ता के साथ खंडन करता हूं कि सरकार गांवों तक में भ्रष्टाचार ला रही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

श्री भागवत झा आजाद : मन्त्री महोदय, मैं बलपूर्वक कहता हूं कि आपके बैंक भ्रष्टाचार को गांवों तक ले गए हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप कह रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार को लाई है, यह गलत है। बस इतनी बात है।

श्री भागवत झा आजाद : चिल्लाएं मत। आपके चिल्लाने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। अत: मैं जानना चाहूंगा···

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने का आधुनिकीकरण

*345. **श्री मुरलीधर माने** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तन इस्पात कारखाने को आर्थिक रूप के सक्षम और निर्धारित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए उसके आधुनिकीकरण की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब आरम्भ करने का सरकार का विचार है और क्या सरकार इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराएगी ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख). विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र परियोजना का निर्माण अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां अपनाने पर आधारित है। स्थिति की लगातार समीक्षा की जाती है और जहां कहीं सम्भव होता है परियोजना की अर्थक्षमता में और सुधार करने के लिए अत्यधिक नवीनतम प्रौद्योगिकियां अपनायी जा रही हैं। इस पर आने वाली लागत की पूर्ति परियोजना के निर्माण के लिए स्वीकृत लागत में से की जाती है।

कर्नाटक में बहुमूल्य और अल्प मूल्य रत्नों और सोने वाले क्षेत्र

*346. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कर्नाटक में अभी हाल ही में आठ ऐसे क्षेत्रों का पता लगा है, जहां पर बहुमूल्य और अल्प मूल्य वाले रत्न उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या मैसूर मिनरल्स, भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण विभाग तथा खान और भ-गर्भ विभाग के प्रतिनिधियों की एक समिति 1982 में गठित की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो उस समिति द्वारा क्या जांच परिणाम निकाले गए ;

(घ) क्या भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने राज्य में सोने की संभावनाओं वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में सोना पाया गया है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां, कर्नाटक के 8 क्षेत्रों में कीमती तथा अर्द्ध-कीमती पत्थर होने की सरकार को जानकारी है।

(ख) जी, हां।

(ग) समिति ने सिफारिश की थी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा राज्य सरकार के खान व भूतत्व विभाग द्वारा संयुक्त उद्यम आधार पर पर्याप्त कार्मिकों तथा वित्तीय स्रोतों के साथ खोज स्कीम तैयार की जाए। उसने नमूनों के मूल्यांकन हेतु, कि कुशल कार्मिकों तथा उपयुक्त उपकरणों से लैस मूल्यांकन यूनिट समेत एक मणि पारख (लेपिडरी) यूनिट की स्थापना की भी सिफारिश की थी। समिति की अन्य सिफारिशें थीं कि हिन्दुस्तान डायमण्ड कार्पोरेशन और कुछ अन्य संगठनों को इन गतिविधियों में भागीदार बनाया जाए, चोरी आदि की रोकथाम के लिए खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम तथा खनिज रियायत नियमावली में समुचित संशोधन किया जाए।

(घ) और (ङ). जी, हां। इन सर्वेक्षणों से राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में स्वर्ण खनिजीकरण का पता चला है :

(1) हट्टी, जिला रायचुर

(2) गदाग, जिला धारवाड़

(3) शिमोगा, जिला शिमोगा

(4) चेम्पियन पटिटताश्म (नाइस) क्षेत्र (कोलार गोल्ड फील्ड के पूर्व में)

(5) कोलार स्वर्ण पट्टी का दक्षिणी और उत्तरी विस्तार।

[हिन्दी]

ब्याज की गणना के लिए बैंकों तथा डाकघरों के लिए समान नीति

*348. **श्री लाला राम केन :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक घर बचत बैंक खातों में ब्याज वार्षिक आधार पर आंका जाता है, जबकि बैंकों में यह अर्ध-वार्षिक आधार पर आंका जाता है, जिसके फलस्वरूप बैंकों के जमा खाते अधिक लाभप्रद और आकर्षक होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो बैंकों तथा डाकघरों में ब्याज आंकने के लिए समान नीति अपनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वाणिज्यिक बैंक बचत बैंक खातों पर 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देते हैं। अर्ध-वार्षिक आधार पर आंके जाने पर वास्तविक ब्याज केवल 5.06 प्रतिशत बनता है, जबकि डाकघर बचत बैंक खातों पर ब्याज वार्षिक आधार पर आंके जाने के बावजूद भी 5.5 प्रतिशत प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त डाकघर बचत बैंक ब्याज पर आय-कर पूरी छूट है।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

[अनुवाद]

कोयले का उत्पादन तथा खपत केन्द्रों तक ढुलाई

*357. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कोयला उत्पादन की राज्यवार मात्रा कितनी है ;

(ख) विभिन्न राज्यों से कोयला कौन-कौन से ताप-विद्युत केन्द्रों को दिया जाता है ;

(ग) क्या रेलों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खाद्यान्नों की ढुलाई के, समय कोयले की ढुलाई के समय विभिन्न खपत केन्द्रों तक कोयले की ढुलाई में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ; और

(घ) रेलों द्वारा कोयले की निर्बाध तथा शीघ्र ढुलाई में आने वाली इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) वर्ष 1984-85 में कोयले का राज्यवार उत्पादन निम्नलिखित रहा है :

(आंकड़े लाख टनों में)

राज्य	1984-85 में उत्पादन
आन्ध्र प्रदेश	12.328
असम	0.810
बिहार	54.879
जम्मू और काश्मीर	0.017
मध्य प्रदेश	41.030
महाराष्ट्र	10.298
उड़ीसा	5.442
उत्तर प्रदेश	3.426
पश्चिम बंगाल	19.203
कुल अखिल भारत	147.433

(ख) निम्नलिखित ताप बिजली घरों को विभिन्न राज्यों के कोयला उत्पादन से कोयला मिलता है। राज्य का नाम प्रत्येक ताप बिजली घर के सामने दिया गया है :

ताप बिजली घर का नाम	राज्य जहां कोलियरियां हैं
1. हरदुआगंज "ए"	बिहार
2. हरदुआगंज "बी"	
3. कानपुर (केसा)	पश्चिम बंगाल
4. पनकी पुराना	बिहार
5. पनकी विस्तार	बिहार
6. ओवरा "ए और बी"	मध्य प्रदेश
7. परीचा	बिहार
8. सिंगरौली सुपर ताप बिजली घर	बिहार
9. आई० पी० स्टेशन	बिहार

10. राजघाट	बिहार
11. बदरपुर	बिहार
12. फरीदाबाद	बिहार
13. पानीपत	बिहार
14. भटिंडा	बिहार
15. रोपड़	बिहार
16. कोटा	मध्य प्रदेश
17. अहमदाबाद	मध्य प्रदेश
18. उकई	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र
19. गांधीनगर	मध्य प्रदेश
20. घवारन	मध्य प्रदेश
21. वेनकबोरी	मध्य प्रदेश
22. नासिक	महाराष्ट्र
23. पारस	मध्य प्रदेश
24. कोराडीह	मध्य प्रदेश
25. भौसावल	मध्य प्रदेश
26. खापेखाडा	मध्य प्रदेश
27. पारली	आन्ध्र प्रदेश
28. चन्द्रपुर	प० बंगाल
29. कोरबा ईस्ट	प० बंगाल
30. अमरकंटक	प० बंगाल
31. सतपुड़ा	प० बंगाल
32. कोरबा वेस्ट	प० बंगाल
33. कोरबा सुपर ताप बिजली घर	प० बंगाल
34. रामागुंडम	आन्ध्र प्रदेश
35. कोठागुडम	आन्ध्र प्रदेश
36. विजयवाड़ा	आन्ध्र प्रदेश
37. रामागुंडम सु० ता० बि० घ०	आन्ध्र प्रदेश
38. रायचुर	आन्ध्र प्रदेश
39. भनौरा	आन्ध्र प्रदेश
40. बेसिन ब्रिज	मध्य प्रदेश

41. तूतीकोरीन	प० बंगाल
42. बोगईगांव	प० बंगाल
43. कलकत्ता	प० बंगाल
44. टीटीगढ़	प० बंगाल
45. बंडेल	प० बंगाल
46. संथालडीह	प० बंगाल
47. कोलाघाट	बिहार
48. दुर्गापुर	प० बंगाल
49. बरौनी	प० बंगाल
50. पतरातु	बिहार
51. मुजफ्फरपुर	प० बंगाल
52. बोकारो	बिहार
53. चन्द्रपुरा	बिहार
54. दुर्गापुर	बिहार
55. तालचेर	उड़ीसा

(ग) और (घ). यह सच है कि जिस समय खाद्यान्नों का सबसे अधिक संचलन होता है उस समय कोयले की ढुलाई के लिए वैगन वास्तविक मांग से कम उपलब्ध होते हैं। फिर भी, ताप बिजलीघरों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने की दृष्टि से रेलवे ताप बिजलीघरों को कोयले की ढुलाई को बहुत अधिक अग्रता प्रदान करती हैं। इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित एजेंसियों के बीच अर्थात् कोयला कम्पनियां, रेलवे और बिजली बोर्डों में लगातार सम्पर्क रखा जा रहा है और इनकी नियमित समन्वय बैठकें होती हैं। यह बैठकें सम्बन्धित मन्त्रालयों के स्तर पर भी की जाती हैं। इन सब प्रयासों के फलस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में 1985-86 में बिजलीघरों को कोयले की वास्तविक सप्लाई में काफी वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बर्ष बिजलीघरों को औसतन लगभग 1000 वैगन प्रतिदिन कोयला और सप्लाई किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कोयला विभाग, विद्युत विभाग और रेल मन्त्रालय ने मिलकर एक योजना बनाई है ताकि प्रमुख बिजलीघरों में उनकी एक महीने की जरूरत का कोयले का स्टाक बन जाए। यह स्टाक उन बिजलीघरों में नहीं बन सकेगा जहां कोयले के भण्डारणन और/या रख-रखाव की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।

विश्व विकास रिपोर्ट

*358. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व विकास प्रतिवेदन, 1985 (विश्व बैंक प्रतिवेदन) की ओर ध्यान दिया है ;

(ख) क्या उक्त प्रतिवेदन में विकासशील देशों, विशेषकर भारत की ऋणों के पुनर्निर्धारण के बावजूद उसके विकास में होने वाली धीमी प्रगति के कारण आलोचना की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने विश्व बैंक के प्रतिवेदन में की गई आलोचना को दूर करने के लिए क्या उपाय सोचे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व विकास रिपोर्ट, 1985 में आर्थिक विकास के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी की भूमिका पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और इस सन्दर्भ में इस रिपोर्ट में उन बहुत से कारणों पर विचार किया गया है जिन्होंने हाल में विकासशील देशों की ऋण समस्याओं को बढ़ाने में सहयोग दिया है। तथापि, इस रिपोर्ट में "केयरफुल वारोविंग एण्ड रिस्क एवाइडेंस, दि केस आफ इण्डिया" शीर्षक के अन्तर्गत केवल भारत की प्रशंसा की गई है। रिपोर्ट में ऋण सम्बन्धी पुनर्निर्धारण कार्यक्रमों के बारे में विचार करते समय, जो कि हाल में ऋण समस्याएं उत्पन्न होने से पहले किए गए थे, भारत का उल्लेख किया गया है लेकिन उसमें यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि भारत के लिए तत्कालीन ऋण सम्बन्धी पुनर्निर्धारण कार्यक्रम दाता देशों द्वारा अपनी सहायता की राशि बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि यद्यपि हाल के वर्षों में विकास में मन्दी आई है, फिर भी अधिकांश विकासशील देशों ने गत बीस वर्षों में काफी आर्थिक प्रगति की है। इस प्रकार रिपोर्ट में भारत के आर्थिक कार्य-निष्पादन के सम्बन्ध में अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से कोई आलोचना नहीं की गई है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

ग्रामीण जनता को बैंक ऋण की सुविधाएं

*359 **श्री राम सिंह यादव** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 15,000 (पन्द्रह हजार) से लेकर 17,000 (सत्रह हजार) तक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए कम से कम एक बैंकिंग संस्था की व्यवस्था करके ग्रामीण जनता को बैंक ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराने के मानदण्ड स्वीकार किए हैं ;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में वाणिज्यिक बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस जारी करने से इंकार कर दिया था ; और

(ग) सरकार किस तारीख तक उसके द्वारा इस सम्बन्ध में स्वीकृत मानदण्डों के अनुसार ग्रामीण जनता को बैंक ऋण सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की शाखा लाइसेंसिंग नीति का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 17,000 की जनसंख्या के पीछे एक बैंक कार्यालय खोलने का था। भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों को शाखा विस्तार के लिए लाइसेंस मंजूर करता है और अप्रैल, 1982 फरवरी, से 1985 तक की अवधि के दौरान देश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकों ने 8984 नई शाखाएं खोली हैं। देश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या का औसत जो मार्च, 1982 में 21,000 था, कम होकर, फरवरी, 1985 के अन्त में 16,000 हो गया।

[हिन्दी]

विदेशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण

*360. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विदेशों से कितनी धनराशि के ऋण के लेने का केन्द्रीय

सरकार का विचार है और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों तथा विश्व बैंक से कितनी धनराशि के ऋण प्राप्त किए जा रहे हैं तथा उनकी शर्तें क्या हैं ; और

(ख) पहले वाली पंचवर्षीय योजनाओं के लिए विश्व के अन्य देशों, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और विश्व बैंक से ऋण के रूप में कितनी धनराशि ली गई और इस समय ब्याज समेत कितनी धनराशि भारत की ओर बकाया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) विदेशी साधनों को इसलिए जुटाया जाता है ताकि इनसे आयोजना अवधि में निवेश परिव्ययों और उपलब्ध आन्तरिक साधनों के बीच के अन्तर को कम किया जा सके। सातवीं आयोजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, विश्व बैंक तथा विदेशों से लिए जाने वाले ऋणों की वास्तविक राशि, हमारी प्रत्येक वर्ष की आवश्यकताओं के आधार पर आंकी जाती है। बहुपक्षीय/द्विपक्षीय बातचीत पूरी होने के बाद ही इन ऋणों की राशि और शर्तों का पता चला सकेगा।

(ख) पिछली पंचवर्षीय आयोजनाओं (छठी आयोजना अवधि तक) के सम्बन्ध में विश्व के अन्य देशों, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और विश्व बैंक से लिए गए सरकारी खाते के ऋणों की राशि 23,915.65 करोड़ रु०है। 31 मार्च, 1985 के अन्त तक ऐसे ऋणों की बकाया राशि 24,004.39 करोड़ रुपए थी।

इस सम्बन्ध में यह बात नोट करने योग्य है कि ऋणों की बकाया देनदारी का हिसाब, प्रत्येक निकासी तथा वापसी अदायगी के समय प्रचलित विदेशी मुद्रा दर के आधार पर, विदेशी करेंसियों को रुपए में परिवर्तित करके लगाया जाता है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि विभिन्न पंचवर्षीय आयोजनाओं के लिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, लिए गए ऋणों की कुल राशि की तुलना में 31 मार्च, 1985 के अन्त में बकाया ऋणों के आंकड़ों की राशि (रुपयों के रूप में) अधिक क्यों है।

बकाया ऋण पर समय-समय पर ब्याज की अदायगी करनी पड़ती है और इसे ऋण करारों में वर्णित उपबंधों के अनुसार देय तारीखों को अदा किया जाता है। 31 मार्च, 1985 को ब्याज की अदायगी की कोई रकम बकाया नहीं है।

[अनुवाद]

मेंढक की टांगों के निर्यात पर प्रतिबन्ध

361. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 18 जुलाई, 1985 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि मेंढकों को पीड़ाहीन ढंग से मारने के लिए मंगलौर में भारतीय वैज्ञानिकों की खोज का मेंढकों के निर्यात की संभावना को देखते हुए बहुत अधिक महत्व है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या मेंढ़क की टांगों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया जाएगा और मेंढ़क की टांगों को अलग करने का काम मेंढ़कों को पीड़ाहीन ढंग से मारने के लिए आधुनिक उपकरणों से सज्जित प्राप्त यूनिटों को ही करने दिया जाएगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकार ने मेंढ़क की टांगों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के उद्देश्य से उपाय किए हैं जिनमें ये शामिल हैं : (1) मेंढ़कों की मानवोचित हत्या तथा मेंढ़क की टांगों की स्वास्थ्यक

प्रोसेसिंग के लिए केवल सुविधा प्राप्त एककों द्वारा किए जाने वाले ऐसे निर्यातों की अनुमति देना ; (2) इन निर्यातों की सीमा निर्धारित करना ; और (3) प्रोसेसिंग के लिए मेंढ़क पकड़ना विनियमित करना।

[हिन्दी]

भारतीय कपास निगम को घाटा

*362. **प्रो० चन्द्रभानु देवी :** क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कपास निगम को पिछले कुछ वर्षों से घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका मुख्य कारण क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रशासनिक और वित्तीय उपाय करने का सरकार का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रुई निगम को हुई हानियों के लिए मुख्य कारण हैं पर्याप्त समयावधियों के लिए बड़े स्टाकों पर वहन प्रभार, कार्यकारी पूंजी पर उच्च ब्याज दरें और संचित हानियों पर ब्याज की अदायगी। 83-84 तथा 84-85 के दौरान भारतीय रुई निगम ने वर्तमान कार्यों पर लाभ अर्जित किया जो पहले की हानियों पर ब्याज के भार की क्षतिपूर्ति करने के लिए काफी नहीं था।

(ग) (1) सरकार द्वारा निगम के कार्यसंचालन की समीक्षा की गई और वाणिज्यिक अर्थक्षमता के साथ खरीद कार्य करने का निदेश किया गया था।

(2) निगम ने खरीद के साथ साथ बिक्रियों की नीति अपनाई जिससे स्टाकों के वहन की समस्या को कम किया गया।

(3) सरकार ने निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी 15 करोड़ रु० से बढ़ाकर 25 करोड़ रु० और प्रदत शेयर पूंजी 9 करोड़ रु० से बढ़ाकर 17 करोड़ रु० कर दी है।

(4) सरकार ने ऋण के रूप में निगम की 89.53 करोड़ रु० की समस्त नकद हानियों की क्षतिपूर्ति की है।

(5) भारतीय रुई निगम के निष्पादन की समीक्षा सरकार द्वारा समय-समय पर की जा रही है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में ऋण और जमा के अनुपात में सुधार

*363. **श्री सुधीर राय :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऋण और जमा के अनुपात में सुधार लाने के लिए कोई उपयुक्त कदम उठाए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और 30 जून, 1985 को राज्य में निम्नलिखित बैंकों में यथा (एक) भारतीय स्टेट बैंक, (दो) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, (तीन) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, (चार) सेंट्रल बैंक, (पांच) इलाहाबाद बैंक, (छः) पंजाब नेशनल बैंक, प्रत्येक का वास्तविक ऋण और जमा का अनुपात क्या था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक

ने, ऋण के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले पहलूओं का पता लगाने के लिए, पश्चिम बंगाल के छः जिलों का नमूना अध्ययन किया था। तत्पश्चात्, पश्चिमी बंगाल में ऋण जमा के कम अनुपात के कारणों का गहन अध्ययन करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनाइटेट बैंक आफ इण्डिया और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों का एक कृतिक बल का गठन करने का निर्णय लिया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिसम्बर, 1984 के अन्त में, प्रश्न में उल्लिखित पश्चिम बंगाल स्थित छः बैंकों का ऋण जमा अनुपात का प्रतिशत इस प्रकार था :

भारतीय स्टेट बैंक	69.5
पंजाब नेशनल बैंक	67.1
इलाहाबाद पैंक	51.9
यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	50.8
यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	44.9
सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	36.5

क्षेत्रों की वर्गोन्नति के लिए योजना तथा कार्यक्रम

*364. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने क्रमशः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण शिक्षा तथा गृह मंत्रालयों से उन क्षेत्रों की वर्गोन्नति के लिए योजनाएं तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा है, जिनके लिए उन्होंने आठवें वित्त आयोग से सहायता अनुदान की मांग की थी ; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा उनके मंत्रालय को दी गई सूचना के अनुसार, मंत्रालय बार कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, और इसके अन्तर्गत राज्यवार किस-किस जिले के कौन-कौन से क्षेत्र आएंगे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं। प्रशासनिक स्तरों के बढ़ाने के बारे में वित्त आयोग की सिफारिशें केन्द्रीय मंत्रालयों पर लागू नहीं होतीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशी सहयोगियों को देय स्वामित्व राशि

*365. **श्री वी० तुलसीराम :**

श्री वाई० एस० महाजन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशी सहयोगियों को देय स्वामित्व की राशि की संगणना के विद्यमान आधार में परिवर्तन करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस निर्णय का ब्यौरा क्या है और यह किस तिथि से लागू होगा ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा बचाई जा सकेगी ;

(घ) विदेशी सहयोगियों को स्वामित्व राशि के भुगतान का तरीका क्या होगा ; और

(ङ) ऐसे निर्णय से भारत में विदेशी सहयोगियों द्वारा पूंजी निवेश किए जाने पर किस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त तथा वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ङ). ऐसा कोई नीति संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है।

जोधपुर में इस्पात स्टॉक यार्ड की स्थापना का प्रस्ताव

*3266. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर में एक इस्पात स्टॉक यार्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह एजेंसी किसे दी जाएगी ;

(ग) इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ;

(घ) क्या सरकार को इस एजेंसी के आवंटन के लिए जोधपुर इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, चैम्बर आफ कामर्स अथवा अन्य संस्थाओं से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार ने इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) स्टाक यार्ड खोलने का निर्णय उत्पादकों पर छोड़ दिया जाता है जो वाणिज्यिक आधारों तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के आधार पर निर्णय लेते हैं।

(घ) और (ङ). जी, हां। उन्होंने "सेल" का इस्पात—स्टाकयार्ड जोधपुर में खोलने के लिए कहा है ; इस पर विचार किया गया है। "सेल" द्वारा मांग सम्बन्धी किये गये अध्ययन से यह पता चला है कि वहां स्टाक यार्ड खोलना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

नियन्त्रित कपड़े, जनता कपड़े और हथकरघा पर बने कपड़े की उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य

3573. **श्री सैयद मसुदल हुसैन** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिलों में तथा हथकरघे पर एक मीटर नियंत्रित कपड़े और जनता कपड़े की उत्पाद लागत कितनी आती है ; और

(ख) नियंत्रित और जनता कपड़े का प्रति मीटर बिक्री मूल्य क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जनता कपड़े तथा नियंत्रित कपड़े के उत्पादन की ठीक लागत अलग-अलग राज्यों और समय-समय पर अलग-अलग होती है, जैसा कि ये कच्चे माल तथा अन्तर्निविष्ट साधनों पर निर्भर करती है। जनता कपड़े की किस्में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती हैं।

(ख) जनता धोतियों तथा साड़ियों का बिक्री मूल्य 1.62 रु० प्रति वर्ग मीटर से 4.78 रु० प्रति वर्ग मीटर के बीच अलग अलग होता है। नियंत्रित धोतियों तथा साड़ियों का बिक्री मूल्य 2.12

रु० प्रति वर्ग मीटर से 4.99 रु० प्रति वर्ग मीटर की बीच अलग अलग है। जनता कपड़े तथा नियंत्रित कपड़े के प्रति वर्ग मीटर उपभोक्ता मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

एन० टी० सी० नियंत्रित कपड़े तथा जनता कपड़े का प्रति वर्ग मीटर उपभोक्ता मूल्य को दर्शाने वाला विवरण

मदें	एन० टी० सी० नियंत्रित कपड़ा		हथकरघा जनता कपड़ा	
	काउंटस	मूल्य प्रति वर्ग मीटर रु० पै०	काउंटस	मूल्य प्रति वर्ग मीटर रु० पै०
ग्रे धोती	20/26	2.12	20/20	1.62 से 1.9[illegible]
	30/36	2.80 से 2.82	30/30	1.90
ब्लीच्ड धोती	30/36	3.20 से 3.23	34/40	2.63
			40/40	2.60 से 2.79
साड़ी	22/28	3.43	20/20	2.93
(रंगीन)	30/36	3.05 से 4.48	30/30	2.88
			40/40	2.69 से 3.84
साड़ी (प्रिंटिड)	38/42	4.90	40/40	3.49 से 4.78

यूरो-येन सिंडीकेट ऋण

3575. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में जापान की मित्सुबिशी ट्रस्ट और बैंकिंग कारपोरेशन और इंडस्ट्रियल बैंक आफ जापान से प्रमुख प्रबन्धक के रूप में 10 अरब येन का यूरो-येन सिंडीकेटेड ऋण लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सिंडीकेट व्यवस्था में भाग लेने वाले अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों और भारतीय बैंकों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या उक्त ऋण गैर सरकारी क्षेत्र अथवा सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्योगों के लिए निर्धारित किया गया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) क्या इस यूरो-येन ऋण का कोई भाग उड़ीसा में किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी उद्योग को उपलब्ध किया जाएगा ; यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) जुलाई 1985 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जुटाए गए यूरो-येन सिंडिकेटेड ऋण की पांच-पांच अरब येन के "क" और "ख" दो भाग हैं। भाग "क" परम्परागत ऋण है जिसकी

व्यवस्था मित्सुबिशी ट्रस्ट एण्ड बैंकिंग कारपोरेशन तथा इंडस्ट्रियल बैंक आफ जापान लि० द्वारा संयुक्त रूप से की गयी है। भाग "ख" ऋण कर मुक्त ऋण है जिसकी व्यवस्था मित्सुबिशी ट्रस्ट और बैंकिंग कारपोरेशन (यूरोप) ए० ए० द्वारा की गयी है। एक विवरण संलग्न है जिसमें इस ऋण के अधीन बैंकों के सिंडिकेट में भाग लेने वाले अन्तर्राष्ट्रीय और भारतीय बैंकों के नाम दिए गए हैं।

(ग) और (घ). यह ऋण ऋणकर्त्ताओं की वचनबद्धताओं को पूरा करने के वास्ते भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के येन साधनों का पुनर्भरण करने के लिए हैं और इसका उपयोग भुगतान करते समय करेंसी आवंटन के आधार पर किया जाएगा। अतः यह ऋण सरकारी क्षेत्र अथवा गैर सरकारी क्षेत्र की किसी विशेष परियोजना/उद्योग/राज्य के लिए निर्धारित नहीं किया गया है। इसलिए पहले से यह बताना संभव नहीं है कि क्या उड़ीसा में सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए इस यूरो-येन ऋण में से कोई रकम उपलब्ध करायी जाएगी या नहीं।

विवरण

परम्परागत ऋण "क" बैंक

1. मित्सुबिशी ट्रस्ट एण्ड बैंकिंग कारपोरेशन (90 करोड़)
2. इंडस्ट्रियल बैंक आफ जापान लि० (90 करोड़)
3. बैंक आफ टोकियो लि० (65 करोड़)
4. भारतीय स्टेट बैंक (65 करोड़)
5. फूजी बैंक लि० (40 करोड़)
6. सूमीतोमो ट्रस्ट एण्ड बैंकिंग कंपनी लि० (40 करोड़)
7. खसूदा ट्रस्ट एण्ड बैंकिंग कं० लि० (40 करोड़)
8. बैंक आफ इण्डिया (25 करोड़)
9. तोकाई बैंक लिमिटेड (25 करोड़)
10. द टोएओ ट्रस्ट एण्ड बैंकिंग कं० लि० (20 करोड़)

कर मुक्त ऋण "ख" बैंक

1. मित्सूबिशी ट्रस्ट एण्ड बैंकिंग कारपोरेशन (यूरोप) एस० ए० (110 करोड़)
2. जेनरेल बैंक एस० ए०/एन० वी० (90 करोड़)
3. मित्सूई ट्रस्ट बैंक यूरोप एस० ए० (90 करोड़)
4. ताकोमिन इन्टरनेशन बैंक (यूरोप) एस० ए० (90 करोड़)
5. क्रेडिट बैंक एन० बी० (50 करोड़)
6. सईतोमा बैंक (यूरोप) एस० ए० (50 करोड़)
7. क्रेडिट टूनोर्द (20 करोड़)

कर्नाटक की वित्तीय स्थिति

3576. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा वित्त आयोग के पंचाटों को देय वर्ष से लागू न किए जाने के निर्णय के कारण कर्नाटक राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने का औचित्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अन्य राज्यों की योजनाओं के साथ साथ 1984-85 के लिए कर्णाटक की योजना भिन्न बचनबद्धता को ध्यान में रखकर और 8वें वित्त आयोग की अन्तिम सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्र से संसाधनों के किसी वर्धित अन्तरण के लिए ऋण लिए बिना, अन्तिम रूप दिया गया था। अतः 1984-85 में 8वें वित्त आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर गम्भीर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल विधान सभा के सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल की मांगें

3577. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल विधान सभा के सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल की निम्नलिखित मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है :

(एक) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को राज्य सरकार के निकट सहयोग से काम करना चाहिए, (दो) क्या उनके मन्त्रालय ने रुग्ण औद्योगिक एककों को सक्षम बनाने के लिए समय पर कार्य कर पूंजी उपलब्ध कराने का परामर्श दिया है, और (तीन) पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (i) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना भारत सरकार द्वारा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण/अधिनियम, 1984 के अधीन सांविधिक निकाय के रूप में की गई है। यह बैंक औद्योगिक पुनरुद्धार के लिए प्रमुख ऋण तथा पुनर्निर्माण एजेंसी है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक पश्चिम बंगाल राज्य के रुग्ण औद्योगिक एककों सहित देश भर के रुग्ण औद्योगिक एककों को वित्तीय सहायता देने पर विचार करता है। मार्च, 1985 के अन्त तक पश्चिम बंगाल के 133 एककों के लिए इस बैंक ने 194.58 करोड़ रुपए की सावधि ऋण सहायता मंजूर की है। जो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण/द्वारा दी गई कुल मंजूरियों का 56% बैठती है। बैंक ने पश्चिम बंगाल के 121 एककों को 160.51 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं जो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के कुल संवितरणों का 68% है।

(ii) बैंक, इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक आधार पर आवश्यकता पर आधारित कार्यपालन पंजी की व्यवस्था करता है।

(iii) रुग्ण औद्योगिक एककों के सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, अर्थक्षम समझे जाने वाले ऐसे केवल औद्योगिक एककों को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अधिग्रहीत किया जाता है और बाद में उनका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। यह नीति जूट उद्योग सहित सभी रुग्ण औद्योगिक एककों पर लागू होती है।

हथकरघा बुनकरों के लिए आवास योजना

3578. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सातवीं योजना में क्रियान्वयन के लिए हथकरघा बुनकरों हेतु एक आवास योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या योजना को स्वीकार कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि कोई निर्णय नहीं किया गया है तो निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इस योजना में 1984-85 से 1988-89 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान 1000 मकान प्रति वर्ष की दर से अपनी भूमि वाले बुनकरों के लिए 5000 मकानों के निर्माण की व्यवस्था की गई है । इस योजना के प्रति मकान वित्तीय फलितार्थ निम्नोक्त प्रकार प्रकार हैं :

1. हुडको से ऋण	9,700	रु०
2. बुनकर द्वारा अंशदान	1,300	,,
3. राज्य सरकार से अनुदान	2,000	,,
4. केन्द्रीय सरकार से अनुदान	2,000	,,
योग	15,000	

1000 मकानों के निर्माण पर एक वर्ष में 150 लाख रु० अथवा 5000 हजार मकानों के लिए 5 वर्षों की अवधि में 750 लाख रु० का व्यय आएगा ।

(ग) और (घ). जी नहीं । भारत सरकार ने विभिन्न विकल्पों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और हथकरघा बुनकरों के लिए वर्कशेड-सह-आवास नामक एक योजना केन्द्र प्रायोजित है जिस पर 35000 वर्कशेड और 1500 आवास-सह-वर्कशेड कवर करने के उद्देश्य से सातवीं योजना के दौरान 950 लाख रु० का बजट आवंटन करने का प्रस्ताव है । राज्य सरकारों से योजना की कुल लागत को ध्यान में रखते हुए हुडकों के विचार के लिए नमूना एककों तथा डिजाइनों की सिफारिश करने का अनुरोध किया गया है । योजना में क्रमशः शहरी आवास तथा निर्माण कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए 6 हजार रु० तथा 3 हजार रु० तथा शहरी क्षेत्र के लिए 12000 रु० एवं 3,000 रु० के लागत अनुमान से वर्कशेड की व्यवस्था है । हुडको ग्रामीण और शहरी आवास के लिए 3,000 रु० तथा 9,700 रु० का ऋण देगा और उसकी तुलना में केन्द्र तथा राज्य द्वारा क्रमशः प्रति 1500 रु० तथा 1000 रु० का समान अंशदान किया जाएगा । शहरी आवास के मामले में शेष 300 रु० का अंशदान लाभभोगी द्वारा किया जाएगा ।

योजना में यह भी व्यवस्था है कि यदि स्थान हो तो नए बनाए गए मकानों अथवा वर्तमान एककों तथा साथ लगे हुए वर्कशेड बनाए जा सकते हैं । 3000 रु० जो कि वर्कशेड बनाने के लिए अनुमोदित लागत है, अनुदान के रूप में होंगे जिसको राज्य और केन्द्र द्वारा बराबर वहन किया जाएगा ।

सभी राज्य सरकारों को जून, 1985 में पत्र लिखे गये हैं जिनमें उनसे ग्रामीण और साथ ही शहरी क्षेत्रों के लिए आवास-सह-वर्कशेड तथा वर्तमान रिहायशी एककों के साथ लगने वाले वर्कशेड बनाने के लिए परियोजना/योजनाएं तैयार करने का अनुरोध किया गया है । प्रत्येक योजना में एक विशेष नगर/गांव में कम से कम शहरी मकानों के 50 एकक और ग्रामीण मकानों के 20 एकक कवर होने चाहिए । तथापि, गुणावगुण के आधार पर पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों की परियोजनाओं

के सम्बन्ध में विशेष रियायत दी जाएगी। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि स्थानों का ध्यान करते समय हथकरघा प्रधान क्षेत्रों पर जोर दिया जाए।

योजना में केन्द्रीय अंशदान राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के रूप में होगा।

अलग-अलग राज्य सरकारों से संशोधित वर्कशेड-सह-आवास योजनाओं की प्रतीक्षा है।

ओरियन्टल जनरल फायर एण्ड इन्स्योरेंस कंपनी द्वारा दावों का भुगतान न किया जाना

3579. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओरियन्टल जनरल फायर एण्ड इन्स्योरेंस कंपनी ने अधिकारियों के द्वारा दावों की पूरी तरह जांच और स्वीकार किए जाने के बावजूद, उनका भुगतान तुरन्त नहीं कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो भुगतान के लिए लंबित मामलों की संख्या और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ संसद सदस्य पहले ही यह तथ्य उनके मन्त्रालय की जानकारी में लाए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). कंपनी की यह नीति है कि बीमा दावों को यथासंभव तेजी से निपटाया जाए। इस लक्ष्य को ध्यान में रख कर ऐसे दावों को निपटाने के वित्तीय प्राधिकार में वृद्धि कर दी गई और कंपनी के शाखा/मंडलीय/क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दिया गया है।

यह सच नहीं है कि पूरी तरह से जांच-पड़ताल किए हुए और स्वीकृत दावों के भुगतान में अनुचित विलम्ब किया जाता है फिर भी, ऐसे मामले होते हैं जिनमें कुछ एक औपचारिकताओं को, अर्थात्, दावा फार्मों, पुलिस रिपोर्टों, दमकल कार्यालय की रिपोर्टों, रोकड़ बिलों, बिल अथवा प्रतिस्थापन पत्रों आदि को प्रस्तुत करने जैसी औपचारिकताओं को पूरा करना होता है और उन्हें कंपनी को भेजना होता है जब तक संबद्ध बीमाकृतों द्वारा इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जाता तब तक ऐसी अदायगियों के सम्बन्ध में देरी हो जाती है।

(ग) और (घ). जी, हां। ओरिएण्टल इन्श्योरेंस कंपनी द्वारा विशिष्ट बीमा दावों के निपटान में विलम्ब के सम्बन्ध में माननीय संसद सदस्यों से सरकार को कुछ पत्र प्राप्त हुए थे और उनमें से प्रत्येक मामले में आवश्यक कार्रवाई कर दी गई थी।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा केन्द्रीय कार्यालय खोलना

3580. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 30 से 40 शाखाओं के लिए मंजूरी दी हैं और उनके क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं जिससे बैंकों के कार्यकरण पर बेहतर नियन्त्रण और निगरानी सुनिश्चित की जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए भी इस सम्बन्ध में कोई मानदण्ड है ;

(ग) यदि हां, तो (एक) पंजाब नेशनल बैंक, (दो) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और (तीन) सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया के मामले में कितनी शाखाओं के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाता है; और

(घ) 30 जून, 1985 तक भारतीय स्टेट बैंक और उपर्युक्त तीन अन्य बैंकों ने कितने क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). बैंकों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना कारोबार के स्तर, परिचालन-क्षेत्र और कमान क्षेत्र में शाखाओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए की जाती है क्षेत्रीय स्तर पर बैंकों का संगठनात्मक ढांचा ऐतिहासिक कारणों बैंकों की नियंत्रण संबंधी आवश्यकताओं और उनके शक्तियों के प्रत्यायोजन की संरचना के अनुसार अलग-अलग होता है। साधारणतया, राष्ट्रीयकृत बैंक में अंचल (जोने) अथवा भारतीय स्टेट बैंक में मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक का कार्यालय के नियन्त्रण में 150 से 200 तक (शाखाएं) होती हैं। क्षेत्रीय स्तर पर, विभिन्न बैंकों द्वारा नियन्त्रित की जाने वाली शाखाओं की संख्या 40 से 70 के बीच होती है।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया के क्षेत्रीय कार्यालयों के ब्यौरे से सम्बन्धित सूचना और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत शाखाओं की औसत संख्या नीचे दी गई है।

बैंक	आंचलिक कार्यालयों/ स्थानीय प्रधान कार्यालयों की संख्या	क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या	प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत शाखाओं की औसत संख्या
स्टेट बैंक आफ इण्डिया	13 (एल० एच० ओ०)	47	150
पंजाब नेशनल बैंक	11 (जैड० ओ०)	39	57
यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	12 (जैड० ओ०)	40	38
सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	12 (जैड० ओ०)	66	34

ऊपर बताए गए आंचलिक कार्यालयों क्षेत्रीय कार्यालयों के नामों का पता लगाया जा रहा है और यथा उपलब्ध नामों की सूची सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जन दिवसों की हानि

3581. **श्री भोलानाथ सेन : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उत्पादन करने वाले उद्यमों में कुल कितने जन दिवसों की हानि हुई और उसके परिणामस्वरूप उत्पादन की कितनी हानि हुई ;

(ख) जन दिवसों की हानि के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान सरकारी

क्षेत्र के 74 उपक्रमों ने 43,14,770 श्रम दिवसों की हानि सूचित की थी, जिसके परिणाम-स्वरूप 5,45,86 लाख रुपये मूल्य की उत्पादन-हानि हुई थी। वर्ष 1982-83 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 76 उपक्रमों ने 36,11,837 श्रम दिवसों की हानि सूचित की थी, जिसके परिणामस्वरूप 8,46,06 लाख रुपए मूल्य की उत्पादन हानि हुई थी और वर्ष 1983-84 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 80 उपक्रमों ने 50,37,389 श्रम दिवसों की हानि सूचित की थी, जिसके परिणामस्वरूप 8,59,51 लाख रुपए मूल्य की उत्पादन हानि हुई थी।

(ख) श्रम दिवसों की हानि के मुख्य कारण थे :—औद्योगिक अशान्ति, आवश्यक कच्चे माल की अनुपलब्धता तथा बिजली की कमी के कारण व्यवधान।

(ग) इसके लिए किए गए/प्रस्तावित विभिन्न समुदाय हैं :

(1) प्रोत्साहन बोनस योजनायें लागू करना तथा उसमें वृद्धि करना।

(2) औद्योगिक सम्बन्धों को बेहतर बनाने के लिए मजूरी सम्बन्धी विवादों को शीघ्र तय करना।

(3) प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा तिमाही कार्य-निष्पादन समीक्षा बैठकों के माध्यम से प्रत्येक उद्यम के कार्य-निष्पादन की आवधिक समीक्षा करना ताकि यथावश्यक सुधारात्मक कार्यवाई की जा सके।

(4) सन्तोलक सुविधाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त पूंजी-निवेश की मंजूरी देना।

(5) जहां-कहीं अपेक्षित हो, निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्रों की व्यवस्था करना।

महाराष्ट्र में छापे

3582. **श्री आर० एम० भोये :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर, सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने गत एक वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में विशेषकर बम्बई में कुछ छापे मारे हैं ;

(ख) यदि हां, तो निषिद्ध वस्तुओं के पकड़े जाने अथवा जब्ती और गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या के रूप में उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान न्यायालय और नजरबन्दी सलाहकार बोर्ड द्वारा कितने लोगों पर अभियोग चलाया गया और कितने लोगों को छोड़ दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). जी, हां। गत एक वर्ष के दौरान (1-4-84 से 31-3-85 तक) महाराष्ट्र में विशेषकर बम्बई में आयकर, सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा मारे गए छापों/ली गई तलाशियों की संख्या तथा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य, सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े गए निषिद्ध माल का मूल्य केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की राशि, जिसका अपवंचन किए जाने की मंशा थी, को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। अलग-अलग कानूनों के अन्तर्गत आयकर की वसूली अथवा माल की जब्ती अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वसूली के अन्तिम परिणाम का पता उचित प्राधिकारियों द्वारा मामलों में न्याय-निर्णयन के बाद की लगेगा। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत, 1984-85 के दौरान महाराष्ट्र में तस्करी की गतिविधियों के संबंध में 874 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे।

(ग) 1984-85 के दौरान तस्करी की गतिविधियों के सम्बन्ध में 576 व्यक्तियों पर अभियोजन चलाया गया था। उक्त अवधि के दौरान अदालतों तथा सलाहकार बोर्ड द्वारा 104 व्यक्ति रिहा किए गए थे।

विवरण

पिछले एक वर्ष (1-4-84 से 31-3-85 के दौरान आयकर, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा महाराष्ट्र में मारे गये छापे/ली गई तलशियां।

	मारे गए छापे/ली गई तलाशियां	परिसम्पत्तियों/पकड़े गए निषिद्ध माल का मूल्य/ अपवंचित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की राशि, जिसके अपवंचन किए जाने की मंशा थी (लाख रुपयों में)
1. आयकर	1357	901.07
2. (I) सीमा शुल्क (मूल्यांकन सम्बन्धी मामले)	212	44.65
2. (II) सीमा शुल्क तस्करी के मामले	2390	427.26 (अनंतिम)
3. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	217*	185.19

*ये आंकड़े केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालयों द्वारा महाराष्ट्र में मारे गये छापों/ली गई तलाशियों से सम्बन्धित हैं और उनमें अपवंचनरोधी (केन्द्रीय उत्पादन शुल्क) निदेशालय द्वारा मारे गये छापों/ली गई तलाशियों के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

खाद्य तेल का आयात

3583. **श्री मोहनभाई पटेल : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान कितनी मात्रा में खाद्य तेल का आयात किया गया था और वर्ष 1985-86 के दौरान इसके कितनी मात्रा में आयात किए जाने की संभावना है ;

(ख) क्या किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यदि हां, तो आयात किए जाने वाले सम्भावित तेलों का मदवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रति वर्ष कितनी मात्रा में नारियल के तेल और गिरी का आयात किया जाता है ;

(घ) क्या केरल के नारियल उत्पादकों ने सरकार से उक्त राज्य के उत्पादकों को हानि से बचाने के लिए निकट भविष्य में नारियल के तेल और गिरी के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का अनुरोध किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख). तेल वर्ष 1984-85 (नवम्बर, 84 से अक्तूबर, 85 तक) के दौरान जून, 1985 तक 738 करोड़ रु० मूल्य की 8.98 लाख मि० टन मात्रा का आयात किया गया है। आयात की जाने वाली तेल की मात्रा का निर्णय समय-समय पर सरकार द्वारा घरेलू उत्पादन, खाद्य तेल के लिए मांग, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता आदि जैसे बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अतः तेल वर्ष 1985-86 के दौरान आयात किए जाने वाले खाद्य तेलों की मात्रा की भविष्यवाणी अभी नहीं की जा सकती।

(ग) तेल वर्ष 1983-84 (नवम्बर 83 से अक्तूबर, 84 तक) के दौरान कीमतों पर दबाव कम करने के उद्देश्य से आर० वी० डी० नारियल तेल के 9044 एम० टी० मात्रा का आयात किया गया। सरकार ने खोपड़े का कोई आयात नहीं किया।

(घ) नारियल तेल और खोपड़े के आयातों पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) ऐसी नीति है कि ऐसे आयात मांग और पूर्ति के बीच अन्तर समाप्त करने के लिए केवल न्यूनतम मात्रा का आयात करके उपजकर्ताओं और उपभोक्ताओं दोनों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ही किए जाते हैं और उनकी रिलीज उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त और फिर भी उपजकर्ताओं के लिए लाभकारी कीमत स्तरों पर की जाती है।

खानों में चट्टानों के फटने को रोकने हेतु सुरक्षात्मक उपाय

3584. **श्री के० एस० राव** : क्या **इस्पात खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खानों में चट्टानों के फटने की संभावनाओं को रोकने के लिए इस समय क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं ;

(ख) क्या देश में सभी खानों में चट्टान फटने की संभावना होने पर खान में काम करने वालों को अग्रिम चेतावनी देने के लिए उनमें "माइक्रोसेसैसमिक" उपकरण लगाए गए हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या भूकम्प प्रवण क्षेत्रों में स्थित खानों में ये उपकरण लगाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और ये उपकरण कब तक लगाए जाने की संभावना है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

एसोशिएट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी के सदस्यों की आयकर अधिकारी के रूप में सीधी भर्ती

3585. **श्री गिरधारी लाल डोगरा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आयकर विभाग में एसोशिएट चार्टर्ड एकाउंटेंसी के सदस्यों की आयकर अधिकारी के रूप में सीधी भर्ती करने का कोई उपबन्ध है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन उपबन्धों का कार्यान्वयन किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

शत्रु सम्पत्ति दावे

3586. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1985 तक उनके मंत्रालय के पास शत्रु सम्पत्ति के दावे सम्बन्धी कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ;

(ख) इनमें से क्रमशः अनुग्रह राशि अदायगी तथा पूर्ण अदायगी द्वारा निपटाए गए आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है ;

(ग) उनके मंत्रालय के पास निपटाने के लिए बकाया पड़े आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है ; और

(घ) सब से ऊंचे दावेदारों का विवरण क्या है और अब तक कितनी अदायगी की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग). शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक, बम्बई के पास दावों के भरने की अन्तिम तारीख 31 जुलाई, 1977 थी। 57,493 दावे अभिरक्षक के पास दर्ज किए गए। उपर्युक्त दावों में से 18,082 दावों का निपटारा कर दिया गया है तथा दावों का निपटारा करने में 59.31 करोड़ रु० वितरित किए गए हैं। दावों के 14,752 आवेदन पत्र निपटारे के लिए लम्बित पड़े हैं। 24,659 मामलों को बन्द किया समझा गया है क्योंकि दावेदारों ने अपने दावों के समर्थन में पूरा दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। किसी भी मामले में शतप्रतिशत अदायगी नहीं की गयी है।

(घ) सबसे बड़े दावेदार मैसर्स पैट्रेकोल टी कं० को अब तक 1,33,95,193 रु० का भुगतान किया गया है।

[हिन्दी]

गाजीपुर में विभिन्न बैंकों द्वारा स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता

3587. **श्री अंनुल बशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला उद्योग केन्द्र, गाजीपुर द्वारा इस जिले में स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने में लिए भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक की शाखाओं को 31 मार्च, 1985 को शाखा-वार, कितने मामले भेजे गए थे ;

(ख) कितने व्यक्तियों को इस प्रकार की सहायता दी गई थी और 31 मार्च, 1985 तक कितने मामलों में इस प्रकार की सहायता नहीं दी गई थी ; और

(ग) सभी मामलों में सहायता कब तक प्रदान कर दी जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार देने की योजना से है। बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना पद्धति से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना नहीं मिलती। अलबत्ता, राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1983-84 में बैंकों को जिला उद्योग केन्द्र कृतिक बल द्वारा संस्तुत सभी 678 मामलों

को मंजूरी दे दी गई है। वर्ष 1984-85 में, जिला उद्योग केन्द्र कृतिक बल द्वारा संस्तुत 1113 आवेदनों में से बैंकों ने 675 मामलों को मंजूरी दी है। बैंकों को पूर्व-स्वीकृत मामलों में ऋण की राशि का जल्दी से संवितरण करने के अनुदेश दे दिए गए हैं।

[अनुवाद]

टायरों, मानव-निर्मित धागों और रेशों के लिए उत्पाद शुल्क प्राप्त करने की प्रक्रिया में परिवर्तन

3588. **श्री बिमल कांति घोष** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी हाल ही में मानव-निर्मित धागों और रेशों पर उत्पादन शुल्क वसूल करने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) फैक्टरियों से बाहर भेजे जाने वाले माल की वास्तविक जांच और निर्माताओं द्वारा कदाचार और कर अपवंचन की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). सरकार ने टायरों (प्लांट और मशीनरी पर 20 लाख रुपये से अनधिक की पूंजी-निवेश वाले एककों में निर्मित टायरों को छोड़कर) और मानव-निर्मित तन्तुओं और फिलामेंट सूतों (सैलूलोजिक कते हुए सूत से भिन्न) के संबंध में हाल ही में स्व-निकासी की कार्य विधि को वापस लेकर उसके स्थान पर वास्तविक नियन्त्रण लागू कर दिया है। इस माल पर ऊंची दरों से उत्पादन शुल्क लगता है।

(ग) वास्तविक नियंत्रण के तहत, माल के सम्बन्ध में शुल्क का निर्धारण, उसकी निकासी से पहले किया जाता है और वह निकासी केवल, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के किसी अधिकारी द्वारा गेट-पास पर प्रति-हस्ताक्षरित किए जाने के पश्चात ही की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, शुल्क्य माल के उत्पादन और निकासियों के सम्बन्ध में निवारक जांच को तेज कर दिया गया है।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए तस्कर

3589. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने जनवरी, 1984 से जून, 1985 तक की अवधि के दौरान राज्य-वार कितने तस्करों को गिरफ्तार किया ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अंतर्गत निरुद्ध किए गए ; और

(ग) उनके कब्जे से अथवा उनकी निशानदेही पर कितने मूल्य की सम्पति पकड़ी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या से सम्बन्धित आंकड़े राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं। तथापि, वर्ष 1984 और 1985 (जून तक) के दौरान तस्करी की गतिविधियों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की विविध समाहर्तालय वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1984 और 1985 (जून तक) के दौरान कोफेपोसा अधिनियम, 1984 के तहत नजरबन्द किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नोक्त है :

वर्ष	नजरबन्द किए गए व्यक्तियों की संख्या
1984	719
1985 (29-6-85 तक)	440

(ग) वर्ष 1984 और 1985 (जून तक) के दौरान देश-भर में अभिग्रहीत किए गए निषिद्ध माल का कुल मूल्य निम्नोक्त है :

वर्ष	अभिग्रहीत माल का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1984	101.09
1985 (जून तक)	85.66 (अनंतिम)

विवरण

क्रम सं०	समाहर्तालय/सीमाशुल्क गृह का नाम	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं०	
		1984	1985 (जून तक)
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	130	146
2.	सीमाशुल्क समाहर्ता (निवारक) बम्बई	780	438
3.	बंगलौर	11	14
4.	पुणे	72	2
5.	सीमाशुल्क समाहर्ता/ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, कोचीन	5	26
6.	राजकोट	3	—
7.	सीमाशुल्क समहर्ता/ सीमाशुल्क समाहर्ता (निवारक) कलकत्ता	252	219
8.	सीमाशुल्क समाहर्ता/ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, मद्रास	286	145

1 2	3	4
9. मदुरै	132	67
10. हैदराबाद	24	4
11. गुंटूर	13	19
12. भुवनेश्वर	1	1
13. त्रिची	149	92
14. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता/ सीमाशुल्क समाहर्ता (निवारक) पटना	133	124
15. शिलांग	9	10
16. चण्डीगढ़	25	9
17. जयपुर	27	9
18. दिल्ली	284	111
19. कानपुर	4	3
20. इन्दौर	5	4
	2345	1443

(वर्ष 1985 के आंकड़े अनन्तिम हैं)

रबड़ के आयात पर खर्च

3590. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार कितनी मात्रा में रबड़ का आयात किया गया है ;

(ख) रबड़ का किस दर पर और किसी एजेन्सी के माध्यम से आयात किया जा रहा है और उपभोक्ताओं को यह किस दर पर वितरित किया जा रहा है ;

(ग) रबड़ के आयात पर प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च की जाती है ; और

(घ) देश में रबड़ का अधिक उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि इसको आयात न करना पड़े और करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान आयातित रबड़ की मात्रा निम्नलिखित अनुसार है :

वर्ष	मात्रा (मैं० टन)
1982-83	31,659
1983-84	32,175
1984-85	32,408

(ख) आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों पर किए जाते हैं। मद्रास में आयातित रबड़ (आर० एस० एस० III ग्रेड) की प्रयोक्ताओं द्वारा संदेय चालू गोदाम कीमत 16,500.00 रु० प्रति मै० टन और एस० एम० आर०-20 ग्रेड के लिए 16,000.00 प्रति मै० टन है।

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान आयातों की सी० आई० एफ० लागत निम्नलिखित अनुसार थी :

वर्ष	सी० आई० एफ० लागत लाख रु० में
1982-83	2480
1983-84	3566
1984-85	3529

(घ) रबड़ बोर्ड देश में रबड़ उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से उपजकर्ताओं के लिए उपदान, विस्तार सलाह सहायता, वर्षा से बचाव वाली सामग्री, उच्च उपज देने वाली रोपण सामग्री आदि प्रदान कर रहा है और साथ ही रबड़ की खेती के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान भी कर रहा है।

मैसर्स निरंजन मिल्स, सूरत को ऋण मंजूर करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और यूनियन बैंक आफ इण्डिया द्वारा लगाई गई शर्त के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की छटनी किया जाना

3591. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स निरंजन मिल्स, सूरत के प्रबन्धकों ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अहमदाबाद और यूनियन बैंक आफ इण्डिया, सूरत से ऋण और वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और यूनियन बैंक आफ इण्डिया ने शर्तें रखी हैं कि ऋण केवल इस शर्त पर दिया जा सकता है कि कम्पनी श्रमिकों की संख्या कम करे ;

(ग) क्या प्रबन्धकों ने तदनुसार अधिसूचित किया है कि 317 स्थायी कर्मचारियों की छटनी की जानी है ; और

(घ) ऐसे मामलों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और यूनियन बैंक आफ इण्डिया के ऋण नीति सम्बन्धी दिशानिर्देश क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और यूनियन बैंक आफ इण्डिया ने मैसर्स निरंजन मिल्स, सूरत को पुनरुद्धार सहायता के एक मिले जुले कार्यक्रम के रूप में सहायता मंजूर की है।

(ख) और (ग). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि कम्पनी द्वारा प्रस्तुत पुनरुद्धार कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी द्वारा अलाभकर घटक को बन्द करने की बात कही गई थी। अतः उपदान और छटनी के मुआवजे की पूरी रकम का भुगतान करने के बाद 400 मजदूरों की छटनी किए जाने का प्रस्ताव किया गया। बताया जाता है कि तदनुसार, कर्मचारियों की संख्या कम करने के वास्ते कम्पनी ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

(घ) प्रायः उन मामलों में, जिनमें एकक की दीर्घावधिक अर्थक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए आंशिक कामबंदी को आवश्यक समझा जाता है, वहां पुनरुद्धार के मिलेजुले सहायता कार्यक्रम में कर्मकारों

की छटनी और कार्मिकों को अदा की जाने वाली अन्य बकाया राशियां और छटनी मुआवजे के भुगतान की व्यवस्था हो सकती है। मैसर्स निरंजन मिल्स के मामले में इसी प्रक्रिया को अपनाए जाने की सूचना मिली है।

बाजार उधारों का अधिक भाग आन्ध्र प्रदेश को देना

3592. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अभी हाल ही में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि बाजार उधारों का अधिक भाग आन्ध्र प्रदेश को दिया जाए ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) तथा (ख). आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने बाजार उधारों में राज्यों के भाग में वृद्धि करने का अनुरोध किया था।

(ग) राज्यों के बाजार उधारों में पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में चालू वर्ष में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है।

[हिन्दी]

इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के बारे में लौह तथा इस्पात उद्योग सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशें

3593. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लौह तथा इस्पात उद्योग सम्बन्धी अध्ययन दल ने विचार व्यक्त किया है कि देश में इस्पात संयंत्र 25 वर्ष पुरानी तकनीक पर चल रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप न तो वे निर्धारित उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त कर सकने में समर्थ हैं और न ही वे बाजार में बढ़ती हुई मांगों को पूरा कर सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह अध्ययन दल किस निष्कर्ष पर पहुंचा है और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) प्रत्येक संयंत्र पर, पृथक-पृथक कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय वर्ष 1985 से 1990 की पांच वर्ष की अवधि के लिए योजना आयोग द्वारा लोहे और इस्पात के बारे में गठित कार्यकारी दल से है। कार्यकारी दल की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस शताब्दी के पांचवें दशक में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों को चालू किए हुए काफी समय बीत चुका है जिसके दौरान कच्चे माल के अभिलक्षणों में परिवर्तन हो गया है, प्रौद्योगिकी, संयंत्र और उपस्कर पुराने पड़ चुके हैं।

(ख) और (ग). अध्ययन दल ने सुझाव दिया है कि कच्चे माल की क्वालिटी में गिरावट, ऊर्जा संरक्षण और उत्पादों की क्वालिटी में सुधार को ध्यान में रखते हुए लागत की दृष्टि से अत्यन्त प्रभावी रूप से इस्पात कारखानों की निर्धारित क्षमता प्राप्त करने के लिए इनका आधुनिकीकरण किया जाए/इनकी पुनः मरम्मत की जाए। विभिन्न कारखानों के लिए आधुनिकीकरण योजनाएं बनाते

समय, जहां कहीं सम्भव होता है, प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने पर विचार किया गया है। दुर्गापुर, राउरकेला और "इस्को" के इस्पात कारखानों का आधुनिकीकरण करने की योजनाएं बना ली गई हैं। इन पूंजी–निवेश सम्बन्धी निर्णय, इस्पात क्षेत्र के लिए सातवीं योजना के परिव्यय को अन्तिम रूप दिए जाने पर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

रसायन क्षेत्र में निर्यातकों की समस्याएं

3594. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसायन क्षेत्र में निर्यातकों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं की जांच करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया है ताकि परिवर्द्धित निर्यात प्रयासों के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो निर्यातकों द्वारा अनुभव की जा रही मुख्य कठिनाइयों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के मामले में रसायन क्षेत्र का कार्य निष्पादन सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) निर्यातकों के सामने आज जो मुख्य कठिनाइयां आ रही हैं वे हैं बिजली की कमी, कच्चे माल की ऊंची लागत, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, रसायन उद्योग द्वारा अनुसंधान तथा विकास पर व्यय का अपर्याप्त स्तर।

(ग) यद्यपि रासायनिक क्षेत्र निर्यात का एक गैर-परम्परागत क्षेत्र है, विगत हाल में इसने तेजी से प्रगति की है। पिछले तीन वर्षों के दौरान रसायनों तथा सम्बद्ध उत्पादों का अनुमानित निर्यात निष्पादन नीचे दिया गया है :

(मूल्य करोड़ रु०)

वर्ष	निर्यातों के एफ० ओ० बी० मूल्य
1982-83	603.17
1983-84	698.74
1984-85	794.47

हावड़ा में हैंडलूम यार्न बैंक

3595. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बंगाल में बुनकरों की सुविधा के लिए हावड़ा में एक हैंडलूम यार्न बैंक खोलने पर विचार करेगी ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम पश्चिमी बंगाल सरकार के अधिकारियों के साथ उस राज्य की हथकरघा एजेंसियों को यार्न की सप्लाई के लिए व्यवस्थाएं करने के लिए परामर्श कर रहा है।

भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा न्यायाधिकरण के पंचाटों को लागू करना

3596. **श्री बसुदेव आचार्य : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा गत तीन वर्षों में न्यायाधिकरणों के कितने पंचाटों को लागू किया गया है और उनका वर्षवार ब्यौरा क्या है तथा पंचाटों के नाम और तारीख क्या-क्या हैं और इनमें कौन सी यूनियनें शामिल हैं ; और

(ख) कितने पंचाट अभी लागू करने शेष रहते हैं और उसके बारे में क्या कदम उठाए गए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

बिहार में बुनकर समितियों की राजसहायता

3597. **श्री अब्दुल हन्नान अंसारी : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बुनकर समितियों ने 1971 में अपने उत्पादों पर केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुसार छूट दी थी परन्तु इस छूट की प्रतिपूर्ति के लिए राजसहायता की राशि अभी सरकार द्वारा देय है तथा दूसरी ओर बैंकों और संघों द्वारा उक्त समितियों को मंजूर किए गए ऋण सरकार द्वारा राजसहायता का भुगतान न किए जाने के कारण नहीं दिए गए हैं और ये समितियां अपने सदस्यों को अब काम देने की स्थिति में नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त धनराशि का कब तक भुगतान कर दिया जाएगा ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) 1971 के दौरान उस समय प्रचलित छूट योजना के अनुसार बुनकर समितियों को हथकरघा कपड़े की बिक्रियों पर छूट देने की अनुमति थी । इस अवधि के सम्बन्ध में छूट सम्बन्धी अदायगियों के लिए बिहार सरकार से कोई दावा केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

आयातित विदेशी पोतों पर आयात शुल्क से आय

3598. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में मेटल स्क्रैप व्यापार निगम के माध्यम से आयात किए गए विदेशी पोतों पर आयात शुल्क की लेवी से कितनी आय हुई ;

(ख) क्या सरकार का विचार शिप ब्रेकिंग कम्पनियों, जिन्हें पोत खरीद पर अनावश्यक उच्च मूल्य देना पड़ता है, के हाल के नुकसान को मद्देनजर रखते हुए शुल्क की दर में कमी करने का है ; और

(ग) क्या भारत सरकार का विचार भारत में शिप ब्रेकिंग एककों के विकास तेज करने के लिए

शुल्क में कमी सहित हर सम्भव सहायता देने के लिए कदम उठाने का है। विशेषरूप से उस समय जबकि ताइवान, दक्षिण कोरिया, स्पेन, पाकिस्तान, चीन तथा बंगला देश में उनके समकक्ष समृद्ध होने जा रहा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) शिप-ब्रेकिंग एककों की मद्द सरकार द्वारा उन एककों के अन्तर्गामी माल, यथा ब्रेकिंग के लिए पुराने पोतों की सप्लाई करके की जा रही है। पुराने पोतों के आयात हेतु यह मदद देश में इस्पात की पुनः बेल्लित मदों की समग्र मांग और पूर्ति को ध्यान में रखते हुए यथापेक्षित सीमा तक की जाती है। इसके अलावा, फैरस स्क्रेप समिति भी शिपब्रेकरों द्वारा और धातु स्क्रेप व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा आवश्यक उपकरण खरीदे जाने के लिए बिल डिस्काउंटिंग की सुविधाएं प्रदान करके वित्तीय सहायता दे रही है।

विजयवाडा में जीवन बीमा निगम के भवन का निर्माण कार्य शुरू करने में विलम्ब

3599. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नौ मंजिला भवन बनाने के लिए बेंसट रोड, विजयवाडा में जीवन बीमा निगम के भवन में स्थित कार्यालय को अरूंडेल म्युनिसीपल काम्पलेक्स में एक ऐसे भवन में स्थानांतरित किया गया है जिसका मासिक किराया 10,000 रुपये है ;

(ख) यदि हां, तो विजयवाडा में, जहां 325 से 30 करोड़ रुपये का कार्य प्रति वर्ष होता है, निर्माण कार्य शुरू करने में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) निर्माण कार्य किस तारीख को शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। बेसंट रोड विजयवाड़ा में स्थित जीवन बीमा निगम के शाखा कार्यालय को अंरूडेल म्युनिसीपल काम्पलेक्स में स्थानांतरित किया गया था। जिसका मासिक किराया 9,760 रुपये है।

(ख) और (ग). जीवन बीमा निगम की योजना अंरूडेल रोड पर स्थित भवन को गिरा कर उसे फिर से बनाने की है। तथापि, उस भवन के कुछ भागों को अभी खाली कराया जाना है। इन भागों को खाली कराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। सारा भवन खाली करवाने के पश्चात्, भवन गिराने का कार्य आरम्भ किया जाएगा। इस दौरान, इस भवन को गिराने से सम्बन्धित कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

राज्य उद्यमों द्वारा विदेशी ऋण के लिए बातचीत

3600. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के सार्वजनिक उद्यम बिना केन्द्रीय सरकार की अनुमति लिए बिना विदेशी ऋणों के लिए बातचीत कर सकते हैं ;

(ख) क्या 1984-85 में केरल राज्य बिजली बोर्ड ने सफलतापूर्वक बातचीत करके कनाडा सरकार या कनाडा की किसी और वित्तीय संस्था से 500 करोड़ रुपये के ऋण का प्रबन्ध किया है ;

(ग) क्या ऋण केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेकर ऐसा किया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

उड़ीसा के बलांगीर और कलाहांडी जिलों में बहुमूल्य रत्नों का पता चलना

3601. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के बलांगीर और कलाहांडी जिलों में कुछ बहुमूल्य रत्नों के भंडार मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग और राज्य खनिज विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए सर्वेक्षण प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख). जी हां। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण तथा उड़ीसा के राज्य खनन विभागकृत सर्वेक्षणों के फलस्वरूप कालाहान्डी जिले के कार्लाकोट, बडियामुरा, लांजी तथा सीनापली क्षेत्रों से नीलम (सैफायर), लालमणि (गार्मेट) तथा हेमवैदूर्य या फीरोजा (अक्वेमेरिन) तथा बोलनगीर जिले के बीरमहाराजपुर, पटनागढ़ और संगमरा क्षेत्रों में फीरोजा के छोटे और छुटपुट निक्षेपों का पता चला है। कालाहान्डी जिले के तालपाडार तथा दामझोर क्षेत्रों में लालमणि तथा गोछापाड़ा, अन्तरला, और मनीपाड़ा क्षेत्र के आसपास मरकतमणि (बेरिल) भी पाया गया है।

भारतीय कपास निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश में कपास की खरीद

3602. **श्री सी० सम्बु** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर और प्रकासम जिलों के किसानों के पास कपास की लगभग एक लाख गांठें पड़ी हैं और भारतीय कपास निगम उन्हें न्यूनतम मूल्यों पर भी खरीदने को तैयार नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो गुन्टूर और प्रकासम जिलों के छोटे किसानों द्वारा उत्पादित कपास के भारी भण्डार को खरीदने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश को आवंटित कपास का निर्यात कोटा इस वर्ष बढ़ाकर ७0,000 गांठें कर दिया जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (घ). बताया गया है कि आन्ध्र प्रदेश में गुन्टूर तथा प्रकासम जिलों में किसानों को अपनी रुई के निपटान में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। रुई निगम ने राज्य सरकार के ठोस सहयोग से घटिया क्वालिटी के कारण समुचित कटौतियों के अध्यधीन समर्थन कीमतों पर विनियमित बाजार में आ रही कपास की खरीदारी का पहले ही प्रबन्ध कर लिया है। निगम ने किसानों को सम्पूर्ण सीजन में विनियमित बाजारों में अपनी उपस्थिति के सम्बन्ध में आश्वासन दे दिया है। आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी विपणन महासंघ को

10,000 गांठों का निर्यात कोटा पहले ही रिलीज कर दिया गया है। भारतीय रुई निगम भी निर्यात हेतु आन्ध्र प्रदेश से रुई की खरीदारी करता रहा है।

काले धन के मामले में भारी मतभेद

3604. **श्री चिन्ता मोहन :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में काले धन के प्रश्न पर भारी मतभेद है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न एजेंसियों द्वारा काले धन के अनुमानों में अन्तर का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या काले धन का पता लगाने के लिए सरकार की कोई नई बांड योजना है ;

(घ) क्या काले धन सम्बन्धी पहली बांड योजना सफल रही ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इसे पुनः लागू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो किस रूप में ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान को देश में काले धन के अनुमान और उसके विस्तार के अध्ययन का कार्य सौंपा गया था। किसी अन्य अभिकरण को इस अध्ययन का कार्य नही सौंपा गया है। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान ने "भारत में अवैध अर्थ-व्यवस्था के पहलू" नामक अपनी रिपोर्ट में वर्ष 1983-84 के सम्बन्ध में सकल घरेलू उत्पादों पर 18 से 21 प्रतिशत तक की अर्थात 31,584 से 36,786 करोड़ रुपये तक की अवैध आय की उत्पत्ति होने का अनुमान लगाया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) 964.45 करोड़ रुपए मूल्य के धारक बाण्डों की बिक्री हुई।

(ङ) जी, नहीं।

तस्करों और विदेशी मुद्रा गड़बड़ी करने वालों की सम्पत्ति को अधिकार में लेना

3605. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात के क्या कारण हैं कि 30 नवम्बर, 1984 तक लगभग 31.21 लाख रु० मूल्य की संपत्तियों के केवल लगभग 66 मामलों में ही जिनमें 30 नवम्बर को लगभग 31.21 लाख रु० मूल्य की सम्पत्ति अन्तर्ग्रस्त थी, तस्करों और विदेशी मुद्रा में गड़बड़ी करने वालों की सम्पत्तियों का वास्तविक कब्जा लिया गया, जबकि सक्षम अधिकारियों ने 30 नवम्बर, 1984 तक तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति हरण) अधिनियम, 1976 की धारा 6 के अन्तर्गत लगभग 39.47 करोड़ रु० मूल्य की सम्पत्तियों के लगभग 2449 मामलों में नोटिस जारी किए थे ; और

(ख) सरकार का विचार इस प्रक्रिया को कब तक पूरा करने का है और आज तक कितने मामले लम्बित हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) तस्कर और विदेशी मुद्रा छल-साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत किसी सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा धारा 6 के अन्तर्गत केवल एक नोटिस जारी करके नहीं लिया जा सकता। सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा लेने के लिए कार्रवाई केवल ऐसे मामले में प्रारम्भ की जा सकती है, जिसमें प्रभावित व्यक्ति द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद और उस व्यक्ति की सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर देने के बाद जब्ती के लिए आदेश किए गए हैं। जब्ती आदेश जारी करने से पूर्व विभिन्न प्रकार की पूछताछ और

छानबीन करनी होती है। सम्पत्तियों का वास्तविक कब्जा ऐसे मामलों में नहीं लिया जा सकता, जिनमें कार्यवाहियां रोक दी गई हैं। कुछ परिस्थितियों में, प्रभावित व्यक्ति को जब्ती के बदले जुर्माना अदा करने का विकल्प देना होता है। अधिकांश मामलों में न्यायालयों द्वारा मंजूर किए गए स्थगनों के कारण कार्यवाहियां रुक जाती हैं। ऐसे मामलों में भी सम्पत्तियों का वास्तविक कब्जा नहीं लिया जा सकता।

(ख) तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू करना एक सतत प्रक्रिया है। किसी मामले में कार्रवाई आदेश जारी करके उसे अन्तिम रूप देने के बाद ही पूरी की जा सकती है। 30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों के पास निपटान के लिए 851 मामले बकाया थे, जिनमें 408 ऐसे मामले भी शामिल हैं जिनमें न्यायालयों द्वारा मंजूर किए गए स्थगनों के कारण कार्यवाहियां रुकी पड़ी हैं।

दिल्ली में दंगों के दौरान कम्पनियों द्वारा किए गए बीमे के दावे

3606. **श्री आनन्द पाठक :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नवम्बर, 1984 में हुए दंगों के दौरान हुए नुकसान के लिए कितनी कंपनियों ने 10 लाख रु० से अधिक की धनराशि के बीमे के दावे किए हैं ; और

(ख) कितनी कम्पनियों को दावों की पूरी धनराशि या इसके एक भाग का भुगतान कर दिया गया है तथा इनके नाम क्या हैं और कितनी धनराशि दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिल्ली में नवम्बर, 1984 में हुए दंगों के दौरान हुए नुकसान के लिए जिन कंपनियों ने 10 लाख रुपए से अधिक की धनराशि के बीमा के दावे दायर किए हैं, उनकी संख्या 45 है।

(ख) अभी तक 42 कंपनियों को दावों की पूरी धनराशि या इसके एक भाग का भुगतान कर दिया गया है। इन कम्पनियों के नाम तथा उनको दी गई धनराशि निम्नलिखित है :

बीमित का नाम	दी गई धनराशि (लाख रुपए में)
1. त्रिवेणी प्लास्टिक	10.61
2. कंवर एस० एम०	15.30
3. सी० एस० आर० रोज ब्रीडर्स (इण्डिया)	15.92
4. राजकमल इंजीनियरिंग	10.37
5. बाबा ग्लेयू मैन्यू० कम्पनी	10.71
6. दिल्ली कलर्स (प्रा०) लि०	26.57
7. आत्मा स्टील प्रा० लि०	21.00
8. प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि०	46.65
9. मोहन मशीन्ज लि०	134.95
10. मै० एच० आर० प्रोडक्ट्स प्रा० लि०	54.25
11. पजाब स्टेनलेस स्टील लि०	12.59

12. इन्वेन्शन एक्सपोर्ट प्रा० लि०	16.15
13. मै० साइक्लोपस	10.93
14. मै० स्कीपर प्रोपर्टी	32.78
15. मै० स्कूटर इन्टरनेशनल	20.43
16. मै० सिगमा इंडस्ट्रीज	13.41
17. मै० सुरजन सिंह महताब सिंह	13.24
18. मै० साहनी एक्सपोर्ट हाउस	44.70
19. साहनी ब्रदर्स	42.67
20. कटारिया फूड इंडस्ट्रीज प्रा० लि०	20.25
21. दिल्ली, यू० पी०, एम० पी० ट्रांसपोर्ट कं०	9.45
22. केपरीकोर्न वन	19.49
23. सिंह ट्रेडर्स	36.18
24. लीडिंग इंजीनियरिंग वर्कस	17.73
25. सिंह एक्सपोर्ट कारपोरेशन	13.51
26. रामचन्द्र कृष्ण चन्द्र	18.00
27. ओबराय एंड कम्पनी	18.17
28. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा सन्स	8.55
29. नानक डेयरी प्लांट	2.43
30. बुद्धा टेक्सटाइल	7.73
31. दिल्ली मेटल स्टोर्स	5.91
32. मेकलान इंडिया	11.50
33. चावला ग्रुप इंडस्ट्रीज	43.17
34. वीटेक्स प्रोडक्ट्स लि०	1.44
35. यूनी प्लास्ट इंडिया	7.50
36. सुपीरियर स्टील प्रोडक्ट	5.67
37. फ्रीज एण्ड फ्रीजिंग	0.26
38. एस० एम० एण्ड सन्स	23.05
39. प्रीमियर वूलन मिल	21.40
40. ओवरसीज सेल्स कारपोरेशन	2.75
41. दरबार वुलन मिल	16.35
42. मोदी रबड़ लि०	19.82

[हिन्दी]

वैल्यु डेस्क्रिप्शन आफ रावुल कटिंग एक्सपोर्टस शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3607. **श्री विष्णु मोदी :** क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 जुलाई, 1985 के 'फाइनेंसियल एक्सप्रेस' में प्रकाशित 'वेल्यु डेस्क्रिप्शन आफ रावुल कटिंग एक्सपोर्टस' शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि 'कच्चे ऊन' तथा 'धुनी हुई ऊन' के निर्यातकों को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) यदि कोई कदम नहीं उठाया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (घ). जी हां। राजस्व विभाग ने सीमा शुल्क प्राधिकारियों को इस आशय के अनुदेश पहले ही जारी कर दिए हैं कि कच्ची ऊन, जैसे कि टेरीफ में दी गई है, में धुनी हुई ऊन भी शामिल होगी।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की आस्तियों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिशत हिस्से में कमी

3608. **श्री आशुतोष लाहा :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976-77 से 1984-85 की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र की आस्तियों के सकल मूल्य में कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिशत हिस्से में कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 31 मार्च, 1977 और 1985 को देश में सरकारी क्षेत्र की आस्तियों का सकल मूल्य कितना था और तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). चूंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वर्ष 1984-85 के लेखों को विभिन्न अवस्थाओं में अन्तिम रूप दिया जा रहा है तथा उनकी लेखा परीक्षा की जा रही है, इसलिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सकल परिसम्पत्ति का मूल्य तथा इसका राज्य-वार ब्यौरा केवल 1983-84 तक का ही उपलब्ध है। 1976-77 से 1983-84 तक का यह ब्यौरा लोक सभा पटल पर रखे गए सम्बन्धित वर्ष के "लोक उद्यम सर्वेक्षण" में दिया गया है।

सरकारी उपक्रमों में सामूहिक समझौता करने पर प्रतिबन्ध

3609. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ सरकारी उपक्रमों में सामूहिक सौदेबाजी की प्रचलित प्रक्रिया पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने के किन्हीं प्रस्तावों पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

पंजाब नेशनल बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की कमी के लिए आरक्षित बकाया चले आ रहे अधिकारियों के पद

3611. **श्री नन्दलाल चौधरी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब नेशनल बैंक में विभिन्न प्रबंधक ग्रेडों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की क्षेत्रवार और ग्रेडवार संख्या और प्रतिशतता कितनी है और उनके लिए आरक्षित कितने पद बकाया चले आ रहे हैं ;

(ख) किन-किन ग्रेडों में आरक्षण किया जाना है और क्या सभी ग्रेडों में आरक्षण कोटा पूरा है ;

(ग) यदि आरक्षण कोटा पूरा नहीं है, तो पंजाब नेशनल बैंक में इन ग्रेडों में आरक्षण कोटा पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(घ) क्या कनिष्ठ प्रबन्धक ग्रेड से मध्यम प्रबन्धक ग्रेड और मध्यम प्रबन्धक ग्रेड से सलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति करते समय आरक्षण किया जाता है ; और

(ङ) क्या इन पदों के सम्बन्ध में रोस्टर प्रणाली लागू की जाती है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पंजाब नेशनल बैंक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, 30-6-1985 की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या और उनके प्रतिशत का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

अधिकारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों के अधिकारियों की संख्या	प्रतिशत	अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या	प्रतिशत
10860	920	8.47	160	1.47

चूंकि भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है, इसलिए क्षेत्रवार बकाया का सिद्धान्त लागू नहीं होता। 30 जून, 1985 को अधिकारियों के संवर्ग के विभिन्न ग्रेडों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बकाया का ब्यौरा इस प्रकार था :

ग्रेड	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
जू० मै० ग्रे० वेतनमान-1	14	35
मि० मै० ग्रे० वेतनमान-2	4	3
मि० मै० ग्रे० वेतनमान-3	5	2
सि० मै० ग्रे० वेतनमान-4	—	—
सि० मै० ग्रे० वेतनमान-5	1	—
कुल :	24	40

(ख) और (ग). जिन ग्रेडों के लिए बैंक द्वारा सीधी भर्ती की जाती है उनमें से प्रत्येक ग्रेड के

सभी पदों पर अधिकारियों के संवर्ग की भर्ती में आरक्षण लागू किया जाता है। बैंक को विशेषकर, विशेषज्ञ पदों के अधिकारी ग्रेड की श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त में उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। बैंक इस विषय पर बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, दिल्ली के साथ मामले को उठा रहा है।

(घ) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, यदि पदोन्नतियां वरीयता के आधार पर की जाती हैं तो आरक्षण मि० मै० ग्रे० स्केल-3 तक लागू होगा। जहां पदोन्नतियां चयन के आधार पर की जाती हैं, वहां आरक्षण की व्यवस्था केवल लिपिक ग्रेड से जू० मै० ग्रे० वेतनमान-1 में पदोन्नति के लिए उपलब्ध है। पंजाब नेशनल बैंक में अधिकारी संवर्ग में विभिन्न वेतनमानों में पदोन्नतियां केवल वरीयता के आधार पर नहीं की जातीं। ये पदोन्नतियां चयनात्मक आधार पर की जाती हैं। इसलिए पदोन्नति में आरक्षण अधिकारी संवर्ग में की जाने वाली किसी पदोन्नति पर लागू नहीं होता। बैंक में प्रवर ग्रेड का कोई पद नहीं है लेकिन वरिष्ठ प्रबन्धक और उच्च कार्यपालक ग्रेड हैं। लेकिन मि० मै० ग्रे० के इन ग्रेडों में पदोन्नति के मामले में आरक्षण लागू नहीं होता।

(ङ) उन सभी मामलों में सेक्टर प्रणाली का अनुसरण किया जाता है जिनमें आरक्षण लागू होता है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण

3612. **श्री बनवारी लाल बेरवा :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में समाज के कमजोर वर्गों के मैट्रिक पास तथा उससे अधिक शिक्षित व्यक्तियों को स्व-नियोजन के आधार पर अपना छोटा कारोबार/लघु उद्योग शुरू करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की कोई योजना विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार प्रदान करने की योजना से है। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के सहायता कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों को अपने आप उद्योग लगाने, सेवा सम्बन्धी उपक्रम करने और अपना कारबार शुरू करने के लिए प्रेरित करना है। लेकिन स्व-रोजगार की यह योजना जो 1983-84 में शुरू की गई थी, 1981 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों को छोड़कर देश के सभी क्षेत्रों में लागू की गई है। चूंकि दिल्ली नगर की आबादी 10 लाख से अधिक है, इसलिए यह स्कीम के अन्तर्गत नहीं आता।

ब्राजील के साथ व्यापार असन्तुलन

3613. **श्री गुरुदास कामत :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्राजील के साथ देश के व्यापार में भारी असन्तुलन है ;

(ख) यदि हां, तो इस असन्तुलन के क्या कारण हैं ; और

(ग) ब्राजील के साथ अधिक संतुलित व्यापार के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) ब्राजील और भारत के बीच व्यापार में असन्तुलन के मुख्य कारण हैं कि जहां भारत उस देश से खाद्य तेलों की पर्याप्त मात्राओं का आयात करता है, भारत के निर्यात अन्य बातों के साथ-साथ

लम्बी दूरी के कारण भाड़ा सम्बन्धी अलाभ, सीधे नीचलन का अभाव और ऋण संकट के कारण ब्राजील में कड़े आयात प्रतिबन्धों द्वारा अवरोधित हैं।

(ग) सन्तुलित व्यापार स्तर की प्राप्ति के मार्गोपायों का पता लगाने के लिए सरकारी स्तर पर एक उपयुक्त व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। गत पांच वर्षों के दौरान व्यापार के विकास के लिए ब्राजील को फिक्की, आधारभूत रसायन, भेषज तथा प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद, भारतीय इंजीनियरी उद्योग संघ और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के अनेक प्रतिनिधिमण्डल भेजे गए। उसी उद्देश्य से आधारभूत रसायन, भेषज तथा प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद, सैल, व्यापार विकास प्राधिकरण और आटोमोटिव पार्ट्स विनिर्माताओं के प्रतिनिधिमण्डल व दल 1984 में ब्राजील गए। भारतीय पत्तनों से ब्राजीली पत्तनों तक सन्तोषजनक नीचालन प्रबन्धों की व्यवस्था करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्पादन शुल्क की चोरी के मामलों का पता लगाना

3614. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन शुल्क की चोरी के पता लगाये गए मामलों की समाहर्ता-वार संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितने मामलों को निपटा दिया गया है और कितने मामले अभी लम्बित हैं ;

(ग) उन मामलों को तेजी से निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं तथा उत्पादन शुल्क की और चोरी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या करों को वसूल करने में कोई सुधार हुआ है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1982, 1983, 1984 तथा जून 1985 तक के दौरान केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अपवंचन के जो मामले पकड़े गए थे, उनसे संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) मामलों के पकड़े जाने के बाद, उनकी जांच-पड़ताल की जाती है और फिर उचित न्याय-निर्णयन अधिकारी द्वारा उनका न्यायनिर्णयन किया जाता है। निपटाए गए मामलों तथा विचाराधीन मामलों की संख्या का पता क्षेत्रीय कार्यालयों से लगाया जाना है। इनकी संख्या का पता लगाने में पर्याप्त समय, व्यय और श्रम लगेगा। तथापि, यदि किसी मामले-विशेष के सम्बन्ध में सूचना मांगी जाती है, तो उसे एकत्र करके प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(ग) क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर निदेश दिए जाते रहते हैं कि न्यायनिर्णयन सम्बन्धी कार्यवाही को अन्तिम रूप देने में कोई विलम्ब नहीं हो। इसके अतिरिक्त, हाल ही में विभिन्न केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों की शक्तियों में वृद्धि की गई है। उत्पादन शुल्क के अपवंचन को रोकने के लिए कारखानों की निवारक जांच बढ़ा दिए जाने के साथ-साथ उन पर उत्पादन शुल्क नियंत्रण कड़ा कर दिया गया है।

(घ) चालू वित्त वर्ष के प्रथम चार महीनों में की गई केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वसूली, पिछले वित्त वर्ष के दौरान इस अवधि में की गई वसूली की तुलना में अधिक है।

विवरण

वर्ष 1982, 1983, 1984 और 1985 (जून तक) के दौरान पकड़े गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अपवंचन के मामलों की समाहर्तालय-वार संख्या

समाहर्तालय	पकड़े गये मामलों की संख्या			
	1982	1983	1984	1985 (जून तक)
1	2	3	4	5
1. अहमदाबाद	170	124	69	28
2. इलाहाबाद	215	328	198	98
3. *औरंगाबाद	—	16	35	31
4. बंगलौर	371	264	109	59
5. बड़ौदा	243	185	104	66
6. *बेलगांव	—	44	206	102
7. भुवनेश्वर	117	70	157	100
8. बम्बई-I	56	55	73	29
9. बम्बई-II	52	56	62	26
10. बोलपुर**	—	—	65	100
11. कलकत्ता-I	600	342	127	76
12. कलकत्ता-II	462	301	214	127
13. चंडीगढ़	420	261	311	127
14. कोचीन	213	256	282	157
15. *कोयम्बटूर	—	72	192	127
16. दिल्ली	520	557	547	159
17. *गोवा	—	2	1	9
18. गुन्टूर	142	138	170	94
19. हैदराबाद	606	623	453	322
20. इन्दौर	506	229	203	99
21. जयपुर	270	255	162	67
22. कानपुर	184	166	224	303
23. मद्रास	735	507	311	157

1	2	3	4	5
24. मदुरै	410	618	480	125
25. मेरठ	228	186	218	157
26. नागापुर	77	50	55	50
27. पटना	341	205	143	54
28. पुणे	151	96	40	57
29. *राजकोट	—	33	74	34
30. शिलांग	96	125	92	39
31. *थाणे	—	10	49	27
32. *त्रिचरापल्ली	—	1	12	46

*औरंगाबाद, बेलगाम, कोयम्बटूर, राजकोट, थाणे और त्रिचरापल्ली केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालयों की स्थापना 1-9-1983 को हुई थी।

**बोलपुर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय की स्थापना 1-7-1984 को हुई थी।

टिप्पणी :—उपर्युक्त मामलों के अलावा अपवंचन, निवारण निदेशालय ने कुछ ऐसे मामले पकड़े हैं, जिनकी व्याप्ति अन्तर-समाहर्तालयी है।

पिछड़े जिलों में कताई मिलों से अतिरिक्त तकलियों के लिए आवेदन-पत्र

3616. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिरिक्त तकलियों की अनुमति केवल पिछड़े जिलों में ही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गैर-पिछड़े जिलों में चल रहे वर्तमान एककों के विस्तार के बारे में क्या नियम हैं ;

(घ) क्या नई नीति को देखते हुए वर्तमान एककों के विस्तार के बारे में आए आवेदन-पत्रों पर पुनर्विचार किया जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ङ). वर्तमान नीति के अनुसार अब लायसेंस सामान्य तौर पर श्रेणी के पिछड़े जिलों के लिए प्रतिबन्धित हैं, जैसाकि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है। तथापि, ऐसे राज्यों में, जहां ऐसे क्षेत्र नहीं हैं, श्रेणी 'ख' पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी नए लाइसेंसों के लिए भी विचार किया जा सकता है। यह निर्णय सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त कताई क्षमता की प्रारम्भिक प्रक्षिप्त आवश्यकताओं तथा पहली गैर-लाइसेंसिक प्रणाली के अन्तर्गत जारी किए गए वैध परमिटों की बड़ी संख्या होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

चार ब्रिटिश राष्ट्रिकों तथा उनके स्थानीय सहयोगी को विदेशी कारों की तस्करी के लिए गिरफ्तार किया जाना

3617. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

श्री आर० एम० भोये :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क तथा राजस्व आसूचना निदेशालय, बम्बई के अधिकारियों द्वारा पिछले सप्ताह चार ब्रिटिश राष्ट्रिकों तथा उनके स्थानीय सहयोगी को गिरफ्तार करके विदेशी राष्ट्रिकों की सांठगांठ से और "कार्नेट" सुविधाओं का दुरुपयोग करके देश में विदेशी कारों की तस्करी के एक बड़े घोटाले का भंडाफोड़ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें अन्तर्गस्त व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन व्यक्तियों द्वारा अब तक कितनी कारें बेची गई हैं ; और

(घ) सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). विदेशियों को तस्करी के धन्धे में लगाकर और कार्ने सुविधाओं का दुरुपयोग करके देश में विदेशी कारों के तस्कर-आयात के सिलसिले में एक जालसाजी का भंडाफोड़ राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने हाल ही में किया है। इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित व्यक्तिमों को गिरफ्तार किया गया है :

1. मोहम्मद नसीर अफगर,
   पुत्र, मोहम्मद जमील अफगर,
   तनकेरबिल्ले रोड,
   स्ट्रोथम, लण्डन एस० डब्ल्यू-16 यू० के०
2. अबूबकर मूसा इस्माइल हसनजी,
   पुत्र, मूसा इस्माइल हसनजी,
   51, गुन्टेरस्टेन रोड, लण्डन-डब्ल्यू-14
3. माइकेल जार्ज पीयरसे,
   पुत्र, एम० ए० पीयरसे,
   51-बेलमेंट रोड, थ फोर्ड,
   इसेक्स, इंगलैंड ।
4. विसटोन एलेक्जेंडर लिण्डसे,
   पुत्र, डैनियल लिण्डसे,
   5-डीकोस्वे हेगेट एस्टेट,
   लण्डन एस० इ०-17
5. रवि वालिया,
   6-महेश विल्ला, वरली
   बम्बई ।

(ग) तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार देश के भिन्न-भिन्न स्थानों से इस गिरोह की अब तक ग्यारह कारें अभिग्रहीत की गई हैं।

(घ) मामले के सम्बन्ध में अभी तक जांच-पड़ताल के जारी होने की वजह से अतिरिक्त विवरण देना और सरकार द्वारा किए गए उपायों को प्रकट करना इस समय उचित नहीं होगा।

काली सूची में शामिल सिले सिलाए कपड़ों के निर्यातकों के नामों को उस सूची से निकालना

3618. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन कुछ सिले सिलाए कपड़ों के निर्यातकों के नामों को एक बार काली सूची में शामिल किया गया था उनके नामों को अधिकारियों द्वारा बिना वैध कारणों से उस सूची से निकाल दिया गया था ;

(ख) क्या काली सूची से उस प्रकार असामान्य तरीके से निकाले जाने के बाद ये निर्यातक इसी प्रकार के अपराधों में पुनः लिप्त पाए गए हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सिले सिलाए कपड़ों के निर्यातकों को पंजीकरण प्रदान करने के तरीके में पूरी तरह से परिवर्तन करने की आवश्यकता है ;

(घ) यदि हां, तो कब तक परिवर्तन किए जाने की संभावना है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

अप्रत्यक्ष कर नीति पर पुनर्विचार

3619. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के वाणिज्य और उद्योग मण्डलों ने सरकार से राजस्व जुटाने के लिए अप्रत्यक्ष कर नीति सम्बन्धी दृष्टिकोण पर विचार करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के वाणिज्य और उद्योग मण्डलों ने कुछ सुझाव दिए हैं। तकनीकी अध्ययन ग्रुप द्वारा उन सुझावों की जांच की जा रही है और उसके द्वारा सरकार को शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए प्रति व्यक्ति ऋण

3620. **श्री सरफराज अहमद** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों और संघशासी क्षेत्रों के क्या नाम हैं जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रति व्यक्ति अधिकतम और न्यूनतम ऋण दिए गए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह जिनमें न्यूनतम ऋण

दिए गए हैं, के लोगों की वित्तीय स्थिति अत्यन्त कमजोर है और उनके वित्तीय संसाधन अत्यन्त कम हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, जिनमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिसम्बर, 1984 के अन्त की स्थिति के अनुसार सबसे अधिक और सबसे कम अग्रिम दिए गए हैं नीचे दिए गए हैं :

	अधिकतम
राज्य	(रुपए)
महाराष्ट्र	1725
संघ राज्य क्षेत्र	
चण्डीगढ़	22642
	न्यूनतम
राज्य	(रुपए)
मणिपुर	115
संघ राज्य क्षेत्र	
मिजोरम	111

(1981 की जनगणना के आधार पर)

(ख) दिसम्बर, 1984 के अन्त में संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण क्रमशः 305 रुपए और 133 रुपये था ।

(ग) जिन क्षेत्रों में अग्रिमों की राशि कम है, उनमें बैंकों को ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए कारगर कदम उठाने और अपनी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में कम से कम 60% का ऋण : जमा अनुपात बनाए रखने के लिए कहा गया है । स्थानीय जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की गई वार्षिक कार्रवाई आयोजनाओं और जिला ऋण आयोजनाओं के कार्यान्वयन से इन क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह के बढ़ जाने की आशा है ।

[अनुवाद]

आयात की जाने वाली प्रमुख मदों का देश में उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास

3621. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व्यापार अन्तर को कम करने के लिए आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं का देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है ; और

(ख) यदि हां, किन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख). सरकार द्वारा आयात की जाने वाली मूल्य मदों जैसे कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों, लोहा तथा इस्पात

सीमेंट, अखबारी कागज, खाद्य तेलों तथा खाद्यान्नों के स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं तथा किए जा रहे हैं।

खाद्यान्न का निर्यात

3622. **श्री अनिल बसु :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्न का निर्यात करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और कितनी मात्रा का निर्यात करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख). गेहूं की अच्छी स्टाक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, गेहूं, मैदे, सूजी तथा अनछने आटे की सीमित मात्रा में निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है। इस समय, यह बताना सम्भव नहीं है कि वर्तमान वित्त वर्ष में गेहूं तथा गेहूं उत्पादों की कितनी मात्रा का निर्यात हो सकेगा। यह व्यापार परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

ग्वालियर रैयंस, नागदा के परिसरों में गैस का रिसना

3623. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :** क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला के एकक, ग्वालियर रेयंस, नागदा के परिसर में हाल ही में गैस रिसने के परिणामस्वरूप बहुत लोग प्रभावित हुए थे ;

(ख) क्या यह सच है कि स्थानीय अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है ;

(ग) क्या सरकार ने ग्वालियर रेयंस के कुल एककों का पहले राष्ट्रीयकरण किया था परन्तु बाद में उन्हें विराष्ट्रीयकृत कर दिया गया ; और

(घ) क्या सरकार का विचार ग्वालियर रेयंस के मामलों की जांच करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) बताया गया है कि 21-4-85 को नागदा स्थित ग्वालियर रेयंस के प्लांट से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था जिससे कुछ कामगार प्रभावित हुए।

(ख) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

सरकारी उपक्रमों के लिए सेवा आयोग का गठन

3624. **श्री शांति धारीवाल : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों के लिए कर्मचारियों का चयन और नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए भर्ती बैंकिंग सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य सरकारी उपक्रमों के लिए कर्मचारियों की भर्ती एक आयोग का गठन करके कराने का है ; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक गठित किया जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय सरकारी मन्त्रालयों में समूह "क" और "ख" पदों पर चयन तथा नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है, जबकि समूह "ग" पदों की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाती है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लिपिकों तथा अधिकारियों की भर्ती बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों के माध्यम से की जाती है। बैंकिंग सेवा आयोग अभी तक स्थापित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में भर्ती के लिए एक व्यापक नीति निर्धारित की है तथा इसका अनुपालन सन्तोषजनक रूप से किया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

केरल में रबड़ परिष्करण (प्रोसेसिंग) यूनिटों की स्थापना

3625. **श्री के० मोहनदास** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह समझती है कि केरल में केन्द्रीय क्षेत्र में रबड़ परिष्करण (प्रोसेसिंग) यूनिटों की स्थापना की सम्भावना है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग). रबड़ प्रोसेसिंग एकक पूंजी प्रधान परियोजनाएं नहीं हैं और उनकी स्थापना सहकारी क्षेत्र तथा साथ ही गैर-सरकारी उद्यमियों द्वारा की जा सकती है।

रबड़ का आयात

3626. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20,000 टन कच्चा रबड़ आयात करने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस आयात से रबड़ उत्पादकों पर कुप्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) घरेलू उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः प्राकृतिक रबड़ के आयात की अनुमति केवल उत्पादन और खपत के बीच अन्तर को पूरा करने की अपेक्षित सीमा तक दी जाती है।

(ग) और (घ). यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राकृतिक रबड़ के आयात रबड़ उत्पादकों पर विपरीत प्रभाव न डालें, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) समय-समय पर मांग तथा पूर्ति के बीच अन्तर की समीक्षा की जाती है तथा आयात वास्तविक मांग तथा पूर्ति के बीच अन्तर तक ही सीमित हैं।

(2) घरेलू कीमत प्रवृत्ति की आवधिक समीक्षा की जाती है।

(3) आयातित रबड़ कम उत्पादन के महीनों के दौरान जारी किया जाता है।

(4) शुल्क ढांचे को सकायोजित करते हुए आयातित रबड़ की रिलीज कीमत 1650 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है।

मध्य प्रदेश में भू-तत्वीय सर्वेक्षण

3627. **श्री डालचन्द्र जैन : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में भारतीय भू-तत्वीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां स्थित है ;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां पर इसकी देखरेख में सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) वहां कौन-कौन से खनिज पाए गए हैं और उनके खनन के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) मध्य प्रदेश में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के तीन सर्किल कार्यालय हैं, जिनमें प्रत्येक का नेतृत्व एक निदेशक करता है। ये कार्यालय भोपाल, जबलपुर तथा रायपुर में हैं। मध्य प्रदेश भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के मध्य क्षेत्र में है, जिसका मुख्यालय नागपुर में है।

(ख) और (ग). भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के इन तीनों सर्किल कार्यालयों का मुख्य कार्य पूरे राज्य का क्रमबद्ध भू-वैज्ञानिक मानचित्रण करना तथा खनिजों के लिए भी सर्वेक्षण करना है। राज्य के अधिकतर जिलों का भू-वैज्ञानिक मानचित्रण या तो पहले ही हो चुका है या हो रहा है।

जहां तक खोजे गए खनिजों की बात है, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण की फील्ड पार्टियों ने सर्वेक्षण द्वारा निम्नलिखित खनिज निक्षेपों का पता लगाया है :

सर्किल कार्यालय	स्थल	पाए गए खनिज
भोपाल	अमलिमाल-रसूरी सेक्टर (मेघनगर क्षेत्र) झाबुआ जिला	फास्फोराइट
	छत्तरपुर जिले का सलैया क्षेत्र	आधार धातु (तांबा अयस्क)
	झाबुआ जिले का आमकूट कलियावाड़ा क्षेत्र	चूनापत्थर/डोलोमाइट
जबलपुर	कुटेश्वर-मंगाहाटा क्षेत्र, रीवा, सतना और जबलपुर जिले।	चूनापत्थर
	हीरापुर-मारडोवका-कछार सेक्टर-छत्तरपुर जिला	फास्फोराइट
	बैरिया-बहारीटोला सेक्टर सीधी जिला	अधार धातु (तांबा अयस्क)
	रामा-रामनेत्रा, बालाघाट जिला	मैंगनीज अयस्क

	पन्ना तथा छत्तरपुर जिला	हीरा
	कारी, खेड़ा आदि क्षेत्र, जिला टीकमगढ़	पायरोफिलाइट
	गोवारी बढोना, काचिढाना पलासपानी क्षेत्र जिला छिन्दवाड़ा	मैंगनीज अयस्क
रायपुर	बोडाई-दलदली क्षेत्र, जिला राजनन्द गांव	बाक्साइट
	केसकल-अम्बेरा क्षेत्र, बस्तर जिला	बाक्साइट
	रौघाट क्षेत्र, जिला-बस्तर	लौह अयस्क
	जमीरापट पठार क्षेत्र, जिला सरगुना	बाक्साइट
	धर्मगढ़ और जोशपुर तहसील के भू-भाग, जिला सरगुजा	स्वर्ण
	जिला बस्तर (विशेष परियोजना के रूप में कार्य शुरू)	टिन खनिजीकरण

सरकार की नीति प्रौद्यो-आर्थिक दृष्टि से खनन योग्य खनिज निक्षेपों का खनन कार्य शुरू किए जाने की है।

विभिन्न स्थानों पर स्थित सरकारी क्षेत्र के उद्योग

3628. **श्री एन० टोम्बी सिंह :**

श्री पी० आर० कुमारमंगलम :

श्री विष्णु मोदी :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न स्थानों पर स्थित सरकारी क्षेत्र के उद्योगो का 31 मार्च, 1985 को राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना में उद्योगों की स्थापना में संतुलन कायम करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) चूंकि अनेक केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का प्रचालन क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में फैला हुआ है, अतः उनके पंजीकृत कार्यालयों की दृष्टि से, 31-3-1984 को केन्द्रीय सरकार के 210 औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों की राज्यवार अवस्थिति का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार द्वारा पूंजी लगाये जाने का निर्णय केवल ऐसे राज्यवार पूंजी-निवेश के संवितरण की दृष्टि से नहीं किया जाता है। सरकारी उद्यमों का स्थान निश्चित करने में अनेक बातों, अधिकांशतः तकनीकी-आर्थिक कारणों को ध्यान में रखना पड़ता है। प्राकृतिक संसाधनों की अवस्थिति, जिनका अत्यधिक लाभकारी रूप से उपयोग किया जा सके, अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं कार्यकुशलता प्राप्त जनशक्ति की उपलब्धता आदि कुछ ऐसे दृष्टिकोण हैं, जिनके आधार पर स्थान का चयन किया जाता है।

विवरण	
1. आन्ध्र प्रदेश	12
2. असम	4
3. बिहार	12
4. गुजरात	3
5. हरियाणा	1
6. कर्नाटक	14
7. केरल	6
8. महाराष्ट्र	25
9. मध्य प्रदेश	2
10. नागालैंड	1
11. उड़ीसा	3
12. पंजाब	2
13. राजस्थान	6
14. तमिलनाडु	7
15. उत्तर प्रदेश	14
16. दिल्ली	54
17. गोवा	2
18. अण्डमान एवं निकोबार	1
19. पश्चिम बंगाल	41
जोड़ :	210

पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्र सरकार का पूंजी निवेश

3629. **श्री अतीश चन्द्र सिंह :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के उपकमों में अब तक कितना पूंजी-निवेश किया है (और उद्यांग-वार और वर्ष-वार ब्यौरा) क्या है ;

(ख) महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार के साथ इन आंकड़ों की तुलना किस प्रकार की जा सकती है ; और

(ग) पश्चिम बंगाल में मेट्रो और सरकूलर रेलवे और द्वितीय हुगली पुल सहित ऐसे उपक्रमों या नए उपक्रम में केन्द्र सरकार की भविष्य में पूंजी निवेश करने की योजनाएं क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल,

महाराष्ट्र गुजरात, बिहार और अन्य राज्यों में भी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में किए गए पूंजी निवेश (सकल परिसम्पत्ति के रूप में) का ब्यौरा हर वर्ष लोक सभा-पटल पर रखे गए सम्बन्धित वर्षों के लोक उद्यम सर्वेक्षणों में उपलब्ध है। 31-3-1984 को पश्चिम बंगाल में अत्यधिक पूंजीनिवेश वाले सरकारी उद्यमों के नामों के साथ-साथ किए गए पूंजी-निवेश की राशि का विवरण संलग्न है।

(ग) सम्पूर्ण विवरण अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विवरण

1983-84 में पश्चिम बंगाल स्थित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सकल परिसम्पत्ति की राशि का विवरण, जिसमें पूंजीगत चालू निर्माण कार्य तथा अविभाजित व्यय एवं अन्य परिसम्पत्तियां शामिल हैं।

क्र० सं०	उद्यम का नाम	सकल परिसम्पत्ति आदि (करोड़ रुपयों में)
1	2	3
1.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	578.48
2.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	519.06
3.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपो० लि०	464.06
4.	नेशनल थर्मल पावर कारपो०	296.75
5.	इस्को	262.70
6.	इण्डियन आयल कारपोरेशन	196.67
7.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	126.73
8.	हिन्दुस्तान केबल लि०	42.19
9.	माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपो० लि०	40.93
10.	जेसप एण्ड कम्पनी	33.25
11.	गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स लि०	28.85
12.	टे० टे० का० (पं० बंगाल, बिहार, असम एवं उड़ीसा)	27.70
13.	नेशनल जूट मैन्यु० कारपो० लि०	25.83
14.	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि०	23.26
15.	कोल इण्डिया लि०	22.06
16.	भारतीय खाद्य निगम	21.07
17.	भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण	19.43
18.	एन्ड्रयू यूले कम्पनी	17.70

1	2	3
19.	बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी	15.76
20.	आयल इण्डिया लि०	13.12
21.	इण्डियन एयरलाइन्स	12.59
22.	नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपो०	11.78
23.	ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि०	10.96
24.	भारत कोकिंग कोल लि०	9.79
25.	ब्रिज एण्ड रुफ कम्पनी (इण्डिया) लि०	8.52
26.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लि०	6.52
27.	बंगाल केमिकल्स लि०	5.88
28.	बानरहाट टी० कम्पनी	4.80
29.	भारत आफ्थैल्मिक ग्लास कंपनी लि०	4.56
30.	भारत पर्यटन विकास निगम	3.94
31.	बामेर लारी एण्ड कम्पनी लि०	3.93
32.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस लि०	3.15
33.	अन्य	47.89
		2909.87

इन्जीनियरिंग उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की योजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

3630. **श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक से इन्जीनियरिंग उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की योजनाओं के विशिष्ट वित्तपोषण के लिए 25 करोड़ अमरीकी डालर की परियोजना का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन्जीनियरिंग उत्पादों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से इन्जीनियरिंग कम्पनियों का चयन करने के लिए कोई अध्ययन किया जा चुका है ;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी बाजारों का भी पता लगाया है, जो भारतीय इन्जीरियरिंग उत्पाद खरीदने को सहमत हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन देशों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां। परियोजना का उद्देश्य भारत सरकार को अपनी प्रतियोगी क्षमता और इंजीनियरिंग माल के निर्यात को बढ़ाने में मदद करना है।

(ख) से (घ). विशेष प्रयासों के लिए निर्यात सम्भाव्यता वाले क्षेत्र अभिज्ञात किए गए हैं तथा

परियोजना के अन्तर्गत निजी कम्पनियों को सहायता प्रदान की जायेगी परियोजना बाजार विशिष्टता वाली नहीं है तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी क्षमता और इंजीनियरिंग माल के निर्यात को बढ़ाने की जरूरत है।

[हिन्दी]

छोटे इस्पात संयंत्र

3631. **श्री कमला प्रसाद रावत :** क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने छोटे इस्पात संयंत्र कार्य कर रहे हैं और ऐसे कितने संयंत्र निर्माणाधीन हैं ;

(ख) इन संयंत्रों का वर्ष 1983 से आज तक का वर्षवार उत्पादन कितना-कितना है ;

(ग) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में छोटा इस्पात संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान यह संयंत्र स्थापित करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) 195 विद्युत चाप भट्ठियों (लघु इस्पात कारखाने) की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस तथा आशय-पत्र जारी कर दिए गए हैं। इनमें से 156 इकाइयां कार्य कर रही हैं और शेष इकाइयां कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) ऐसी इकाइयों का इस्पात पिण्ड का उत्पादन निम्नलिखित है जो लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक को अपने उत्पादन के बारे में सूचना भेजती हैं :—

वर्ष		(लाख टन) (उत्पादन)
1983-84	—	19.8
1984-85	—	23.3
1985-86 (जून, 1985 तक)	—	5.0 (अस्थायी)

(ग) से (ङ). ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

हृदय और क्षय रोगियों के लिए बीमा योजना

3632. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**

श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने अभी हाल ही में कैंसर रोगियों के लिए एक

नई बीमा योजना शुरू की है ;

(ख) क्या ऐसी योजना देश में हृदय रोगियों और क्षय रोगियों के लिए भी शुरू की जाएंगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। कैंसर चिकित्सा व्यय पालिसी, न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (भारतीय साधारण बीमा निगम की एक सहायक कम्पनी) द्वारा प्रारम्भ की गई है, न कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा।

(ख) और (ग). साधारण बीमा उद्योग ने अस्पताल में दाखिल होकर तथा घर में ही अस्पताली इलाज करवाकर लाभ उठाने के लिए 1 जून 1985 से बीमा पालिसी आरम्भ कर दी है। इस पालिसी के अन्तर्गत विभिन्न बीमारियों रोगों, जिसमें हृदय-धमनी/कारनरि आर्टरि (रोग/कारनरि बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, टी० बी०) (पलमनरि टी० बी० सहित) आदि शामिल है, का बीमा कवच प्रदान किया जाता है। उक्त पालिसी के अधीन अतिरिक्त लाभों सहित समस्त अनुमत्य लाभ श्रेणी-V के लिए 7000 रुपए से लेकर श्रेणी-I के लिए 37,800 रुपए तक भिन्न-भिन्न हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रीमियम की वार्षिक दर क्रमशः 72 रुपए से लेकर 378 रुपए तक भिन्न-भिन्न है।

गोरखपुर और बस्ती जिलों में आयकर सर्वेक्षण

3633. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर विभाग ने काले धन का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बस्ती जिलों में व्यापक सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वहां इस प्रकार का सर्वेक्षण करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). सर्वेक्षण एक सतत प्रक्रिया है और दीर्घकालीन सर्वेक्षण कार्य योजना के अनुसार सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। गोरखपुर और बस्ती जिलों में पचास परिसरों का सर्वेक्षण हाल ही में किया गया था।

[**अनुवाद**]

कोल इण्डिया लि० के अधीन चल रही हार्ड कोक भट्ठियां

3634. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० के अधीन कितनी हार्ड-कोक भट्ठियां चल रही हैं ;

(ख) जुलाई, 1983 में कितनी हार्ड-कोक भट्ठियां चल रही थीं ;

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान कितनी हार्ड कोक भट्ठियां चल रही थीं ;

(घ) क्या यह सच है कि अधिकांश भट्ठियां बंद हो गई हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ङ). जुलाई, 1983 में लगभग 2200 हार्ड कोक भट्ठियां भारत कोकिंग कोल लि०, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में काम कर रही थीं। यह कम्पनियां कोल इण्डिया लि० की सहायक कम्पनियां हैं। अगस्त, 1983 के बाद लगभग 1000 भट्ठियों को बन्द कर दिया गया था क्योंकि उनके लिए काफी कच्चा कोककर कोयला नहीं मिल रहा था जिसे धुलाई के बाद इस्पात संयंत्रों को सप्लाई किया जा सकता। साथ ही कुछ भट्ठियों का पुर्ननवीकरण भी जरूरी था। इस समय लगभग 1400 भट्ठियां काम कर रही हैं।

नई वस्त्र नीति के अन्तर्गत विद्युत करघे

3635. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई वस्त्र नीति के अन्तर्गत कोई व्यक्ति विद्युत करघा स्थापित कर सकता है ;

(ख) यदि नहीं, तो नए विद्युत करघे लगाने की अनुमति प्राप्त करने के पात्र कौन लोग होंगे ;

(ग) क्या वर्तमान हथकरघा बुनकरों को विद्युती करघों पर बुनाई की अनुमति है ;

(घ) तत्सम्बन्धी शर्तें और प्रक्रिया क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ङ). नयी वस्त्र नीति के अधीन विद्युत करघे स्थापित करने के लिए व्यक्तियों की पात्रता के सम्बन्ध मे कोई विशेष रोक नहीं है।

तथापि, अनिवार्य पंजीकरण की अपेक्षाएं तथा स्थानीय मार्गदर्शी सिद्धान्त ऐसे विद्युत करघों के साथ लागू होंगे।

कच्चे रेशम के आयात पर प्रतिबन्ध

3636. **श्री जी० एस० बसवराजू** :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से देश में कच्चे रेशम के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत कच्चे रेशम का आयात अभी भी किया जा रहा है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि कच्चे रेशम के आयात से देश में, विशेषकर कर्नाटक में रेशम उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) कच्चे रेशम के आयात द्वारा कर्नाटक सहित, देश में रेशम उद्योग पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नारियल जटा उत्पादकों का निर्यात

3637. **श्री वी० एस० विजय राघवन :** क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा उत्पादों के लिए नए बाजारों का पता लगाने और वर्तमान बाजारों का पूर्ण उपयोग करने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है ;

(ख) नारियल जटा उत्पादों के निर्यात का गत तीन वर्षों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या नारियल जटा उत्पादों का निर्यात बढ़ाने और नए बाजारों का पता लगाने के लिए कोई विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (घ). जी, नहीं। इस सम्बन्ध में समुचित ध्यान दिया जा रहा है। कयर तथा कयर उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने तथा नए बाजारों का पता लगाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों में ये शामिल है : व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल भेजना, बाजार अध्ययन तथा बाजार अनुसन्धान करना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन देना, प्रचार सामग्री का वितरण, प्रमुख बाजारों में मेलों में भाग लेना, किस्म सुधार तथा नकद मुआवजा सहायता प्रदान करना।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कयर उत्पादों अर्थात् कयर मैट्स, मैटिंग्स, गलीचे तथा कालीनों के निर्यात निम्नलिखित प्रकार हैं :

(अनन्तिम)

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु० में)
1982-83	14.00
1983-84	13.50
1984-85	16.50

(स्रोत : कयर बोर्ड)

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों में ग्राहक सेवा

3638. **श्री नरसिंह मकवाना :**

श्री वी० एस० विजय राघवन :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई निदेश जारी किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) 17 जुलाई, 1985 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ हुई बैठक में वित्त मन्त्री ने उन्हें विशेष रूप से ग्राहक सेवा सुधारने के काम में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेने का परामर्श दिया था। 29 जुलाई, 1985 को बैंकों के मुख्य कार्यपालकों से कहा गया कि वे :

(क) विशिष्ट लेनदेनों को पूरा करने में अपेक्षित समय अवधि के सम्बन्ध में मानक तैयार करें और ग्राहकों को इन मानकों के बारे में बताएं ;

(ख) 30 या इससे अधिक कर्मचारियों वाली सभी शाखाओं में "क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं" काउंटर शुरू करने के उपाय करें ;

(ग) ग्राहक सेवा को प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभिन्न अंग बनाएं ;

(घ) बैंक और ग्राहकों/ग्राहक संगठनों/राज्य सरकारों के बीच उच्च स्तर पर नियमित अवधि में सम्पर्क करने की पद्धति तैयार करें, इस कार्य में यूनियनों/संघों आदि को भाग लेने के लिए प्रेरित करें ;

(ङ) शाखाओं में शिकायत पेटियों की सहायता से ग्राहकों की शिकायतें दूर करने के लिए मशीनरी और प्रक्रिया तैयार करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी स्तरों पर इन शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

राज्यों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

3639. **श्री विजय कुमार यादव : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने 3 अगस्त, 1983 के अपने पत्र संख्या 2828/एफ० एम०/83, में सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में निर्देश जारी किए थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त निर्देशों का पालन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या बिहार सरकार ने इन निर्देशों को लागू नहीं किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उपेक्षा की नीति अपनाने वाले राज्य सरकार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). जी, हां। सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के नाम सम्बोधित दिनांक 3 अगस्त, 1983 के अपने पत्र में तत्कालीन वित्त मन्त्री ने, अन्य बातों के साथ-साथ, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों का पता लगाने के काम में सहायता पहुंचाने और साथ ही इस कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन में राष्ट्रीयकृत बैंकों की सहायता करने के लिए खण्ड स्तर पर परामर्शदात्री समितियों के गठन का परामर्श दिया था।

(ग) से (ङ). इस सम्बन्ध में 15 राज्यों, अर्थात् सिक्किम, केरल, मणिपुर, बिहार, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश से उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। 4 राज्यों अर्थात् हरियाणा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और राजस्थान ने यह बताया है कि उन राज्यों में इस समय जो व्यवस्था है, वह सन्तोषजनक रूप से चल रही प्रतीत होती है और इसे फिलहाल बदलने की कोई जरूरत नहीं। कर्नाटक की सरकार ने सुझावों पर पूरी तरह से अमल किया है। अन्य राज्यों ने भी आमतौर पर इस

परामर्श का स्वागत किया है और कहा है कि वे इस पर विचार कर रहे हैं। राज्य सरकारों को दिए गए ये सुझाव केवल सिफारिश और परामर्श के रूप में थे।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के श्रमिकों को मकान किराया भत्ते की अदायगी

3640. **श्री शरद दिघे :** क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के श्रमिकों को अप्रैल, 1983 से मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है जबकि महाराष्ट्र के शेष भाग में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के श्रमिकों को यह नहीं दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र राज्य कपड़ा निगम की मिलों के सभी श्रमिकों को यह मकान किराया भत्ता दे रही है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस विसंगति को दूर करने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) जी हां। देशपाण्डे समिति की सिफारिशों के आधार पर एन० टी० सी० मिलों के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। यह सिफारिशें बम्बई में स्थित कपड़ा मिलों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में की गई थीं न कि बम्बई से बाहर के कर्मचारियों के सम्बन्ध में।

(ग) जी, हां।

(घ) चूंकि इस भुगतान का आधार केवल बम्बई के कर्मचारियों पर लागू होता है, इसलिए इसे बम्बई से बाहर की मिलों में लागू करने के सम्बन्ध में कोई असंगति नहीं है।

[हिन्दी]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के परिव्यय में वृद्धि

3641. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काला धन के बारे में अध्ययन करने वाले संस्थान ने यह जानकारी दी है कि विकास कार्यों विशेषकर समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर खर्च की जाने वाली धनराशि में से 40 से 50 प्रतिशत राशि भ्रष्टाचार के माध्यम से काला धन में परिवर्तित कर दी जाती है ;

(ख) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ऐसे अन्य कार्यक्रमों के लिए परिव्यय में वृद्धि करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने लक्ष्यों और उपलब्धियों के बीच का अंतर दूर करने के लिए कोई योजना तैयार की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान द्वारा "भारत में अवैध अर्थ-व्यवस्था के पहलू" पर अपनी रिपोर्ट में अवैध अर्थ-व्यवस्था के पता लगाए गए कारणों में से एक कारण सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय में हेराफेरी का होना है। दीर्घकालीन वित्तीय नीति में, इस विषय पर सार्वजनिक विचार-विमर्श के परिमागतः प्राप्त होने वाले सभी सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

[अनुवाद]

पीयरलैस जनरल फाइनेंस एण्ड इनवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिकूल टिप्पणी

3642. **डा० सी० पी० ठाकुर** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने पीयरलैस जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड की लेखा प्रणाली के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार कर्मचारियों और पूंजीनिवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबन्दी) अधिनियम, 1978 के उपबन्धों के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने, जिसे पाबंदी अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन का काम सौंपा है, 10 अगस्त, 1979 को दि पीयरलैस जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड को अपना कारबार समाप्त करने का नोटिस दिया था। कम्पनी ने 3 सितम्बर, 1979 को कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दी जिसमें उसने अपने कारबार पर अधिनियम को लागू करने पर चुनौती दी और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। केन्द्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक तथा पश्चिम बंगाल सरकार इस रिट याचिका में प्रत्यर्थी हैं। मामला अभी भी अदालत के विचाराधीन है।

ग्रामीण कारीगरों को अपर्याप्त ऋण सुविधाएं उपलब्ध करना

3643. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किए गए उस सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है जिसमें उसने यह पता लगाया था कि ग्रामीण कारीगरों को बैंकिंग प्रणाली से अपर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ;

(ग) क्या ग्रामीण कार्यों की बदलती हुई शैली और ग्रामीण कारीगरों द्वारा तैयार किए गए माल की मांग में गिरावट बैंकों द्वारा ग्रामीण कारीगरों को ऋण न देने से कारणों में से कुछेक कारण हैं ;

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण कारीगरों की सहायता के लिए ऐसे कोई प्रयास किए जाने का प्रस्ताव है जिससे वे अपने उत्पादों और कलाकृतियों की मांग में परिवर्तन का मुकाबला कर सकें ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ). कारीगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों को बैंकों द्वारा दी जाने वाली सहायता के बारे में वर्ष 1980 में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नमूना सर्वेक्षण किया था जिससे यह पता चला है कि इन श्रेणियों को दी गई ऋण संबंधी सुविधाओं की प्रगति पर्याप्त रूप से संतोषजनक नहीं है। तब भारतीय रिजर्व बैंक ने इस अध्ययन में पायी गई त्रुटियों को ठीक करने के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नाम विस्तृत अनुदेश जारी कर दिए। नीचे दी गई तालिका में कारीगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों को बैंकों द्वारा दिए गए संयुक्त ऋणों की प्रगति का ब्यौरा दिया गया है :

(रकम करोड़ रुपए में)

वर्ष	वित्त पोषित एककों की संख्या	कुल बकाया राशि
1979	296000	51.44
1980	346000	69.38
1981	432000	98.42
1982	439000	109.85
1983	640000	185.24

जिन क्षेत्रों में ग्रामीण धंधों का स्वरूप बदल रहा है और गांवों के कारीगरों द्वारा तैयार किए गए माल की मांग घट रही है, वहां बैंक उत्पादन और विपणन प्रबन्ध में अपने विशेषज्ञ अपने कर्मचारियों के परामर्श से रुचि और मांग के बदलते हुए ढंग के अनुरूप उत्पादन के प्रकार और उत्पादों के क्षेत्र में परिवर्तन का परामर्श देते हैं। जिला उद्योग केन्द्र और राज्य स्तरीय लघु उद्योग विकास निगम विशेषज्ञ परामर्श, विपणन सम्बन्धी आधारभूत ढांचे कौशलों के स्तर को ऊंचा करने आदि जैसे उपायों सहित उपयुक्त आधारभूत ढांचे के माध्यम से कारीगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों को सहायता देने के काम में जुटे हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण बैंकों की कार्यकुशलता के बारे में शिकायतें

3644. **श्री अमिताभ बच्चन :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण बैंकों के कार्य तथा कार्य क्षमता (कुशलता) के बारे में विभिन्न सूत्रों से शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों का ब्यौरा क्या है, और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). सरकार को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण के बारे में जनता, संसद सदस्यों, विधान सभाओं के सदस्यों से शिकायतें मिली हैं। ये शिकायतें मुख्यत: जनता को तंग करने, कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितताओं, ऋणों के संवितरण में भ्रष्टाचार आदि से सम्बन्धित हैं। शिकायतों की तुरंत जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक हो, उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

अमर इंडिया इंटरनेशनल, नई दिल्ली के साथ हुए सौदे में इलाहाबाद बैंक की पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच को नुकसान

3645. **श्री दिग्विजय सिंह : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमर इण्डिया इंटरनेशनल, नई दिल्ली के साथ हुए सौदे में इलाहाबाद बैंक, पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली को कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है ;

(ख) इस नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है ;

(ग) क्या अमर इण्डिया इंटरनेशनल को सामान्य बैंकिंग मानदण्डों में छूट देकर विशिष्ट रियायतें की गई हैं ;

(घ) क्या इलाहाबाद बैंक को हुए इस नुकसान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) क्या इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ). इलाहाबाद बैंक ने बताया है कि मैसर्स अमर इण्डिया इन्टरनेशनल, नई दिल्ली के नाम उसकी कुछ राशि बकाया है। बकाया राशि के एक हिस्से के लिए, बैंक ने निर्यात ऋण और प्रत्यय निगम के पास दावा दायर कर दिया है। रकम वसूल करने के लिए बैंक ने, कम्पनी और गारंटीकर्ताओं के खिलाफ, दिल्ली उच्च न्यायालय में दीवानी मुकदमा भी दायर कर दिया है। बैंकों को नियन्त्रित करने वाले कानूनों और प्रचलित रीति-रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार, बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों और उनके कार्यों के बारे में आगे और सूचना प्रकट नहीं की जा सकती। अलबत्ता, बैंक ने यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया है जिसने इसे छानबीन के लिए दर्ज कर लिया है।

कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई सहित यदि कोई हो, बैंक द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसे ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों से सीमान्त किसानों को ऋण

3647. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का/पर ध्यान रखते हुए कि काफी बड़ी संख्या में सीमान्त किसानों को जो ब्याज की वजह से ऋणों की राशि मूलधन से कई गुना हो जाने के कारण पुराने ऋण अदा करने में असमर्थ हैं, सहकारी बैंकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से आगे ऋण लेने के लिए अवसरों से वंचित किया जा रहा है, सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को सीमान्त किसानों द्वारा सहकारी तथा अन्य बैंकों से लिए गए पुराने ऋण माफ करने के अनुदेश देने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सीमान्त किसानों द्वारा सहकारी बैंकों सहित अन्य बैंकों से लिए गए पुराने ऋणों पर देय ब्याज माफ करने के लिए कोई वैकल्पिक प्रस्ताव विचाराधीन है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). सहकारी ऋण ढांचे में वर्तमान स्थिरीकरण प्रबन्धों के अन्तर्गत किसानों को अल्पावधिक ऋणों को मध्यावधिक ऋणों में बदलने, ऋणों के कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण किए जाने आदि जैसे कई उपायों के जरिए राहत देने की व्यवस्था मौजूद है। लेकिन शर्त यह है कि उस इलाके की राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित घोषित किया गया हो। ऋणों के रूपान्तरण और पुनर्निर्धारण से किसान चूककर्ता होने से बच जाते हैं। लेकिन, छोटे और सीमांतिक किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च, 1980 में सभी राज्यों के नाम एक परिपत्र जारी किया था जिसमें उन्हें यह परामर्श दिया गया था कि यदि उन मामलों में, जो ऋणकर्ताओं के नियन्त्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुए हों, चूक की राशि के अल्पावधिक कृषि ऋणों के अन्तर्गत पात्रता की राशि से 10 प्रतिशत से अधिक न होने की सूरत में उन किसानों को सम्बन्ध समितियों द्वारा अपने विवेक के अनुसार अपने साधनों से नए ऋणों की व्यवस्था की जा सकती है। जून, 1983 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने इस प्रक्रिया को और उदार बना दिया है जिसके अनुसार ऐसी प्राथमिक कृषि समितियों के लिए

जिनके पास वित्तीय सहायता देने के लिए अपने साधन न हों, जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सरकारी बैंकों द्वारा वित्त की व्यवस्था की जा सकती है।

[हिन्दी]

फर्मों को बासमती चावल के निर्यात के लिए जारी किए गए लाइसेंस

3648. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बासमती चावल के निर्यात के लिए किन-किन फर्मों को लाइसेंस जारी किए गए और उन्होंने देश-वार कितने चावल का निर्यात किया और किस दर पर किया ;

(ख) क्या कुछ निर्यातकों ने मिलावटी बासमती चावल सप्लाई कर दिए थे जिन्हें सम्बन्धित देशों ने अस्वीकार कर वापस कर दिया है और यदि हां, तो उन निर्यातकों के नाम और पते क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) बासमती चावल के निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन होती है। जिन मदों के निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन होती है, उनके सम्बन्ध में और कोई लाइसेंस जारी करना अपेक्षित नहीं होता है। इसलिए, निर्यातक-वार आंकड़े नहीं रखे गए हैं।

(ख) निर्यात निरीक्षण अभिकरणों द्वारा निरीक्षण की गई बासमती चावल की कोई खेप खराब क्वालिटी अर्थात मिलावटी बासमती चावल के कारण विदेशी खरीदारों द्वारा अस्वीकृत व वापस नहीं की गई है। उन मामलों के सम्बन्ध में जिनमें लदान पूर्व निरीक्षण कृषि विपणन सलाहकार द्वारा किए गए, जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) बासमती चावल के निर्यातकों को सीमाशुल्क प्राधिकारियों को पोत लदान के समय लदान पूर्व निरीक्षण/क्वालिटी नियन्त्रण प्रमाणपत्र देना अपेक्षित होता है।

[अनुवाद]

विदेशों में भारतीय निर्माण योजनाएं

3649. **श्री बृजमोहन महन्ती :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि भारतीय परियोजना के निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हो रही है तथा वह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर पा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने विश्व बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक तथा एशियन विकास बैंक द्वारा विश्व के विभिन्न देशों के वित्तपोषित क्षेत्रों में निर्माण परियोजनाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या निर्यात-आयात बैंक ने उपरोक्त क्षेत्रों में भारतीय निर्माण ठेकेदारों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय

कम्पनियों द्वारा निष्पादित विदेशी निर्माण परियोजनाओं में कमी उन बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारणों से होती है :

(i) अन्तर्राष्ट्रीय तेल बाजार में अस्थिरता और मन्दी जिसके कारण अनेक देशों में निर्माण कार्यकलाप में मन्दी आती है ;

(ii) दीर्घकालीन ईरान इराक युद्ध,

(iii) अनेक देशों में भुगतान शेष की समस्याएं, और

(iv) पूंजी वेशी देशों से बढ़ी हुई प्रतियोगिता जोकि बहुत आसान वित्तीय शर्तों पर ऋण प्रदान करते हैं।

(ग) और (घ). जी हां। बहुपक्षी वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के निर्यातों के संवर्धन के उद्देश्य से अन्य बातों के साथ किए गए प्रयासों में शामिल हैं :

(i) टेन्डर दस्तावेजों की अधिप्राप्त और डब्ल्यू० बी०, ए० डी० और ए० एफ० डी० बी० द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं से सम्बन्धित जानकारी एकत्र करने में विदेशों में भारतीय मिशन सहायता करते हैं।

(ii) इन्जीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद/भारतीय विदेश निर्माण परिषद/ भारतीय इन्जीनियरिंग उद्योग संस्था टैलेक्स, पत्रों के जरिए तथा अपने प्रकाशनों के जरिए भी निर्यातकों को परियोजना सम्बन्धी जानकारी का प्रचार प्रसार करते हैं।

(iii) विश्व बैंक (डब्ल्यू० बी०), एशियन विकास बैंक (ए० डी० बी०) और अफ्रीकन विकास बैंक (ए० एफ० डी० बी०) की नीतियों के सम्बन्ध में संगोष्ठी/वार्ताएं आयोजित करना।

(iv) एग्जिम बैंक में एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया है जोकि बहुपक्षीय एजेंसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का पता लगाएगा जिससे कि भारतीय कम्पनियों के व्यवसाय अंश को बढ़ाया जा सके तथा सफल बिडिंग के लिए गुंजाइश बढ़ाने के लिए डब्ल्यू० बी०/एफ० डी० बी० प्रक्रिया/व्यवहार के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रदान किए जा सकें।

(v) एग्जिम बैंक ने वाशिंगटन और आबिदजन में प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किए हैं।

(vi) भारतीय निर्माण उद्योग की प्रबन्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम।

राज्यों के ओवर ड्राफ्टों से बदले गये ऋणों की अवधि

3650. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों के मामलों से ओवर ड्राफ्टों से बने ऋणों की अवधि को बढ़ाया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इस्पात का आयात

3651. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस तारीख का निर्धारण सम्भव है जिसके पश्चात यदि हमेशा के लिए नहीं तो कुछ समय के लिए इस्पात का आयात बन्द किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) से (ग). इस्पात का आयात, देश में इस्पात की उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है और यह आगामी वर्षों में इस्पात की क्षमता के लिए पूंजी-निवेश के स्तर पर निर्भर करती है। चूंकि आगामी वर्षों में इस्पात की क्षमता के लिए पूंजी-निवेश के संभावित स्तर का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। इसलिए कोई ऐसी विधि निर्धारित करना सम्भव नहीं है जिससे इस्पात का आयात रोका जा सकता है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतनमानों में संशोधन

3652. **श्री एस० कृष्ण कुमार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतनमानों में संशोधन का मानदण्ड क्या है ;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वर्ष 1984-85 के वेतनमानों में न्यूनतम और कितना संशोधन करने की अनुमति दी गई है ;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अनेक संशोधनों में वेतन में वृद्धि कार्य-निष्पादन और उत्पादकता के अनुरूप नहीं है ;

(घ) क्या वेतनमानों में संशोधन के मामले में सरकारी उद्यम ब्यूरो के मार्ग-निदेशों का पूरी तरह पालन किया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार के उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनमें इन मार्गनिदेशों का उल्लघंन किया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में मजूरी परिशोधन के लिए कोई विशिष्ट मानदण्ड निर्धारित तथा प्रशासनिक मंत्रालयों और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सूचित नहीं किया गया है।

(ख) 1984-85 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में मजूरी परिशोधन की अनुगत्य अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिशतता क्रमशः 19.6 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत है।

(ग) मजूरी सम्बन्धी बातचीत कार्य-निष्पादन तथा उत्पादकता के बीच बिना किसी सीधे पारस्परिक सम्बन्ध से तय की जाती हैं।

(घ) सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा मजूरी परिशोधन के समय अनुपालन किए जाने वाले कोई विशिष्ट मार्ग-निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न (ङ) पैदा ही नहीं होता, परन्तु ऐतिहासिक, स्थानिक तथा अन्य कारणों से विभिन्न उपक्रमों के बीच मजूरी समझौते में एकरूपता नहीं हो सकती है।

जिला रत्नागिरि, महाराष्ट्र में एल्यूमिनियम परियोजना

3653. **प्रो० मधु दण्डवते :**

श्री हुसेन दलवाई :

क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के पिछड़े कोंकड़ क्षेत्र के रत्नागिरी जिले में सरकारी क्षेत्र की एल्यूमिनियम परियोजना, महाराष्ट्र सरकार द्वारा परियोजना के लिए आवश्यक मात्रा में बिजली की सप्लाई सुनिश्चित न किये जाने के कारण प्रगति नहीं कर सकी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस परियोजना को एल्यूमिना निर्माण परियोजना में बदलने का निर्णय करने का है, जिसके लिए एल्यूमिनियम निर्माण परियोजना की तुलना में बिजली की कम सप्लाई अपेक्षित होगी ; और

(ग) यदि महाराष्ट्र सरकार एल्यूमिना परियोजना के लिए अपेक्षित बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करती है तो क्या परियोजना को शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाएगा ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). रत्नगिरि परियोजना का कार्यान्वयन आर्थिक महत्व के एक बड़े एल्यूमिना/एल्यूमिनियम संयंत्र को चलाने के लिए अपेक्षित मात्रा और किस्म के बाक्साइट की उपलब्धि पर निर्भर करता है। कोल्हापुर क्षेत्र में बाक्साइट भंडारों के आकलन का काम, खनिज गवेषण निगम लि० द्वारा हाल ही में प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर, इस समय सरकार ने शुरू किया है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लाभ को भारत से बाहर भेजने पर पाबन्दी लगाना

3654. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का लाभ, विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय सिगरेट और होटल कम्पनियों के मामले में, दस प्रतिशत से अधिक होने पर उसे भारत से बाहर विदेशों को भेजने पर पाबन्दी लगाने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का उनके शेयरों को और कम करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकारी नीति के अनुसार, विदेशी पूंजी निवेश के लिए एक बार अनुमोदन दे दिए जाने के बाद, विदेशी निवेशकर्ता द्वारा लाभ और लाभांश की राशियों को (निस्संदेह भारतीय करों की अदायगी किए जाने के पश्चात) विदेशों में प्रेषित किए जाने पर कोई पाबन्दियां नहीं लगाई जातीं।

(ग) और (घ). "फेरा" कम्पनियों में अनिवासी शेयरों को कम करने के मामलों का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है और अधिकतर कम्पनियों ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अन्तर्गत जारी किए गए निर्देशों का पहले से ही पालन कर दिया है। कुछेक कम्पनियों को छोड़कर, अन्य सभी कम्पनियों के मामलों का फैसला अन्तिम रूप से कर दिया गया है। जहां कहीं पर आवश्यक था, विदेशी इक्विटी के स्तरों में यथेष्ट समायोजन भी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

जीवन बीमा निगम के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए नई नगर भत्ता नीति

3655. **श्री हरीश रावत :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की यूनियन और अधिकारियों ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समान दर से नगर भत्ते की अदायगी की नीति को रद्द करके नई नगर भत्ता नीति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें इसकी व्यवहार्यता के बारे में कर्मचारी संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों और कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनधियों के बीच हुई सहमति के अनुसरण में सरकार ने 11 अप्रैल, 1985 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें जीवन बीमा निगम के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन किया गया था। इन मदों में नगर प्रतिपूरक भत्ते की मद भी शामिल थी जिसमें संशोधन करके वृद्धि कर दी गई थी। कतिपय विनिर्दिष्ट शहरों के सम्बन्ध में दी जाने वाली 20 रुपए प्रति महीने की निर्धारित राशि के मुकाबले अब संशोधित दरों में भत्ते की अधिकतम राशि को बढ़ा कर 140 रुपए प्रति माह तक कर दिया गया है।

(ख) और (ग). नगर प्रतिपूरक भत्ते की अदायगी से सम्बन्धित संशोधित नीति में परिवर्तन करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, नगर प्रतिपूरक भत्ते की अदायगी के प्रयोजन से गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे दिल्ली के आस-पास के इलाकों को दिल्ली से जोड़ने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन अवश्य प्राप्त हुए थे, लेकिन इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

भारत-इतालवी संयुक्त उद्यम

3656. **श्री वाई० एस० महाजन :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या और अधिक भारत-इतालवी संयुक्त उद्यमों, संयुक्त रूप से बोलियां देने निमंत्रणों, संयुक्त निविदा भरने और उप-ठेका कार्य करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रबन्धों के अनुसार भारत को व्यापार और विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि के रूप में क्या विशेष लाभ प्राप्त होंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं की शर्तों में प्रायः वस्तुओं के सीधे व्यापार पर और साथ ही परियोजनाओं एवं संयुक्त उद्यमों पर जोर दिया जाता है। जून, 1985 में रोम में गए हुए फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के एक प्रतिनिधिमण्डल द्वारा भारत-इतालवी संयुक्त उद्यमों, संयुक्त रूप से बोली, संयुक्त निविदा भरने और उस ठेके के प्रस्ताव पर बातचीत की गई। परिचर्चित विषयों में एक विषय तृतीय देशों में भारत-इतालवी संयुक्त उद्यम स्थापित करने की सम्भावनाओं से सम्बन्धित था।

(ख) ऐसे प्रस्तावों पर कार्यवाही परस्पर हितों, वस्तुओं के निर्यात के लिए पेशकश गुंजाइश और देश से उपलब्ध सेवाओं के आधार पर की जाती है।

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच औद्योगिक सहयोग

3657. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और दक्षिण कोरिया के बीच औद्योगिक सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दोनों देशों के व्यापार सम्बन्धों को बढ़ाने वाले उपायों में शामिल हैं : कोरिया गणराज्य को मांग बाजार के रूप में अभिज्ञात करना ; निर्यात के लिए आवश्यक वस्तुओं को अभिज्ञात करना ; दोहरे करों का परिहार करने वाले करार पर हस्ताक्षर करना और बैंगकाक करार के अधीन टैरिफ रियायतें।

जेनेवा सम्मेलन में किसी समझौते पर पहुंचने पर "गाट' की असफलता

3658. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौते पर हाल ही में आयोजित जेनेवा सम्मेलन विश्व व्यापार बातचीत के नए दौर में किसी समझौते पर पहुंचने में असफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) भारत ने इस सम्मेलन में क्या रुख अपनाया है ; और

(घ) अमेरिका ने अधिकांश औद्योगिक देशों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए विश्व व्यापार वार्ता का नया दौर शुरू करने के लिए किये जा रहे प्रयासों में किस प्रकार बाधा डाली ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ). 17 तथा 18 जुलाई, 1985 को जेनेवा में हुई गाट परिषद की बैठक में बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के एक संभाव्य नए दौर पर प्रारम्भिक विचार विमर्श करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक करने सम्बन्धी प्रश्न पर बातचीत हुई। भारत के साथ साथ कुछ अन्य विकासशील देशों ने यह बात महसूस की कि गाट में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में केवल माल के व्यापार पर वार्ताओं सम्बन्धी मुद्दों पर ही विचार विमर्श होना चाहिए। दूसरी ओर, प्रमुख विकसित देश यह नहीं चाहते थे कि इस बैठक के प्राचल पारिभाषित किए जाएं क्योंकि उनकी धारणा है कि वार्ताओं में अन्य बातों के साथ साथ सेवा-क्षेत्र भी कवर किया जाए यद्यपि यह गाट की क्षेत्राधिकार संबंधी योग्यता से बाहर है। अतः वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक करने पर कोई भी करार नहीं हो सका।

पश्चिम बंगाल के अधिग्रहण किए गए एककों के अधिग्रहण पूर्व दायित्व

3659. **श्री नारायण चौबे :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल के अधिग्रहण किये गये एककों के अधिग्रहण पूर्व के दायित्वों का भुगतान करने अथवा उनका वहन करने का विचार है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के रुग्ण अथवा बन्द हुए औद्योगिक एककों को पुनः चालू करने के

लिए भारतीय रिजर्व बैंक अथवा दूसरे बैंकों और वित्तीय संस्थानों से आसान और अधिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा भाड़ा समीकरण नीति समाप्त की जायेगी और/अथवा राष्ट्रीय महत्व के कच्चे माल की ढुलाई के लिए कुछ रियायतें दी जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन हाथ में लिए गए औद्योगिक एककों का राष्ट्रीयकरण किये जाने की सूरत में, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अधिग्रहण से पूर्व की ब्याज सहित समस्त बकाया रकमों की सम्पूर्ण सुरक्षा उस एकक का राष्ट्रीयकरण करने वाली सरकार द्वारा प्रदान की जानी होती है। यह नीति केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक एककों का राष्ट्रीयकरण किये जाने वाले सभी मामलों पर समान रूप से लागू होती है।

(ख) सरकार की नीति के अनुसार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से रुग्ण औद्योगिक एककों की अर्थक्षमता का अध्ययन करने और उनमें से सम्भावित अर्थक्षम एककों का वित्त पोषण करने की अपेक्षा की जाती है। अर्थक्षम रुग्ण एककों के मामलों में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उपयुक्त पुनरूद्धार कार्यक्रम तैयार करने की भी अपेक्षा की जाती है, जिनमें आवश्यकता पर आधारित ऋणों की सुविधाओं का दिया जाना और ब्याज की कम दर, कम मार्जिन, अतिदेय ब्याज का निधीकरण और पहले की बकाया रकमों के परिशोधन कार्यक्रम का पुनर्निधारण आदि शामिल हो सकते हैं। ये सुविधाएं और रियायतें अलग अलग मामलों में, गुण दोषों के आधार पर निर्भर करती हैं : पश्चिम बंगाल राज्य के अर्थक्षम रुग्ण औद्योगिक एकक भी जिनका पुनरूद्धार करने के लिए अधिग्रहण किया जाना हो, ऐसी सहायता प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें अलग-अलग मामले में गुण-दोषों के आधार पर ऐसी रियायतें दी जा सकती हैं।

(ग) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (पाण्डे समिति) द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि सीमेंट और इस्पात जैसी वस्तुओं के सम्बन्ध में वर्तमान भाड़ा समीकरण प्रणाली को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाए बशर्ते कि दूरस्थ, कठिन तथा अलग-अलग क्षेत्रों के लिए परिवहन के मामले में आर्थिक सहायता दी जाए।

महाराष्ट्र को कोयले की सप्लाई

3660. **श्री अनूपचन्द शाह** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1984-85 के दौरान महाराष्ट्र को विशेष रूप से ग्रेटर बम्बई को कोयले की कुल कितनी मात्रा आबंटित की गई है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : केन्द्रीय सरकार के द्वारा साफ्ट कोक की आपूर्ति को छोड़कर किसी भी राज्य को कोई अन्य आवंटन नहीं किया जाता है। कोयले की आपूर्ति रेल एवं सड़क दोनों ही मार्गों से की जाती है। रेल द्वारा कोयले की ढुलाई उस ऊपरी सीमा के भीतर ही की जाती है जो रेलवे विभिन्न प्रायोजन प्राधिकारियों के लिए निर्धारित करती हैं। रेलवे द्वारा निर्धारित ऊपरी सीमा के अतिरिक्त कोल इण्डिया लिमिटेड प्रायोजन प्राधिकारियों को सड़क द्वारा ढुलाई के लिए उस अतिरिक्त मात्रा की सिफारिश करने की अनुमति दे रहा है जो निर्धारित ऊपरी सीमा के अन्तर्गत रेल ढुलाई से सम्भव न हो।

वर्ष 1984-85 के दौरान महाराष्ट्र राज्य को कुल 106.61 लाख टन कोयला/कोक भेजा गया। केवल वृहत्तर बम्बई के लिए कोयला प्रेषण के आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

सीमेंट पर से उत्पाद-शुल्क समाप्त करना

3661. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग ने सरकार से सीमेंट पर से उत्पाद-शुल्क पूरी तरह समाप्त करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). सीमेंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ने सरकार को एक अभ्यावेदन दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सातवीं योजना की अवधि के दौरान उत्पादन शुरू करने वाले सीमेंट एककों को 10 वर्षों की प्रारम्भिक अवधि के लिए उत्पादन शुल्क से पूर्ण छूट दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

(ग) एसोसिएशन के अभ्यावेदन को औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को भेज दिया गया है। एसोसिएशन द्वारा अपने अभ्यावेदन में उठाये गए विभिन्न मुद्दों, जिनमें उत्पादन शुल्क से छूट सम्बन्धी अनुरोध भी शामिल है, की ब्यूरो जांच कर रहा है।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने में बैंकों का कार्य निष्पादन

3662. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिकता वाले क्षेत्र को तथा कृषि के लिए एवं कमजोर वर्गों को ऋण देने में बैंकों के कार्य निष्पादन में सुधार करने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रणाली अपनाई गई है तथा बैंकों को क्या मार्गनिर्देश दिए गए हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र, प्रत्यक्ष कृषि वित्त और कमजोर वर्गों को ऋण देने के सम्बन्ध में मानदण्ड निर्धारित किए हैं। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों की राशि 1969 में (अर्थात राष्ट्रीयकरण के समय) 441 करोड़ रुपये थी, जो मार्च, 1985 के अन्त में बढ़कर 17981 करोड़ रुपए हो गई। यह राशि 1969 में कुल बैंक ऋण के 14.6 प्रतिशत के मुकाबले अब 41.3 प्रतिशत बैठती है। मार्च, 1985 के अन्त में, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र और उप क्षेत्रों को ऋण देने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्य-निष्पादन नीचे दिया गया है :

	(करोड़ रुपए)
(i) बकाया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	17971.14
अग्रिम/कुल ऋणों का प्रतिशत	41.3
(ii) बकाया प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम	6161.72
कुल ऋणों का प्रतिशत	14.2
(iii) कमजोर वर्गों के नाम बकाया अग्रिम	4072.19
कुल ऋणों का प्रतिशत	9.4

20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में बैंकों की भूमिका के सम्बन्ध में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों के लिए निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कहा है :

(i) बैंकों को मार्च, 1985 के अन्त तक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों का प्रतिशत स्तर कुल ऋणों के 40 प्रतिशत तक प्राप्त कर लेना चाहिए (जो प्राप्त कर लिया गया है)।

(ii) बैंकों को मार्च, 1985 तक प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों को दिए जाने वाले ऋणों का स्तर कुल ऋण को 15 प्रतिशत तक प्राप्त कर लेना चाहिए जिसे मार्च, 1987 तक 16 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहिए।

(iii) मार्च, 1985 तक कमजोर वर्गों को कुल अग्रिमों का 10 प्रतिशत दिया जाना चाहिए।

कोयले के भण्डारों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

3663. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 और 1985 (जुलाई तक) में कोयले के भण्डारों का पता लगाने के लिए किन-किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया ;

(ख) क्या नए क्षेत्रों में कोयला पाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो वहां कोयले का अनुमानित भण्डार कितना है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के फील्ड सीजन में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने विभिन्न राज्यों में 21 कोयला क्षेत्रों ने मानचित्रण और ड्रिलिंग कार्य करके प्रादेशिक समन्वेषण कार्य किया। इन राज्यों के नाम हैं—आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल।

(ख) से (घ). जिन नए क्षेत्रों में कोयला पाया गया वे हैं—पश्चिम बंगाल का बीरभूम जिला और उड़ीसा का इब नदी कोयला क्षेत्र। कोयले के अनुमानित भण्डार नीचे दिए गए हैं :

बीरभूम जिला (पश्चिम बंगाल)

दीवानगंज हरिनाइंघा क्षेत्र	—26.05 मिलियन टन
खागरा, जयदेव, केन्दुली क्षेत्र	—13.80 मिलियन टन
देओचा, पचामी, धोलखाटा क्षेत्र	—31.71 मिलियन टन

उड़ीसा

इब नदी कोयला क्षेत्र में हिंगिर बेसिन	—1629.61 मिलियन टन
जोड़ :	1701.17

राउरकेला इस्पात संयंत्र में विद्युत संकट

3664. **श्री राधाकान्त डिगाल :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र गम्भीर विद्युत संकट का सामना करता रहा है ;

(ख) राउरकेला इस्पात संयंत्र के रक्षित विद्युत संयंत्र की विद्युत उत्पादन की वर्तमान दर क्या है ;

(ग) उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा (गत तीन महीनों के दौरान) प्रति माह कुल कितने मेगा-वाट बिजली की सप्लाई की गई ; और

(घ) राउरकेला इस्पात संयंत्र की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) राउरकेला इस्पात कारखाने के गृहीत विद्युत संयंत्र की बिजली उत्पादन की वर्तमान क्षमता 58 मेगावाट (औसतन) है ।

(ग) पिछले छः महीनों के दौरान उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अपनी बिजली उत्पादन की क्षमता में से राउरकेला इस्पात कारखाने को की गई औसतन सप्लाई की स्थिति नीचे दी गई है :

महीना	वास्तविक सप्लाई (मेगावाट)
फरवरी, 1985	9.9
मार्च, 1985	6.9
अप्रैल, 1985	11.4
मई, 1985	28.0
जून, 1985	23.0
जुलाई, 1985	15.5

(घ) आन्ध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड से बिजली की सप्लाई प्राप्त करके इस संयंत्र को सहायता प्रदान की गयी है । उड़ीसा ग्रिड भी मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड से बिजली की सप्लाई प्राप्त कर रहा है । इस्पात कारखाने में गृहीत बिजली उत्पादन की क्षमता को अधिकाधिक किया गया है । दीर्घावधि आधार पर, इस्पात कारखाने में 60-60 मेगावाट के 2 गृहीत विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जा रही है और इसकी पहली इकाई को मार्च, 1986 तक चालू करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

भारतीय इंजीनियरी वस्तुओं का मूल्य अधिक होना

3665. **श्री ए० जे० वी० वी० महेश्वर राव :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इंजीनियरी वस्तुएं, निर्माण लागत अधिक होने के कारण प्रतिस्पर्धात्मक नहीं हैं ;

(ख) निर्माण लागत अधिक होने के क्या कारण हैं विशेषकर जबकि भारत में श्रम सस्ता है और भारत में कच्चे माल की भी किसी तरह की कमी नहीं है ;

(ग) क्या भारतीय इंजीनियरी वस्तुओं के मंहगा होने का एक कारण अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में भारतीय रुपये की क्रम शक्ति कम होना है ; और

(घ) इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ भारतीय इंजीनियरी माल मुख्य रूप से अन्तर्निविष्ट साधनों की उच्च लागतों, अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की अपर्याप्तता तथा उत्पादन के अनार्थिक स्तर के कारण अप्रतियोगी हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सरकार ने इंजीनियरी माल के निर्यात को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ साथ शामिल हैं, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिपूर्ति योजना को जारी रखना तथा मजबूत करना, निर्यात उत्पादन के लिए आयातों का उदारीकरण, निर्यातों के लिए संयुक्त सौदे तथा कुछ देशों को उधार की व्यवस्था।

[हिन्दी]

दिल्ली की धनाढ्य बस्तियों में मकानों के क्रय-विक्रय में काले धन का प्रयोग

3666. **श्री जितेन्द्र सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली की सफदरजंग एन्कलेव, पंचशील पार्क, ग्रेटर कैलाश, नेहरू प्लेस, जोरबाग, साउथ एक्सटेंशन भाग-II, न्यू फ्रैन्डस कालोनी, ग्रीन पार्क, हौजखास आदि जैसी धनाढ्य बस्तियों में मकानों के क्रय-विक्रय के रूप में काले धन का जम कर प्रयोग हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे सब मकानों के क्रय-विक्रय के बारे में सर्वेक्षण करने का है तथा पंजीकरण कार्यालय से आंकड़े एकत्र करके इनकी बाजार मूल्यों के साथ तुलना करके पता लगाया जाएगा कि क्रय तथा विक्रय आदि के सौदे कैसे हुए अथवा पावर आफ अटार्नी पर मूल मालिकों के स्थान पर इन मकानों में कौन रह रहा है ; और

(ग) क्या ऐसे काले धन का पता लगाने के लिए एक विशेष सेल स्थापित किया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). ऐसा कोई विशिष्ट मामला ध्यान में नहीं आया है। सर्वेक्षण एक सतत प्रक्रिया है और दीर्घकालीन कार्य योजना के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

लौह अयस्क के मूल्यों में वृद्धि

3667. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1951, 1961 और 1971, 1981 में लोहे का प्रति टन थोक मूल्य क्या था और वर्तमान मूल्य क्या है ;

(ख) इसके मूल्य में तीव्र वृद्धि होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या लोहे के मूल्यों का देश के बाजार पर प्रभाव नहीं पड़ा है ;

(घ) क्या केवल उसके मूल्य नियन्त्रित करके ही उसका बाजार स्थिर बनाया जा सकता है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों द्वारा फाउन्ड्री में इस्तेमाल के लिए उत्पादित कच्चे लोहे (एल० एम०-4) के रेलवे-स्टेशन पर्यन्त मूल्य इस प्रकार रहे हैं :

तिथि	मूल्य (रुपए/टन)
20-8-65	279
1-4-71	438
1-4-81	1425
21-2-85 से	2690

कच्चे लोहे के मूल्यों पर सांविधिक नियन्त्रण अगस्त 1985 में उठा लिया गया था। इससे पहले की अवधि के मूल्यों के बारे में पता लगाया जा रहा है।

(ख) कच्चे लोहे के मूल्यों में वृद्धि, कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि होने, बिजली, मंजूरी और अन्य आदनों की दरों में वृद्धि होने, बढ़े हुए शुल्कों और संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा लगाए गए प्रभारों से उत्पादन की लागत बढ़ जाने के कारण हुई है।

(ग) से (ङ). कच्चे लोहे के बाजार के स्थिरीकरण के लिए मूल्य के अलावा पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर उपलब्धि होना महत्वपूर्ण है। पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि समय पर सुनिश्चित करने के लिए सतत रूप से प्रयास किए जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए, यदि आवश्यक होता है, देशीय उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए कच्चे लोहे के आयात की भी व्यवस्था की जाती है।

बिहार में बाक्साइट और कोयले का अवैध खनन

3668. **श्रीमती सुमलि उरांव** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बिहार में लोहारडागा, गुमला और पालामऊ जिलों में बाक्साइट खानों में खनन कार्य कर रही गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा सरकार के साथ हुए समझौते में निर्धारित मात्रा से अधिक बाक्साइट अवैध रूप से निकाला जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि बिहार के पालामऊ जिले में चंदवासंद बालूमठ खण्डों में करोड़ों रुपये का कोयला अवैध रूप से निकाला जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की संरचना में परिवर्तन

3669. **श्री पी० चिदम्बरम :**

श्री सोमनाथ रथ :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री तथा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा अन्य ऐसे कार्यक्रमों की वर्तमान संरचना से अपनी असन्तुष्टि व्यक्त की है ;

(ख) क्या कार्यक्रमों में पुनर्संरचना करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). प्रधान मंत्री ने यह महसूस किया है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीब से गरीब हिताधिकारियों को पर्याप्त लाभ पहुंचाने में सफल नहीं हो सका है। यद्यपि ऐसे हिताधिकारी जो बहुत गरीब नहीं थे, गरीबी की रेखा पार कर गए हैं लेकिन इनमें सबसे गरीब एक बार की सहायता से गरीबी की रेखा पार नहीं कर सके। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने समन्वित ग्रामीण विकास बैंक को समर्थन प्रदान करने में बैंकों की भूमिका की सराहना करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रम (नाबार्ड) द्वारा किए गए अध्ययन में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कुछ कमियों का जिक्र किया। कार्यक्रम की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और उसमें आवश्यकतानुसार उपयुक्त परिवर्तन भी किए जाते हैं। सातवीं आयोजना अवधि के दौरान उन हिताधिकारियों को जो पहले दी गई सहायता से गरीबी की रेखा पार नहीं कर सके आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा की शर्त के साथ दूसरी बार वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है।

रुपये की कीमत में गिरावट आने के परिणामस्वरूप बचत के मूल्य में कमी

3670. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य भविष्य निधि, अंशदायी भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि कोयला खान भविष्य निधि आदि जैसी विभिन्न भविष्य निधियों पर ब्याज की दरें क्या हैं ;

(ख) क्या रुपये की कीमत में गिरावट आने के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की बचत का सही मूल्य घट गया है ; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है कि उनकी बचतें सही अर्थों में कम न हो ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न भविष्य निधियों पर ब्याज की दरें निम्नानुसार हैं :

सामान्य भविष्य निधि/ अंशदायी भविष्य निधि	कर्मचारी भविष्य निधि	कोयला खान भविष्य निधि	लोक भविष्य निधि
10.50 प्रतिशत	10.15 प्रतिशत	10.50 प्रतिशत	10.00 प्रतिशत

(ख) और (ग). बचतों के सही मूल्य को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न भविष्य निधियों पर ब्याज की दरें समय-समय पर बढ़ाई हैं। सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए व्यापक रूप में कई कदम भी उठाए हैं। इन उपायों पर मुख्य रूप से बल दिया जा रहा है ताकि प्रभावी मांग और आपूर्ति प्रबन्ध, जिसमें राजकोषीय अनुशासन लागू करना शामिल है, और प्रणाली में कुल नकदी को नियंत्रण में रखा जा सके।

नेवेली लिग्नाइट निगम में ताप विद्युत केन्द्र के लिए ठेका देना

3671. **श्री एस० एस० रामास्वामी वडयाच्ची :** क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेवेली लिग्नाइट निगम के ताप विद्युत केन्द्र के प्रथम चरण को शुरू होने में हंगरी की एक कम्पनी, जो पश्चिम जर्मनी की एक कम्पनी की गारंटियों तथा जिम्मेवारियों के अधीन एक जर्मन कम्पनी की लाइसेंस धारी कम्पनी है, को दिए गए बायलर के ठेके को कार्य रूप देने में हुए विलम्ब के कारण, बिलम्ब हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नेवेली लिग्नाइट निगम अब इसी पश्चिम जर्मन कम्पनी को ताप विद्युत केन्द्र के द्वितीय चरण का ठेका देने पर विचार कर रही है जिसके लिए बायलर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाया जाना है ; और

(ग) यदि हां, तो इसी कम्पनी को ठेका देने के क्या कारण हैं जबकि अभी तक पहला ही चरण आरम्भ नहीं हो पाया है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि० को, पश्चिम जर्मनी की स्टीम जनरेटरों के लिए डिजाइन इंजीनियरिंग सहायता से, ताप बिजली घर-II (घरण-II) के बड़े-बड़े कलपुर्जों के निर्माण का मिलिंग और फायरिंग संयंत्रों के आयात का दायित्व सौंपा गया है। इस काम के आयात भाग के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि० ने पश्चिम जर्मनी की वित्तीय सहायता देने वाली एजेंसी अर्थात के० एफ० डब्लू० द्वारा अनुमोदित तीन पश्चिम जर्मन फर्मों से बोलियां आमंत्रित की थीं। यह पश्चिम जर्मन फर्म ताप बिजली घर चरण-I के लिए हंगरी के ठेकेदार की लाइसेंसर थी और अब उन तीन फर्मों में से एक है जिनकी बोली का भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स मूल्यांकन कर रहा है। इस काम में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन और इस उद्देश्य के लिए नियुक्त रिटेनर परामर्शदात्रा भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि० की सहायता कर रहे हैं। अन्तिम निर्णय करते समय इस सम्बन्ध में सभी संगत तथ्यों और कारकों को ध्यान में रखा जाएगा।

कताई मिलें

3672. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी :** क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कताई मिलों की क्या संख्या है जिन्हें आशय पत्र दिए जा चुके हैं परन्तु अभी तक निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हो पाया है ; उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के नन्दयाल में एक सहकारी कताई मिल शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए शुरू करने हेतु आशय पत्र दिया गया है ; और

(ग) कताई मिलों के शीघ्र अतिशीघ्र निर्माण में सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) इस समय कताई मिलों के लिए 30 आशय-पत्र वैध हैं किन्तु उनकी संरचना की सीमा सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि ऐसी जानकारी पार्टियों द्वारा सी० ओ० बी० लाइसेंस हेतु आवेदन के समय दी जाती है।

(ख) एक आशय-पत्र मैसर्स नन्दयाल को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि० को आन्ध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में नन्दयाल में एक नया उपक्रम स्थापित करने के लिए दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम राज्य सरकारों को सहकारी स्पिनिंग मिलों की शेयर पूंजी में अंशदान हेतु सहायता प्रदान करता है।

बैंक नोटों के कागज का आयात

3673. **श्री रामेश्वर नीखरा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारी मात्रा में बैंक नोटों के कागज का आयात किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के दौरान कितने मीटरी टन कागज का आयात किया गया और वर्ष के शेष भाग में और कितनी मात्रा का आयात किए जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). जी हां। सरकार ने 1984-85 में बैंक नोटों के 1,750 मीटरी टन कागज का आयात किया था और 1985-86 में इस प्रकार के 5,500 मीटरी टन कागज का आयात करने के लिए संविदा किया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर

3674. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक के सभी राष्ट्रीयकृत सहयोगी बैंकों जैसे, स्टेट बैंक आफ पटियाला, स्टेट बैंक आफ मैसूर, स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर आदि के कर्मचारियों को पदोन्नति के बहुत कम अवसर उपलब्ध है जिसके परिणामस्वरूप उनमें असन्तोष फैल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं तथा यदि नहीं तो इस बारे में वास्तविक स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि अनुषंगी बैंकों में कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए अनेक स्तरों पर पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं। बैंक ने यह भी बताया है कि इस कारण अनुषंगी बैंकों के कर्मचारियों के बीच व्याप्त असंतोष के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[अनुवाद]

चपड़ा तथा लाख दाना का निर्यात

3675. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से नियमित रूप से चपड़ा तथा लाख दाने की खरीद करने वाले पांच विदेशी देशों को 1984-85 में किए गए उनके निर्यात का ब्यौरा क्या है ?

(ख) वर्ष 1983-84 में किए गए निर्यात की तुलना में यह कितना है ; और

(ग) क्या सरकार का आने वाले वर्षो में चपड़ा तथा लाख दानें के निर्यात में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार ने निर्यातों के लिए लाख के उत्पादन तथा पूर्ति में वृद्धि करने के लिए उपाय किए हैं। इन उपायों में प्रचार अभियान और कृषकों को बूडलाख का वितरण शामिल है।

विवरण

1984-85 के दौरान पांच नियमित विदेशी क्रेता देशों को भारत के चपड़ा तथा लाखदाने के निर्यात और 1983-84 के दौरान तुलनात्मक निर्यात निम्नलिखित थे :

(मात्रा मै० टन में)
(मूल्य : करोड़ रु० में)

	1984-85 (अनुमान)				1983-84 (अनुमान)			
	चपड़ा		लाखदाना		चपड़ा		लाखदाना	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ब्रिटेन	275	1.47	10	0.08	379	0.86	6	0.01
सं० रा० अमरीका	1606	8.91	122	0.50	695	1.69	117	0.26
पश्चिम जर्मनी	779	3.90	161	0.61	620	1.40	508	1.09
सोवियत संघ	100	0.57	—	—	743	1.77	—	—
अरब का मिस्र गणराज्य	269	2.00	—	—	573	1.22	—	—
योग :	3029	16.85	293	1.19	3010	6.94	631	1.36

उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

3676. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस-किस राष्ट्रीयकृत बैंक की जिला-वार कितनी शाखाएं हैं और निकट भविष्य में उनकी कितनी शाखाएं खोली जानी है ; और

(ख) उनके मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उड़ीसा में शाखाएं खोला जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्ययाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) मार्च 1985 के अन्त की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में कार्यरत बैंक कार्यालयों और राज्य में शाखा खोलने के लिए बैंकों के पास लम्बित लाइसेंसों का ब्यौरा इस प्रकार है :

	कार्यालयों की संख्या	लम्बित पड़े लाइसेंसों की संख्या
1. भारतीय स्टेट बैंक	345	12
2. भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक	2	1
3. राष्ट्रीयकृत बैंक	582	37
4. गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक	3	—
5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	716	74
	1648	124

जिलावार और बैंकवार विवरण (पृ० 95—97) संलग्न है।

(ख) बैंकों को, लम्बित पड़े लाइसेंसों/प्राधिकार पत्रों के आधार पर शाखाएं खोलने के लिए 30-9-1985 तक का समय दिया गया है। आवंटित केन्द्रों पर बैंकों द्वारा अविलम्ब शाखाएं खोले जाने को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के एक कृतिक बल का गठन किया है।

सिंडिकेट बैंक प्रबन्धक मण्डल द्वारा डोंगली गांव के बजाय मेनूर में बैंक की एक नई शाखा खोलना

3677. **श्री टी० बाला गौड़** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंडीकेट बैंक को आन्ध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले के मदनूर खण्ड में डोंगली गांव में बैंक की एक नई शाखा खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस/मंजूरी दी गई थी ;

(ख) क्या सिंडीकेट बैंक प्रबन्ध मण्डल ने डोंगली गांव में अपनी शाखा खोलने की अपनी मूल योजना में बाद में परिवर्तन करके उस स्थान की बजाय उसी जिले के मेनूर गांव में अपनी शाखा खोली है ;

(ग) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक डोंगली की बजाय मेनूर में बैंक की शाखा खोले जाने पर किन परिस्थितियों में और कैसे सहमत हुआ है ; और

(घ) सिंडीकेट बैंक प्रबन्ध मण्डल द्वारा अपनी मूल योजना में परिवर्तन किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के एक कृतिक

विवरण

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उड़ीसा में जिलावार खोले गए कार्यालय (31-3-1985 तक)

बैंक/बैंक समूह	बाला-सौर	बोलन-गीर	कटक	धेनकनाल	गंजम	काला हाण्डी	केयोन-झार	कोरा-पुर	मयूर-भंज	फूल-बनी	पुरी	संबल-पुर	सुंदर-गढ़	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
भारतीय स्टेट बैंक	22	19(2)	41(2)	21(1)	35(1)	25	8(1)	33	15	29(2)	33	27(1)	40(2)	345(12)
भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक														
1. स्टेट बैंक बीकानेर व जयपुर	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 (—)
2. स्टेट बैंक हैदराबाद	—	—	—	—	—(1)	—	—	—	—	—	1	—	—	1(1)
राष्ट्रीयकृत बैंक														
1. इलाहाबाद बैंक	4	1	14	—	2	—	1	2	—	1	6	2	1 (1)	34(1)
2. आन्ध्रा बैंक	—	1	7(1)	2	22(1)	—	—	2	—	—	10	4	1	49(2)
3. बैंक आफ बड़ौदा	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	7
4. बैंक आफ इंडिया	7	—(1)	6(2)	—	7	4	17(2)	1(1)	21(1)	—	3	1	5	72(2)
5. बैंक आफ महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. केनरा बैंक	—	—	6	3	4(1)	—	—	—	1(2)	—	4(1)	1	2	21(4)
7. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	2 (1)	1	7(3)	—	2	1	—(2)	—	—(1)	—	4(1)	5(1)	3	25(9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8. कारपोरेशन बैंक	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
9. देना बैंक	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
10. इंडियन बैंक	—	—	10(2)	—	9	—	—	2	—	2(1)	2	1	1	27(3)
11. इंडियन ओवरसीज बैंक	5	1	4(1)	4	10	4	—	13	—	—	9(1)	1	4	55(2)
12. न्यू बैंक आफ इंडिया	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	4	—	—	8
13. ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
14. पंजाब एंड सिंध बैंक	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
15. पंजाब नेशनल बैंक	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	3	2	13
16. सिंडीकेट बैंक	1	—	8	—	5	—	—	—	1	—	3	1	1	20
17. यूनियन बैंक आफ इंडिया	1	—	6	2	2	—	2	2	—	—	3	5	2	25
18. यूनाईटिड बैंक आफ इंडिया	10(2)	—	22(3)	4	8	—	1(1)	1(1)	9	—	8	2	10	75(7)
19. यूनाईटिड कमर्शियल बैंक	26	1	31	27	6	2	2	—	—	6(2)	21	9	8	139(2)
20. विजय बैंक	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	5
योग	60(3)	5(1)	131(12)	44	80(2)	11	25(5)	23(2)	32(4)	9(3)	85(3)	35(1)	42(1)	582(37)
I, II, III का योग	82(3)	21(3)	173(14)	65(1)	115(4)	36	33(6)	56(2)	47(4)	38(5)	120(3)	62(2)	82(3)	930(50)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक														
	56(5)	62(5)	119(7)	33(11)	67(4)	49(8)	31(6)	86(—)	45(9)	4(1)	82(16)	67(2)	15	716(74)
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक														
	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3
कुल योग	138(8)	83(8)	294(21)	98(12)	182(8)	85(8)	64(12)	142(2)	92(13)	42(6)	202(19)	129(4)	97(3)	1648 (124)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ों से, बैंकों के पास आज की तारीख तक लम्बित पड़े लाइसेंसों का पता चलता है।

बल का गठन किया है। इस कृतिक बल को अन्य कार्यों के साथ-साथ बैंकों को आवंटित किए गए उन केन्द्रों के स्थान पर जहां वे आधारभूत सुविधाओं, सम्भावनाओं आदि की अनुपलब्धता के कारण कार्यालय नहीं खोल सके, अन्य उचित केन्द्रों पर कार्यालय खोलने के अनुरोध पर विचार करने का काम सौंपा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद में गठित कृतिक बल ने डोंगली केन्द्र के स्थान पर मेनूर नामक एक अन्य बैंक रहित केन्द्र पर कार्यालय खोलने के सिंडीकेट बैंक के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया था। बैंक ने दिनांक 29 मार्च, 1985 को मेनूर में अपना कार्यालय खोल दिया है।

दिल्ली हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के कर्मचारियों से सोना पकड़ा जाना

3678. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क प्रवर्तन कर्मचारियों ने 14 जुलाई, 1985 की रात को एयर इंडिया के दो कर्मचारियों को पकड़ा था और उनसे 3 किलोग्राम सोना बरामद किया था ;

(ख) यदि हां, तो पकड़े गए एयर इंडिया कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनके तथा प्रतिबन्धित वस्तुओं की तस्करी में लगे अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). दिल्ली हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारियों ने दिनांक 14/15 जुलाई, 1985 को एयर इण्डिया के दया राम नाम के एक कर्मचारी को मार्ग में रोका। इस व्यक्ति ने हांगकांग/बैंकाक से आई उड़ान सं० ए० आई०-301 में सफाई-कार्य किया था। संदेह होने पर, जब उसकी जामा-तलाशी ली गई तो 3.92 लाख रुपए मूल्य (बाजार मूल्य) के कुल लगभग 1866 ग्राम वजन के सोने के 16 बिस्कुट बरामद किए गए और उन्हें सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन अभिगृहीत कर लिया गया। जांच-पड़ताल से यह पता चला कि श्री दयाराम को यह सोना श्री राम दास चौहान ने दिया था। श्री राम दास चौहान भी एयर इण्डिया का मुलाजिम है और वह उड़ान संख्या ए० आई०-301 के जरिए बैंकाक से आया था।

(ग) सर्वश्री दया राम और राम दास चौहान को सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया था और न्यायालय में उनके खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उचित मामलों में तस्करी के सोने को जब्त करने तथा तस्करी में ग्रस्त होने के कारण व्यक्तियों पर वैयक्तिक अर्थदण्ड लगाने सम्बन्धी विभागीय कार्यवाही किए जाने के अलावा, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन निवारक नजरबन्दी भी की जाती है।

दार्जिलिंग, पश्चिमी बंगाल में कोयला, सीसा और जस्त का उपयोग

3679. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कोयला भण्डारों के उपयोग तथा सीसा और जस्ता निकालने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) दार्जिलिंग जिले में कोयला, सीसा और जस्त के वर्तमान अनुमानित भण्डार कितने हैं ; और

(घ) उक्त प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख). पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने बाद, खान और खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 5 (2) (क) के अधीन वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेंट ऐंड ट्रेडिंग कारपोरेशन लि० के पक्ष में पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के वागडाकोटे और वालिंगकोटे क्षेत्रों के छिट-पुट अलग-अलग स्थानों में 12.58 वर्ग कि० मी० के क्षेत्र में दो वर्ष की अवधि के लिए कोयले के दोहन के लिए खनन पट्टे की केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति फरवरी, 1985 में सूचित कर दी गई थी। परन्तु, दार्जिलिंग जिले में सीसा और जस्ता के दोहन के लिए पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ). भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट (सितम्बर, 1984) के अनुसार, दार्जिलिंग क्षेत्र में 15 मिलियम टन कोयले का भण्डार है। खनिज समन्वेषण निगम ने गोरूबाथन के धातु निक्षेप के मल्खोला ब्लाक (दार्जिलिंग जिला) में सीसा/जस्ता अयस्क के भण्डारों का अनुमान लगाया है कि यहां 7% धातु अंश वाले लगभग एक मिलियन टन के भण्डार हैं।

विश्व के शीर्ष बैंकों की सूची में भारतीय बैंकों का नीचे आ जाना

3680. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि लन्दन की प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका "दि बैंकर" विश्व के शीर्ष बैंकों का स्तर निधारित करने के लिए उनके कार्य-निष्पादन को विचार में लेती है ;

(ख) क्या प्रमुख भारतीय बैंक के स्तर में अपने पिछले स्थान की तुलना में पिछले वर्ष नीचे आ गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन से भारतीय बैंक अपने स्थान से नीचे आये हैं और किस स्थान पर आए हैं ; और

(घ) बैंकों के कार्य-निष्पादन को सुधारने हेतु यदि कोई कार्यवाही की गई हो, उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ). "दि बैंकर्स" नामक पत्रिका द्वारा अपने जुलाई, 1985 के संस्करण में विश्व के 500 शीर्षस्थ बैंकों का जो क्रम रखा गया है वह बैंकों की परिसम्पत्तियों के डालरों के मूल्य के अनुसार आंका गया है। इसलिए, रुपया/डालर विनियम दरों में किसी उतार-चढ़ाव का बैंकों के इस क्रम पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

वर्ष 1984 में कुछ भारतीय बैंकों के सम्बन्ध में डालरों के रूप में आंकी गई परिसम्पत्तियों के मूल्य में वर्ष 1983 की तुलना में जो गिरावट आई है वह "दि बैंकर्स" द्वारा अपने जुलाई, 1985 के संस्करण में इन बैंकों के स्थान के नीचे आ जाने का एक कारण है। वर्ष 1983 और 1984 में भारतीय बैंकों के स्थान/क्रम का ब्यौरा इस प्रकार है :

बैंक का नाम	"दि बैंकर्स" में स्थान	
	1983	1984
भारतीय स्टेट बैंक	79	84
बैंक आफ इण्डिया	303	309
बैंक आफ बड़ौदा	293	325

केनरा बैंक	363	380
सिंडीकेट बैंक	442	444
यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	402	484

छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना में विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश

3681. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विदेशों में रह रहे, विशेषतया खाड़ी के देशों में, भारतीय भारत में पूंजी-निवेश करने में अत्यधिक रुचि रखते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विदेशों में रह रहे भारतीयों से छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए पूंजी निवेश आकर्षित करने हेतु लाइसेंस देने की नीति को उदार बनाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). विद्युत चाप भट्टियों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस नीति को उदार बनाने का प्रस्ताव है । संशोधित नीति की घोषणा शीघ्र किए जाने की सम्भावना है ।

अफगानिस्तान को निर्यात करने के लिए वस्तुएं

3682. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अफगानिस्तान का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया था और उसने भारतीय प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है, जिनका अफगानिस्तान को निर्यात करने का निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या पुनः परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कोई विचार-विमर्श हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किए गए समझौते सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां, अफगानिस्तान का एक प्रतिनिधि मंडल 16 से 19 जुलाई, 1985 में भारत आया ।

(ख) से (घ). दोनों पक्षों ने और अधिक सन्तुलित ढंग से दोनों देशों के बीच व्यापार को उन्नत करने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर विचार प्रकट किया, अफगान पक्ष ने विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों के माध्यम से, प्रतिस्पर्धात्मकता के अध्यधीन, भारत से माल की अपनी खरीददारियों में बढ़ोत्तरी करने की भी सहमति व्यक्त की । इसके अतिरिक्त परम्परागत मदों जैसे चायं तथा वस्त्र । अन्य मदों जैसे वाहन तथा अतिरिक्त पुर्जों, सिगरेट, औषधियां, साबुन, टायर तथा ट्यूबों, रसायन तथा भेषजीय पदार्थ के लिए निर्यात की सम्भाव्यता की । दोनों पक्षों ने वर्तमान मार्गों के अलावा उड़ीसा के जरिए स्थलीय मार्ग के प्रयोग की सम्भावना पर सन्तोष प्रकट किया और इस पर आगे कार्रवाई करने के लिए सहमति प्रकट की ।

संघीय जर्मन गणतंत्र से आर्थिक विकास में सहयोग

3683. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघीय जर्मन गणतन्त्र ने आर्थिक विकास में सहयोग करने में अपनी रुचि प्रदर्शित की है ;

(ख) क्या संघीय जर्मन गणतन्त्र के वाइस चांसलर और विदेश मन्त्री ने जुलाई, 1985 में भारत की यात्रा की थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत को प्रौद्योगिकी देने के किसी समझौते के बारे में निर्णय ले लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो संघीय जर्मन गणतन्त्र किस सीमा तक भारत सरकार की सहायता करने के लिए तैयार हो गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारत के आर्थिक विकास में जर्मन संघीय गणराज्य एक परम्परागत भागीदार रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए ; यह सवाल ही पैदा नहीं होता।

भारत-कनाडा व्यापार

3684. **श्री प्रकाश चन्द्र :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 (जनवरी, 1984 से मार्च, 1985 तक) भारत-कनाडा व्यापार में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के बीच वर्ष 1984-85 में व्यापार की क्या स्थिति थी और गत वर्ष (1983-84) की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(ग) भारत और कनाडा के बीच वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान बेहतर व्यापार और आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख). वित्तीय वर्ष के आधार पर उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 1984-85 में कनाडा के साथ भारत का कुल व्यापार कारोबार (निर्यात और आयात) 626.40 करोड़ रु० का हुआ तथा 47.1 प्रतिशत बढ़ा, जबकि 1983-84 में 425.84 करोड़ रुपये का कुल व्यापार कारोबार हुआ था ;

(ग) कनाडा के साथ बेहतर व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे व्यापार प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान, भारत तथा कनाडा में व्यापार सम्मेलनों और सेमिनारों का आयोजन।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कर्मचारी

3685. **श्री प्रकाश चन्द :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में वर्ष 1983-84 और 1984-85 (31-3-1985 तक) के दौरान कुल कितने कर्मचारी थे ;

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र में इस प्रकार के रोजगार में वार्षिक विकास की दर कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार की सातवीं पंचवर्षीय योजना में विकास की दर में वृद्धि करने की कोई योजनाएं हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). 31-3-1985 को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है। किन्तु, 31-3-1971 से लेकर 31-3-1984 तक कर्मचारियों की वर्ष-वार संख्या के साथ-साथ 1970-71 की तुलना में उसमें हुई वृद्धि की प्रतिशतता का ब्यौरा 15-3-1985 को लोक सभा पटल पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण 1983-84 के खण्ड-1, अध्याय 23 की तालिका-3 पृष्ठ 370 पर उपलब्ध है।

(ग) आशा है कि सातवीं योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त पूंजी निवेश से रोजगार में वृद्धि हो जायेगी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को हिमाचल प्रदेश में अपनी शाखायें खोलने के लिए लाइसेंस दिया जाना

3686. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक ने हिमाचल प्रदेश के (एक) हमीरपुर, (दो) उना, (तीन) बिलासपुर, (चार) मण्डी, (पांच) कांगड़ा जिलों में अपनी शाखाएं खोलने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस मंजूर करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो किस-किस बैंक को जिला-वार किन-किन स्थानों के लिए लाइसेंस मंजूर किए गए हैं ; और

(ग) शेष लाइसेंस किस तारीख तक मंजूर किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1982-85 की अवधि में, सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित बैंकों ने अपने-अपने नाम के आगे दिखाए गए जिलों में शाखाएं खोलने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन किए थे :

बैंक का नाम	जिले का नाम
1. भारतीय स्टेट बैंक 2. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	हमीरपुर, शिमला, ऊना और कांगड़ा
3. स्टेट बैंक आफ पटियाला	हमीरपुर, शिमला, कांगड़ा और मण्डी
4. बैंक आफ महाराष्ट्र	शिमला
5. बैंक आफ बड़ौदा	कांगड़ा
6. बैंक आफ इन्डिया	हमीरपुर
7. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	कांगड़ा और ऊना
8. पंजाब नेशनल बैंक	शिमला, कांगड़ा और मण्डी
9. ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	कांगड़ा और मण्डी

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) उपर्युक्त जिलों में बैंक कार्यालय खोलने के प्रश्न पर सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए शाखा लाइसेंसिंग नीति के प्रकाश में गुणदोषों के आधार पर विचार किया जाएगा। इस नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण

जिला	बैंक का नाम	आबंटित किए गए केन्द्रों की संख्या
हमीरपुर	पंजाब नेशनल बैंक	भूरेरी, मायर, करूर/गौमा, चबूतरा, सलूमी, डेना परोल, जंगल बेरी, धनेड, लाम्बलू
	भारतीय स्टेट बैंक	बाड़ा
	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	ऊहाल, कश्मीर
	सेण्ट्रल बैंक आफ इन्डिया	हमीरपुर
ऊना	भारतीय स्टेट बैंक	मेहतापुर
	सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	भैरा
	पंजाब नेशनल बैंक	कंगराट, धनारी जोवन, थाना कलां, पोलियां—परोहितां, पंडोगा, सलोह
	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	ढुलेहर, थथाल
शिमला	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	जुबारहट्टी, पनउरानू समेरकोट, गुमा (नोटीखाड) हलोग (धामी) धर्मपुर, किंगल, अन्ती (अनुबासा), रामपुर बुशाह, टेकलेह कुपवी, गुम्मा, डूंगर-पुर, जांगला, धामवाड़ी, कुफरी
मण्डी	भारतीय स्टेट बैंक	छलोखाड़ी-सुन्दरनगर
कांगड़ा	स्टेट बैंक आफ पटियाला	सिद्धबाड़ी
	पंजाब नेशनल बैंक	थिल कलोहा
	भारतीय स्टेट बैंक	गोराब, दमतल
	सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	ज्वालामुखी

ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स में अधिकारियों का स्थानान्तरण

3687. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स में अधिकारियों का स्थानान्तरण करने हेतु कोई निश्चित नीति है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी संक्षिप्त रूप-रेखा क्या है और क्या यह नीति उक्त बैंक में नियुक्त आल इण्डिया बैंक के आफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर लागू है ;

(ग) ऐसे अधिकारियों की संख्या और विवरण क्या है जो (एक) पन्द्रह (दो) दस वर्षों से

अधिक समय से बैंक में कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) उसका औचित्य क्या है और दिल्ली में स्थानान्तरण के लिए अन्य अधिकारियों के दावों की उपेक्षा किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स ने सूचित किया है कि काम की अपेक्षाओं को देखते हुए, तबादले के लिए एक अधिकारी के नाम पर साधारणतया उस समय विचार किया जाता है जब उसने एक शाखा में तीन से पांच वर्ष तक सेवा कर लीं हो। विशिष्ट कार्य करने वाले अधिकारी और विधि अधिकारी, हिन्दी अधिकारी आदि जैसे अन्य विशेषज्ञ अधिकारी उपरोक्त नीति के अन्तर्गत नहीं आते क्योंकि इन्हें केवल प्रशासनिक कार्यालयों में तैनात किया जाता है। बैंक ने आगे बताया है कि बैंक में कार्य कर रहे अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ के पदाधिकारियों पर भी यही नीति बराबर लागू होती है।

(ग) पूरे बैंक में 10 वर्ष 15 वर्ष से अधिक की सेवा वाले अधिकारियों की संख्या काफी अधिक है। सम्भवत: दिल्ली में एक ही शाखा में 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों की संख्या की सूचना मांगी गई है। यदि ऐसा है तो, बैंक द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार बैंक में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, जिसने दिल्ली में एक ही शाखा में लगातार 10 वर्ष से अधिक कार्य किया हो।

(घ) बैंक ने यह भी बताया है कि दिल्ली में तबादले के लिए अधिकारियों के अनुरोध पर, आवश्यकता की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है।

रद्द किए गए वाहनों की बिक्री/नीलामी

3688. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रद्द किए गए वाहनों की बिक्री/नीलामी सम्बन्धी नियम क्या हैं ;

(ख) क्या नीलामी के लिए कोई सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है और तत्सम्बन्धी अवधि कितनी है ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान कितनी नीलामियां हुई हैं और इस अवधि में श्रेणी-वार कितने वाहनों की बिक्री की गई ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, रेलवे के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के शेष सभी विभागों तथा रक्षा सम्बन्धी संबंधी संगठनों द्वारा घोषित किए गए वाहनों सहित सभी अधिशेष और पुराने भंडारों, जिनका अंकित मूल्य 50,000 रु० से अधिक है, के निपटान की व्यवस्था करता है। यह स्क्रैप और "ए" (सशस्त्र) वाहनों के निपटान की जिम्मेवारी नहीं लेता है, चाहे उनका अंकित मूल्य कितना भी हो। दिनांक 1-1-85 से, सिविल स्टाक होल्डिंग विभागों को यह प्राधिकार दे दिया गया है, कि वे अपने सभी अधिशेष भंडारों का स्वयं निपटान कर सकते हैं और अब पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के पास केवल रक्षा सम्बन्धी मदों का ही निपटान करने का कार्य रह गया है। इनका या तो सार्वजनिक नीलामी द्वारा या विज्ञापित टेंडर पूछ-ताछ द्वारा "जैसा है, जहां है" के आधार पर निपटान किया जाता है।

जहां सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटान किया जाता है, वहां जैसा कि नीचे भाग (ख) के उत्तर में निर्देश कर दिया गया है, उसके बारे में प्रचार किया जाता है, ताकि जो व्यक्ति नीलामी में भाग लेने के इच्छुक हैं, वे सभी उसमें भाग ले सकें।

नीलामियों संचालन करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा नीलामीकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है। सबसे ऊंची बोली स्वीकार की जाती है, और बोलीकर्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे बोली पूरी होते ही, स्वीकृत बोली की 25 प्रतिशत राशि तत्काल जमा करा दें। बोलीकर्ताओं को शेष राशि, जिसमें बिक्री कर भी शामिल है, 6 दिन के भीतर जमा करानी होगी। पूरी अदायगी हो जाने के बाद, डिलीवरी आर्डर, जिसे सेल रिलीज आर्डर कहा जाता है, वह खरीददार को जारी कर दिया जाता है ताकि वह अदायगी की तारीख से 18 दिन के भीतर उस भंडार को वहां से ले जा सके।

डी० ए० वी० पी० के माध्यम से, विज्ञापित टेंडरों को जारी किया जाता है, जिनमें टेंडरों के खुलने का समय तथा तारीख का उल्लेख कर दिया जाता है। खरीददारों के लिए यह आवश्यक है कि वे टेंडर पूछताछ की सभी शर्तों को पूरा करें। टेंडर-पूछताछ सम्बन्धी फार्म का मूल्य 25 रु० प्रति सेट है। इस मामले में भी, जो उच्चतम निवेदन टेंडर पूछताछ की सभी शर्तों को पूरा करता है, उसे ही स्वीकार किया जाता है। खरीददार के लिए यह आवश्यक है कि वे टेंडर में प्रस्तावित मूल्य राशि का 10 प्र० श० या अधिकतम 1,00,000 रु० की राशि बयाना राशि/प्रतिभूति राशि के रूप में जमा कराएं। ज्यों ही कोई टेंडर स्वीकृत होता है, तभी सफल टेंडरकर्ता को बिक्री पत्र जारी किया जाता है, जिसके अनुसार उसे सम्पूर्ण बिक्री मूल्य और बिक्री कर की राशि बिक्री पत्र की तारीख से 12 कार्यकारी दिनों के अन्दर अदा करनी होती है। पूर्ण भुगतान की प्राप्ति हो जाने पर खरीददार को एस० आर० ओ० जारी किया जाता है जिसके अनुसार उसमें निर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर भंडारों को वहां से हटा लेना आवश्यक है।

(ख) जी, हां। नीलामी के लिए निश्चित की गई तारीख से कम से कम 10 दिन पहले स्थानीय/राष्ट्रीय स्तर के दैनिक पत्रों के माध्यम से प्रचार किया जाता है, और नीलामीकर्ताओं द्वारा इश्तहारों और सूची पत्रों के माध्यम से भी प्रचार किया जाता है।

(ग) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय केवल इन वाहनों, जिनमें मोटर साइकिल, जीप जोंगा और ट्रक सम्मिलित हैं, के निपटान का कार्य करता है। चालू वित्तीय वर्ष और गत तीन वर्षों में हुई कुल नीलामियों की संख्या और निपटान किए गए वाहनों की संख्या नीचे दे दी गई है :

वर्ष	नीलामियों की संख्या	निपटान किए गए वाहनों की संख्या
1982-83	928	9231
1983-84	890	12765
1984-85	1044	11685
1985-86	107	3726
(जुलाई, 85 तक)		

निपटाये गए वाहनों की उक्त संख्या में, असैनिक स्टाक धारियों के निपटाये गए वाहनों की संख्या सम्मिलित नहीं है। निपटाये गए असैनिक वाहनों की संख्या, रक्षा विभाग के वाहनों के 5 प्रतिशत से कम ही होगी।

[हिन्दी]

आप्रवासी भारतीयों द्वारा स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों में निवेश करने हेतु मुहिम चलाना

3689. **श्री सी० जंगा रेड्डी :**

डा० ए० के० पटेल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस और संयुक्त राज्य अमरीका में भारत मेला आरम्भ होने के बाद भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र तथा शत प्रतिशत निर्यात करने वाली इकाईयों में आप्रवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश करने हेतु उन्हें आकर्षित करने के लिए कोई मुहिम चलाई गई है अथवा चलाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो मुहिम का पूर्ण ब्यौरा क्या है और इसमें होने वाला अनुमानित व्यय क्या है ; और

(ग) यह मुहिम किन-किन देशों में चलाई गई है और अथवा चलाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग). भारत के निर्यातों के संवर्धन तथा भारत में निवेशों में वृद्धि के उद्देश्य से मोटे तौर पर फ्रांस तथा संयुक्त राज्य अमरीका में हो रहे भारत महोत्सवों के अवसर पर एक गहन वाणिज्यिक प्रचार कार्यक्रम बनाने का विनिश्चय किया गया है। कार्यक्रम के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

धनबाद, उड़ीसा में भारत कोकिंग कोल लि० और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० खानों को कोयला और मिट्टी ले जाने वाले परिवहन ठेकेदार

3690. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद में भारत कोकिंग कोल लि० और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० खानों को कोयला और मिट्टी ले जाने वाले परिवहन ठेकेदारों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों में उन्हें दी गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के अंतर्गत उड़ीसा कोल माइन्स में कोयला उठाने का कार्य भी ठेकेदारों द्वारा किया जाता है और मशीनें और आदमी ठेकेदार ही किराए पर लेते हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि अधिकतर ठेकेदार धनबाद में माफिया ग्रुप बनाते हैं और इनका इस धंधे पर एकाधिकार है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिले सिलाए कपड़ों के निर्यातकों द्वारा अवैध तरीके से माल बाहर भेजना

3691. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों ने अन्य देशों को अवैध तरीके से माल बाहर भेजने को रोकने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को सिले-सिलाए कपड़ों के निर्यातकों की सूचियां भेजना शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन एककों में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ;

(ग) क्या ऐसे कुछ निर्यातकों का पता लगाया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही शुरू की गई है और तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) अपेरेले निर्यात संवर्धन परिषद ने कस्टम द्वारा लदान की निकासी करते समय, क्रास-रेफरेन्स के लिए, जहां परिषद द्वारा ऐसा प्रमाणन किया जाता है, सभी केन्द्रों पर कस्टम कर्मचारियों को, सं० रा० अमरीका को सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले प्रमाणन की सूची दैनिक आधार पर भेजना शुरू कर दिया है।

(ख) तथा (ग). परिषद के सूची भेजने के बाद से अभी तक कोई अनधिकृत लदानें अभिज्ञात नहीं हुई हैं।

(घ) और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

"सी० सी० आई० आफिशियल्स मेड फाल्स इनश्योरेन्स क्लेम्स" शीर्षक से समाचार

3692. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 4 मई, 1985 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "सी० सी० आई० आफिशियल्स मेड फाल्स इनश्योरेंस क्लेम्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) उपरोक्त रिपोर्ट कहां तक सच है ;

(ग) ऐसे झूठे बीमा दावों की धनराशि कितनी है ;

(घ) बीमा कम्पनी और भारतीय रुई निगम के उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है, जिनके बारे में यह कहां जाता है के वे इसमें शामिल हैं ;

(ङ) क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ; और

(च) भविष्य के लिए क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (च). भारतीय कपास निगम ने 1983 में 1284 कपास की गांठों की गुन्टूर से कोचीन तक की रेल के द्वारा ढुलाई के लिए यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड से समुद्री बीमा कवच लिया। गन्तव्य स्थान पर भारतीय कपास निगम ने 87 गांठों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी जिनका मूल्य 2,39,628 रुपए था।

"यूनाइटेड इण्डिया" की भारतीय कपास निगम के साथ स्थायी व्यवस्था के अनुसार निर्यात की जाने वाली कपास के पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से नष्ट हो जाने पर इन्श्योरेंस कम्पनी बचाव कार्य को अपने हाथ में ले लेती है तथा दावे का कुल हुई हानि के आधार पर निपटान करती है। तदनुसार, 65,000 रुपए की बचाव राशि के समायोजन के बाद 1,74,628.08 रुपए का दावे का भुगतान किया गया।

समाचार में छपे आरोपों की छानबीन करने के पश्चात् सही नहीं पाया गया। "यूनाइटेड इण्डिया" के अधिकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की अनियमितता अथवा बेईमानी साबित नहीं की जा

सकी। इसीलिए "यूनाइटेड इण्डिया" के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाई करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

"ग्रुप आफ 77" की बैठक

3693. **श्री के० प्रधानी :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों के बीच "ग्लोबल स्कीम आफ ट्रेड प्रिफेन्सिज" की प्रगति की समीक्षा करने तथा इस सम्बन्ध में नए निर्णय होने के लिए पिछले महीने दिल्ली में "ग्रुप आफ 77" को मंत्रियों की बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं ;

(ग) इस बैठक में टैरिफ कम करके और "नॉन-टैरिफलोरियर" हटाकर विकासशील देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए क्या निर्णय लिए गए हैं ; और

(घ) इस बैठक में "ग्लोबल स्कीम आफ ट्रेड प्रिफेन्सिज" को क्या अन्तिम रूप दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने वाले देशों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). मंत्रिस्तरीय बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ, ग्लोबल स्टिम आफ ट्रेड प्रिफेरेन्सिज (जी० एस० टी० पी०) सम्बन्धी एक घोषणा-पत्र स्वीकार किया। इस घोषणा-पत्र में, मंत्रियों ने स्वीकार किया कि जी० एस० टी० पी० सम्बन्धी वार्ता समिति द्वारा उत्पाद अभिगम द्वारा पारम्परिक उत्पाद के अतिरिक्त जी० एस० टी० पी० वार्ताओं के पहले दौर के लिए तकनीकों तथा रूपात्मकताओं के विस्तार के लिए कतिपय पूरक अवयवों पर भी विचार किया जाना चाहिए। ये पूरक अवयव हैं :

1. बोर्ड टैरिफ छूट के अतिरिक्त 10 प्रतिशत एक अधिमान मार्जिन द्वारा ;
2. गैर टैरिफ तथा पारा टैरिफ के समाप्त करने अथवा छूट देने के उपाय जिसमें यह शर्त शामिल है कि भागीदार देश उन उत्पादों के सम्बन्ध में, जिन पर टैरिफ छूट पर समझौता हुआ है, नए गैर-टैरिफ अथवा वर्तमान अवरोधों को गहन न करें ;
3. भागीदार देशों के सामाजिक आर्थिक महत्ता के, गैरवस्त्र हस्तशिल्प, संसाधित ट्रापिकल उत्पाद, वस्त्र तथा कृषि उत्पाद जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना ; तथा
4. विकासशील देशों के बीच प्रौसैसिंग, वितरण तथा विपणन को अत्यधिक बढ़ावा देने के द्वारा व्यापार तथा विकास को बढ़ाने के लिए उत्पाद परामर्श का प्रबन्ध करना।

मंत्रियों ने सम्पूर्ण वैधानिक ढांचे की स्थापना की शीघ्र आवश्यकता को स्वीकार किया, जिसमें वार्ताओं के लिए मूल नियमों का गठन किया जाएगा। मंत्रियों ने वार्ताओं के लिए समय सारिणी पर अपनी सहमति प्रदान की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया था कि वार्ताओं का पहला दौर 1 मई, 1986 के पूर्व ही शुरू होना चाहिए।

विवरण

नई दिल्ली में हुई ग्लोबल सिस्टम आफ ट्रेड प्रिफ्रेन्सिस पर मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने वाले देशों की सूची

1. अफगानिस्तान
2. अल्जीरिया
3. अर्जेन्टीना
4. बहरीन
5. बंगलादेश
6. बेनिन
7. भूटान
8. ब्राजील
9. चिली
10. कोलम्बिया
11. कांगो
12. क्यूबा
13. साइप्रेस
14. डी० पी० आर० कोरिया
15. मिश्र
16. इक्योडोर
17. इथोपिया
18. घाना
19. ग्यूना
20. भारत
21. इंडोनीशिया
22. ईरान
23. इराक
24. आथवरी कोस्ट
25. जमायको
26. जोर्डन
27. कीनिया
28. कुवैत
29. लेबनान
30. लीबिया
31. लाओ†
32. मैडागास्कर
33. मलाची
34. मलयेशिया
35. मारीशश
36. मैक्सीको
37. मौरक्को
38. मौजाम्बिक
39. नेपाल
40. निकारगुआ
41. नारुजर
42. नाइजीरिया
43. ओमान
44. पाकिस्तान
45. पनामा
46. पेरु
47. फिलीपीन्स
48. पी० एल० ओ०
49. कत्तार
50. कोरिया गणराज्य
51. रूमानिया
52. सऊदी अरब
53. सिंगापुर
54. सोमानिया
55. श्रीलंका
56. सूडान†

†उपर्युक्त देशों के अतिरिक्त, कैरिबियन समुदाय ने भी बैठक में प्रतिनिधित्व किया।

57. सीरिया
58. तंजानिया
59. थाइलैंड
60. त्रिनिदाद तथा टोबागो
61. ट्यूनेशिया
62. उगांडा
63. संयुक्त अरब अमीरात
64. उरुगवे
65. वेनेज्यूला
66. वियतनाम
67. यमन पी० डी० आर०
68. यमन अरब गणराज्य
69. युगोस्लाविया
70. जैरे
71. जाम्बिया
72. जिम्बाबवे

निर्यात संवर्धन परिषदों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें, विनियमन और सेवा नियम

3694. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात संवर्धन, परिषदें, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों के भर्ती नियम, सेवा नियम, वेतनमान और ऐसी अन्य बातों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या निर्यात संवर्धन परिषद के लिए स्थाई आदेश बनाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो स्थाई आदेश कब तक बनाए जाएंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) निर्यात संवर्धन परिषदें कम्पनी अधिनियम 1956 । समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत होते हैं ।

(ख) से (घ). उनके भर्ती नियम/सेवा नियम आदि अलग-अलग हैं । वेतन तथा भत्तों आदि के विषय में उन्हें सरकारी नियमों का अनुसरण करना अपेक्षित है। अधिकांश निर्यात संवर्धन परिषदें सामान्यत: सरकारी नियमों का अनुसरण कर रही हैं । परन्तु कुछ मामलों में इन नियमों से कुछ अन्तर रखा गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वेतन और भत्तों आदि के मामले में सभी निर्यात संवर्धन परिषदें सरकारी नियमों का अनुसरण करें । निर्यात संवर्धन परिषदों के लिए कोई स्थायी आदेश तैयार नहीं किए गए हैं, न ही ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

काली मिर्च बोर्ड का गठन

3695. **डा० सुधीर राय** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली मिर्च जो कि निर्यात की जाने वाली एक महत्वपूर्ण वस्तु है, का उत्पादन बढ़ाने के लिए काली मिर्च बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). काली मिर्च सहित, मसालों के निर्यातों में समग्र विकास के लिए एक मसाला

बोर्ड स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है प्रस्तावित बोर्ड में मौजूदा इलायची बोर्ड तथा मसाला निर्यात संवर्धन परिषद् का विलय हो जाएगा।

[हिन्दी]

सिगरेट का ब्रांड नाम और मूल्य बदलकर करोड़ों रुपयों की कर चोरी

3696. **श्री काली प्रसाद पांडेय :**
श्री शांति धारी वाल :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 9 जुलाई, 1985 के नवभारत टाइम्स में "सिगरेट का नाम और मूल्य बदलकर करोड़ों रुपये की कर चोरी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विभिन्न तरीकों से कर चोरी करने और ऊंचे दामों पर सिगरेट बेचने के लिए इसमें उल्लिखित फर्मों के मालिकों तथा अन्य सिगरेट फर्मों के विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में कोई प्रभावशाली कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ). सिगरेट कंपनियों द्वारा कर अपवंचन के बारे में कुछ शिकायतें तथा प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित समाचार सरकार की जानकारी में आया है। सिगरेटों पर उत्पादन शुल्क की दरें निश्चित हैं। विशिष्ट शुल्क के स्लैब सिगरेटों के समायोजित बिक्री मूल्य के सन्दर्भ में निर्धारित किए गए हैं। बाट और माप मानक (पैकेटशुदा जिंस) नियमावली 1977 के उपबन्धों के उल्लंघन में, सिगरेटों की उन पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर खुदरा बिक्री की कुछ शिकायतें मिली हैं। इन नियमों को लागू करने वाली एजेंसियां राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन हैं। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों को इस आशय के अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे सिगरेटों के किसी भी ऐसे ब्रांड को अनुमोदित नहीं करें जो एक दूसरे से प्रभेद्य नहीं हैं।

बेनामी कम्पनियों तथा बेनामी खातों के माध्यम से किए जा रहे लेन-देनों के बारे में, विशेषकर कानपुर में, जिनका समाचार उल्लेख किया गया है, कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित आयकर आयुक्त को लिखा गया है।

[अनुवाद]

अव्यावसायिक व्यक्ति की रबड़ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति

3697. **डा० जी० विजय रामाराव : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अव्यावसायिक सदस्य को रबड़ बोर्ड का अध्यक्ष बनाने का फैसला किया है ; और

(ख) यह सरकार की घोषित नीति कि ऐसे निकायों की अध्यक्षता के लिए व्यावसायियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, के साथ कैसे मेल खाता है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार द्वारा, रबड़ अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, जो इस नियुक्ति का नियन्त्रण करते हैं, एक अधिकारी की अध्यक्ष, रबड़ बोर्ड के रूप में नियुक्ति की गयी है।

महाराष्ट्र में कताई मिलों की स्थापना करने के लिए लाइसेंस

3698. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल :** क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की अधिसूचना के अनुसार पहली नवम्बर 1975 से कताई मिल स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं था तथा इस प्रावधान के अधीन महाराष्ट्र में अनेक कताई मिलें स्थापित की गई थीं ;

(ख) क्या 31 अगस्त, 1984 को केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार स्थापना के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है ;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से 1975 तथा अगस्त 1984 के दौरान जब लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं था, स्थापित हुई मिलों को लाइसेंस जारी करने के लिए आग्रह किया है ; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (घ) : 50,000 तकुओं तक की क्षमता के सूती यार्न के उत्पादन हेतु कताई मिलों की स्थापना सम्बन्धी लाइसेंस 1-11-1975 को समाप्त कर दिया गया था। फलस्वरूप, ऐसे बन्धन-पत्र जिनमें आयातित कच्चे माल अथवा पूंजी माल अपेक्षित न हो अथवा जिनमें विदेशी सहयोग अन्तर्ग्रस्त न हो और जिनमें एम० आर० टी० पी०/एफ० ई० आर० ए० अधिनियम के उपबन्ध लागू न हों, वस्त्र आयुक्त के पास पंजीकृत किए जा सकते हैं बशर्ते कि उस एकक का स्थान 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कस्बे से अन्यत्र हो। महाराष्ट्र में अनेक कताई मिल परियोजनाएं भी गैर-लाइसेंस योजना के अधीन पंजीकृत की गयीं।

गैर लाइसेंस योजना 31 अगस्त, 1984 को समाप्त की गई। इसके फलस्वरूप, औद्योगिक उपक्रमों को जो गैर-लाइसेंसिंग योजना के अधीन स्थापित किए गए हैं और जो या तो उत्पादन आरम्भ कर चुके हैं या जिन्होंने 31-8-1984 से पूर्व "कारगर उपाय" कर लिए सतत व्यवसाय लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षित है। देश में 600 से अधिक से सी० ओ० बी० लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। जबकि अधिसंख्या मामलों में निर्णय लिया गया है अतः अनुस्मारकों पर कार्यवाही विभिन्न स्तरों पर चल रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने पूंजी ढांचे का विस्तार करने की अनुमति

3699. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय इन्जीनियरिंग उद्योग संगठन, जो सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों की प्रतिनिधि संस्था है, द्वारा दिए गए इस सुझाव की ओर आकर्षित किया गया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को, जनता से साम्य पूंजी स्वीकार करके अपने पूंजी ढांचे का विस्तार करने की अनुमति दी जाए ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). सरकार के पास इस

समय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जनता से साम्य पूंजी स्वीकार करके उनके पूंजीगत ढांचे का विस्तार करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डेनिश सरकार द्वारा दूर संचार इलैक्ट्रोनिकी और विद्युत उद्योग में संयुक्त उद्यमों की पेशकश

3700. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेनिस सरकार ने दूर-संचार, इलैक्ट्रोनिकी और विद्युत उद्योग क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों के लिए सहायता की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) डेनिस सरकार ने दूर संचार, इलैक्ट्रोनिकी और विद्युत उद्योग के क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों के लिए सहायता की कोई विशिष्ट पेशकश नहीं की है।

(ख) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

फ्रांस के साथ व्यापार करार

3701. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत ने फ्रांस के साथ द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि करने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) क्या फ्रांस के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं ; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ). सरकार का यह प्रयत्न है कि फ्रांस सहित, सभी मित्र देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि की जाए। फ्रांस के साथ किसी भी विशेष करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों के सम्बन्ध में अर्जुन सेन गुप्त समिति का प्रतिवेदन

3702. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के आर्थिक ढांचे और सम्पूर्ण आयोजना के सन्दर्भ में सरकारी उद्यमों के कार्यकरण की गहराई से समीक्षा करने हेतु गठित अर्जुन सेन गुप्त समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संचालन में क्या गम्भीर समस्याओं और बाधाओं का पता लगाया है ;

(ग) समिति ने कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए क्या मानदण्ड सुझाए हैं ; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ). सरकार को अर्जुन सेन गुप्त समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। इस समय प्रतिवेदन का अथवा उस पर की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा बताना जनहित में नहीं है।

श्रेणी III और IV में नई सेवाओं पर प्रतिबन्ध जारी रखने की नीति में परिवर्तन करना

3703. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में श्रेणी III और श्रेणी IV में नई भर्तियों पर प्रतिबन्ध जारी रखने की नीति में जल्दी ही कोई परिवर्तन किए जाने की सम्भावना है ; और

(ख) क्या संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के कर्मचारी पक्ष ने नई परिसंपत्तियों के सृजन को ध्यान में रखते हुए प्रतिबन्ध हटाने पर जोर दिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). जनवरी 1984 में लिए गए मुद्रा-स्फीति निरोधक उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालयों/विभागों को, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां भर्ती सम्बन्धी कार्यवाही पहले ही आरम्भ कर दी गई थी, वर्तमान रिक्तियों को न भरने की सलाह सम्मिलित थी। उस संदर्भ में पदों की किसी भी श्रेणी को रोक आदेशों से विशिष्ट रूप से छूट नहीं दी जा सकती है। तथापि, अपवाद-स्वरूप अनुकम्पा के आधार पर मृत व्यक्तियों के आश्रितों और अपंग व्यक्तियों की नियुक्ति, एक संगठन के फालतू हुए कार्मिकों को दूसरे संगठन में पुनः रोजगार देने, समूह "घ" रिक्तियों पर नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने, रिक्तियों की एकमात्र पदोन्नति द्वारा भरने आदि जैसे कुछ चुने हुए मामलों में छूट दी गई है। तथापि, प्रचलनात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य प्रकार की रिक्तियों को भरे जाने के प्रस्तावों पर प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है। उन परिस्थितियों में, जिनमें ये अनुदेश जारी किए गए थे तब से उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे इनमें ढील दी जा सके। यह स्थिति सरकारी पक्ष द्वारा संयुक्त परामर्शदाता-तन्त्र की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी स्पष्ट कर दी गई है।

[हिन्दी]

राजस्थान सीमा पर वस्तुओं की तस्करी

3704. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान के साथ लगती राजस्थान सीमा पर वस्तुओं की तस्करी करते हुए कई बार पकड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान पकड़े गए व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है ; और

(ग) तस्कर गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा निकट भविष्य में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में नई नियुक्तियों पर रोक लगाया जाना

3705. **डा० सुधीर राय : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में नई नियुक्तियों पर अब भी रोक लगी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे देश की रोजगार स्थिति पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ग) क्या इससे बड़ी संख्या में नवयुवक प्रभावित नहीं होंगे, जो इस अन्तर्राष्टीय युवा वर्ष में अब भी बेरोजगार हैं ; और

(घ) क्या सरकार यह रोक हटाने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को ऐसे मामलों को छोड़कर जहां भर्ती सम्बन्धी कार्यवाही पहले ही आरम्भ कर दी गई थी, वर्तमान रिक्तियों को न भरने की सलाह के संबंध में जनवरी, 1984 में जारी किए गए अनुदेश मुद्रा-स्फीति निरोधक उपायों के एक भाग के रूप में थे। अनुकम्पा के आधार पर मृत कर्मचारियों के आश्रितों और अपंग व्यक्तियों की नियुक्ति, एक संगठन के फालतू हुए कार्मिकों को दूसरे संगठन में पुनः रोजगार देने, समूह "घ" रिक्तियों पर नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने, रिक्तियों को एक मात्र पदोन्नति द्वारा भरने, आदि जैसे कुछ चुने हुए मामलों में दी गई छूट के अतिरिक्त प्रचलनात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अन्य प्रकार की रिक्तियों को भरे जाने के प्रस्तावों पर प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है। तथापि यह आशा की जाती है कि आर्थिक स्थिति में पूरी तरह से विस्तार और विकास होने के साथ ही, गैर सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसरों में वृद्धि होनी चाहिए।

(घ) जिन परिस्थितियों में किफायत सम्बन्धी ये अनुदेश जारी किए गए थे तब से उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे उनमें किसी प्रकार की ढील दी जाने की आवश्यकता हो।

कोर्ट फीस स्टाम्प, जुडिशियल और नान-जुडिशियल स्टाम्प पेपरों की बिक्री

3706. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाम्प विक्रेताओं से कोर्ट फीस स्टाम्प, जुडिशियल और नान-जुडिशियल पेपरों आदि की उपलब्धता के मामले में जनता को असुविधा हो रही है ;

(ख) संसद मार्ग और पुराने न्यायालय, नई दिल्ली में एक स्टाम्प विक्रेता की तरह कुछ स्टाम्प विक्रेता प्रिमियम पर दस पैसे का कागज बेचते हैं और उनके द्वारा कोर्ट फीस टिकट आदि की बिक्री को कोई सुव्यवस्थित तरीका नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन टिकटों और पेपरों को डाक घरों के माध्यम से बेचने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो सरकार उनकी सरलता से और अंकित मूल्य पर उपलब्धता कैसे सुनिश्चित करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केवल तीन राज्यों को छोड़कर, अन्य राज्य सरकारों से स्टाम्प विक्रेताओं से न्यायालय फीस, स्टाम्प्स, न्यायिक तथा गैर न्यायिक स्टाम्प पत्रों आदि की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की कठिनाई की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के आधार पर इन कागजातों को मुनाफा लेकर अधिक मूल्य पर बेचने का कोई विशेष मामला उनके ध्यान में नहीं आया है। दस पैसे के कागज का मूल्य अब पन्द्रह पैसे है। यह एक सादा कागज है तथा भारतीय स्टाम्प नियम, 1925 के नियम 7 के अनुसार सादे कागज को समुद्भृत स्टाम्प पत्र के साथ अनुवर्ती कागज के रूप में जोड़ा जा सकता है। जनता साधारण कागज खुले बाजार से खरीद सकती है।

(ग) फिलहाल इन कागजों को डाकघरों की मार्फत बेचने का कोई प्रस्ताव नहीं है। न्यायालय फीस स्टाम्पस, न्यायिक तथा गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्रों आदि को उपलब्ध करने को सुनिश्चित करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

कर्नाटक खाद्य और नागरिक पूर्ति निगम के खरीद कार्यों के लिए धनराशि

3707. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के मुख्य मन्त्री ने ऐसा कोई अनुरोध किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक से कर्नाटक खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के खरीद कार्यों के लिए प्रयोग की गई धनराशि पर ब्याज की रियायती दरें लेने के लिए कहा जाए;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) ब्याज की रियायती दर क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हाँ।

(ख) राज्य सरकारों को ब्याज की रियायती दर पर ऋण तभी दिया जाता अब अनाज की वसूली भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर की जाए। यदि अनाज ऊँचे दामों पर वसूल किया जाए तो उस स्थिति में बैंक वाणिज्यिक दर पर ब्याज ले सकते हैं। वर्ष 1981-82 के खरीफ के मौसम में कर्नाटक सरकार ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्यों से अधिक मूल्यों पर अनाज खरीदा और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इस प्रयोजन के लिए अलग से ऋण सीमा मंजूर की जिसे खाता सख्या 11 का नाम दिया गया। इस ऋण के ब्याज की अधिकतम दर 19.5 प्रतिशत तय की गई है। यह ब्याजदर 11 दिसम्बर, 1981 को, पहले की बकाया रकमों की खाता संख्या 1 के नाम से अलग करके निर्धारित की गई थी। इस ऋण के ब्याज की दर उस समय 12.5 प्रतिशत थी। खाता संख्या 1 की राशि के समायोजन के लिए 31 मार्च 1982 की तारीख तय की गई थी। बाद में, राज्य सरकार के अनुरोध पर, खाता संख्या 1 के अन्तर्गत बकाया रकमों के समायोजन के लिए निर्धारित तारीख को सितम्बर 1982 तक बढ़ा दिया गया और केवल 1 अक्तूबर, 1982 से दोनों खातों के अन्तर्गत बकाया रकमों को जोड़ दिया गया तथा इस प्रकार 19.5 प्रतिशत की ऊंची दर से ब्याज लिया गया चूंकि कर्नाटक सरकार को पहली बकाया रकमों के समायोजन के लिए काफी समय दे दिया गया था, इसलिए यह मान लिया गया कि राज्य सरकार का अनाज का पहले का स्टाक पहले खत्म हो चुका होगा और बाद का स्टाक ऊँची कीमतों पर लिया गया होगा। ऐसी स्थिति में रियायती ब्याज दर की सुविधा को जारी रखने का कर्नाटक सरकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया।

(ग) भारत सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर अनाज खरीदने के लिए राज्य सरकारों को जो ऋण दिए जाते हैं उनके ब्याज की रियायती दर 1 अक्टूबर, 1984 से 14 प्रतिशत वार्षिक है। (इससे पूर्व यह दर 12.5 प्रतिशत थी)। समर्थन मूल्य से ऊंचे मूल्यों पर अनाज की खरीद के लिए राज्य सरकारों को जो ऋण दिया जाता है उसके ब्याज की अधिकमत दर 1 अप्रैल, 1985 से 17.5 प्रतिशत है।

नई कपड़ा नीति

3708. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई कपड़ा नीति में बुनकरों की रोजगार सम्बन्धी स्थिति पर कुप्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो भारत में तथा कर्नाटक में कितने बुनकर बेरोजगार हो जाएंगे; और

(ग) क्या यह सरकार की जानकारी में आया है कि नई नीति के कारण कपास के मूल्य में बहुत अधिक गिरावट आई है; और

(घ) क्या सरकार को उक्त नीति में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सामान्य स्वरूप के कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं।

भिलाई इस्पात संयन्त्र का विस्तार

3709. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयन्त्र ने वर्ष 1956 से कार्य शुरू करने के मात्र तीन वर्ष के अन्दर अपनी प्रथम धातु का उत्पादन किया था ;

(ख) क्या यह संयन्त्र घाटे में चल रहा है;

(ग) क्या इस्पात की वार्षिक क्षमता 25 से 40 लाख टन तक बढ़ाने के लिए संयन्त्र का और विस्तार किया जा रहा है;

(घ) क्या सयंत्र के विस्तार का कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूरा कर लिया गया है और उत्पादन शुरू हो गया है;

(ङ) उक्त विस्तार के क्या कारण हैं जबकि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को अपने उत्पादन में कमी करनी पड़ी थी क्योंकि उत्पादन काफी हुआ था और एक वर्ष के अन्दर इस्पात के मूल्यों में 50 प्रतिशत की वृद्धि होने से उसकी मांग में कमी आई थी; और

(च) क्या हम विशेष किस्म के इस्पात का आयात करते हैं और यदि हां, तो उस किस्म के इस्पात का देश में उत्पादन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और उसमें क्या सफलता मिली है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) भिलाई इस्पात कारखाने के 10 लाख टन चरण के लिए सिविल निर्माण कार्य वर्ष 1957 के प्रारम्भ में शुरू किए गए थे। 4 फरवरी 1959 को पहली भट्टी को चालू किए जाने से वर्ष 1958-59 में भिलाई इस्पात संयन्त्र में 37,000 टन तप्त धातु का उत्पादन किया।

(ख) वर्ष 1983-84 को छोड़कर वर्ष 1972-73 से लेकर भिलाई इस्पात कारखाने को लाभ हो रहा है। वर्ष 1983-84 में इसे 2.83 करोड़ रुपए की मामूली सी हानि हुई थी। 31 मार्च, 1985 की स्थिति के आधार पर इसे लगभग 400 करोड़ रुपए (आंकड़े अस्थाई हैं) का लाभ हुआ है।

(ग) जी, हां।

(घ) भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार-कार्य दो चरणों में पूरा किया जाता है। प्रथम चरण को चालू करने की स्वीकृति समय-सूची दिसम्बर, 1981 थी और द्वितीय चरण के लिए जून,

1983 थी। प्रथम चरण की सुविधाएं लागने का कार्य पूरा कर दिया गया है और इस चरण की सभी सुविधाएं लगाने का कार्य जून, 1986 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। प्रथम चरण के अन्तर्गत प्लेट मिल काम्पलेक्स के हैवी प्लेट सेक्शन चालू होने से मार्च, 1983 में प्लेटों का उत्पादन होना शुरू हो गया था । द्वितीय चरण कार्य जनवरी, 1988 तक पूरा होने की सम्भावना है।

(ङ) इस्पात कारखानों की क्षमताओं का विस्तार आंकी गयी मांग और देशीय स्रोतों से अनुमानित उपलब्धि के बीच प्रक्षिप्त अन्तर की पूर्ति के लिए किया जाता है। भिलाई इस्पात कारखाने के इस्पात पिंड के उत्पादन की क्षमता 25 लाख टन से बढ़ाकर 40 लाख टन तक करके उत्पादन कार्य मोटे तौर पर प्लेटों के उत्पादन में वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है। प्लेटों की मांग कम नहीं हुई है जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है :

(लाख टन)

वर्ष 1983-84 के दौरान कुल देशीय सप्लाई (देशीय बिक्री+माध्यम अभिकरणों की मार्फत आयात की बिक्री)	7.99
वर्ष 1984-85 के दौरान कुल देशीय सप्लाई (देशीय बिक्री+माध्यम अभिकरणों की मार्फत आयात की बिक्री)	8.97
वर्ष 1984-85 के लिए अनुमानित मांग	10.40

(च) इस्पात का आयात मांग और देशीय उपलब्धि के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए किया जाता है। "सेल" इस्पात की उन श्रेणियों का उत्पादन बढ़ा रही है जिन श्रेणियों की मांग है अथवा जिनका आयात किया जाता है । पिछले चार वर्षों में ऐसी विशेष/क्रांतिक मदों के उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

"सेतु" के कारखानों द्वारा विशेष/क्रांतिक मदों का उत्पादन

इकाई : टन

मद	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86 (योजनाबद्ध)
—बायलर क्वालिटी की प्लेटें	6860	6612	14867	11661	61000
—शिप बिल्डिंग क्वालिटी की प्लेटें	26878	22400	24457	18355	42000
—आई० एस० : 2062 प्लेटें	67805	45963	57351	74311	181000
—बिक्री के लिए गर्म चालित क्वायलें 12.55 मि० मी० और इससे कम	140406	152701	192191	292897	245000

— 0.63 मि० मी० और उससे कम ठंडे वेलित उत्पाद	78177	76520	84441	91149	107000
—0.4/0.5 मि० मी० जस्ती मादी/नालीदार चादरें और रोगन फार्म	7359	15223	27533	35408	37000
—विद्युतीय इस्पात की चादरें	20971	12073	17241	26576	50000
—इलेक्ट्रो लिटिक टिन प्लेटें	41531	29685	48076	72781	70000
—एल० पी० जी० शीटें	21803	18314	62388	63007	72000
—डी०/डी० डी०/ई० डी० डी० क्विड ठंडे वेलित उत्पाद	11827	8788	20288	25303	3500
—रेल की पटरियां (परीक्षित)	211000	255000	272000	294100	3 000
—इलेक्ट्रॉड क्वालिटी की तार छड़ें	8500	10900	21500	19481	36000
—फिश प्लेटें	2541	2607	3100	2950	5000
—टॉर-स्टील	150039	164231	144002	136291	165000
कुल :	795697	821017	989440	1144270	1476000

[हिन्दी]

पूर्ति मंत्रालय के विरुद्ध लम्बित पड़े दीवानी मामले

3710. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति विभाग के विरुद्ध लम्बित पड़े दीवानी मामलों और अधिनियमों की सख्या और नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि फंसी हुई है और ये किस तारीख से लम्बित पड़े हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्ति विभाग के विरुद्ध (तारीख वार) कितनी धनराशि की डिगरियों के अधिनिर्णय दिए गए तथा विभाग को प्रत्येक मामले में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ा; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्ति विभाग को मुकदमेबाजी, कोर्ट फीस आदि पर तथा अन्य प्रकार के खर्चों को मिलाकर प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च करनी पड़ी ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है, और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम की सम्पत्तियों, भवनों को पट्टे पर देना

3711. **श्री श्रीहरि राव** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम की विभिन्न शहरों, विशेषकर दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, हैदराबाद, बंगलौर तथा पंजाब में पट्टे पर दी गई सम्पत्तियों, भवनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम को पट्टे पर दी गयी सम्पत्तियों पर भारी नुकसान हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो उन पार्टियों का ब्यौरा क्या है जिनसे हानि हो रही है; और

(घ) चूककर्ता पार्टियों से बकाया राशियां वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) विभिन्न केन्द्रों में जीवन बीमा निगम के स्वामित्व में, बड़ी संख्या में सम्पत्तियां तथा भवन हैं तथा इन भवनों में से कुछेक को बाहर वालों को पट्टे पर दिया गया है। केवल बम्बई मे ही जीवन बीमा निगम के भवनों में 2063 किराएदार हैं। अन्य केन्द्रों, अर्थात् कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद इत्यादि और पंजाब में 1294 किराएदार हैं।

(ख) और (ग). जी, नहीं। फिर भी, कुछ पुराने भवनों का किराया कम है जबकि उनके रखरखाव का खर्च ज्यादा है।

(घ) पटटा किराया की बकाया राशि तथा भुगतान न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध किराया वसूल करने/जगह खाली कराने के सम्बन्ध में कार्रवाई की जाती है।

रत्नागिरि की एल्यूमिनियम परियोजना

3712. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने रत्नागिरि की एल्यूमिनियम परियोजना पर अब तक कितनी राशि व्यय की हैं;

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस परियोजना पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना को आरम्भ करने के लिए किस एजेंसी को नियुक्त किया है; और

(घ) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) रु० 19[illegible].91 लाख (अनन्तिम), 31 मार्च, 1985 तक।

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए खर्च की भारत सरकार को जानकारी नहीं है।

(ग) सरकारी क्षेत्र का उपक्रम, भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि०।

(घ) हाल ही में खनिज गवेषण निगम द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कोल्हापुर क्षेत्र में बाक्साइट भंडार के आकलन का काम हाथ में लिया है ताकि वहां आर्थिक महत्व के एक बड़े एल्यूमिना/एल्यूमिनियम संयन्त्र की स्थापना की सम्भावना के बारे में अन्तिम निर्णय किया जा सके।

जहाज तोड़ने के केन्द्र

3713. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में जहाज तोड़ने के कितने केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) इन केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र के कार्यरत केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) से (ग). निम्नलिखित तालिका में स्थिति बतायी गई है :—

	राज्य	स्थल	इकाइयों की संख्या
1.	गुजरात	अलंग	46
			14
		सचना	11
2.	महाराष्ट्र	बम्बई	28 (प्लाट)
		अगरडाण्डा	4
3.	कर्नाटक	टाडरी	1
			1
		मैंगलोर	1
		मालपी	3
		कारवार	2
			1
4.	केरल	बीपोर	1
		अजीकल	1
		कोचीन	1
5.	तमिलनाडु	टूटीकोरिन	1
		वालीनोकम	1
6.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	2
7.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	2 (बर्थ)
			121 (91+30)

बंगलौर सिटी में काफी बोर्ड के डिपो

3714. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर सिटी में काफी बोर्ड के कितने खुदरा बिक्री डिपो हैं;

(ख) क्या ये डिपो लाभ कमा रहे हैं अथवा घाटे में चल रहे हैं; और

(ग) क्या बंगलौर सिटी के सभी क्षेत्र खुदरा बिक्री डिपुओं के अन्तर्गत आते हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) बंगलौर शहर में काफी बोर्ड के पांच बिक्री केन्द्र हैं।

(ख) भारतीय काफी डिपों की शुरूआत काफी के संवर्धन के लिए की गई, न कि व्यापार उद्यम के रूप में । जबकि 1984-85 में बंगलौर में काफी डिपुओं के संबंध में व्यय से आय का अधिक्य 11,59,035 रु० था।

(ग) जी नहीं। यह संभव नहीं है कि बगलौर शहर के सभी क्षेत्रों को कवर किया जा सके क्योंकि आन्तरिक बाजार में बिक्री की गई काफी की सिर्फ 10 प्रतिशत की अधिकतम मात्रा, देश के विभिन्न भागों में निर्धारित मूल्यों पर ऐसे डिपुओं के द्वारा रिलीज की जाती है ताकि उससे खुले बाजार में बेची जाने वाली काफी के लिए कीमत स्तर में एक प्रवृत्ति बनी रहे।

कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए अनुदेश

3715. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को अनुदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मार्गनिर्देश और अनुदेश क्या हैं;

(ग) क्या ये अनुदेश उन सभी शाखाओं में पहुंच गये है, जहां इनका कार्यान्वयन किया जाना है; और

(घ) यदि हां, तो इन अनुदेशों के प्राप्त होने के बाद शाखाओं ने इस दिशा में क्या प्रगति की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ कमजोर वर्गों को ऋण सहायता देने के लिए समय-समय पर मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इन मार्गनिर्देशों का सम्बन्ध मुख्यत: आवेदन फार्मों, ऋण प्रक्रिया, मार्जिन मनी, जमानत के मापदण्ड और ब्याज दर से है। अनुदेशों में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि मार्च, 1985 के अन्त तक कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले अग्रिमों की राशि निवल बैंक ऋण के 10 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच जानी चाहिए।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने इन अनुदेशों से सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में परिचारित किया है और उन्हें इनकी प्रतियां अपनी सभी शाखाओं में आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने के लिए

कहा है। बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक को इस बात की पुष्टि कर दी है कि ये अनुदेश उनकी सभी शाखाओं में भेज दिए गए हैं।

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण लोगों के लिए मुख्य कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं और छठी आयोजना अवधि के दौरान इसमें हुई प्रगति नीचे दी गई है :

छठी आयोजना अवधि के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) का कार्यान्वयन

	1980-85 (छठी आयोजना अवधि)
1. हिताधिकारियों की संख्या (लक्ष्य)	1.5 करोड़
2. वास्तविक हिताधिकारियों की संख्या	1.642 करोड़
3. संवितरित सावधि ऋण (करोड़ रुपए)	3080.41 रुपए

इसके अतिरिक्त कमजोर वर्गों को ऋण देने में हुई प्रगति नीचे दी गई है :—

	बकाया (करोड़ रुपए) (31 मार्च, 1985 को)
(i) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिम	17971.14
(ii) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में कमजोर वर्गों के अग्रिम	4072.19
(iii) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में कमजोर वर्गों का प्रतिशत (लक्ष्य 25 प्रतिशत)	22.7
(iv) कुल अग्रिमों में कमजोर वर्गों के अग्रिमों का प्रतिशत (लक्ष्य 10 प्रतिशत)	9.4

गैर-सरकारी क्षेत्र के उपयोग के लिए खनन क्षेत्रों को आरक्षित न रखने के बारे में निर्णय

3717. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ खनन क्षेत्र को गैर-सरकारी क्षेत्रों के उपयोग के लिए आरक्षित न रखने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र की उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें खनन क्षेत्रों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी;

(घ) अनराक्षित खनन क्षेत्र, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में, कहां-कहां स्थित है; और

(ङ) गैर-सरकारी क्षेत्र को दी जाने वाली खानों का विवरण क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) खनिज सलाहकार परिषद की सिफारिश के अनुसरण में प्रायवेट सेक्टर में दोहन हेतु कुछ खनन क्षेत्रों को आरक्षण युक्त करने के प्रश्न पर विचार हेतु खान विभाग में एक समिति का गठन किया गया है।

(ख) से (ङ). खनन क्षेत्रों के दोहन हेतु अनुमति प्राप्त प्रायवेट कम्पनियों के नाम, आरक्षण-मुक्त खनन क्षेत्रो के स्थल तथा प्रायवेट सेक्टर को दी जाने वाली प्रस्तावित खानों के विवरण की विस्तृत जानकारी समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद ही सुलभ होगी।

[हिन्दी]

री-रोलिंग इंडस्ट्री के विकास के लिए सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक एकक स्थापित करने का प्रस्ताव

3718. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या री-रोलिंग इंडस्ट्री आयरन रॉड और रोल्ड रॉड सप्लाई करने का मुख्य साधन है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग द्वारा निर्माण की जाने वाली राइस और रोल्ड राइस का उत्पादन प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या री-रोलिंग इंडस्ट्री के और आगे विकास के लिए सरकार का सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो यह एकक किस-किस स्थान पर लगाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में री-रोलिंग के औद्योगिक एकक स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) और (ख). जी हां। इस्पात पुन-र्वेलन उद्योग देश में छड़ों तथा गोल छड़ों की लगभग 75 प्रतिशत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

(ग) से (छ). ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कच्चे लोहे के वितरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के परिवर्तन

3719. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे लोहे की उपलब्ध मात्रा का उचित वितरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से और लोहे की देश में आवश्यकता पूरी करने के लिए इसके वितरण के लिए बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गरीब लोगों को इन परिवर्तनों से लाभ हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो उन्हें क्या-क्या लाभ मिल रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) और (ख). सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों द्वारा उत्पादित कच्चे लोहे का वितरण संयुक्त संयंत्र समिति के वितरण सम्बन्धी मार्गदर्शी-सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। ये मार्गदर्शी-सिद्धांत अन्तिम बार वर्ष 1980 में जारी किए गए थे और इनकी समीक्षा की जा रही है।

(ग) से (ङ). कच्चे लोहे की सप्लाई ढलाईघरों तथा स्लीपर निर्माताओं जैसे अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को की जा रही है। यह मद उद्योगों के उपयोग के लिए है और जहां तक गरीब लोगों का सम्बन्ध है इस मद का उपभोक्ताओं के उपयोग से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

[अनुवाद]

कोयले की मांग

3720. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा नीति सम्बन्धी कार्यकारी दल ने 1979 में वह पूर्वानुमान लगाया था कि भारत में कोयले की मांग परम्परागत रूप से बढ़कर सन् 2000 तक 42 करोड़ 70 लाख टन हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या कोल इंडिया लि० ने अभी हाल ही में लगाए गए पूर्वानुमान में इस अत्यधिक कमी कर दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके अनुसार इस वर्ष के लिए इसकी अधिकतम सीमा 38 करोड़ टन एवं न्यूनतम सीमा 34 करोड़ टन बैठती है;

(घ) यदि हां, तो इस अत्यधिक कटौती के क्या मुख्य कारण बताए गए हैं; और

(ङ) यह देखने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं कि 1979 की नीति को जारी रखा जाए ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). ऊर्जा नीति सम्बन्धी कार्यकारी ग्रुप ने 1979 में यह निर्धारण किया था कि इष्टतम स्तर पर पूर्व अनुमान लगाया जाए तो सन् 2000 ईस्वी में कोयले की मांग 427 मिलियन टन होगी। कोल इण्डिया लि० ने अपने नवीनतम निर्धारण में यह अनुमान लगाया है कि इष्टतम स्तर पूर्व-अनुमान के अनुसार यह मांग 380 मिलियन टन होगी। इस कुल 380 मिलियन टन में से 340 मिलियन टन मांग कोल इण्डिया लि० से होने का अनुमान लगाया गया है। कोयले की मांग को संशोधित करके कम करने का मुख्य कारण यह है कि ऊर्जा नीति सम्बन्धी कार्यकारी ग्रुप की रिपोर्ट 1979 में प्रकाशित होने के बाद बीच के पांच वर्षों में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कोयले की उपभोक्ता मांग अनुमान के अनुसार नहीं रही और सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सेवा क्षेत्र का अंश काफी बढ़ गया। कोल इण्डिया लि० का नवीनतम उदाहरण अब उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है।

यदि भविष्य में कोयले के उपभोग को प्रभावित करने वाले तथ्यों में कोई परिवर्तन हो गया तो माँग के इस अनुमान में फिर संशोधन किया जा सकता है।

अफ्रीका के बाजार में भारतीय इन्जीनियरी माल के निर्यातकों को स्थान न मिलना

3721. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीका के बाजार में चीन, दक्षिण कोरिया और तायवान जैसे देशों से भारतीय इन्जीनियरी माल के निर्यातकों को स्थान प्राप्त करने से वंचित कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका मुख्य कारण यह है कि ये देश 5 से 15 प्रतिशत सस्ता माल बेच रहे हैं;

(ग) क्या वर्ष 1983-84 में देश के कुल 1,170 करोड़ रुपये के इन्जीनियरी निर्यात में 205 करोड़ रुपये का निर्यात अफ्रीका को किया गया था और वर्ष 1984-85 में देश के कुल 1300 करोड़ रुपये के निर्यात में अफ्रीका को केवल 200 करोड़ रुपये के इन्जीनियरी माल का निर्यात किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास कर रही है कि भारतीय इन्जिनियरी माल को अफ्रीका बाजार में स्थान मिल सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग). बहुत से भारतीय इन्जीनियरी माल को अफ्रीका देशों में चीन, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे अनेक देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।

(घ) अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा के अलावा अफ्रीकी देशों को इन्जीनियरी माल के निर्यातों में गिरावट का प्रमुख कारण कतिपय पूर्वी तथा पश्चिम अफ्रीकी देशों द्वारा अनुभव की जा रही भुगतान की समस्याएं हैं।

(ङ) सरकार ने इन्जीनियरी माल का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं : अन्तर्राष्ट्रीय कीमत वापसी योजना जारी रखना और उस पर बल देना, निर्यात उत्पादन हेतु आयात का उदारीकरण, निर्यातों के लिए सम्पर्क सौदे और कुछ देशों के लिए ऋण प्रणालियां।

राजस्थान में हेरोइन का पकड़ा जाना

3722. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** :

श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

श्री शांति धारीवाल :

श्री मानिक रेड्डी :

श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जुलाई, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उस

समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि राजस्थान में 16 करोड़ रुपए मूल्य की हैरोइन पकड़ी गई है, जो देश के इतिहास में नशीली पदार्थ के पकड़े जाने का सबसे बड़ा मामला है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हाँ।

(ख) तस्करों के एक हथियारबन्द गिरोह और बाड़मेर सैक्टर के भूतपूर्व बी० ओ० पी०, पंचाला सीमा सुरक्षा बल के गश्ती दल के बीच, दिनांक 17 जुलाई, 1985 को हुई एक मुठभेड़ के दौरान, सीमा सुरक्षा बल ने हेरोइन कहा जाने वाला पदार्थ अभिगृहीत किया जिसका वजन 325.740 किलोग्राम था। सीमा सुरक्षा बल के अनुसार उसका मूल्य 16.29 करोड़ रुपए है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तस्करों द्वारा इस्तेमाल किए गए छह ऊंट मारे गए थे, एक घायल हुआ था और एक जिन्दा पकड़ लिया गया था।

(ग) चूंकि तस्करी भाग निकले थे, इसलिए कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। बी० एस० एफ० ने निषिद्ध माल को सीमाशुल्क अधिकारियों को और शस्त्रास्त्र तथा गोलाबारूद को स्थानीय पुलिस को समुचित कार्रवाई के लिए सौंप दिया था।

हीरों के निर्यात को बढ़ाने के उपाय

3723. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीरों का निर्यात, जो भारत का प्रमुख निर्यात व्यापार है, तेजी से कम हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार हीरों का निर्यात को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) से (घ). पिछले वर्ष किए गए हीरे के निर्यात पूर्ववर्ती वर्ष में किए गए निर्यातों की तुलना में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं दर्शाते। 1984-85 के दौरान निर्यातों के स्तर लगभग वही रहे जो 1983-84 में थे। खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत, आवश्यक उपस्कर तथा औजार आयात करने की सुविधा, कई आवश्यक उपस्कर और औजारों पर से आयात शुल्क में कमी तथा विदेशी बाजरों में प्रतिनिधि मण्डलों को प्रायोजित करना आदि जैसे कई कदम हीरों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाए गए।

क्षेत्रीय, प्रौद्योगिकी केन्द्र को बंगलौर से स्थानान्तरण करना

3724. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** :

श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी केन्द्र को बंगलौर से स्थानांतरित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस केन्द्र को स्थानांतरित न करने के लिए अनुरोध किया था; और

(घ) इस केन्द्र को स्थानांतरित करके किस स्थान पर ले जाया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयात किये गए मेवों का सुपुर्दगी दिये बिना बम्बई बन्दरगाह पर पड़े रहना

3725. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सहकारी एजेंसियों द्वारा आयात किये गये लाखों रुपए के मूल्य के मेवों की भारी मात्रा, आयात ऋय देश दिए जाने और माल के आने के बीच की अवधि में एजेंसियों के आयात लाइसेंस रद्द कर दिये जाने के परिणामस्वरूप बम्बई बन्दरगाह में सुपुर्दगी दिये बिना पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) क्या सरकार का कोई ऐसा उपाय ढूंढ निकालने का विचार है जिससे कि इन मेवों की देश में उपयोग के लिए सुपुर्दगी दी जा सके ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मणिपुर घाटी में विद्युत करघा का प्रचलन प्रारम्भ करना

3726. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर सरकार ने केन्द्र सरकार से मणिपुर घाटी में विद्युती करघे का प्रचलन प्रारम्भ हेतु सहायता देने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार हाल ही में गठित विद्युत करघा बोर्ड की आगामी बैठक में इस मामले पर विचार करने का है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख). यद्यपि ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ मालूम होता है, तथापि उचित पंजीकरण के साथ विद्युत चालित करघे स्थापित करने पर अभी कोई रोक नहीं है।

(ग) बोर्ड, देश सभी भागों में विद्युत चालित करघों के उचित विकास सम्बन्धी मामलों पर विचार करता है तथा सरकार को सलाह देता है।

सी० आई० चादरों की काले बाजार में बिक्री

3727. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए "सी० आई०" चादरों का कोटा माल उठाने की प्रभारी एजेंसियों द्वारा राज्य के बाहर काले बाजार में बेच दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रथा को बन्द करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उपर्युक्त राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के इस मामले की जांच करने का है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) निकट भविष्य में ऐसा कोई मामला इस्पात विभाग के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यदि विशिष्ट शिकायतें सरकार के ध्यान में लायी गईं तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

बंगलादेश से सूखी मछली का आयात

3728. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने बंगलादेश से सूखी मछली का आयात करना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो कब से और उसके क्या कारण कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो कितनी मात्रा का व्यापार होता था और क्या सरकार का विचार आयात को समाप्त करने के लिए देश में उत्पादन बढ़ाने का है; और

(घ) क्या सरकार ने इस दिशा में कोई कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (**श्री पी० ए० संगमा**) : (क) से (घ). पिछले पांच वर्षों के दौरान बंगलादेश से भारत को सूखी मछली का आयात नगण्य रहा। 1981-82 के दौरान केवल कुछ हजार रु० मूल्य की सूखी मछली का आयात किया गया।

अपनी आन्तरिक खपत आवश्यकताओं को देखते हुए बंगलादेश इस स्थिति में नहीं है कि वह भारत को मछली दे सके।

सरकार ने, राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्रों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं तथा कार्यक्रमों के द्वारा देश में मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

भारतीय स्टेट बैंक खलीलाबाद द्वारा बस्ती उत्तर प्रदेश के लोगों को दिया गया ऋण

3729. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक, खलीलाबाद ने उद्योग स्थापित करने के लिए अब तक बस्ती, उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को और कितना ऋण दिया है;

(ख) क्या ऋण के रूप में दी गई पूर्ण धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (**श्री जनार्दन पुजारी**) : (क) से (घ). भारतीय रिजर्व

बैंक ने बताया है कि उसके द्वारा शाखा-वार आंकड़े नहीं रखे जाते। अलबत्ता, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में उद्योग और लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत ऋणकर्त्ताओं के सम्बन्ध मे जून, 1981 को समाप्त तिमाही (सबसे हाल के उपलब्ध) में खातों की संख्या और बकाया राशि इस प्रकार है :

	उद्योग	लघु उद्योग
खातों की संख्या	2896	2844
बकाया राशि	813.35	131.71

(लाख रुपए)

चूंकि ऋणकर्त्ता द्वारा ली जाने वाली कार्यचालन पूंजी सुविधा सामान्यत: नकद ऋण के रूप में होती है इसलिए यह सम्बन्धित ऋणकर्ता पर निर्भर करता है कि वह इस सुविधा का उपयोग करे या न करे। लेकिन, सावधि ऋण सहायता, जो उपस्करों/मशीनरी की खरीद के साथ जुड़ी होती है ऐसे उपस्कर/मशीनरी खरीदने पर पूरी की पूरी संवितरित कर दी जाती है।

बस्ती और गोरखपुर जिलों में आयकर के लम्बित मामले

3730. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बस्ती और गोरखपुर जिलों में आयकर अधिकारियों के पास लम्बित पड़े मामलों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार इनके निपटान के लिए कोई कदम उठाने जा रही है;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है जिसे प्राप्त होते ही सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता

3731. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1983 में पिछले अवसर पर अन्तरिम सहायता मंजूर करते समय जिन पुराने सिद्धान्तों और मापदण्डों को अपनाया था, उन्हें ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अन्तरिम सहायता मंजूर की है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 300-599 रुपए के बीच वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 1983 में मंजूर की गई राशि से कम राशि मिलेगी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इसके सुधार के लिए कुछ कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1-6-1983 से स्वीकृत अन्तरिम राहत की किस्त का निर्णय राष्ट्रीय परिषद (जे० सी० एम०) की स्थायी समिति में विचार विमर्श किए जाने के बाद किया गया था। 1-3-1985 से स्वीकृत अन्तरिम राहत की दूसरी किस्त

चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दी गयी है। आयोग के विचारार्थ विषयों में संशोधन किया गया ताकि आयोग ऐसी अन्तरिम प्रकार की राहत देने पर विचार कर सके।

(ख) जी, हां।

(ग) वेतन खण्डों के लिए निश्चित राशियां 1-6-1983 से अन्तरिम राहत के रूप में दी गई थीं। 1-3-1985 से दी गयी अन्तरिम राहत 50/-रु० प्रति माह के न्यूनतम की शर्त के अधीन रहते हुए मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर पर है।

(घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

कोयला धोवनशालाओं से निकली गाद का उपयोग

3732. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इण्डिया लि० की कोयला धोवनशालाओं से निकली गाद का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) क्या यह सच है कि कोल इण्डिया लिमिटेड से निकली गाद को कुछ लोग गैर-सरकारी क्षेत्रों को बेचकर लाखों रुपए रोजाना कमा रहे हैं?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख). भारत कोकिंग कोल० लि०, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की वाशरियों से निकाली गयी स्लरी को इस काम के लिए बनाए गए तालाबों से निकाल लिया जाता है तथा उसे किस्म के अनुसार साफ कोयले या मिडलिंग्स के साथ मिला लिया जाता है। इस स्लरी का एक भाग से० को० लि० द्वारा निविदा आमंत्रित करके भी निपटा दिया जाता है तथा निविदादाता उसमें साफ्ट कोक बनाकर उसका निपटान करते हैं।

जो बहुत बारीक स्लरी तालाबों में नीचे नहीं बैठती है वह बह जाती है। ऐसी स्लरी को मशीनों द्वारा या मजदूरों के जरिए निकालना सम्भव नहीं है क्योंकि यह प्रक्रिया व्यापारिक दृष्टि से लाभकर नहीं होगी और तकनीकी दृष्टि से बहुत कठिन है। भा० को० को० लि० की अपनी जमीनों से तथा अन्य जमीनों से इस प्रकार की स्लरी का पट्टा बिहार सरकार ने गैर-सरकारी पार्टियों को दे दिया है। इस प्रक्रिया में इन पार्टियों को जो मुनाफा मिलता है वह हमें ज्ञात नहीं है।

कोल इण्डिया लिमिटेड में कल्याण योजनाओं पर व्यय की गई राशि

3733. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984-85 के दौरान कोल इंडिया लि० की विभिन्न सहयोगी कंपनियों में कल्याण योजनाओं के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गयी है; और

(ख) इस राशि में से विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं पर अलग-अलग किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोल इंडिया लि० की कोयला खानों और कोयला परियोजनाओं में उत्पादित कोयले को मापने एवं तौलने के तरीके

3734. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** : क्या इस्पात खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० की कोयला खानों और कोयला परियोजनाओं में उत्पादित कोयले के भंडार के मापने/तोलने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या वर्ष के अन्त में कोई वास्तविक जांच की जाती है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 की वास्तविक जांच के दौरान भंडार सम्बन्धी रजिस्टरों (स्टाक बुक्स) और मौजूदा भंडार में खान वार तथा परियोजना वार कितना अन्तर पाया गया है; और

(घ) यदि कोयले का वार्षिक भण्डार ग्रहण अभी तक नहीं किया गया है तो सरकार द्वारा इसे कब और कैसे किए जाने का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) कोयले के स्टाकों की माप मात्रामिति आधार पर की जाती है और उपयुक्त घनत्व कारक लागू करके टनों में मात्रा निकाली जाती है। सहायक कम्पनियों द्वारा मासिक, छिमाई और वार्षिक आधार पर अपनी सर्वेक्षण की टीमों से माप कराने के अलावा कोल इण्डिया लि० की कोयला सामग्री-सूची टीम भी वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रत्येक कोलियरी के स्टाकों की माप तौल करती है। इस टीम के सदस्य केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लि० के क्षेत्रीय संस्थानों तथा कोलइंडिया लि० की सहायक कम्पनियों दोनों के ही अधिकारियों में से लिए जाते हैं। एक कोयला क्षेत्र से जो टीम बनाई जाती है वह दूसरे कोयला क्षेत्रों में जाकर मापतौल करती है।

(ख) जी, हां। दिनांक 1-4-1985 को कोल इण्डिया लि० की सभी सहायक कम्पनियों की कोलियरियों में स्टाकों का भौतिक सत्यापन पहले ही पूरा किया जा चुका है।

(ग) दिनांक 1-4-1985 को स्टाकों की भौतिक स्थिति और खाता स्थिति की कम्पनीवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। कोलियरीवार स्टाक स्थिति की सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

कोल इण्डिया लि० की 1984-85 के लिए कोयला स्टाक सामग्री-सूची टीमें

स्टाक में कमी की कम्पनी-वार कुल स्थिति

(आंकड़े लाख टनों में)

कम्पनी	स्टाक	मापा गया स्टाक	कमी *	
			ए०बी०एस०	प्रतिशत
1. ई० को० लि०	48.02	45.96	(—) 2.06	4.3
2. भा० को० को० लि०	44.48	53.91	(—) 0.57	1.3

3. से० को०लि०	128.37	125.75	(—) 2.62	2.0
4. वे० को० लि०	66.60	66.12	(—) 0.48	0.7

*यह आंकड़े कम्पनी के अधीन सभी खानों में कमी की बीजगणितीय जोड़ है।

कोकिंग कोल का उत्पादन

3735. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, मई और जून 1984 में हुए कोकिंग कोल के उत्पादन की तुलना में वर्ष 1985 के इन्हीं महीनों में कोकिंग कोल का कितना उत्पादन हुआ है और निर्धारित लक्ष्य की तुलना में यह उत्पादन कितना है?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : अप्रैल से जून, 1985-86 एवं उसी अवधि में गत वर्ष 1984-85 में हुए कोककर कोयले के तुलनात्मक उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(आंकड़े मिलियन टन में)

महीना	लक्ष्य	कोककर कोयला उत्पादन	
	1985-86	1985-86	1984-85
अप्रैल—	2.61	2.27	2.62
मई—	2.63	2.35	2.53
जून—	2.57	2.26	2.31
कुल :	7.81	6.88	7.46

[अनुवाद]

योजना और गैर-योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्रप्रदेश को धनराशि

3736. **श्री के० एस० राव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश को गत तीन वर्षों के दौरान योजना और गैर-योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) यह धनराशि अन्य राज्यों की तुलना में कितनी है; और

(ग) क्या इस धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया गया है जिसके लिए दी गयी थी और क्या अपेक्षित विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत कर दी गई हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल रखा जाता है।

(ग) राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्याशित व्यय के विवरण के आधार पर राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं। बाद में व्यय के लेखा-परीक्षित आंकड़ों के आधार पर लेखे तय किए जाते हैं।

विवरण

योजनागत और योजना-भिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों (1982-85) के दौरान राज्यों को जारी की गई निधियां

(करोड़ रुपए)

		1982-85	
	राज्य	योजना	योजना-भिन्न**
1.	आंध्र प्रदेश	1168.24	144.99
2.	असम	1279.78	85.31
3.	बिहार	1468.67	112.27
4.	गुजरात	731.43	149.79
5.	हरियाणा	327.11	58.62
6.	हिमाचल प्रदेश	428.57	18.57
7.	जम्मू और कश्मीर	558.28	345.33
8.	कर्णाटक	687.24	63.30
9.	केरल	549.21	130.89
10.	मध्य प्रदेश	1310.23	158.38
11.	महाराष्ट्र	1225.58	129.11
12.	मणिपुर	298.30*	
13.	मेघालय	214.12	15.42
14.	नागालैंड	252.30	16.26
15.	उड़ीसा	934.26	377.32
16.	पंजाब	799.36*	
17.	राजस्थान	925.30	100.15
18.	सिक्किम	117.43	5.99
19.	तमिलनाडु	919.78	57.71
20.	त्रिपुरा	236.55	10.22
21.	उत्तर प्रदेश	2399.77	275.36
22.	पश्चिम बंगाल	1088.23	150.18

*योजना भिन्न राशियां भी शामिल हैं।

**सांविधिक अनुदान और लघु बचत ऋण शामिल नहीं हैं क्योंकि ये किसी विशेष कार्यक्रम के लिए नहीं दिये जाते।

महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के एकक

3737. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में कुल कितने एकक हैं;

(ख) महाराष्ट्र में ऐसे कितने एकक हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के कुछ और एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव का जिलावार ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 15-3-1985 को लोक सभा-पटल पर रखे गये लोक उद्यम सर्वेक्षण 1983-84 के अनुसार 31-3-1984 को केन्द्रीय सरकार के 210 औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रम चालू थे।

(ख) अनेक केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के कार्य एक से अधिक राज्यों में फैले हुए हैं। किन्तु जहां तक उनके पंजीकृत कार्यालयों के स्थान का प्रश्न है, 25 सरकारी उद्यम महाराष्ट्र में स्थित हैं।

(ग) और (घ). चूंकि, सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है, अतः इसके बारे में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने के लिए निर्धारित लक्ष्य

3738. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है;

(ख) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे किसानों और पिछड़े वर्गों को ऋण देने का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी नीति के अनुसार ठीक ढंग से कार्य न करने वाले बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) मार्च, 1985 के अन्त तक, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को कुल बैंक ऋण का कम से कम 40 प्रतिशत हिस्सा देने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

(ख) और (ग). बैंकों को कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए अलग से उप लक्ष्य दिए गए हैं। इन वर्गों में छोटे किसान और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोग आते हैं। बैंकों से मार्च, 1985 के अन्त तक कुल बैंक ऋण में कमजोर वर्गों का हिस्सा बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक करने के लिए कहा गया था। मार्च, 1985 के अन्त तक, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उनके कुल अग्रिमों का 9.4 प्रतिशत अग्रिम कमजोर वर्गों को दिये गए थे। उन बैंकों से, जो मार्च, 1985 तक कमजोर वर्गों को ऋण देने के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके थे, यह लक्ष्यजल्दी प्राप्त करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

गांवों और ग्रामीण जिला मुख्यालयों में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की दुकानों की संख्या

3739. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की दुकानों में महिलाओं की एक साड़ी और पुरुषों की एक धोती का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य कितना है;

(ख) भारत में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की दुकानों की संख्या कितनी है और इनमें से कितनी दुकानें गांवों अथवा ग्रामीण जिला मुख्यालयों में हैं;

(ग) क्या माल सप्लाई न किये जाने के कारण अनेक एजेंसियों का कारोबार कम हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) एन० टी० सी० दुकानों में साड़ियों तथा धोतियों की कीमतों की सीमा निम्नोक्त प्रकार है :

	न्यूनतम मूल्य (रु०)	अधिकतम मूल्य (रु०)
(1) साड़ी	13.05	215.50
(2) धोती	10.40	140.00

न्यूनतम कीमतें नियन्त्रित कपड़े की साड़ी अथवा धोती के लिए हैं, जिन पर 2.00 रु० प्रति मीटर के हिसाब से अनुदान दिया जाता है।

(ख) इस समय देश में एन० टी० सी० की दुकानों की संख्या 399 है। राज्यों की राजधानियों/संघ क्षेत्रों के हेडक्वार्टरों में दुकानों की संख्या 79 है, शेष 320 बाकी देश में हैं।

(ग) और (घ). नियमित रूप से माल की प्रति पूर्ति के लिए प्रणाली है। तथापि, थोड़ी अवधि के लिए कभी कभार पूर्ति में विघटन उत्पादन सम्बन्धी बाध्यताओं उदाहरणार्थ, सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी आदि के कारण आ सकती है।

कपास का आयात

3740. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थानीय कपास भण्डार का जायजा लिये बिना ही कपास का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा की कमी की स्थिति को देखते हुए इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि कपास उत्पादकों तथा भविष्य के कपास उत्पादन को इससे कितना धक्का लगेगा जैसाकि वनस्पति, तेल, दूध पदार्थों के आयात (उपहार तथा वाणिज्यिक) तथा चीनी आदि के आयात से हुआ है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ग). सरकार द्वारा

समय-समय पर रुई की स्थिति की समीक्षा की जाती है और रुई के निर्यात तथा आयात सम्बन्धी निर्णय लिया जाता है। रुई सलाहकार बोर्ड द्वारा किए गए अन्तिम मूल्यांकन के अनुसार चालू रुई सीजन द्वारान लघु/मध्यम रेशा रुई की कमी और लम्बे और अधिक लम्बे वाली रुई में अधिशेष से जाने की संभावना है। अत: सरकार द्वारा चालू रुई सीजन के दौरान रेशे वाली रुई की एक लाख गांठें आयात करने और लम्बे और अधिक लम्बे रेशे वाली रूई की 2.95 लाख गाठों की मात्रा निर्यात करने का निश्चिय किया गया है। रूई के आयात से रूई के राजकर्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और रुई के भावी उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परेषण कर विधेयक पुर:स्थापित करना

3741. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परेषण कर विधेयक पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह विधेयक कब पुर:स्थापित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन 28 मई, 1984 को हुआ था जिसमें संविधान (46 वां संशोधन) अधिनियम, 1982 के परिणामस्वरूप माल के अन्तर्राज्यीय परेषण पर कर लगाने के लिए कानून बनाने के विभिन्न पहलुओं की सर्वसम्मति से सिफारिश की गई। चूंकि अन्तर्ग्रस्त कुछ मामलों को सुलझाया जाना है इसलिए, अभी कोई निर्णय लेना सम्भव नहीं है।

अप्रत्यक्ष करों से आय

3742. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को वर्ष 1984-85 के दौरान प्रत्यक्ष करों से कुल कितनी आय हुई और उसका शीर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने वर्ष 1984-85 के दौरान राज सहायता के रूप में कुल कितनी राशि अदा की और उसका शीर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के 1984-85 के संशोधित अनुमानों में शामिल किए गए अप्रत्यक्ष करों और आर्थिक सहायताओं के ब्यौरों का विवरण संलग्न है।

विवरण

1984-85 के संशोधित अनुमानों के अनुसार अप्रत्यक्ष करों से प्राप्तियों और आर्थिक सहायताओं की अदायगी पर हुआ व्यय

(क) अप्रत्यक्ष कर :	(करोड़ रुपए)
1. सीमा शुल्क	7100
2. संघीय उत्पाद शुल्क	11168

3. राज्य उत्पाद शुल्क	100
4. बिक्री कर	280
5. वाहनों पर कर	12
6. माल और यात्रियों पर कर	23
7. बिजली पर कर और शुल्क	2
8. अन्य अप्रत्यक्ष कर और शुल्क	40
जोड़—अप्रत्यक्ष कर	18725

(ख) आर्थिक सहायतायें :

1. खाद्य सम्बन्धी आर्थिक सहायता	1100
2. उर्वरक सम्बन्धी आर्थिक सहायता	
—स्वदेशी उर्वरक	1200
—आयातित उर्वरक	632
3. निर्यात सम्बन्धी आर्थिक सहायता	499
4. चीनी पर निर्यात सम्बन्धी आर्थिक सहायता	38
5. नियन्त्रित कपड़े पर आर्थिक सहायता	53
6. आयात की गई रुई पर आर्थिक सहायता	18
7. आयात किए गए वसा अम्लों पर आर्थिक सहायता	41
8. चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में नई औद्योगिकी यूनिटों आदि के लिए आर्थिक सहायता	85
9. रेलों को आर्थिक सहायता	98
10. माध्यम आकार के जहाजों के निर्माण के लिए पोत-कारखानों को आर्थिक सहायता	12
11. निम्नलिखित को ब्याज सम्बन्धी आर्थिक सहायता	
(i) राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग निगम	173
(ii) स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लि०	139
(iii) कोल इण्डिया लि०	58
(iv) भारतीय उर्वरक निगम	46
(v) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड	35
(vi) खादी और ग्रामोद्योग आयोग	34

(vii) नौपरिवहन विकास निधि समिति	28
(viii) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०	26
(ix) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०	11
(x) बर्न स्टेंडर्ड कम्पनी लि०	11
12. अन्य आर्थिक सहायताएँ :	85
जोड़—आर्थिक सहायताएं	4422*

* इसमें राज्य सरकारों के माध्यम से दी गई आर्थिक सहायताएँ शामिल नहीं हैं।

बैंकिंग उद्योग का यन्त्रीकरण

3743. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बैंकिंग उद्योग यन्त्रीकरण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और ऐसा करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि हमारे देश में बैंकिंग उद्योग का यन्त्रीकरण करने से बेरोजगारी की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंक द्वारा जुलाई, 1983 में बैंकिंग उद्योग के यन्त्रीकरण के सम्बन्ध में डा० रंगराजन की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली है और इसके बाद भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को उक्त समिति की सिफारिशों को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने के लिए कहा है। सरकार बैंकों में कम्प्यूटर और मशीनें लगाना आवश्यक समझती हैं क्योंकि इससे बैंकों को बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने अपने आन्तरिक प्रबन्ध को सुधारने और बेहतर सूचना प्रणाली का विकास करने और अन्तोगत्वा बैंकों में कार्यकुशलता को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

भारतीय बैंक संघ ने सितम्बर 1983 में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ, राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी महासंघ और भारतीय राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी कांग्रेस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ साथ बैंकों में कम्प्यूटर और मशीनें लगाने का प्रावधान है। समझौते में यह परिकल्पना की गयी है कि बैंकों में मशीनें और कम्प्यूटर लगाने में कोई छंटनी नहीं होगी।

[हिन्दी]

अजमेर में जीवन बीमा निगम के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

3744. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जीवन बीमा निगम के अजमेर (राजस्थान) स्थित कानूनी और संघक

विभाग के कई अधिकारियों के विरुद्ध, अपने ग्राहकों को तंग करने और ऋण देने के मामलों में भ्रष्टाचार सम्बन्धी कार्यों में उनके शामिल होने के बारे में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). जी, नहीं। तथापि, भारतीय जीवन बीमा निगम अजमेर के कानून और बन्धक विभाग के एक अधिकारी के अभद्र व्यवहार तथा दलगत राजनीति में संलग्न होने के विरुद्ध हाल ही में सरकार को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं था। मामले को भारतीय जीवन बिमा निगम को भेज दिया गया है जहां उस पर समुचित कार्रवाई की जा रही है।

बजट में अनुमानित घाटे को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राजस्व की वसूली

3745. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बजट में अनुमानित घाटे को पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक राजस्व वसूल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय राजस्व की वसूली में वांछनीय वृद्धि हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार बजट अनुमानों से अधिक कर वसूली करने और इस प्रकार बजट घाटे को कम से कम आंशिक रूप से पूरा करने के लिए बहुत उत्सुक है।

(ख) अप्रैल से जुलाई, 1985 तक केन्द्रीय राजस्व वसूली के आंकड़े तथा 1984 में उसी अवधि के लिए तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

	अप्रैल-जुलाई 1985 तक	अप्रैल-जुलाई 1984 तक
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क	6699 करोड़ रु०	5440 करोड़ रु०
प्रत्यक्ष कर	775 करोड़ रु० (लगभग)	691 करोड़ रु०

उपयुक्त आंकड़ों से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय राजस्व की वसूली में वांछनीय वृद्धि स्पष्ट होती है।

[अनुवाद]

नशीले पदार्थों की खेती के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में कमी

3746. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार काले बाजार में अफीम के चोरी छिपे बिक्री को कम करने के उद्देश्य से नशीले पदार्थों की खेती के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को उत्तरोत्तर रूप से कम करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो नशीली औषधियों के व्यापक प्रयोग, विशेषकर युवकों द्वारा प्रयोग किए जाने के सन्दर्भ में अफीम का उत्पादन कम करना सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). भारत निर्यात हेतु वैध अफीम का एक-मात्र उत्पादक है। देश में वर्ष के दौरान उत्पादित वैध अफीम की बहुत बड़ी मात्रा तथा देश में अभिगृहीत अफीम की मात्रा को देखते हुए, अफीम के वैध उत्पादन में से चोरी हुई अफीम की मात्रा नाम-मात्र है। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अन्तर्राष्ट्रीय नारकोटिक नियन्त्रण बोर्ड ने अन्तर्राष्ट्रीय औषध-द्रव्य नियन्त्रण व्यवस्था के कार्यचालन पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आमतौर पर यह अभिव्यक्त किया है कि उक्त अन्तरराष्ट्रीय नियन्त्रण व्यवस्था, जहां तक उसका सम्बन्ध चिकित्सा और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए वैध अफीम को लाने-ले-जाने से है, सामान्यतया संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है तथा वैध निर्माण का अपवर्तन और व्यापार नाम मात्र का है।

तथापि, विश्व में कच्ची नारकोटिक सामग्री की अत्यधिक सप्लाई के कारण भारत को वैकल्पिक कच्ची सामग्री की वजह से प्रतिस्पर्द्धा का अधिकाधिक सामना करना पड़ रहा है। इसके परिणामतः सरकारी कारखानों में बड़ी मात्रा में स्टाक एकत्र हो गया है। इसलिए, सरकार पिछले कुछ वर्षों के दौरान पोस्त की काश्त करने वाले तीन राज्यों में एक क्रमबद्ध तरीके से पोस्त की काश्त का रकबा कम करने के लिए विवश हो गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के उत्पाद मिश्र

3747. **श्रीमती विशोरी सिंह** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे यह समझते हैं कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के उत्पाद मिश्र इन उत्पादों की मांग पद्धति के अनुरूप होते हैं;

(ख) यदि हां, तो अनेक मदों के अधिशेष होने के क्या कारण हैं, जबकि अन्य अनेक मदों की कमी है; और

(ग) यदि नहीं, तो उत्पाद मिश्र में परिवर्तन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) बाजार की मांग को पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्र के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की उत्पादन योजनाएं तैयार कर ली गयी हैं।

(ख) और (ग). मांग में उतार-चढ़ाव के कारण किसी समय देश में किसी विशेष क्षेत्र में कुछ मदें आवश्यकता से फालतू हो सकती हैं और उत्पादन में कमी आयी कुछ कठिनाइयों के कारण उत्पादन में कमी और रेलवे द्वारा माल के परिवहन पर लगाए गए प्रतिबन्धों के परिणामस्वरूप कुछ अन्य क्षेत्रों में कुछ मदों की कमी भी हो सकती है। कारखानों की क्षमता के आधार पर यथा-संभव बाजार की मांग के अनुरूप प्रोडक्ट-मिक्स पर मासिक आधार पर निगरानी रखी जाती है।

पश्चिम बंगाल में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

3748. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक और "नबार्ड" द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के कार्यान्वयन का पश्चिम बंगाल सहित 15 राज्यों में मूल्यांकन अध्ययन किया है । पश्चिम बंगाल में हावड़ा और बुर्दवान दो जिलों का जगतबल्लारपुर, आम्ता, मेमरी और रैना के 4 खण्डों का और नमूने के 58 हिताधिकारियों का अध्ययन किया गया। इन 58 हिताधिकारियों में से 45 गरीबी की रेखा को पार कर गए हैं । कार्यक्रम में भाग लेने से पहले, नमूना हिताधिकारियों की वार्षिक औसत आय 1988 रुपए थी जो विकास के बाद बढ़कर 3706 रुपए तक पहुँच गयी अर्थात् इससे हिताधिकारियों की आमदनी में 1718 रुपए की वृद्धि हुई ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के दो खण्डों अर्थात् पोल्वा दादपुर और बालागढ़ का भी अध्ययन किया था जहां से कुछ नमूना हिताधिकारी चुने गए। भारतीय रिजर्व बैंक की अध्ययन रिपोर्ट में कई राज्यों के सम्पूर्ण नमूना अध्ययन का विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन के अनुसार 51 प्रतिशत नमूना हिताधिकारियों की आय में वास्तव में वृद्धि हुई और 17 प्रतिशत गरीबी की रेखा पार करने में सफल हुए ।

आयातित मध्यवर्ती औषधों पर सीमा-शुल्क का ढांचा

3749. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित मध्यवर्ती औषधों पर सीमा-शुल्क की दरें उन्हीं औषधों से बनी आयातित औषधियों पर सीमा-शुल्क की दरों से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसका क्या औचित्य है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). औषध-द्रव्य, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 अथवा 30 के तहत आते हैं और औषध मध्यवर्ती सामान्यतया प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 में आते है। इन अध्यायों के तहत आने वाली मदों पर उद्ग्रहणीय सामान्य कानूनी मूल सीमा- शुल्क 100 प्रतिशत होता है, जबकि साधारणतौर पर औषध-द्रव्यों पर उद्ग्रहणीय प्रभावी मूल सीमा शुल्क मूल्यानुसार 60 प्रतिशत होता है और औषध-मध्यवर्तियों के सम्बन्ध में यह शुल्क मूल्यानुसार 70 प्रतिशत होता है। इसके अतिरिक्त, मूल्यानुसार 40 प्रतिशत की दर से उपसंगी सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के समतुल्य अतिरिक्त (प्रतिसंतुलनकारी) शुल्क भी लगाए जाते हैं। तथापि सम्बन्धित प्रशासी मंत्रालय के साथ परामर्श करके विभिन्न विनिर्दिष्ट औषध-द्रव्यों और औषध मध्यवर्तियों पर उद्ग्रहणीय शुल्क को घटा दिया गया है और इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं को व्याख्यात्मक ज्ञापनों सहित, जिनमें ऐसी छूट दिए जाने के बारे में कारणों का भी उल्लेख किया जाता है, सदन-पटल पर रखा जाता रहा है। जिन औषध मध्यवर्तियों पर उद्ग्रहणीय शुल्क की मात्रा औषध-द्रव्यों से अधिक है, ऐसा औषध मध्यवर्तियों का विवरण देना संभव नहीं है क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है ।

औषध मध्यवर्ती के सम्बन्ध में शुल्क छूट प्रदान किए जाने सम्बन्धी प्रत्येक आवेदन-पत्र की जांच उसके गुणों के आधार पर औषध मध्यवर्तियों के वैकल्पिक उपयोग, देश में उनकी उपलब्धता, आदि को ध्यान में रखकर रसायन और उर्वरक मन्त्रालय के साथ परामर्श करके की जाती है।

सिगरेट बनाने वाली कम्पनियों से उत्पादन-शुल्क की वसूली

3750. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिगरेट बनाने वाली कम्पनियों से पिछले कुछ समय से उत्पादन शुल्क बहुत कम वसूल हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में उनसे वर्षवार और कम्पनी-वार वसूल किए गए उत्पादन शुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कम वसूली की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उत्पादन शुल्क की चोरी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) यह बात जानकारी में आई है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक सिगरेटों से हुई उत्पादन शुल्क की वसूली सन्तोषजनक रही है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा दिल्ली में कश्मीरी कालीनों को जब्त किया जाना

3751. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सीमा शुल्क अधिकारियों ने काश्मीरी कालीनों की कई खेपें, उन्हें अन्य देशों में गन्तव्य स्थानों को भेजे जाने की अनुमति देने से पूर्व नए सिरे से निरीक्षण के लिए जब्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त मामले की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ). यद्यपि आर्ट सिल्क कालीनों का ऊनी कालीनों के रूप में संदिग्ध गलत घोषणा के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना को मद्देनजर रख कर सीमा शुल्क द्वारा औपचारिक रूप से कोई अभिग्रहण नहीं किया गया था, तथापि, कश्मीरी कालीनों की 142 गांठों को दिल्ली सीमा शुल्क विभाग ने निरीक्षण हेतु रोका था। सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में वाणिज्य मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा उक्त खेपों का निरीक्षण किये जाने के बाद, उनके निर्यात की इजाजत दिनांक 29-7-85 को दे दी गई थी।

विदेशी चार्टर्ड मत्स्य-पोतों को आयकर से छूट

3752. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जल सीमा में कार्यरत विदेशी चार्टर्ड मत्स्य-पोतों को आयकर से पूरी छूट दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उस कारण आय कर का कितना घाटा होने का अनुमान है; और

(ग) भारतीय मत्स्य उद्योग को आयकर से यह छूट न देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) मछली पकड़ने वाले विदेशी जलयान के स्वामी की भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने से होने वाली आय भारत में आयकर अदा करने योग्य नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने केवल निम्नलिखित विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के सम्बन्ध में ही आयकर अधिनियम को भारत के महाद्वीपीय मग्नतट भूमि और अनन्य आर्थिक क्षेत्र पर लागू किया है :

(i) भारत के महाद्वीपीय मग्नतट भूमि अथवा भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में खनिज तेलों का पूर्वेक्षण अथवा निष्कर्षण अथवा उत्पादन;

(ii) खण्ड (i) में उल्लिखित किन्हीं भी क्रियाकलापों के सम्बन्ध में किसी पोत, वायुयान, मशीनरी अथवा संयंत्र की किन्हीं सेवाओं अथवा सुविधाओं अथवा सप्लाई (बिक्री अथवा किराये के माध्यम से) की व्यवस्था;

(iii) खण्ड (i) अथवा खण्ड (ii) में उल्लिखित किसी क्रियाकलाप में लगे किसी व्यक्ति के कर्मचारी के रूप में सेवाएं करना।

मछली-पकड़ना इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में से एक क्रियाकलाप नहीं है।

चूंकि मछली-पकड़ने वाले विदेशी जलयानों के स्वामी अनिवासी हैं, इसलिए भारतीय समुद्र में मछली पकड़ने से होने वाली आय पर भारत में कर नहीं लगता।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि कर की कोई हानि होगी।

(ग) भारतीय जलयानों के स्वामी भारत के निवासी हैं; वे भारत से प्रचालन करते हैं तथा उनके द्वारा पकड़ी गई मछलियाँ भारत में बेची जाती हैं। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत, किसी भी प्रकार के स्रोत से किसी निवासी द्वारा प्राप्त ऐसी आय पर, जो उसे भारत में अथवा भारत से बाहर होती है अथवा उद्भूत होती है, भारत में कर लगने योग्य है।

भारतीय कम्पनियों को, भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए विदेशी जलयानों को भाड़े पर लेने की अनुमति नियति प्रयोजन से तथा न्यूनतम संभव समय में नवीनतम प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की दृष्टि से दी जाती है। मछली पकड़ने वाले भारतीय जलयानों को आयकर की देयता से छूट देने से विदेशी पार्टियों से भारतीयों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की प्रौद्योगिकी के अन्तरण में शायद सहायता न मिले।

विजाग में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की घोषणा

3753. **श्री वी० सोमनाद्रीश्वर राव :**

श्री चिन्ता मोहन :

डा० जी० विजय रामा राव :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन से स्थानों को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान मुक्त व्यापार क्षेत्रों के अन्तर्गत पश्चिम तट तथा पूर्वी तट के दक्षिणी और उत्तरी भाग भी आ जाते हैं जबकि पूर्वी तट का महत्वपूर्ण मध्य भाग छूटा रह जाता है; और

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर विशाखापत्तनम में विजाग में मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) निर्यात संसाधन क्षेत्रों की स्थापना कान्डला (गुजरात), सान्ताकुज (बम्बई), कोचीन, मद्रास, फाल्टा (पश्चिम बंगाल) और नोएडा (उत्तर प्रदेश) में की गई है।

(ख) पश्चिम तट तथा पूर्वी तट में प्रत्येक में प्रत्येक में दो बहु-उत्पाद निर्यात संसाधन क्षेत्र हैं। अतिरिक्त क्षेत्रों की स्थापना साधनों की मजबूरी से प्रतिबन्धित हो गई है।

(ग) कोई अन्य नया क्षेत्र स्थापित किये जाने से पूर्व मद्रास, कोचीन, फाल्टा तथा नोएडा स्थित चारों नये क्षेत्रों के निष्पादन तथा प्रगति पर इस समय निगरानी रखी जा रही है।

खानों का सन्दोहन

3754. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न खानों से कोयला, सोना अथवा अन्य धातुओं का सन्दोहन करते समय सरकार इस तथ्य पर विचार करती है कि एक खान विशेष का कितने समय तक सन्दोहन जारी रखा जा सकता है;

(ख) क्या नवीनतम प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कुल निक्षेपों का सही अनुमान लगाया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में उन खानों के बारे में कोई अध्ययन किया है जिनके लगभग अगले 25 वर्षों में खाली होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हाँ।

(ख) निक्षेपों के भलीभांति गवेषण होने पर आधुनिक प्रौद्योगिकी अपना कर किसी खान में कुल भंडारों का सही-सही आकलन किया जा सकता है लेकिन अभ्रक और एस्बेस्टस खानों में ऐसा संभव नहीं है क्योंकि उनमें खनिज अनियमित रूप में मिलता है।

(ग) और (घ). जी, नहीं।

जिलों में लीड बैंक परामर्शदात्री समितियां

3755. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक जिले में जिला लीड बैंक परामर्शदात्री समितियां हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी समितियों में निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्य हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनके मन्त्रालय का ऐसी समितियों के सदस्यों के रूप में निर्वाचित प्रतिनिधि या अपने मनोनीत व्यक्ति रखने के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). "लीड बैंक योजना" के तहत गठित जिला स्तरीय परामर्शदात्री समितियां मुख्यतया प्रयोजनमूलक समितियां होती हैं। जो समन्वय की समस्याओं से निपटने के लिए बैंकों के प्रतिनिधियों और राज्यों की एजेंसियों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने का काम करती हैं। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंकों से, जिला स्तरीय पुनरीक्षा समितियों में, जो जिला ऋण आयोजनाओं की वार्षिक कार्रवाई योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए वर्ष में दो बार बैठक करती हैं, निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित गैर-सरकारी व्यक्तियों को शामिल करने के लिए कहा है।

इडुक्की जिले में वाणिज्यिक फसलों का नष्ट होना

3756. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में आई बाढ़ में इडुक्की जिले में बहुत बड़े क्षेत्र में इलायची, चाय, अदरख, काली मिर्च आदि जैसी वाणिज्यिक फसलें नष्ट हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इससे कुल कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या इन फसलों को फिर से उगाने के लिए कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ). जी, हां। ऐसा बताया गया है कि कृषि तथा बागान फसलों जिनमें इलायची, काली मिर्च आदि शामिल हैं, की काफी क्षति हुई है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों (इलायची जैसी बागान फसलों सहित) हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए मांग के सम्बन्ध में केरल सरकार से ज्ञापन मिलने पर "मौके पर अध्ययन" करने के उद्देश्य से हाल में एक केन्द्रीय अध्ययन दल भेजा गया था। दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इसकी कृषि मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है। इस समय इन फसलों की पुनर्स्थापना हेतु दी जाने वाली विशेष सहायता की राशि बताना संभव नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में गैर-सरकारी निदेशकों के पदों को समाप्त करना

3757. **श्री पी० के० कुरियन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में गैर सरकारी निदेशकों के पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं,

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राकृतिक रबड़ का आयात

3758. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की गयी प्राकृतिक रबड़ की मात्रा का ब्यौरा क्या है और उसके वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं; और

(ख) रबड़ का आयात मूल्य क्या है और प्रयोक्ता उद्योगों की आयातित रबड़ किस मूल्य पर सप्लाई किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राकृतिक रबड़ के वर्ष-वार आयात निम्नलिखित अनुसार थे।

वर्ष	(मात्रा मी० टन)
1982-83	31,659
1983-84	32,175
1984-85	32,408

(ख) आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों पर किए जाते हैं। मद्रास में आयातित रबड़ (आर० एम० एस०—111 ग्रेड) की प्रयोक्ताओं द्वारा संदेय चालू गोदाम कीमत 16,500.00 रु० प्रति मी० टन है और एम० एम० आर०—20 ग्रेड के लिए 16,000.00 रु० प्रति मे० टन है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों द्वारा संस्थापित क्षमता का उपयोग

3759. **श्री शांति धारीवाल** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों द्वारा अपनी संस्थापित क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कितनी मिलों द्वारा अपनी संस्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है और कितनी मिलें संस्थापित क्षमता से कम उत्पादन कर रही हैं;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गयी है कि प्रबन्धकों की नीति के कारण राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में पूरे समय काम नहीं हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख). जून, 1985 महीने के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम की राष्ट्रीयकृत मिलों ने 71.6 प्रतिशत कताई क्षमता तथा 70.1 प्रतिशत बुनाई क्षमता का उपयोग किया। उपयोगिता का यह स्तर शेष वस्त्र उद्योग द्वारा प्राप्त उपयोग स्तरों की तुलना में बहुत अच्छा है।

(ग) से (च). जी हां। कुछ मामलों में, पावर की स्थिति, वाणिज्यिक अर्थक्षमता और बाजार परिस्थितियों के कारण बहुत अलाभकर क्षमताओं का पूरी तरह से संचालन नहीं होता है। समय-समय पर सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे है कि कुछ एककों में क्षमता उपयोग में कमी आई है। स्थिति को एन० टी० सी० द्वारा समय-समय समीक्षा की जाती है ताकि अधिकतम क्षमता उपयोग प्राप्त किया जा सके तथा एन० टी० सी० की हानियों को कम किया सके।

सार्वजनिक निगमों में घाटा

3760. **श्री शांति धारी वाल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निरन्तर घाटे में चल रहे सार्वजनिक निगमों के मामले पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय के अधीन ऐसे कितने सार्वजनिक निगम हैं जो निरन्तर घाटे में चल रहे हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन निगमों को बन्द करने का निर्णय कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो घाटे में चलने के क्या कारण, बन्द किए जाने वाले निगमों के नाम क्या हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) इस मन्त्रालय के अधीन भारतीय चाय व्यापार निगम (टी० टी० सी० आई०) ही एक ऐसा उपक्रम है जो निरन्तर हानियों में चल रहा है। भारतीय चाय व्यापार निगम 1980-81 से हानि में चल रहा है और 31-3-85 तक इसकी संचित हानियां 12.67 करोड़ रु० होने का अनुमान है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय चाय व्यापार निगम के बाजार की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लाभ, मजदूरी और क्षमता उपयोग में वृद्धि की प्रतिशतता

3761. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष की तुलना में 1984-85 में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुल लाभ में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई;

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में 1984-85 में इन उपक्रमों में वेतन तथा भत्तों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में क्षमता उपयोग में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उपक्रमों के 1984-85 के लेखों की विभिन्न अवस्थाओं में लेखा-परीक्षा की जा रही है तथा उन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इसीलिए 1984-85 का वांछित ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। किन्तु उपक्रमों से प्राप्त तात्कालिक अनुमानों पर आधारित ताजा परिणामों के अनुसार 1983-84 की तुलना में 1984-85 के दौरान उनके निवल लाभ में कुल मिलाकर 289.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

1984-85 के दौरान वेतन तथा भत्तों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

उपर्युक्त दो वर्ष के दौरान कुछ प्रमुख क्षेत्रों में क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता का ब्यौरा संलग्न नहीं है।

1984-85 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

विवरण

उत्पाद	क्षमता के उपयोग का प्रतिशत 1984-85	1983-84
इस्पात (पिन्ड)	66	63
बिक्री योग्य इस्पात	73	66
लिग्नाइट	109	102
एल्यूमिनियम	87	61
जस्ता	68	72
सीसा	47	70
ताँबा	86	74
सीमेंट (दादरी को छोड़कर)	78	78
उर्वरक नाइट्रोजन	62	56
उर्वरक पी2 ओ5	51	44

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में प्रगति

3762. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ऋण पर आधारित गरीबीरोधी कार्यक्रम के क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में बैंकों से प्राप्त वित्तीय सहायता के माध्यम से तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). छठी आयोजना की अवधि के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के अन्तर्गत हुई प्रगति नीचे दी गई है :

1980-85 (**छठी आयोजना अवधि**)

1. हिताधिकारियों की संख्या (लक्ष्य)	1.50 करोड़
2. वास्तविक हिताधिकारियों की संख्या	1.642 करोड़
3. संवितरित सावधि ऋण (करोड़ रु०)	3080.41

उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित सहायता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर भारत सरकार का इसमें कुछ उचित संशोधन करके इसे सातवीं आयोजना अवधि में जारी रखने का विचार है। छठी आयोजना अवधि के दौरान जिन हिताधिकारियों ने वित्तीय सहायता प्राप्त की थी लेकिन जो अपने नियन्त्रण के बाहर के कारणों से गरीबी की रेखा को पार नहीं कर सके, उन्हें पूरक सहायता देने पर विचार किया जाएगा।

धनबाद कोयला क्षेत्र में काले धन का पता लगाने के उपाय

3763. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद माफिया और कोयला क्षेत्र के काला धन बाजार के विशेष संदर्भ में काले धन का पता लगाने और अनिर्धारित आय पर कर लगाने के लिए कोई विशेष उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उन्हें मालूम है कि ऐसे गिरोह किसी प्रकार के कर का भुगतान किए बिना दामोदर नदी के तल पर सदमडीह की कोयला स्लर का बड़े पैमाने पर कारोबार कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ). जहां कहीं आवश्यक पाया जाता है व्याप्त काले धन को रोकने और अनिर्धारित आय पर कर लगाने के लिए सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं जिनमें प्रशासनिक, विधायी और सांस्थानिक उपाय शामिल हैं। धनबाद और झरिया में आयकर विभाग ने हाल ही में तलाशियां ली थीं जिनमें 34 84 लाख रुपये मूल्य की लेखा-बाह्य परिसंपत्तियां पकड़ी गई थीं।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में महिला कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना

3764. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में वर्ष 1985 में महिला कर्मचारियों के लिए कोई नई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1 जुलाई, 1985 तक कितनी महिला कर्मचारियों ने इस योजना के लिए विकल्प दिया है और उसके क्षेत्र-वार आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या यह सच है कि इस योजना में कोई महिला कर्मचारी सेवा-निवृत्ति के समय एवज के रूप में केवल पुरुष का नाम दे सकती है और महिला का नहीं; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां, दिनांक 19-3-1985 से। यह 20-8-1985 तक वैध है।

(ख) इस योजना के अधीन, 56 वर्ष की अथवा इससे कम आयु की कोई स्थायी महिला कर्मचारी—चाहे वह कार्य-दर आधारित अथवा समय-दर आधारित काम में हो—अपने पति अथवा

पुत्र अथवा दामाद के पक्ष में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति ले सकती है। रोजगार के लिए नामित व्यक्ति की आयु-सीमा पति के मामले में 35 वर्ष और पुत्र अथवा दामाद के मामले में 30 वर्ष है। असली नामित व्यक्ति की उपयुक्तता के आधार पर और आवश्यकता के अनुसार उसको कार्य-दर आधारित अथवा समय-दर आधारित श्रेणी में रोजगार दिया जाएगा।

(ग) दिनांक 1-7-1985 तक इस योजना के अधीन 68 कामगारों ने निवृत्ति विकल्प लिया था। इनका एरियावार विवरण निम्नलिखित है :

बरोरा	3
भागाबन्द	34
भौरा	31

(घ) जी, हां।

(ङ) राष्ट्रीयकरण के समय, भारत कोकिंग कोल लि० को काफी महिला कर्मचारी उत्तराधिकार में मिली थीं। खानों में महिलाओं के रोजगार का क्षेत्र खान अधिनियम, 1952 की धारा 46 (1) द्वारा सीमित है। इस धारा में यह प्रावधान है कि किसी भी महिला को धरातल के ऊपर की खान में 6 बजे प्रातः से लेकर 7 बजे सांय तक की अवधि को छोड़कर और भूमिगत खान के किसी भी भाग में, रोजगार नहीं दिया जाएगा।

इससे खानों में महिलाओं के काम करने के अवसर सीमित हो गए हैं।

उपहारों के लिए कर मुक्त सीमा बहाल करना

3765. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपहारों के लिए कर मुक्त सीमा को पुनः मूल स्तर पर लाया जाएगा; और

(ख) क्या सरकार का विचार परिवार के रक्त के सम्बन्धियों को दिए जाने वाले उपहारों को कर से मुक्त करने का है और इस प्रकार आश्रितों और रक्त के सम्बन्धियों की वर्तमान कठिनाइयों को आसान करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). दानकर अधिनियम, 1958 की धारा 5 (2) में व्यवस्था है कि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए दान के सम्बन्ध में उस स्थिति में दानकर नहीं लगाया जाएगा, यदि मूल्य अधिकतम 5,000 रु० तक हों। सरकार इस समय किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है जिसमें 5,000 रुपए की उक्त छूट सीमा को संशोधित किया जाना हो। फिर भी, विभिन्न प्रत्यक्ष-कर अधिनियमितियों के अन्तर्गत छूट-सीमाओं की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और उस सीमा तक संशोधन किया जाता है, जहां तक आवश्यक समझा जाता है।

2. दानकर अधिनियम, 1958 की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (vii), (viii), (ix), और (xii) में उस स्थिति में छूट के लिए पहले से ही व्यवस्था है यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने सम्बन्धियों को दी जाने वाली दान की राशियों के सम्बन्ध में कतिपय सीमाएँ और शर्तें पूरी होती हों।

मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड के उच्चाधिकारियों द्वारा अपने विदेशी दौरों में विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग

3766. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मैसर्स आई० टी० लिमिटेड के उच्चाधिकारी और निदेशक अपने विदेशी दौरों पर दुरुपयोग के लिए विदेशी मुद्रा ले जाते हैं, यद्यपि उनकी विदेशों में शाखाएँ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या जाँच करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में स्टेट बैंक की शाखाओं का कार्यकरण

3767. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरगढ़ जिलों में स्टेट बैंक की कुल कितनी ऐसी शाखाएँ हैं;

(ख) क्या सरकार का अल्मोड़ा में स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक का एक कार्यालय स्थापित करने का विचार है ताकि इन शाखाओं के वित्तीय कारोबार और इनके कार्यकलापों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके; और

(ग) यदि हाँ, तो यह कार्यालय वहां कब तक खुल जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है :

जिला	मार्च, 1985 के अन्त में कार्यरत भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं की संख्या	नये कार्यालय खोलने के लिये भारतीय स्टेट बैंक के पास लम्बित पड़े लाइसेंसों की संख्या
अल्मोड़ा	23	1
नैनीताल	28	4
पिथौरगढ़	22	1
जोड़	73	6

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

(ख) और (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अल्मोड़ा में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिये, उसे भारतीय स्टेट बैंक से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। इस बात का निर्णय लेना बैंक का काम है कि क्षेत्र में शाखाओं की संख्या, कारगर निरीक्षण की आवश्यकता, सुविधा, अतिरिक्त खर्च की समस्या आदि जैसी बातों को देखते हुए किसी स्थान पर क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की आवश्यकता है या नहीं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लघु बचत राजस्व में उनका हिस्सा बढ़ाने का अनुरोध

3768. **श्री हरीश रावत** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने लघु बचतों से प्राप्त राजस्व में से राज्य को दी जाने वाली राशि की प्रतिशतता में बढ़ोतरी के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को अन्य राज्यों से भी ऐसे अनुरोध मिले हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उन राज्यों का नाम क्या है तथा केन्द्रीय सरकार की उन पर प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने निवल अल्प बचत संग्रह से राज्य को दिए जाने वाले ऋण की प्रतिशतता में वृद्धि करने के लिए कहा है।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय बचत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की नई दिल्ली में दिनांक 29 मई, 1984 को हुई बैठक में गुजरात, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों ने निवल अल्प बचत संग्रह से दिए जाने वाले ऋण को 66.6 प्रतिशत के वर्तमान स्तर बढ़ाने का सुझाव दिया था। बजटीय नियत्रणों और इन ऋणों की उदार की शर्तों को देखते हुए इस सुझाव को स्वीकार करना सम्भव नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक से ब्याजमुक्त ऋण

3769. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विश्व बैंक से कितना ब्याजमुक्त ऋण मिलने की उम्मीद है;

(ख) सरकार ने विश्व बैंक से कुल कितने ब्याज मुक्त ऋण की मांग की है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). विश्व बैंक समूह द्वारा दिए जाने वाले उधारों में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से मिलने वाले ऋण शामिल होते हैं जिन पर ब्याज की दरें अलग-अलग होती हैं तथा इन उधारों में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त होने वाले उधार भी शामिल हैं जिन पर कोई ब्याज नहीं लगता लेकिन 0.75 प्रतिशत के हिसाब से सेवा प्रभार देना होता है। इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के ऋणों और अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ के उधारों पर क्रमश: 0.75 प्रतिशत और 0.50 प्रतिशत की दर पर वचनबद्धता प्रभार लगता है। विश्व बैंक से एक साथ प्राप्त होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ऋणों तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ उधारों की सम्भावित राशि के विषय में जानकारी सामान्यत: प्रतिवर्ष पेरिस में होने वाली भारत सहायता संघ की बैठक में दी जाती है। विश्व बैंक राजकोषीय 1986 (1 जुलाई, 1985 से 30 जून, 1986 तक) के लिए बैंक ने सूचित किया है कि भारत को 250 करोड़ संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर राशि की सहायता दिए जाने की संभावना है लेकिन इस राशि में से अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का अलग-अलग अंशदान कितना होगा, इसका ब्यौरा नहीं दिया गया है। ऐसी धनराशि की मात्रा अन्य कई बातों, जैसे, उन परियोजनाओं की सही संख्या जिनके लिए सहायता प्राप्त की जा

सकती है, बैंक समूह के पास धनराशियों की उपलब्धता तथा परियोजनाओं की तैयारी एवं संसाधन की स्थिति पर निर्भर करती है।

श्रिम्प के निर्यात में सुधार

3770. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान भारत श्रिम्प के निर्यात में अग्रणी रहा है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य बाजार में भारत की स्थिति दूसरे देशों द्वारा प्रभावित हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस स्थिति को सामना करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग). पिछले कई वर्षों के दौरान भारत विश्व के बड़े श्रिम्प बाजारों अर्थात जापान तथा संयुक्त राज्य अमरीका में श्रिम्प का अग्रणी निर्यातक रहा है। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए, निर्यात के लिए, श्रिम्प के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार का कई कदम उठाने का प्रस्ताव है, जिसमें मूल्य वर्धित मदों को प्रोत्साहन के लिए झींगा मछली पालन का विकास संवर्धन शामिल है।

भारत को विश्व बैंक समूह से सहायता में कमी

3771. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1985 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान भारत विश्व बैंक समूह से मिलने वाली सहायता पिछले वर्ष के 2.7 बिलियन डालर से 375 मिलियन डालर कम हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) यह कमी मुख्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा दी जाने वाली सहायता में कमी हो जाने के कारण है जो कि राज्य राजकोषीय वर्ष 1984 में 10010 लाख डालर की तुलना में राजकोषीय वर्ष 1985 में 6729 लाख डालर रह गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ-7 (1985-87) का आकार 9 अरब डालर निर्धारित किया गया है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ-6 में यह 12 अरब डालर का था। चूंकि राजकोषीय वर्ष 1985 अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ-7 का पहला वर्ष है, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ-7 में कटौती का प्रभाव भारत के हिस्से पर भी पड़ा है।

गुजरात में ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले की सप्लाई

3772. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के कारण गुजरात में मई, 1985 से ताप विद्युत उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है तथा पेट्रोलियम क्षेत्र पर अधिक भार पड़ रहा है क्योंकि परियोजना को चालू रखने के लिए सरकार ने इसके लिए हाई स्पीड डीजल (एच० एस० डी०) की व्यवस्था कर दी है;

(ख) अप्रैल, मई तथा जून, 1985 तथा 1984 में इसी अवधि के दौरान गुजरात में ताप विद्युत उत्पादन एककों (एकक-वार) उनकी आवश्यकता की तुलना में कोयले की खानों के मुहानों से भेजे गए कोयले के आकड़ों का ब्यारा क्या है; और

(ग) राज्य के ताप विद्युत एककों की कोयले की आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं। गुजरात के विभिन्न बिजलीघरों के उपभोग के अनुसार कोयले की पर्याप्त सप्लाई कर दी गई है। फिर भी, उकाई और वानकबोरी में कोयले के स्टाक बहुत कम बने रहें हैं जिसका कारण इन बिजलीघरों द्वारा कोयले के वैगनों से कोयला उतारने में असमर्थता रही है।

(ख) अप्रैल, मई और जून, 1985 में गुजरात की बिजली उत्पादक इकाइयों को कोयले के प्रेषण तथा 1984 की इसी अवधि में प्रेषण के विवरण अगले पृष्ठ पर दिए गए हैं।

(आंकड़े '000' टनों में)

ताप बिजलीघर का नाम	मासिक संयुजन	मार्च-अप्रैल, 85 में वास्तविक औसत मासिक उपभोग	अप्रैल-जून, 85 में प्रेषण	अप्रैल-जून, 84 में प्रेषण
1. अहमदाबाद	155	130.0	366.5	282.0
2. उकाई	240	137.0	578.6	522.0
3. गांधी नगर	90	63.5	153.0	218.0
4. धुवरण	30	17.5	58.2	121.0*
5. वानकबोरी	250	150.0	399.4	352.0
6. कांदला	5	उपलब्ध नहीं	3.2	2.0
7. शाप्पुर	5	उपलब्ध नहीं	5.9	3.0
8. उतरण	5	उपलब्ध नहीं	8.2	5.0
			2073.0	1505.0

*यह मुख्य रूप से तेल प्रज्ज्वलित बिजली घर है।

(ग) इस सम्बन्ध में सम्बद्ध एजेंसियों अर्थात् कोयला कम्पनियों, रेलवे और बिजली बोर्डों के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है। सम्बन्धित मन्त्रालयों के बीच भी नियमित समन्वय बैठकें की जा रही हैं। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में 1985-86 में ताप बिजलीघरों को कोयले की सप्लाई में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा कोयला विभाग, विद्युत विभाग और रेल मन्त्रालय ने एक योजना बनाई है ताकि सभी प्रमुख बिजलीघरों में एक महीने की जरूरत का स्टाक बनाया जा सके। फिर भी उकाई और वानकबोरी में यह स्टाक बना सकना संभव नहीं हुआ है क्योंकि यह बिजलीघर वैगनों से कोयला उतार नहीं सके। इसी प्रकार अहमदाबाद बिजलीघर में भी एक महीने का स्टाक बना सकना सम्भव नहीं होगा क्योंकि इस बिजलीघर में कोयले का स्टाक रखने की जगह बहुत कम है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में कालेज परिसरों में साक्षात्कार द्वारा ग्रेजुएट इन्जीनियरों को भरती करने का निर्णय

3773. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और इण्डियन स्कूल आफ माइंस से कालेज परिसरों में केवल साक्षात्कार द्वारा ही ग्रेजुएट इन्जीनियर भरती करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो केवल कुछ ही चुनी हुई संस्थाओं से इस प्रकार की भरती करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि ग्रेजुएट इन्जीनियरों की भरती संबंधी इस नई नीति से सामान्यत: अन्य इन्जीनियरिंग कालेजों के छात्रों में और विशेष रूप से राउरकेला में रिजीनल इन्जीनियरिंग कालेज के छात्रों में भारी असंतोष तथा आक्रोश व्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) और (ख). स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा स्नातक अभियंताओं की भर्ती खले बाजार से अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन देकर की जाती है। भर्ती की इस पद्धति के अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नोलॉजी) और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिक संस्थान (इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालॉजी) जैसे अखिल भारतीय स्तर के ख्याति-प्राप्त संस्थान से कैम्पस भर्ती की गई थी। जहां तक खनन क्षेत्र का सम्बन्ध है, धनबाद के भारतीय खान स्कूल (इण्डियन स्कूल आफ माइंस) से कैम्पस भर्ती की गई थी। विभिन्न संस्थानों (जिनमें रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, राउरकेला तथा उड़ीसा के अन्य इन्जीनियरिंग कालेज भी शामिल हैं) के स्नातक अभियंता "सेल" में खुले बाजार में भारतीय अखिल स्तर के विज्ञापनों के उत्तर में प्रबन्ध प्रशिक्षार्थी के चयन के पात्र हैं।

(ग) और (घ). राउरकेला इस्पात कारखाने के अधिकारियों के संगठन ने कैम्पस साक्षात्कार के माध्यम से प्रबन्ध परीक्षार्थियों के चयन के विरोध में अभ्यावेदन दिया है परन्तु यद्यपि "सेल" में खुले बाजार से भर्ती करने की कैम्पस भर्ती की पद्धति को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के प्रबन्ध परीक्षार्थी के चयन के लिए होनहार विद्यार्थियों को आवेदन-पत्र देने तथा परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं रखा जा रहा है।

अखिल भारतीय चर्मा बोर्ड का गठन

3774. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चर्म और चर्म निर्माताओं की पुनरीक्षा समिति ने सरकार को एक अखिल भारतीय चर्म बोर्ड गठित करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने इस विषय पर अभी तक कोई विचार नहीं किया है।

भारत चीन व्यापार के लिए उच्च-स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव

3775. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत-चीन व्यापार को मजबूत करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन करने का है, और

(ख) यदि हो, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के एककों के उद्योग समूह द्वारा विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए बड़े उपकरण का निर्माण

3776. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के एककों के उद्योग समूह द्वारा विशाखापत्तनम संयंत्र के लिए बड़े उपकरणों का निर्माण किया जायेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख). विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के लिए उपकरणों और मशीनों का निर्माण कर रही सरकारी क्षेत्र की इकाइयों का कोई उद्योग समूह नहीं है। हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, माइनिंग एंड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन (एम० ए० एम० सी०), मेटलर्जिकल एंड इन्जीनियरिंग कन्सल्टेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड (मेकोन), आन्ध्र प्रदेश हैवी मशीनरी एंड इन्जीनियरिंग लिमिटेड, मेसर्स जेस्पस, मेसर्स एन्ड्यू यूले, मेसर्स बर्न स्टेन्डर्ड, मेसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और मेसर्स भारत हैवी प्लेट्स एंड वैसल्स लिमिटेड आदि जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से प्रत्येक उपक्रम विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र परियोजना को उपकरणों की सप्लाई स्वतन्त्र रूप से कर रहा है।

[हिन्दी]

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया गया निर्यात/आयात

3777. **श्री जैनुल बशर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अलग-अलग गत तीन वर्षों के दौरान किए गए निर्यात और आयात के वर्ष-वार मूल्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : भारत के विदेश व्यापार के आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर संकलित किए जाते हैं और एक राज्य-वार नहीं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशियों और उनके द्वारा दिए गए ऋण

3778. **श्री जैनुल बशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1984 को राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में खातों में कितनी जमाराशि थी;

(ख) 31 जनवरी, 1984 को, राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक ने कितना ऋण दिया था; और

(ग) 31 जनवरी, 1984 को राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र को कितने प्रतिशत ऋण दिए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) से (ग). दिसम्बर, 1983 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाराशियों, अग्रिमों, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिये गये ऋणों और कुल अग्रिमों में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋणों के हिस्से से सम्बन्धित राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाराशियों, अग्रिमों और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों और कुल अग्रिमों में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋणों का हिस्सा

(दिसम्बर, 1983 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपए में)

क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जमा राशियां	कुल अग्रिम	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिम	कुल-अग्रिमों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत हिस्सा
उत्तरी क्षेत्र	11927	7732	2944	38.1
1. हरियाणा	1050	778	530	68.1
2. हिमाचल प्रदेश	361	155	105	67.7
3. जम्मू व कश्मीर	297	114	80	70.2
4. पंजाब	3163	1440	989	68.7
5. राजस्थान	1308	896	521	58.1
6. चन्डीगढ़	439	720	194	26.9
7. दिल्ली	5309	3629	525	14.5
पूर्वोत्तर क्षेत्र	903	360	186	51.7
1. असम	637	269	110	43.9
2. मेघालय	85	19	12	63.2
3. मणिपुर	22	12	8	66.7
4. त्रिपुरा	51	31	26	83.9

5. नागालैंड	42	18	12	66.7
6. अरुणाचल प्रदेश	23	5	4	80.0
7. मिजोरम	18	4	5	125.0
8. सिक्किम	25	3	1	33.3
पूर्वी क्षेत्र	9122	4893	1660	33.9
1. बिहार	2592	1033	586	56.7
2. उड़ीसा	714	525	306	58.3
3. पश्चिमी बंगाल	5802	3331	766	23.0
4. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	14	4	2	50.0
मध्य क्षेत्र	8000	3793	2178	57.4
1. मध्य प्रदेश	2043	1175	654	55.7
2. उत्तर प्रदेश	5957	2618	1524	58.2
पश्चिमी क्षेत्र	14400	11262	2880	25.6
1. गुजरात	4122	2118	963	45.5
2. महाराष्ट्र	9765	8966	1849	20.6
3. गोआ, दमन व द्वीप	509	176	66	37.5
4. दादर तथा नागर हवेली	4	3	2	66.7
दक्षिणी क्षेत्र	11231	8751	4089	46.7
1. आंध्र प्रदेश	3233	2293	1292	56.3
2. कर्नाटक	2890	2240	1015	45.3
3. केरल	1753	1147	563	49.1
4. तमिलनाडु	3371	3023	1192	39.4
5. पाण्डुचेरी	83	48	27	56.3
6. लक्ष्य द्वीप	2	0.31	0.18	58.1
कुल योग	55583	36791	13937	37.9

टिप्पणी—आंकड़े अनन्तिम हैं।

मुक्त व्यापार क्षेत्र का कार्यकरण

3780. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ग पूर्व बनाए गए चार मुक्त व्यापार क्षेत्रों के कार्यकरण ने उत्साहजनक तस्वीर प्रस्तुत की है;

(ख) क्या इन चार मुक्त व्यापार क्षेत्रों के आर्थिक कार्य और निर्यात आदि के बारे में ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाएगा; और

(ग) क्या सरकार कुछ अन्य बन्दरगाहों को भी यही दर्जा प्रदान करने पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख). मद्रास, कोचीन, फल्टा (प० बंगाल) और नोएडा (उ० प्र०) में चार निर्यात प्रोसेसिंग जोन स्थापित किए जा रहे हैं। उनकी कार्य-प्रगति सन्तोषजनक है। इन जोनों में अवस्थापना सुविधाओं के पूर्णरूप से स्थापित होने के बाद औद्योगिक उत्पादन आरम्भ हो जाएगा।

(ग) किसी भी पत्तन को नियत प्रोसेसिंग जोन का दर्जा नहीं दिया गया है। किसी अन्य नए जोन की स्थापना पर विचार करने से पूर्व, कोचीन, मद्रास, फाल्टा और नोएडा स्थित चार नए निर्यात प्रोसेसिंग जोनों के कार्य निष्पादन का अवलोकन किया जाएगा।

छोटे किसानों को रियायती दरों पर ऋण

3781. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु उद्योगों को रियायती दरों पर ऋण देने के लिए क्या सिफारिशें की हैं;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं कि पंजाब और हरियाणा में उपभोक्ताओं को ऋण मंजूर करने सम्बन्धी शर्तों और सीमा में उपयुक्त छूट दी जाए;

(ग) क्या ये अनुदेश अन्य राज्यों पर भी लागू होते हैं; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी इन आदेशों के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न राज्यों ने लघु उद्योगों को दी गई धनराशि के अतिरिक्त कितनी धनराशि दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) लघु उद्योगों को रियायती दरों पर ऋण देने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर वाणिज्यिक बैंकों के नाम उचित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। ये अनुदेश मार्जिन राशि की अपेक्षाओं को कम करने, रियायती ब्याज दर, 25,000 रुपए तक के ऋण पर प्रतिभूति/गारन्टी के लिए जोर न दिए जाने से सम्बन्धित हैं। लघु उद्योगों को दिए जाने वाले अग्रिम प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का एक महत्वपूर्ण अंग है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित) के नाम अनुदेश जारी किए हैं कि पंजाब, हरियाणा और चन्डीगढ़ के ऋणकर्ताओं को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं में ढील, दिसम्बर, 1985 के अन्त तक जारी रखें। इनमें मुख्यतः कार्य चालन पूंजी सीमा को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने और मार्जिन को 10 प्रतिशत तक कम करना शामिल है।

(ग) उपर्युक्त रियायत केवल, पंजाब, हरियाणा और चन्डीगढ़ पर ही लागू है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती। अतः ऐसे आंकड़ों को एकत्र करने में लगने वाले अत्यधिक समय श्रम और धन को देखते हुए, सम्भवतः निकलने वाला परिणाम उसके अनुरूप नहीं होगा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का आधुनिकीकरण करने की योजना

3782. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मिलों के आधुनिकीकरण की 302 करोड़ रु० की किसी योजना का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित किया जाए तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल उत्पादन और लाभ कितना होगा;

(ग) क्या अब तक उसके पुनःस्थापन और नवीकरण के सिवाय, सही अर्थों में मिलों का आधुनिकीकरण नहीं किया गया है; और

(घ) क्या अल्पाधिक आधुनिकीकरण खर्च की गई 300 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जा चुकी है और इमारतों के नवीकरण आदि जैसी आवश्यक सेवाओं पर 150 करोड़ रु० खर्च किए गए हैं, जिससे कोई निश्चित आय नहीं होने वाली है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने आधुनिकीकरण के लिए 302 करोड़ रु० की आवश्यकता का अनुमान लगाया है और तदनुसार एक योजना प्रावधान का सुझाव दिया है।

(ख) यह अनुमान लगाया गया है कि उक्त 302 करोड़ रु० के प्रस्तावित निवेश से योजना के अन्तिम वर्ष में राष्ट्रीयकृत एककों में कुल मिलाकर 1063 करोड़ रु० मूल्य को कुल उत्पादन होगा जिससे लगभग 33 करोड़ का लाभ होगा।

(ग) तथा (घ). एन० टी० सी० के राष्ट्रीयकृत एककों के आधुनिकीकरण/नवीकरण पर 31 मार्च, 1985 तक लगभग 301 करोड़ रु० की राशि व्यय की गई है। इसमें से लगभग 167 करोड़ रु० की राशि नई मशीनों पर खर्च की गई है और शेष मशीनरी सिविल निर्माण बायलर्स, सामान की हैंडलिंग सम्बन्धी तथा अन्य इन्जीनियरिंग मदों आदि को मरम्मत पर खर्च की गई है। इस हद तक कि व्यय भूतपूर्व गैर-सरकारी स्वामियों से विरासत में मिले जीर्ण-शीर्ण भवनों तथा पुरानी मशीनरी के पुनरुद्धार पर करना पड़ा, निवेशों से प्रत्यक्ष रूप में इन एन० टी० सी० एककों के प्रौद्योगिकीय सुधार और अधिक लाभप्रदता में योगदान नहीं मिला है।

अल्जीरिया में राष्ट्रीय कपड़ा निगमों के लिए परामर्शदात्री कार्य

3783. **श्री एस० एम० भट्टम** :

श्री के० प्रधानी :

क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने अल्जीरिया में प्रथम परामर्शदात्री कार्य प्राप्त करने में प्रमुख सफलता प्राप्त की है;

(ख) क्या उच्च-स्तरीय दल ने बन्द पड़ी कपड़ा मिल को फिर से चालू करने और उसका प्रबन्ध करने सम्बन्धी एक ठेके पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) अल्जीरियाई संगठन, सोइटैक्स ने लैंममेस अल्जीरिया में एक नई सिलक मिलक के लिए तकनीकी तथा प्रबन्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (एन० आई० डी० सी०) से संपर्क किया है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम इस संबंध में एन० आई० डी० सी० को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। एन० टी० सी० के प्रबन्ध निदेशक सहित एक प्रतिनिधिमण्डल ने जुलाई, 1985 में अल्जीरिया का दौरा किया है और उक्त प्रयोजन के लिए एक सविदा पर विचार विमर्श करने में प्रगति हुई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय हथकरघा वस्तुओं के आयात पर अमरीका द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध

3784. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा उस देश में भारतीय हथकरघा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के कारण भारत में हथकरघा यूनिटों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का विचार हथकरघा यूनिटों की सहायता के लिए क्या कदम उठाने का है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) 24 जून, 1985 को संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा अधिसूचित की गयी 'हस्त निर्मित' शब्दों की प्रतिबन्धित परिभाषा के कारण भारत से हथकरघा के तैयार उत्पादों के निर्यातों की हानि पहुंचने की सम्भावना है। इस परिभाषा के अनुसार, भारत से तथा अन्य देशों से हथकरघा से तैयार वस्तुओं के निर्यात, जो कि मर्शन द्वारा सिले होते हैं या जिनकी किनारी बनी हो, छूट के पात्र नहीं होंगे परन्तु इसके बजाय वे मिल निर्मित मदें मानी जायेंगी।

(ख) सरकार ने, भारत से हथकरघा की तैयार वस्तुओं के निर्यातों के, सम्बन्ध में अमरीकी सरकार की प्रतिबन्धक कार्यवाही के विरुद्ध औपचारिक रूप से विरोध किया है तथा इस समस्या को सुलझाने के लिए अमरीकी सरकार से औपचारिक परामर्श भी किए गए हैं।

जनेवा में 'मल्टी-फाइबर एग्रीमेंट'

3785. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**

श्री बी० वी० देसाई :

क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 23 जुलाई, 1985 को 'मल्टी-फाइबर' एग्रीमेंट पर जनेवा में हुई बातचीत में भाग लिया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यूरोपियन आर्थिक समुदाय के सम्बन्ध में 'मल्टी-फाइबर एग्रीमेंट' के साथ सम्बद्ध रहने के बारे में बातचीत हुई थी; और

(ग) क्या सरकार की 'मल्टी फाइबर एग्रीमेंट' के बारे में विशेषकर यूरोपियन आर्थिक

समुदाय द्वारा अनेक भारतीय वस्त्र-मदों पर लगाए गए प्रतिबन्ध के बारे में यूरोपियन आर्थिक समुदाय से द्विपक्षीय बातचीत करने की कोई योजनाएं हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). बहुरेशा करार एक बहुपक्षीय साधन है जिसके ढांचे के अन्तर्गत बहुरेशा करार के हस्ताक्षरियों द्वारा द्विपक्षीय करार किए जाते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का प्रस्ताव था कि बहुरेशा करार की अवधि को इसकी वर्तमान अवधि जो जुलाई, 1986 में समाप्त होगी, से आगे बढ़ाया जाए। बहुरेशा करार के भविष्य पर विचार-विमर्श गाट की वस्त्र समिति में किए जाते हैं जो कि इस प्रयोजनार्थ समुचित मंच है।

देश में करों की बकाया राशि

3786. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश भर में आय-कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कुल मिलाकर कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) कानूनी मामलों में कितनी धनराशि फंसी हुई है;

(ग) कितनी कम्पनियों की ओर आयकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की 10 लाख रुपए और उससे अधिक की धनराशि बकाया है; और

(घ) उक्त धनराशि को वसूल करने तथा दोषियों को पकड़ने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) देश में आयकर और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कुल मिलाकर शेष राशि इस प्रकार है।

आयकर : 31-12-84 की स्थिति के अनुसार आयकर के बकाया के अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हैं। इस तारीख को बकाया कर और जारी की गई मांग जो देय नहीं हुई है इस प्रकार है।

	(करोड़ रुपये में)
बकाया कर	1271.98
जारी की गई मांग जो देय नहीं हुई है	608.55

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 31-5-1985 की स्थिति के अनुसार 521.63 करोड़ रु० की कुल वसूली बकाया पड़ी है।

(ख) विभिन्न आधारों पर न्यायिक प्राधिकरणों के पास मामले अनिर्णीत पड़े हैं। तथापि, अपीलीय प्राधिकरणों/न्यायालयों के निर्णय उपलब्ध होने पर ही इसमें ग्रस्त राजस्व की मात्रा बताना सम्भव होगा।

(ग) उन कम्पनियों की संख्या 964 है जिनकी तरफ 31-3-85 की स्थिति के अनुसार 10 लाख रु० या और अधिक आयकर की राशि बकाया है। उन कम्पनियों की संख्या बहुत अधिक है जिनकी तरफ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की बकाया राशि 10 लाख रु० से अधिक की है। तथा उक्त सूचना एकत्र करने में लगने वाला समय एवं श्रम बहुत अधिक होगा। तथापि, यदि माननीय सदस्य किसी विशेष कारखानों या कारखानों के समूह का उल्लेख करें तो उनके बारे में सूचना एकत्र करके प्रस्तुत की जा सकती है।

(घ) आयकर और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के बकाया की वसूली एक सतत कार्य है और ऐसे उपाय (प्रशासनिक), विधिक और अन्य जो कि प्रत्यायक तथा कठोर हो सकते हैं, जब आवश्यक समझे जाते हैं, समय-समय पर किए जाते हैं।

आयकर प्राधिकारियों द्वारा पता लगाये गये दिखावटी खर्च के मामले

3787. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **वित्त मन्त्री** आयकर प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गए दिखावटी खर्च दिखाए जाने सम्बन्धी मामले के बारे में 22 मार्च, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 75 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त प्रश्न के भाग (ख) में पूछे गए मामले के बारे में क्या मार्ग निदेश जारी किए गए हैं;

(ख) क्या वे इस किस्म के कुछ मामले बताएंगे जिनमें निवारक कदम के रूप में वास्तव में कार्यवाही की गई हो; और

(ग) किस प्रकार की कार्यवाही की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निर्दिष्ट है कि आडम्बरपूर्ण व्यय के संदर्भ में कर-निर्धारिती की हैसियत पर निर्भर करेगा जो वह बहीखातों में दर्शाता है या जो वह स्वीकार करता है। धारा 133क (5) के अन्तर्गत दो मामलों में की गई जांच-पड़ताल के परिणामस्वरूप कर निर्धारितियों द्वारा 4,85,686 रुपए और 3,84,083 रुपए की राशियाँ जींदी-व्यय के रूप में घोषित की गईं।

सागर शक्ति जहाज पर निषिद्ध वस्तुओं का लाया जाना

3788. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 मई, 1985 के "ब्लिट्ज" में छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि सागर शक्ति जहाज (ड्रिलिंग) का निर्माण सिंगापुर में किया गया था और 1982 में भारत में लाया गया था;

(ख) क्या यह भी कहा गया है कि भारत आते हुए इस जहाज में रंगीन टी० वी० सैटों आदि जैसी कई निषिद्ध वस्तुएँ लाई गई थीं और सीमा शुल्क विभाग द्वारा जहाज की तलाशी ली गई थी और पूछताछ की गई थी;

(ग) यदि हाँ, तो क्या कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया गया था;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले को पुनः खोलने और दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). बम्बई सीमा शुल्क समाहर्तालय के अधिकारियों ने दिनांक 16-18 अक्तूबर, 1982 को सिंगापुर से आए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग जेक अप रिग "सागर शक्ति" से 3.19 लाख रुपए के कुल मूल्य का इलैक्ट्रानिकीय और अन्य विविध शुल्क्य माल अभिगृहीत किया है। आवश्यक जांच पड़ताल के पूरा होने के पश्चात्, मामले के सम्बन्ध में न्याय-निर्णयन हो चुका है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ माल को पूरी तरह जब्त कर लिया गया है और कुछ माल को विमोचन जुर्माने को

और/अथवा समुचित दर से सीमाशुल्क की अदायगी किए जाने पर निकासी कर दी गई है। कुछ माल को पोत पर पुनः लाद कर भारत से बाहर ले जाने की अनुमति दे दी गई थी।

(ङ) जी, नहीं। इस बारे में आगे किसी कार्यवाही के किए जाने का कोई विचार नहीं है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की वितरक/डीलर और एजेंट के रूप में नियुक्ति

3789. **श्री लाला राम केन** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा नियुक्त कितने वितरक/डीलर और एजेंट भारत में कार्य कर रहे हैं;

(ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने लोगों को डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप और एजेंसी दी गई है;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के लिए आरक्षित कोटे के अन्तर्गत व्यापार का अवसर देने की पेशकश के अन्तर्गत वितरकों/डीलरों अथवा एजेंटों को नियुक्त करने की नीति है; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर सकारात्मक है तो सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित लोगों में से डीलरों/वितरकों अथवा एजेंटों को नियुक्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) और (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) द्वारा उत्पादित लोहे तथा इस्पात के वितरण के लिए अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों के लोगों की वितरक, डीलर तथा एजेंट के रूप में नियुक्ति किए जाने से है। "सेल" द्वारा उत्पादित लोहे तथा इस्पात के वितरण के लिए वितरकों, डीलरों अथवा एजेंटों की नियुक्ति करने की कोई नीति नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

इस्पात संयंत्रों में इस्पात का उत्पादन

3790. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों में इस्पात का कुल कितना उत्पादन होता है और उनमें कितने लोग काम करते हैं;

(ख) विश्व अन्य देशों के इस्पात संयंत्रों की तुलना में हमारे देश के सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के उत्पादन की क्या स्थिति है; और

(ग) इस्पात संयंत्रों में कार्यों को और अधिक मितव्ययी बनाकर बेहतर कार्य निष्पत्ति हेतु सरकार की क्या योजनाएँ हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कुं नटवर सिंह) : (क) वर्ष 1984-85 और 1985-86

में स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० (सेल) के अधीन सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात का उत्पादन नीचे दिया गया है :

(लाख टन)

वर्ष	सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने	मिश्र इस्पात कारखाना तथा सेलम इस्पात कारखाना
1984-85	52.8	.76
1985-86	59.6	.82

(बोजनागत)

31.3.85 को स्थिति के अनुसार स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० के इस्पात कारखानों (इण्डियन आयरल एंड स्टील कम्पनी लि० का बर्नपुर इस्पात कारखाना भी शामिल है) में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है :

अधिकारी	कर्मचारी	कुल
16,339	2,17,537	2,33,876

इसके अलावा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० की अन्य इकाइयों में 8,088 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 453 अधिकारी तथा 7635 कर्मचारी हैं।

(ख) ब्रुसेल्स के अन्तर्राष्ट्रीय लोहा तथा इस्पात संस्थान द्वारा जारी किए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1984 के दौरान विश्व के इस्पात के बड़े-बड़े उत्पादकों में "सेल" का 15वां दर्जा है।

(ग) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० (सेल) ने दुर्गापुर, राउरकेला तथा "इस्को" के के बर्नपुर इस्पात कारखानों का क्रमशः 990 करोड़ रुपए, 690 करोड़ रुपए तथा 930 करोड़ रु० की लागत से प्रौद्योगिकीय उत्पन्न करने की योजनाएँ तैयार कर ली हैं। सातवीं योजना के अन्तर्गत इस्पात क्षेत्र को घन का आवंटन करने के कार्य को अन्तिम रूप देने के पश्चात् ही इन प्रस्तावों पर पूंजी-निवेश सम्बन्धी निर्णय लिया जाएगा।

वर्ष 1985-86 के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए वर्ग 1984-85 के 52.8 लाख टन इस्पात के उत्पादन को वर्ग 1985-86 में बढ़ाकर 59 लाख टन करेंगे। ये कारखाने उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नयन, उपोत्पादों के उत्पादन में वृद्धि और कारखानों से निकलने वाले बेकार तथा गौण पदार्थों की बेहतर प्राप्ति, कार्यकारी पूंजी में कमी, माल सूची में कमी, गृहीत विद्युत संयंत्र के उत्पादन में वृद्धि, बेहतर रख-रखाव तथा अपने प्राडक्ट मिक्स में विविधता लाकर मार्ग के अनुरूप माल के उत्पादन में वृद्धि करेंगे। उपयुक्त क्वालिटी के आदानों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

कपड़े की सप्लाई के लिए राज्य सरकारों आदि द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा निगम को दिए गए आदेश

3791. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम को कर्नाटक सरकार से केसमेट तथा ड्रिल (जीन) कपड़े

की सप्लाई के लिए क्रयादेश प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम को कितने मूल्य का तथा कपड़े तथा ड्रिल की कितनी मात्रा की सप्लाई के लिए क्रयादेश प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम को सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों तथा अन्य राज्य सरकारों से भी ऐसे क्रयादेश प्राप्त हुए हैं; यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कपड़े की कितनी मात्रा के लिए क्रयादेश दिया गया है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा कर्नाटक सरकार को, 32 लाख मीटर, केसमेंट कपड़ा तथा 3 लाख मीटर ड्रिल, जिनका मूल्य लगभग 309.55 लाख रु० है, सप्लाई किया जायेगा।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष (8.8.85 तक) के दौरान अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और राज्य सरकारों से एन० टी० सी० द्वारा प्राप्त किए गए आर्डरों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं;

	कपड़े की मात्रा (लाख मीटर)	कपड़े का मूल्य (लाख रु०)
(I) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	12.01	542.00
(II) अन्य राज्य सरकारें	31.65	329.00
(III) कर्नाटक राज्य सरकार	35.00	309.00
		1179.00

(घ) आंध्र प्रदेश सरकार ने 7.62 लाख मीटर कपड़े का आर्डर दिया है।

विदेशों को पटसन के निर्यात में वृद्धि

3792. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न देशों को पटसन की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो पटसन की वस्तुओं के निर्यात के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) कुछ शिष्टमन्डलों ने इस सम्बन्ध में विदेशों का दौरा किया है;

(घ) यदि हाँ, तो शिष्टमण्डलों के सदस्यों के नाम और पदनाम क्या हैं और उन्होंने इस प्रयोजन के लिए किन-किन देशों का दौरा किया/वे किन-किन देशों का दौरा करेंगे;

(ङ) विभिन्न देशों से देश-वार और मात्रा-वार कितने मूल्य के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं; और

(च) पटसन का उत्पादन करने वाले अन्य देशों से प्रतियोगिता का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख). सरकार अनेक बाहरी देशों को पटसन के सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए सभी सम्भव प्रयास करती रही है। पटसन के सामान के निर्यात संवर्धन के लिए नीति में शामिल है, पटसन संश्लिष्ट युक्त वस्त्रों के उत्पादन के लिए विनिर्माता क्षमता को बढ़ाना तथा उपयुक्त मशीनरी की घरेलू विनिर्माण क्षमता के लिए गुंजाइश का पता लगाना; विदेशों में उपयुक्त स्थलों पर, भंडागार स्थापित करने के लिए निर्यातकों द्वारा प्रयास करना उदाहरणार्थ पटसन सामान की सन्तुलित मात्रा स्टाक करने के लिए पश्चिमी यूरोप, ताकि उचित कीमतों पर अन्तिम प्रयोक्ताओं को हाजिर माल की सुपुर्दगी सुनिश्चित की जा सके समुद्री भाड़े के उच्च भार को कम करने के लिए पत्तन के बाहर पटसन के सामान के लिए कन्ट्रोल टर्मिनल सुविधा का विकास करना, पटसन उपकरों से प्राप्त आय को अनुसन्धान और विकास तथा निर्यात संवर्धन प्रयासों के लिए प्रयोग करना; कच्चे पटसन के लिए, जब कभी सम्भव हो, बफर स्टाक का सृजन करना ताकि उद्योग को उचित कीमत पर कच्चे माल की सप्लाई में स्थिरता सुनिश्चित की जा सके तथा विशिष्ट मेलों व प्रदर्शनियों में भाग लेने, सरकारी उद्योग प्रतिनिधिमन्डलों को भेजने, के जरिए तथा अनेक बहुपक्षीय मंत्रों में विचार विमर्श के जरिए भी विभिन्न विदेशी बाजारों में निर्यात संवर्धन प्रयासों को गहन करना।

(ग) से (ङ). एक विवरण संलग्न है।

(च) पटसन के सामान के निर्यात को बढ़ावा तथा पटसन के सामान के लिए विदेशी बाजारों को बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. उद्योग द्वारा सामान निष्पादन के आधार पर जूट कार्पेट बैकिंग क्लाथ के लिए बेहतर सी० सी० एस० प्रदान करना;

2. उत्तरी अमरीका की कार्पेट बैकिंग क्लाथ के निर्यातों के लिए 50:50 हानि वहन करने के आधार पर एस० टी० सी०-पटसन उद्योग साथ संघ की स्थापना करना;

3. आर एन्ड डी० प्रयासों के जरिए निर्यात योग्य उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करना; और

4. आर० एण्ड डी० प्रयासों और निर्यात संवर्धन को बढ़ाने के लिए नई जे० एम० डी० सी० और पटसन उपकर से प्राप्त आय से पटसन निधि बनाना।

विवरण

पटसन के सामान के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार समय-समय पर विभिन्न देशों से प्रतिनिधि मन्डलों को जिसमें सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्य होते हैं, भेजती रही है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान, एक पटसन प्रतिनिधि मंडल ने जुलाई, 1985 के दौरान अमरीका का दौरा किया तथा उसी अवसर पर अमरीका में अटलांटिक में अन्तर्राष्ट्रीय कार्पेट एण्ड रग मार्केट का भी दौरा किया। प्रतिनिधि मन्डल का स्वरूप निम्नोक्त प्रकार था :—

1. श्री एस० एस० वर्मा, सचिव (वस्त्र);

2. श्री बी० आर० बासु, वस्त्र आयुक्त;

3. श्री एम० मित्तर, निदेशक (विपणन), राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि०;

4. श्री बी० के० जालोन, अध्यक्ष, भारतीय पटसन मिल एसोसिएशन; और

5. श्री एम० पोद्दार, उपाध्यक्ष, भारतीय पटसन मिल एसोसिएशन;

गत वर्ष के दौरान वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा पंजीकरण के लिए प्राप्त की गई पटसन सामान निर्यात संविदाएं नीचे दर्शाई गयी है :

क्रमांक	देश/क्षेत्र	मात्र : 000 मे० टन
		1984
1.	उत्तरी अमरीका	33.6
2.	पश्चिमी यूरोप	58.2
3.	जापान	6.0
4.	आस्ट्रेलिया	6.4
5.	न्यूजीलैंड	2.5
6.	सूडान	कुछ नहीं
7.	अफ्रीका (जिसमें सूडान नहीं है)	1.5
8.	मध्य पूर्व (जिसमें ईरान शामिल नहीं है)	8.1
9.	ईरान	0.5
10.	पूर्वी यूरोप (जिसमें रूस शामिल नहीं है)	14.8
11.	रूस	216.0
12.	अन्य	15.4
	योग	363.4

इस्पात संयन्त्रों की क्षमता का उपयोग

3793. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात के क्षेत्र में इस समय सहकारी क्षेत्र के कितने एकक चल रहे हैं;

(ख) इन एककों में उत्पादित मदों, उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता और प्रत्येक एकक में गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन एककों में उत्पादन क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) समस्या के समाधान और इन एककों उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) इस समय स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अधीन इस्पात का उत्पादन करने वाली सरकारी क्षेत्र की निम्नलिखित इकाइयां हैं :—

सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने

(i) भिलाई इस्पात कारखाना

(ii) राउरकेला इस्पात कारखाना

(iii) बोकारो इस्पात कारखाना

(iv) दुर्गापुर इस्पात कारखाना

(v) इंडियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, दुर्गापुर

मिश्र तथा विशेष इस्पात कारखाने

(i) मिश्र इस्पात कारखाना, दुर्गापुर

(ii) सेलम इस्पात कारखाना, सेला

(ख) इन इकाइयों में उत्पादित मुख्य-मुख्य मदों का ब्यौरा इस प्रकार है :---

1. भिलाई इस्पात कारखाना

(i) रेलवे-ट्रेक सामग्री (रेल की पटरियां और क्रासिंग-स्लीपर)

(ii) संरचनात्मक इस्पात

(iii) तार की छड़ें (वायर राड्स)

(iv) मर्चेन्ट मिल उत्पाद

(v) भारी प्लेटें

(vi) अर्ध तैयार उत्पाद (ब्लूम और बिलेट)

2. राउर केला इस्पात कारखाना

(i) प्लेटें

(ii) गर्म बेलित प्लेटें और चादरें और क्वायल

(iii) ठंडी बेलित चादरें और स्ट्रिप

(iv) विद्युतीय इस्पात की चादरें

(v) इलेक्ट्रोलिटिक टिन प्लेटें

(vi) जस्ती चादरें

(vii) ई०आर० डब्ल्यू० और एस० डब्ल्यू० प्लेटें

(viii) सी० आर० जी० ओ०/सी० आर० एन० सी० चादरें

(ix) सिल्लियां

3. बोकारो इस्पात कारखाना

(i) गर्म बेलित चादरें

(ii) ठंडी बेलित चादरें और क्वायल

(iii) सिल्लियां

4. दुर्गापुर इस्पात कारखाना

(i) मर्चेन्ट मिल उत्पाद

(ii) मीडियम सेक्शन्स

(iii) स्केल्प

(iv) रेल सामग्री (पहिए तथा धुरे के सेट, स्लीपर और फिश प्लेटें)

(v) अर्ध तैयार उत्पाद (ब्लू, बिलेट आदि)

5. इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी, बर्नपुर

(i) संरचनात्मक इस्पात

(ii) मर्चेन्ट मिल उत्पाद

(iii) काली चादरें (ब्लैक शीट)

(iv) जस्ती सादी/जस्ती नालीदार चादरें

(v) अर्ध तैयार उत्पाद (ब्लूम, सिल्लियां, चादर की छड़ (शीट बार), बिजेट आदि)

मिश्र इस्पात कारखाने, दुर्गापुर और सेलम इस्पात कारखाने, सेलम को मिश्र तथा विशेष इस्पात के उत्पादन में विशेषता प्राप्त है। सेलम इस्पात कारखाना बेदाग चादरों तथा पवायलों का उत्पादन करता है। मिश्र इस्पात कारखाना बिलेट, बार फोर्जिंग और चादरों तथा प्लेटों का उत्पादन करता है।

पिछले तीन वर्षों में लक्ष्यों की तुलना में विक्रेय इस्पात के उत्पादन तथा क्षमताओं का कारखाने-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ). "सेल" के कारखाने मुख्यतः उपयुक्त कोककर कोयले की सप्लाई में अड़चनें अन्य कच्चे माल में गिरावट, बिजली की अपर्याप्त सप्लाई प्रौद्योगिकी तथा उपस्कर पुराने पड़ जाने के कारण अपनी निर्धारित क्षमता पर परिचालन नहीं कर पाए हैं। उपयुक्त क्वालिटी के आदान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करने, कच्चे माल में सुधार, बेहतर रख-रखाव और प्रौद्योगिकी मानदन्डों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप "सेल" के कारखाने अपनी-अपनी क्षमता के उपयोग में सुधार करने में सफल हुए हैं जैसाकि नीचे दी गयी तालिका को देखने से पता चलता है :—

विक्रेय इस्पात

(लाख टन)

वर्ष	"सेल" (इसको शामिल है)	क्षमता की पूर्ति का प्रतिशत
1983-84	47.7	66
1984-85	52.8	73
1985-86 (लक्ष्य)	59.5	79

विवरण

वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों द्वारा विक्रेय इस्पात का उत्पादन तथा क्षमता का उपयोग

(हजार टन)

कारखाना	1982-83			1983-84			1984-85		
	निर्धारित क्षमता	वास्तविक	निर्धारित क्षमता की पूर्ति का प्रतिशत	निर्धारित क्षमता	वास्तविक	निर्धारित क्षमता की पूर्ति का प्रतिशत	निर्धारित क्षमता	वास्तविक	निर्धारित क्षमता पूर्ति का प्रतिशत
भिलाई इस्पात कारखाना	1965	1838	94	1965	1575	80	1965	1810	90*
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	1239	813	66	1239	602	49	1239	61	50
राउरकेला इस्पात कारखाना	1225	992	81	1225	862	70	1225	1013	83
बोकारो इस्पात कारखाना	1971	1529	78	1971	1288	65	1971	1459	74
इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड	800	500	63	800	444	55	800	380	48
स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड	7200	5672	79	7200	4771	66	7200	5283	73*
मिश्र इस्पात कारखाना	60	46.80	78	60	43.69	72.8	60	58.87	98
सेलम इस्पात कारखाना	32	6.75	21.1	32	6.93	21.7	32	17.13	53

*भिलाई इस्पात कारखाने में .25 लाख टन चरण के सम्बन्ध में।

भारतीय कोलियरी मजदूर सभा, रानीगंज से प्राप्त ज्ञापन

3794. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय कोलियरी मजदूर सभा, रानीगंज, पश्चिमी बंगाल से दिनांक 10 अप्रैल, 1985 को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या-क्या मुद्दे उठाए हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और मजदूरों को पीने और नहाने के पानी जैसी न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) कोलियरी मजदूर सभा आफ इंडिया (सीटू) ने अपने ज्ञापन में धौरा में ईस्टर्न कोलफील्डस लि० की नीथापुर और नगेसर (आर) कोलियरियों के कामगारों के लिए पीने और नहाने का पानी न मिलने की समस्या को जोर देकर उठाया है।

(ग) ईस्टर्न कोलफील्ड लि० को निदेश दिया गया है कि वह इस शिकायत को देखें और सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करके कोयला विभाग को रिपोर्ट करें।

भू-वैज्ञानिकों को समुद्री भू-विज्ञान में प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाना

3795. **श्री के० एस० राव** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भू-वैज्ञानिकों को किन बातों को ध्यान में रखते हुए समुद्री भू-विज्ञान में प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार से विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की नियुक्तियां विशाखापत्तनम, कलकत्ता या मंगलौर में न करके, जहां उनके प्रशिक्षण का फायदा उठाया जा सकता है, अन्य स्थानों पर की जा रही है; और

(ग) क्या 1983 में एक मैट्रिकुलेट महिला को उप-वैज्ञानिक के रूप में दल में शामिल किया गया था जिसके कारण वैज्ञानिक समुदाय का अपमान हुआ ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) भू-वैज्ञानिकों को विदेश में समुद्री विज्ञान में प्रशिक्षण हेतु नामित करने के लिए मुख्यतः उनकी वरिष्ठता, समुद्री भूविज्ञान में अनुभव तथा आयु को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) इस प्रकार प्रशिक्षित भू-वैज्ञानिकों को आमतौर पर भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) के कलकत्ता, विशाखापतनम, कोचीन और मंगलौर स्थित समुद्री खनिज गवेषण एवं समुद्री भू-विज्ञान विंग में तैनात किया जाता है। ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त केवल एक भू-वैज्ञानिक को स्वर्ण की खोज के लिए तैनात किया गया है, जिसके लिए उसे खास विशेषज्ञता भी हासिल थी। समुद्री भू-विज्ञान वाले ऐसे तीन भू-वैज्ञानिकों को, उक्त विंग में तीन से सात साल की सेवा के बाद, मानवीय आधार पर जी० एस० आई० की अन्य यूनिटों में काम करने की अनुमति दी गई थी। इन अधिकारियों की सेवाएं, जरूरत पड़ने पर ओ० एम० ई० एंड एम० जी० विंग को फिर भी सुलभ रहेंगी। एक अन्य अफसर भूमिविज्ञान अध्ययन केन्द्र त्रिवेन्द्रम में धारणाधिकार आधार पर, काम कर रहा है, जहां वह समुद्री भूविज्ञान से सम्बन्धित कार्य करता है।

(ग) "आर० वी० समुद्र मन्थन" मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट के तहत "मालवाही पोत" के रूप मे पंजीकृत है, अत: इस पोत के अभियानों में भाग लेने वाले जी० एस० आ के सभी भूवैज्ञानिकों को "अतिरिक्त" मानकर समायोजित किया जाता है। आर० वी० समुद्र मंथन के मुख्य भंडारी (स्टीवर्ड) की पत्नी श्रीमती मोविल को, उनकी असाधारणा परिवारिक दशा में मानवीय आधार पर और वह भी पोट स्वामी की पूर्व-अनुमति से सितम्बर, 1983 के एक छोटे अभियान दल में "अतिरिक्त" मानकर यात्रा की अनुमति दी गई थी। वह वैज्ञानिक न होकर "अतिरिक्त" घोषित की गई थीं। अत: वैज्ञानिक समुदाय के अपमान का सवाल ही नहीं उठना।

देश में परियोजनाओं के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण की मंजूरी

3797. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने देश में परियोजनाओं के लिए 445 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो परियोजनाओं की संख्या कितनी है तथा तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश के लिए ऐसी कितनी योजनाएं मंजूर की गई हैं; और

(घ) विदेशी मुद्रा में कितनी धनराशि और किस प्रयोजन के लिए मन्जूर की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) ने वर्ष 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान 418 परियोजनाओं के लिए 450.64 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की थी। वर्ष 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान निगम द्वारा मंजूर की गई सहायता का राज्य-वार वितरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश के लिए मन्जूर की गई परियोजनाओं की संख्या 35 है।

(घ) वर्ष 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान 99.85 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा उप ऋण मंजूर किये गये। विदेशी मुद्रा उप ऋण नई औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पूंजीगत माल का आयात करने के लिए राज्य वित्तीय निगमों के विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण या नवीकरण के लिए मंजूर किए गए थे।

विवरण

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली

वर्ष 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान निगम द्वारा मंजूर की गई सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार वितरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर की गई सहायता राशि (करोड़ रुपए)
1. आंध्र प्रदेश	35	45.79
2. असम	1	3.20
3. बिहार	7	4.76
4. गुजरात	33	34.13

5. हरियाणा	11	6.42
6. हिमाचल प्रदेश	7	5.71
7. जम्मू और कश्मीर	5	7.66
8. कर्नाटक	27	24.71
9. केरल	13	16.28
10. मध्य प्रदेश	24	23.11
11. महाराष्ट्र	57	65.88
12. नागालैंड	1	1.41
13. उड़ीसा	10	20.61
14. पंजाब	23	17.81
15. राजस्थान	32	25.51
16. तमिलनाडु	42	32.41
17. उत्तर प्रदेश	54	84.81
18. पश्चिम बंगाल	20	21.33
19. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0.30
28. दादर और नगर हवेली	1	0.61
21. दिल्ली	8	5.17
22. गोवा	2	1.25
23. पांडिचेरी	2	1.36
24. चण्डीगढ़	2	0.41
जोड़ :	418	450.64

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए मानक आचरण और अनुशासनात्मक नियमावली

3798. **श्री अमिताभ बच्चन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अनियमितता और कदाचार समाप्त करने की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए मानक आचरण और अनुशासनात्मक नियमावली बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनकी एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी; और

(ग) जिन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने इन्हें अपना लिया है, उनके नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के

कर्मचारियों पर लागू होने वाले मानक आचरण, अनुशासन तथा अपील नियम सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा 1974 में तैयार तथा परिचालित किए गए थे।

(ख) मानक आचरण, अनुशासन और अपील नियमों की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) सरकारी क्षेत्र के कुल 214 में से 181 उद्यमों ने मानक आचरण, अनुशासन तथा अपील नियम अपना लिये हैं। अन्य 33 उद्यम इन नियमों को अपनाने जा रहे हैं। जिन सरकारी उद्यमों ने इन नियमों को अपना लिया है, उनके नामों को सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों की सूची, जिन्होंने आदेश आचरण अनुशासन तथा अपील नियम अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (आचरण) नियम अपना लिए हैं।

1. अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह वन एवं बागान विकास निगम लि०
2. एण्ड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लि०
3. आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यु० कारपो० आफ इण्डिया लि०
4. भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि०
5. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लि०
6. भारत कोकिंग कोल लि०
7. भारत डायनामिस लि०
8. भारत अर्थ मूवर्स लि०
9. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि०
10. भारत गोल्ड माइन्स लि०
11. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०
12. भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लि०
13. भारत लेदर कारपोरेशन लि०
14. भारत आफ्थैल्मिक ग्लास लि०
15. भारत पेट्रोलियम लि०
16. भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेशर्स लि०
17. भारत वेगम एण्ड इन्जी० कम्पनी
18. भारत रिफ्रेक्ट्रीज लि०
19. बीको लारी एण्ड कम्पनी
20. बामेर लारी एण्ड कम्पनी
21. ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि०
22. ब्रिज एण्ड रुफ कम्पनी लि०

23. बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी लि०
24. बोंगाईगांव रिफायनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि०
25. भारतीय काजू निगम
26. भारतीय सीमेंट निगम लि०
27. सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०
28. भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लि०
29. सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि०
30. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि०
31. सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लि०
32. कोल इण्डिया लि०
33. कोचीन रिफायनरीज लि०
34. कोचीन शिक्यार्ड लि०
35. कम्प्यूटर मेंटीनेंस कारपो० लि०
36. भारतीय रुई निगम लि०
37. केन्द्रीय भाण्डागार निगम लि०
38. दामोदर सीमेंट एण्ड स्लेग लि०
39. ड्रेजिंग कारपो० आफ इण्डिया
40. दिल्ली परिवहन निगम
41. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
42. इलेक्ट्रोनिक्स कारपो० आफ० इं० लि०
43. इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नालाजी डिवेल्पमेंट कारपो० लि०
44. दि एल्गिन मिल्स कम्पनी
45. इन्जीनियर्स इण्डिया लि०
46. इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इं०) लि०
47. निर्यात ऋण एवं प्रत्याभूति निगम लि०
48. फेरो स्क्रेप निगम लि०
49. भारतीय उर्वरक निगम लि०
50. फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लि०
51. भारतीय खाद्य निगम
52. गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स लि०
53. गोवा शिपयार्ड लि०

54. भारतीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प निर्यात निगम लि०
55. भारी इन्जीनियरी निगम लि०
56. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०
57. हिन्दुस्तान एण्टिबायोटिक्स लि०
58. हिन्दुस्तान केबल्स लि०
59. हिन्दुस्तान कॉपर लि०
60. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपो० लि०
61. हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि०
62. हिन्दुस्तान लेटेक्स लि०
63. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०
64. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०
65. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो० लि०
66. हिन्दुस्तान फोटो-फिल्मस मैन्यु० कम्पनी
67. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०
68. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन कारपो० लि०
69. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०
70. हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लि०
71. हिन्दुस्तान जिंक लि०
72. एच० एम० टी० लि०
73. एच० एम० टी० (इण्टरनेशनल) लि०
74. एच० एम० टी० (बियरिंग्स) लि०
75. आवास एवं नगर विकास निगम
76. हाइड्रो कार्बन्स (इण्डिया) लि०
77. भारत पर्यटन विकास निगम लि०
78. इण्डियन डेरी कारपो० लि०
79. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स कारपो०
80. इण्डियन मेडीसन्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०
81. इण्डियन ऑयल ब्लेंडिंग लि०
82. भारतीय तेल निगम लि०
83. इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपो० लि०
84. इण्डियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कारपो० लि०

85. इण्डियन रेअर अर्थस लि०
86. भारतीय सड़क निर्माण निगम
87. इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०
88. इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०
89. इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लि०
90. जेसप एण्ड कम्पनी लि०
91. भारतीय पटसन निगम लि०
92. कुद्रेमुख आयर और कम्पनी लि०
93. लगन जूट मशीनरी कम्पनी लि०
94. ल्यूब्रिजोल इण्डिया लि०
95. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०
96. मद्रास रिफायनरीज लि०
97. मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि०
98. मारुति उद्योग लि०
99. माझगांव डाक लि०
100. रद्दी धातु व्यापार निगम
101. मेटलर्जिकल एण्ड इन्जी० कन्सलटेंट्स (इं०) लि०
102. माइका ट्रेडिंग कारपो० आफ० इण्डिया लि०
103. खनिज गवेषण निगम
104. भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि०
105. माईनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपो०
106. मिश्र धातु निगम लि०
107. माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इं०) लि०
108. नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कारपो०
109. नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि०
110. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०
111. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०
112. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम
113. नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपो०
114. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि०
115. नेशनल इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०
116. नेशनल जूल मैन्यु० कारपो०

117. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०
118. नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि०
119. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम
120. भारत राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लि०
121. राष्ट्रीय बीज निगम लि०
122. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि०
123. नेशनल टेक्सटाइल कारपो० लि०
124. ने० टे० का० (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि०
125. ने० टे० का० (मध्य प्रदेश) लि०
126. ने० टे० का० (महाराष्ट्र नार्थ) लि०
127. नेशनल थर्मस पावर कारपो० लि०
128. ने० टे० का० (गुजरात) लि०
129. ने० टे० का० (साउथ महाराष्ट्र) लि०
130. नेशनल टेक्सटाइल कारपो० (तमिलनाडु एवं पांडिचेरी) लि०
131. ने० टे० का० (उत्तर प्रदेश) लि०
132. ने० टे० का० (प० बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि०
133. ने० टे० का० (आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि०
134. नीलांचल इस्पात परियोजना लि०
135. नेवेली लिग्नाइट कारपो० लि०
136. उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि०
137. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग
138. आयल इण्डिया लि०
139. प्रागा टूल्स लि०
140. भारतीय परियोजना एवं विकास लि०
141. भारतीय परियोजना एवं उपस्कर निगम लि०
142. पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि०
143. रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज लि०
144. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०
145. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि०
146. उद्योग पुनर्स्थापना निगम लि०
147. रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि०
148. ग्राम विद्युतीकरण निगम लि०

149. स्कूटर्स इण्डिया लि०
150. सेमी कन्डक्टर्स कम्पलैक्स लि०
151. स्पंज आयरन इण्डिया लि०
152. भारत राज्य फार्म निगम लि०
153. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०
154. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०
155. टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो० आफ इण्डिया लि०
156. भारतीय चाय व्यापार निगम लि०
157. टेलीकम्यूनिकेशन कन्सलटेंट्स इन्डिया लि०
158. भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण
159. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०
160. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लि०
161. यूरेनियम कारपो० आफ इन्डिया लि०
162. जल एवं बिजली परामर्शदायी सेवायें (इं०) लि०
163. वेस्टर्न कोलफील्डस लि०
164. हिन्दुस्तान प्रीफैब लि०
165. बानरहाट टी कम्पनी लि०
166. राजगढ़ टी कम्पनी लि०
167. मुरफुलानी (असम) टी कम्पनी लि०
168. मिम टी कम्पनी लि०
169. हूलूगुंरी टी कम्पनी लि०
170. राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एन्ड इन्स्ट्रूमेंट्स लि०
171. इस्को उज्जैन पाइप एन्ड फाउन्ड्री कम्पनी लि०
172. इन्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी लि०
173. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि०
175. नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपो० लि०
175. राजस्थान ड्रग्स एन्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०
176. हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लि०
177. साउदर्न पेस्टीसाइडस कारपो० लि०
178. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि०
179. पारादीप इस्पात परियोजना लि०

180. पारादीप फास्फेटस लि०

181. उत्तर प्रदेश ड्रग्स एन्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०

उन उद्यमों की सूची जो आदर्श आचरण अनुशासन एवं अपील नियम अपनाने वाले है

1. भारत प्रोसेस एन्ड मकेनिकल इंजीनियर्स लि०
2. बंगाल केमिकल्स एन्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०
3. ब्रिटिश इन्डिया कारपो० लि०
4. ब्रुशवेयर लि०
5. इलायची व्यापार निगम लि०
6. साइकिल कारपो० आफ इन्डिया लि०
7. एजूकेशनल कन्सलटेंटस इन्डिया लि०
8. गैस अथारिटी ऑफ इन्डिया लि०
9. गोवा एन्टिबायोटिक्स एन्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०
10. हिन्दुस्तान वेजीटेबल्स आयल्स कारपो० लि०
11. हास्पिटल सर्विसज कन्सलटेंसी कारपो० लि०
12. इन्डिया फायरब्रिक्स एण्ड इन्सुलेशन कम्पनी लि०
13. कर्नाटक एण्टिबायोटिक्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०
14. महाराष्ट्र एन्टिबायोटिक्स एन्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०
15. मण्ड्या नेशनल पेपर मिल्स लि०
16. मुगल लाइन लि०
17. नेशनल वाइसाइकिल कारपो० आफ इन्डिया लि०
18. उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि०
19. उड़ीसा ड्रग्स एन्ड केमिकल्स लि०
20. साम्भर साल्ट्स लि०
21. भारतीय नौवहन निगम लि०
22. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मेस्यूटिकल्स लि०
23. विजयनगर स्टील लि०
24. वेवर्ड इन्डिया लि०
25. एयर इन्डिया
26. इन्डियन एयरलाइन्स
27. भारतीय होटल निगम लि०
28. एयर इन्डिया चार्टर्स लि०

29. एयरलाइन्स एलायड सर्विसेस लि०

30. बंगाल इम्युनिटी कम्पनी लि०

31. भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण लि०

32. पंजाब मेज प्रोडक्टस लि०

33. वायुदूत लि०

त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन के बाहर डालर का गैर-कानूनी व्यापार

3799. **श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिवेन्द्रम और खाड़ी के देशों के बीच बढ़ते हुए यातायात की दृष्टि से त्रिवेन्द्रम विमान पत्तन के आस-पास ठगों और एजेन्टों द्वारा सुसंगठित तरीके से डालर का गैर-कानूनी व्यापार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो डालर के इस गैर-कानूनी व्यापार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इस गैर-कानूनी व्यापार से त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन में स्थित एक राष्ट्रीयकृत बैंक के कारोबार पर प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

इंजीनियरिंग के सामान के निर्यात बाजार में भारत का पिछड़ जाना

3800. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 22 जुलाई, 1985 के इकानामिक टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीन ने अफ्रीका में इन्जीनियरिंग के सामान के निर्यात बाजार में भारत को पीछे छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां तो क्या इन्जीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (इन्जीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल) ने इस स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ग) क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ). जी हां। सरकार ने इन्जीनियरी माल का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं : अन्तर्राष्ट्रीय कीमत वापसी योजना जारी रखना तथा उस पर बल देना, निर्यात उत्पादन हेतु आयात का उदारीकरण, निर्यातों के लिए सम्पर्क सौदे और कुछ देशों के लिए ऋण प्रणालियां।

[हिन्दी]

"बैंक वालों ने करोड़ों रुपये आपस में बांट लिये" शीर्षक के समाचार

3801. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 3 जून, 1985 के जनसत्ता में "बैंक वालों ने करोड़ों रुपए आपस में बांट लिए" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ट्रेडर्स बैंक में वर्ष-वार कुल कितनी राशि की घोखाधड़ी का पता चला है;

(ग) किन-किन निर्देशकों अथवा भूतपर्व निदेशकों के विरुद्ध जांच प्रारम्भ की गई है और इनके कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) खाताधारकों का धन वापस करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार ने यह समाचार देखा है।

(ख) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक से यथाउपलब्ध सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में नये औद्योगिक एकक

3803. **श्री अजय विश्वास** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स आदि जैसी सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र में एककों का विस्तार करने अथवा नए एकक खोलने का है,

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के किन-किन उद्यमों ने अपने नये एककों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में स्थलों का चयन कर लिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और उसका विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

[हिन्दी]

राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में कारखानों की स्थापना

3804. **श्री लाला राम केन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में कुल कितने कारखाने हैं और उनमें कितने कर्मचारी काम करते हैं;

(ख) सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कितने बड़े कारखानों को स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और इस सम्बन्ध में उसकी योजनाएं क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय राजस्थान में चालू केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से है। 31-3-1984 को राजस्थान में 31 केन्द्रीय सरकारी उपक्रम चालू थे तथा उस तारीख को उनमें काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या 0.33 लाख थी।

(ख) और (ग). चूंकि सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है, इसलिये इस सम्बन्ध में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

3805. **श्री प्रताप राव बी० भोंसले** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मंजूरी के लिए निर्धारित वर्तमान मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों, विशेष तौर पर महाराष्ट्र सरकार, से विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में वृद्धि हेतु कोई अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकारों के अनुरोध को देखते हुए केन्द्र सरकार का वर्तमान केन्द्रीय सहायता में कितनी वृद्धि करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्तमान मार्ग-दर्शक सिद्धांतों के अनुसार विदेशी सहायता प्राप्त सभी परियोजनाओं के लिए संविदरित सहायता का 70 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों को ऐसी परियोजनाओं पर उनके द्वारा अपने साधनों से लिए गए व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में दे दिया जाता है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) इस सम्बन्ध में वर्तमान नीति में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

राज्यों की वार्षिक योजना मे संसाधनों की कमी

3806. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य की वार्षिक योजना में उनकी वार्षिक योजना के लिए संसाधनों की कमी का पता चला है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार "ओवर ड्राफ्ट" की अनुमति देगी अथवा कोई अन्य सहायता देगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कमी को किस प्रकार पूरा किया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) योजना आयोग द्वारा यथा-स्वीकृत वार्षिक योजनाओं को पूरी तरह वित्त पोषित किया जाता है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जहाजरानी कम्पनियों के संगठनों के एक क्षेत्रीय संघ का गठन

3807. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई० एस० सी० ए० पी० के तत्वावधान में बहुत जल्दी ही एशिया और प्रशान्त महासागर क्षेत्र में जहाजरानी कम्पनियों के संगठनों का एक क्षेत्रीय संघ गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है और क्या नौवहन बन्दरगाह और अन्तर्देशीय जल परिवहन भी इसके अन्तर्गत आयेंगे;

(ग) क्या भारत ने इस संगठन में शामिल होने का निर्णय किया है; और

(घ) इससे नौवहन उद्योग में इस समय आई मन्दी को दूर करने में कहां तक सहायता मिलेगी और क्या इससे स्थानांतरण, कम से कम विश्व के इस भाग में समाप्त हो जायेगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) एशिया तथा प्रशान्त हेतु आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ने शिपर्स में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय शिपर्स परिषदों की एक क्षेत्रीय एसोसिएशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता मान्य कर दी है।

(ख) ऐसी सम्भावना है कि इस एसोसिएशन की रूपरेखा पर एस्कैप के तत्वावधान में इस वर्ष के अन्त तक राष्ट्रीय शिपर्स परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा।

(ग) भारत ने शिपर्स में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए ऐसी एसोसिएशन की स्थापना का आमतौर पर समर्थन किया है।

(घ) ऐसी आशा है कि यह एसोसिएशन शिपर्स और जहाजमालिकों के दोनों हितों में, वृद्धि में प्रेरक एक स्वस्थ वातावरण उत्पन्न करेगी।

[हिन्दी]

कोयला खानों को बांधव ताप विद्युत संयंत्र के साथ जोड़ना

3808. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा समय समय पर किए गए प्रयत्नों के बावजूद भी, मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के किसी ताप विद्युत संयंत्र को सिंगरौली कोयला पट्टी से नहीं जोड़ा गया है;

(ख) क्या किसी कोयला खान को भी अब तक बांधव ताप विद्युत घर से नहीं जोड़ा गया है;

(ग) यदि हां, तो इस भेद-भाव के क्या कारण है; और

(घ) बांधव ताप विद्युत घर को किसी कोयला खान से न जोड़ने के क्या कारण है जबकि सिंगरौली के अधिकांश कोयला भण्डार मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी नहीं। मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के बान्धव ताप बिजली घर को कोयले की आपूर्ति हेतु 1994-95 सिंगरौली कोयला क्षेत्र से जोड़ा गया है।

(ख) से (घ). सिंगरौली कोयला क्षेत्र की एक विशेष कोयला खान परियोजना को बान्धव ताप बिजली घर से जोड़ने के प्रश्न पर कोयला विभाग की विशेष संयोजन समिति विचार कर रही है।

[अनुवाद]

विद्युत एजेंसियों द्वारा कोल इण्डिया लिमिटेड को समय पर भुगतान

3809. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजलीघरों के लिए कोयला पहुँचाने की जल्दीबाजी के कारण कोल इण्डिया लिमिटेड के लिए एक दूसरी समस्या पैदा हो गई है क्योंकि इसमें सभी बिजली एजेंसियों से यह सुनिश्चित करने के लिए ऋण पत्र मांगे थे कि इसे सप्लाई किए गए कोयले के लिए समय पर भुगतान प्राप्त हो;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि प्रारम्भ में ऋण पत्रों के कारण नियमित भुगतान मिलने से विद्युत एजेंसियों ने फिर चूक करना प्रारम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या रुख अपनाया।

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग). कोल इण्डिया लिमिटेड ने राज्य विद्युत बोर्डों के साथ कोयले की आपूर्ति के लिए समझौते किए हैं। भुगतान खंड में यह प्रावधान है कि राज्य विद्युत बोर्ड अपने पास दस दिनों की आपूर्ति के मूल्य की रकम जमा रखेंगे एवं बिल दिए जाने की तारीख से सात दिनों के भीतर भुगतान की व्यवस्था करेंगे सभी राज्य विद्युत बोर्डों ने इस भुगतान खण्ड को स्वीकार कर लिया है और इसीलिए ऋण खाता खोलने का प्रश्न नहीं उठता। प्रारम्भ में राज्य विद्युत बोर्ड भुगतान करने में काफी नियमित थे एवं समझौते के अनुसार भुगतान करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने भुगतान रोककर इसका उल्लंघन शुरू कर दिया। वास्तविक व्यवहार में कुछ राज्य विद्युत बोर्ड भुगतान खंड का कड़ाई से पालन नहीं कर पाते हैं जिसके फलस्वरूप बकाया राशि बढ़ गई है। भुगतान में शीघ्रता करने के मामले पर कोयला कम्पनियों द्वारा सीधे राज्य विद्युत बोर्डों के साथ तथा सरकारी स्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है।

चीनी मिलों की ब्याज राशि की अदायगी की अवधि बढ़ाना

3810. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चीनी मिलें, जिन पर गत तीन वर्षों में कार्यरत पूंजी पर लगभग 850 करोड़ रुपए का ब्याज भार हो गया है, उससे तब तक छुटकारा नहीं पा सकती जब तक कि बैंक उनकी ब्याज अदायगी की अवधि कम से कम दो वर्ष और न बढ़ा दें;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चीनी उद्योग को इस स्थिति से उबारने में मदद देने के लिए यह मामला सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हाँ, तो चीनी उद्योग की सहायता के लिए सरकार का अन्य क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). जब कुछ कारणों से नकद ऋण खाते लम्बी अवधि के लिए अनियमित हो जाएं तो बैंक ब्याज के भार सहित अनियमित अंश का समायोजन स्थगित कर देते हैं और एक उचित वापसी अदायगी कार्यक्रम की परिकल्पना करते हैं। यह परिकल्पना नकद ऋण खाते के अनियमित अंश को अलग करके ऋण कार्यचालन पूंजी सावधि ऋण में परिवर्तित करके की जाती है। ऐसा करते समय निम्नलिखित शर्तें पूरी की जानी होती हैं :—

(I) मिल की बुनियादी अर्थक्षमता पर कोई संदेह न हो।

(II) मिल ने अपनी धनराशियों को किन्हीं और प्रयोजनों के लिए न लगाया हो तथा मिल स्वस्थ वित्तीय अनुशासन का अनुपालन कर रही हो।

(III) नकद हानियां स्थाई प्रकार की हों और उद्यमी/प्रबन्धकों ने नई पूंजी लगाने के लिए प्रयास किए हों।

कार्यशालन पूंजी की मंजूरी देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के प्राधिकार की जरूरत होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अनियमित अंश की वसूली के सम्बन्ध में दो वर्ष का सामान्य अधिस्थगन लगाना न तो व्यावहारिक है और न ही आवश्यक है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत अलग-अलग मामलों में गुणदोषों के आधार पर वसूली स्थगित की जा सकती है। इसके अलावा चीनी के मूल्यों में वर्तमान तेजी के कारण चीनी मिलों द्वारा रखे गए स्टाक के बदले रकमें लेने की शक्ति भी बढ़ गई है जिससे अनियमित अंश अपने आप कम हो जाएगा।

राज्य वित्त निगम (उद्योग) की परियोजनाओं आदि की क्रियान्विति में भूमिका

3811. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) राज्यों की प्रगति/औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए परियोजनाओं की क्रियान्विति और वितरण प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने में राज्य वित्त निगम क्या भूमिका निभा रहे हैं;

(ख) इन वित्त निगमों द्वारा मंजूर किए गए ऋणों इनसे सहायता पाने वाले उद्योगों और उनमे पिछले दो वर्षों के दौरान सहायता पाने वाले लघु उद्योगों की संख्या का राज्य-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निगमों के क्रियाकलापों को चलाने और पूंजी निवेश संबंधी सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ऐसे निगमों के लिए चालू वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राज्यों के वित्तीय निगम कारीगरों, ग्राम/कुटीर उद्योगों, अति लघु और अन्य लघु तथा मझोले उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देते हैं ताकि आर्थिक गतिविधियों के विस्तार, रोजगार के अधिक अवसरों के निर्माण और औद्योगिक पूंजी के स्वामित्व के प्रसार में क्षेत्रीय सन्तुलन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। राज्य वित्तीय निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से मिलने वाले पुनर्वित्त से, पिछड़े क्षेत्रों की परियोनाओं तथा औद्योगिक एककों पुनरुधार/आधुनिकीकरण के लिए भी वित्तीय सहायता देते हैं। सहायता के संवितरण के समय के अन्तराल को कम करने के कुछ राज्य वित्तीय निगमों द्वारा किए जाने वाले उपायों में यथासम्भव दूसरे अनुवर्ती संवितरणों के मामले में परियोजना का संवितरण से पूर्व निरीक्षण को समाप्त करना, एककों के मंजूरशुदा लेकिन संवितरित न की गई निवेश संबंधी आर्थिक सहायता के बदले अन्तरिम सहायता देना आदि जैसे उपाय शामिल हैं।

(ख) राज्य वित्तीय निगमों द्वारा सहायता प्राप्त एककों की कुल संख्या (लघु एककों की संख्या अलग से दिखायी गयी है) से संबंधित तत्काल उपलब्ध सूचना तथा वर्ष 1983-84 के (अप्रैल-मार्च) के दौरान ऐसे एककों की मंजूर की गई सहायता की राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) भारती औद्योगिक विकास बैंक, पिछले अनुभव तथा राज्य वित्तीय निगमों की मंजूरियों, संवितरणों, वसूली और संसाधनों की आवश्यकताओं के आधार पर, प्रतिवर्ष एक विस्तृत व्यापार

योजना और संसाधन पूर्वानुमान तैयार करता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक प्रत्येक राज्य के वित्तीय निगम की व्यापार योजना और संसाधन पूर्वानुमानों की मध्यावधिक समीक्षा भी करता है। निवेश सम्बन्धी आर्थिक सहायता राज्यों के वित्तीय निगमों के जिन्हें संवितरण एजेंसी का पदनाम दिया गया है के माध्यम से दी जाती है। चूंकि निवेश सम्बन्धी आर्थिक सहायता केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, अतः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इस मामले में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करता।

विवरण

सभी एककों और लघु उद्योग एककों के सम्बन्ध में राज्यों के वित्तीय निगमों द्वारा वर्ष 1983-84 (अप्रैल-मार्च) के दौरान मंजूर किए गए ऋणों की राज्यवार स्थिति

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सभी एककों को मंजूरियां		लघु उद्योग एककों को मंजूरियां	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	1631	6235.94	1021	3839.97
2.	असम	125	210.82	74	67.33
3.	बिहार	559	3367.42	779	2413.09
4.	दिल्ली	84	629.70	76	441.15
5.	गुजरात	1232	4796.79	1212	3869.06
6.	हरियाणा	525	1694.12	408	1350.69
7.	हिमाचल प्रदेश	102	795.11	52	402.89
8.	जम्मू और कश्मीर	788	1222.83	481	532.27
9.	कर्नाटक	2551	21044.61	1874	3573.64
10.	केरल	250	821.11	184	356.84
11.	मध्य प्रदेश	433	2996.29	384	2115.18
12.	महाराष्ट्र	1987	3247.24	1571	2664.12
13.	उड़ीसा	2970	5075.75	2403	3204.72
14.	पंजाब	417	2243.14	376	1230.66
15.	राजस्थान	4228	3878.45	3395	1941.73
16.	तमिलनाडु	3113	5306.42	2003	3534.85
17.	उत्तर प्रदेश	4252	4319.49	4203	3847.79
18.	पश्चिम बंगाल	1290	2176.20	1207	1788.60

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को हथकरघा श्रमिकों पर लागू करना

3812. **श्री सी० सम्बु : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा श्रमिकों का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो हथकरघा के लिए शैड बनाने का भी कोई प्रस्ताव है ताकि हथकरघा श्रमिकों को जिनका कि अब तक 'मास्टर वीवर्स' द्वारा शोषण किया जाता था संगहित श्रम के अन्तर्गत लाया जा सके ; और

(ग) क्या नए हथकरघा बुनकर अधिनियम के अन्तर्गत हथकरघा बुनकरों द्वारा निर्मित 12 मदों के लिए खरीद केन्द्र खोलकर सरकार द्वारा सीधी खरीद करने का कोई प्रस्ताव है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत, राज्य सरकारें हथकरघा उद्योग में नियोजन हेतु न्यूनतम मजदूरी नियत करने के लिए 'उपयुक्त सरकार' है। इस अधिनियम के अधीन कुछ राज्य सरकारों ने पहले ही हथकरघा उद्योग के लिए न्यूनतम मजदूरी नियत कर दी है । में संशोधन कर दिया है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी नहीं। प्रश्न में उल्लिखित नये अधिनियम का सन्दर्भ संभाव्यतः हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 से है। यह अधिनियम हथकरघा क्षेत्र द्वारा अनन्य उत्पादन के लिए कतिपय मदों को आरक्षण करता है न कि 12 हथकरघा क्षेत्र के लिए क्रय।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मैं समझता हूं कि इस मामले को आप स्वयं तथा पूरी सभा गम्भीरता से लेगी। काफी समय तक हमने काश्मीर में देश द्रोहियों को सहन किया है। इस महीने की 14 तारीख को पूरी काश्मीर घाटी में तथा काश्मीर विश्वविद्यालय में भी पाकिस्तानी झंडे फहराए गए।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानकारी प्राप्त करके इस पर विचार करूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, 60 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर ध्यान दूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मन्त्री एक वक्तव्य दें। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर ध्यान दूंगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : श्रीमान्, कनाडा के प्रधान मन्त्री श्री ब्रियान ने वचन दिया है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे पास आया है। मैं इसकी जांच करूंगा तथा तथ्य प्राप्त करूंगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह सरकारों के बीच समझौते का उल्लंघन है।

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्यों का पता लगाकर बताऊंगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह कनाडा के समाचार-पत्रों में छपा है...

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव की क्या स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास उत्तर आ गया है। हम उस पर विचार करेंगे। यदि कोई और कार्यवाही की जानी आवश्यक है तो हम उस पर विचार करेंगे। हम पहले उसे देखेंगे तथा यदि कोई असंगति होगी तो बतायेंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैंने जो निवेदन किया था उसके सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्यों को प्राप्त करने के बाद इस बारे में बताऊंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : पाकिस्तानी तत्वों के बारे में क्या विचार है ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हमें ऐसे तत्वों की निन्दा करनी चाहिए।

(व्यवधान)

12.02 म० प०

विशेषाधिकार का प्रश्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : 13 अगस्त, 1985 को प्रो० मधु दंडवते ने वित्त और वाणिज्य मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, के विरुद्ध खुले अधिवेशन में चर्चा के दौरान श्रम और उद्योग मन्त्रालय के प्रतिनिधियों की मांगों के अनुसरण में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में 10 अगस्त, 1985 को सभा से बाहर कथित नीति की घोषणा किए जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी।

वित्त मन्त्री ने अपनी टिप्पणी में अन्य बातों के साथ यह कहा है : "खुले अधिवेशन में चर्चा की निर्धारित कार्य सूची नहीं होती और उद्योग तथा श्रम प्रतिनिधि अपने विवेक के अनुसार जो उचित समझें मुद्दे उठा सकते हैं। तदुपरान्त वाणिज्य मन्त्री चर्चा के दौरान उठाए गए कुछ मुद्दों का उत्तर देते हैं। यह नीति की घोषणा करने का मंच नहीं है यह। यह मंच मुख्यतः तत्स्थानिक प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए बनाया गया है।' उन्होंने यह भी बताया है कि उनके द्वारा की गई घोषणाएं या तो वर्तमान नीतियों के अनुसार थीं अथवा चालू योजनाओं या के बारे में थीं या विभिन्न अधिकारियों की कार्यक्षमता के अन्तर्गत प्रशासनिक और व्यावहारिक मामलों से सम्बन्धित थीं।"

यह सुविदित तथ्य है कि यदि जनहित के मामलों सम्बन्धी वक्तव्य पहले सदन में नहीं दिए जाते तो इसमें सभा के विशेषाधिकार के भंग होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि यह औचित्य का प्रश्न है कि यदि सदन का सत्र चल रहा हो तो यथासम्भव महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा पहले सदन में ही की जानी चाहिए। यदि किसी कारणवश, जैसे उस दिन सभा की बैठक नहीं हो रही है और सभा की बैठकों में पहले कोई महत्वपूर्ण घटना हो जाए जिसकी घोषणा करना आवश्यक है तो सदन के समक्ष यथाशीघ्र इसकी सूचना दी जानी चाहिए।

मैं समझता हूं कि इस मामले में—(1) सभा का विशेषाधिकार भंग नहीं हुआ है। (2) तथापि यदि संगत घोषणाएं सभा में पहले की जातीं तो अधिक उपयुक्त होता। यह विशेष कर इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें वित्तीय बातें अन्तर्ग्रस्त थीं। (3) हर हालत में इन मामलों के सम्बन्ध में सभा को यथाशीघ्र सूचित किया जाना चाहिए था।

मेरा माननीय मन्त्रियों से अनुरोध है कि भविष्य में इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाए।

वित्त और वाणिज्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं कुछ कहना चाहता हूं। सदन में ऐसे परिवर्तन लाने में समय लगेगा।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय के निदेश को चुनौती मत दीजिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं केवल अध्यक्षपीठ से निवेदन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल वित्तीय पहलुओं के सम्बन्ध में कह रहा हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि उस सम्बन्ध में अतिरिक्त वित्तीय कठिनाइयां नहीं होंगी। यह बात बिलकुल स्पष्ट हो गई थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय पर कोई निवेदन नहीं किया जा सकता।

अब श्री चव्हाण बोलेंगे।

असम समझौते पर वक्तव्य के बारे में

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इससे पहले कि मन्त्री महोदय असम से सम्बन्ध मे वक्तव्य दें, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं मामले के गुण-दोष के सम्बन्ध में कहने नहीं जा रहा हूं। मैं उनके द्वारा उठाए गए कदमों तथा दिए जाने वाले वक्तव्य का स्वागत करता हूं।

महोदय, मैं आपका ध्यान केवल इस ओर दिलाना चाहता हूं कि लाल किले में की गई घोषणा के अतिरिक्त इस समझौते का सारा पाठ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है क्योंकि उन्होंने केवल यह कहा था कि एक समझौता हुआ है। लेकिन तदनुसार सारा पाठ प्रकाशित हुआ है। और मैं नहीं समझता कि इस सभा को इतना उपेक्षित किया जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं—मैंने तिथियां बताई थीं—कि श्री फिरोज गांधी ने 1 मई, 1959 को एक मामला सभा में उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे पास है। मैंने उसे देखा है। आपने मुझे लिखित रूप में दिया था।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे वाक्य पूरा करने दीजिए। 1 मई, 1959 को अध्यक्ष महोदय ने सदन में श्री फिरोज गांधी का मामला निपटाया था कि स्थिति कुछ भी है, अच्छा यह है कि जब सदन का सत्र चल रहा हो महत्वपूर्ण नीति घोषणाएं सदन के समक्ष की जानी चाहिए। अतः मेरा गृह मन्त्री महोदय से इतना ही अनुरोध है कि भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप सुनिश्चित करें कि सदन की प्रतिष्ठा बनी रहे। यह विधि के अनुसार नहीं है। यह सदन का अधिकार है तथा सदन की प्रतिष्ठा है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे केवल यह बात और कहनी है—क्योंकि उन्होंने यह विशेषाधिकार का मामला नहीं उठाया है—उन्होंने मात्र कुछ बातें कही है। लेकिन यह एक विशेष मामला था। मैं कल

लाल किले पर हुए समारोह में उपस्थित था। सुबह 2 बजकर 45 मिनट पर समझौता हुआ और यह पूरे राष्ट्र के लिए एक अच्छी खबर थी। और मैं समझता हूं कि प्रधान मन्त्री अपने कर्त्तव्य पालन में असफल रहते यदि वह सर्वोच्च निकाय अर्थात, पूरे राष्ट्र को यह.....

प्रो० मधु दंडवते : मैं ज्ञापन की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं वही बता रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया गलत मत समझिए। मैं लाल किले पर की गई घोषणा का जिक्र नहीं कर रहा हूं अपितु उसके बाद जो कुछ हुआ.....

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह भी पता चला है कि यह सूचना सरकार ने नहीं दी थी। मैं गृह मंत्री महोदय से पता लगाया है कि यह समाचार सरकार द्वारा नहीं दिया गया था। सारा पाठ सरकार द्वारा समाचार पत्रों को नहीं दिया गया। और यदि ऐसा किया गया होता तो मैंने उसकी जांच कर ली होती।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : समाचार पत्रों को पूरा पाठ कहां से प्राप्त हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : अन्य दल भी हैं। यही बात है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार वास्तविक है।

अध्यक्ष महोदय : अन्य दल भी हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : (महबूबनगर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह राष्ट्रीय मामला है। कुछ बातें इतनी अच्छी होती हैं कि उनकी घोषणा की जानी चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय के सम्बन्ध में आपने जो भी निर्णय किया है वह उस विनिर्णय से भिन्न है जो आप.....के सम्बन्ध में देना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मैं उसमें भेद नहीं कर रहा हूं। मैं केवल परिस्थितियों में भेद कर रहा हूं। बिलकुल नहीं।

12.09 म० प०

असम समझौते पर वक्तव्य

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : जैसा कि सदन को मालूम है, प्रधान मन्त्री ने स्वतन्त्रता दिवस को राष्ट्र के नाम अपने संदेश में घोषणा की थी कि असम समस्या के बारे में 15 अगस्त की प्रातः को समझौता हो गया है। इस सुखद समझौते से प्रधान मन्त्री द्वारा 5 जनवरी, 1985 को राष्ट्र के नाम अपने प्रसारण में दिए गए इस आश्वासन की पूर्ति हो जाती है कि "असम में विदेशियों के मसले को हल करने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जायेंगे और बातचीत के जरिए आदान-प्रदान के द्वारा वे सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, जो संघर्ष के द्वारा नहीं हो सकती।"

2. ए० ए० एस० यू० ने स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को प्रस्तुत किए गए अपने तारीख 2 फरवरी, 1980 के ज्ञापन में असम में विदेशी राष्ट्रिकों के लगातार आगमन के सम्बन्ध में खतरे की गहरी चिन्ता व्यक्त की थी, और राज्य के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों का डर भी व्यक्त किया था।

असम के लोगों की वास्तविक शंकाओं से पूर्ण रूप से अवगत होने पर तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने ए० ए० एस० यू०/ए० ए० जी० एस० पी० के साथ बातचीत शुरू की। इसके पश्चात् 1980-83 की अवधि के दौरान प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री के स्तर पर बातचीत की गई। 1984 के दौरान कई बार अनौपचारिक बातचीत हुई। मार्च, 1985 में औपचारिक विचार-विमर्श दोबारा शुरू किया गया।

4. समस्या के सभी पहलुओं, जिसमें सांविधिक तथा विधायी उपबन्ध, अन्तर्राष्ट्रीय समझौते, राष्ट्रीय वचनबद्धताएं और लोकोपकारी धारणाएं शामिल हैं, को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि निम्न प्रकार कार्यवाही की जाए :

विदेशियों का मसला

5.1 विदेशियों का पता लगाने और उन्हें हटाने के प्रयोजनों से 1-1-1966 को आधार तारीख और वर्ष के रूप में लिया जाएगा।

5.2 सभी व्यक्तियों को, जो 1-1-1966 से पहले असम में आए थे, जिनमें वे भी शामिल हैं जिनके नाम 1967 के चुनावों में इस्तेमाल की गई मतदाता सूचियों में थे, नियमित किया जाएगा।

5.3 उन विदेशियों का, जो 1-1-1966 (इस तारीख समेत) के बाद तथा 24 मार्च, 1971 तक असम में आ गए थे, विदेशी अधिनियम, 1946 तथा विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 के उपबन्धों के अनुसार पता लगाया जाएगा।

5.4 इस प्रकार पता लगाए गए विदेशियों के नामों को प्रचलित मतदाता सूचियों से हटाया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को विदेशी पंजीकरण अधिनियम, 1939 और विदेशी पंजीकरण नियम, 1939 के उपबन्धों के अनुसार सम्बद्ध जिलों के पंजीकरण अधिकारियों के पास स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।

5.5 इस प्रयोजन के लिए, भारत सरकार सरकारी तंत्र को पर्याप्त रूप से मजबूत बनाएगी।

5.6 पता लगाए जाने की तारीख के बाद दस वर्ष की अवधि समाप्त होने पर सभी ऐसे व्यक्तियों के नाम, जिन्हें मतदाता सूचियों से हटा दिया गया है, पुनः सूचियों में लिख दिए जायेंगे।

5.7 उन सभी व्यक्तियों को, जिन्हें पहले निष्कासित कर दिया गया था, किन्तु जो असम में गैर-कानूनी रूप से पुनः प्रवेश कर चुके हैं, निष्कासित किया जाएगा।

5.8 उन विदेशियों का जो 25 मार्च, 1971 को या इसके बाद असम में आए थे, उनका पता लगाने, सूचियों से हटाने और कानून के अनुसार बाहर निकाल देने का काम जारी रखा जाएगा। ऐसे विदेशियों को निष्कासित करने के लिए तत्काल तथा व्यावहारिक उपाय किए जायेंगे।

5.9 सरकार अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983 के कार्यान्वयन

के सम्बन्ध में ए० ए० एस० यू०/ए० ए० जी० एस० पी० द्वारा व्यक्त की गई कुछ कठिनाइयों पर यथोचित विचार करेगी।

संरक्षण और आर्थिक विकास

6. असमी लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई अभिन्नता और विरासत की रक्षा करने, उन्हें बनाए रखने तथा उनका विकास करने के लिए तथा पर्याप्त संवैधानिक विधायी और प्रशासनिक संरक्षण किए जायेंगे।

7. सरकार असम के तेजी से समग्र आर्थिक विकास के लिए किए गए अपने संकल्प को पुनः दोहराना चाहती है, ताकि लोगों के जीवन-स्तर को उन्नत किया जा सके। राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना के जरिए शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया जायेगा।

अन्य मसले

8.1 सरकार भविष्य में केवल केन्द्रीय सरकारी प्राधिकारियों द्वारा नागरिकता प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रबन्ध करेगी।

8.2 अनियमित रूप से जारी किए गए भारतीय नागरिकता प्रमाण-पत्र (आई० सी० सी०) के बारे में ए० ए० एस० यू०/ए० ए० जी० एस० पी० द्वारा की गई विशिष्ट शिकायतों की जांच की जायेगी।

9.1 उचित स्थानों पर दीवारें, कांटेदार तार की फेंसिंग और अन्य रुकावटें जैसे कि वास्तविक बैरियर खड़े करके भविष्य में विदेशियों की घुसपैठ को रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित बनाया जायेगा।

सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ भूमि तथा तटवर्ती मार्गों पर रक्षा बलों की गश्त को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जायेगा। भविष्य में विदेशियों की घुसपैठ को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए रक्षा बलों को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से पर्याप्त संख्या में चैक पोस्टें स्थापित की जायेंगी।

9 2 ऊपर बताए गए प्रबन्धों के अतिरिक्त, तथा रक्षा सम्बन्धी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, सारी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ एक सड़क का निर्माण किया जायेगा ताकि सुरक्षा बलों को गश्त लगाने में सुविधा मिले। जहां भी सम्भव होगा, सीमा तथा सड़क के बीच की भूमि को मानव वास से मुक्त रखा जायेगा, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ तटवर्ती गश्त को सुदृढ़ बनाया जायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने या पार करने का प्रयास करने से घुसपैठियों को रोकने के लिए सभी प्रभावी उपाय किए जायेंगे।

10. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सरकारी भूमि तथा जनजाति इलाकों में तथा ब्लाकों में भूमि पर अनधिकार प्रवेश को रोकने के लिए सम्बन्धित कानूनों को सख्ती से लागू किया जायेगा, और ऐसे कानूनों के अधीन यथा निर्धारित ढंग से अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल किया जायेगा।

11. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि असम में विदेशियों द्वारा अचल सम्पत्ति को प्राप्त करने पर रोक लगाने सम्बन्धी सम्बद्ध कानूनों को सख्ती से लागू किया जायेगा।

12. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जन्म तथा मृत्यु सम्बन्धी रजिस्टरों को विधिवत रखा जा रहा है।

शांति को पुनः स्थापित करना

13 अखिल असम छात्र संघ (ए० ए० एस० यू०) और अखिल असम गण संग्राम परिषद (ए० ए० जी० एस० पी०) ने अपना आन्दोलन समाप्त कर दिया और देश के विकास के प्रति अपना पूर्ण सहयोग देने और स्वयं को समर्पित करने का आश्वासन दिया है।

14. केन्द्रीय तथा राज्य सरकार निम्न बातों से सहमत है :

(क) आन्दोलन के संदर्भ में कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों की सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा करना और उन्हें वापस लेना तथा यह सुनिश्चित करना कि किसी को दण्डित नहीं किया जाता।

(ख) उन व्यक्तियों के, जो आन्दोलन के दौरान मारे गए थे सगे सम्बन्धियों को अनुग्रह-राशि (एक्स-ग्रेसिया) का भुगतान करने को एक स्कीम बनाना।

(ग) असम में आन्दोलन के संदर्भ में शैक्षिक और प्रतियोगी परीक्षाओं आदि को आयोजित करने में जो असाधारण परिस्थिति विद्यमान थी, उसको देखते हुए असम में सरकारी सेवाओं में रोजगार के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट देने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना ;

(घ) उन्हें छोड़कर जिनके विरुद्ध जघन्य अपराध करने का आरोप है, आन्दोलन से सम्बन्धित नजरबन्दी के मामलों, यदि कोई हैं, और उन व्यक्तियों के, जिनपर दण्डनीय अपराध करने सम्बन्धी आरोप हैं, मामलों की समीक्षा करना ;

(ङ) इस समय लागू निषेधाज्ञा आदेशों/अधिसूचनाएं, यदि कोई हैं, को वापिस लेने पर विचार करना।

15. "उपर्युक्त के कार्यान्वयन के लिए गृह मन्त्रालय नोडल मन्त्रालय होगा।"

प्रधान मन्त्री की मौजूदगी में इस पर अखिल असम छात्र संघ के अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल महन्ती और सचिव श्री बी० के० फुकन एवं अखिल असम गण संग्राम परिषद के संयोजक श्री बिराज शर्मा और भारत सरकार के गृह सचिव श्री आर० डी० प्रधान और असम सरकार की मुख्य सचिव श्रीमती पी० त्रिवेदी ने हस्ताक्षर किए। श्रीमन् मैं सभा पटल पर समझौते का ज्ञापन भी रखता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसे बाद में पूछा जा सकता है। अभी नहीं। आप मुझसे मिल सकते हैं। मुझे सूचना दीजिए और हम चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० बी० चह्वाण : मुझे यह भी कहना है। मैं दो अन्य सम्बन्धित मामलों के बारे में सभा को सूचित करना चाहता हूं।

पहले, अभी जो मतदाता सूचियां तैयार की जा रही हैं, उनके बारे में अखिल असम छात्र संघ और अखिल असम छात्र गण संग्राम परिषद ने तीव्र प्रतिक्रिया प्रकट की है। सरकार निम्नलिखित बातों पर सहमत हो गई है :

(क) निर्वाचन आयोग से नई मतदाता सूचियां तैयार करना सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जाएगा ;

(ख) दावों और आपत्तियों को निपटाने की समयावधि 30 दिन तक बढ़ाई जाएगी; बशर्ते कि यह बात चुनाव सम्बन्धी नियमों के अनुरूप हों ; और

(ग) निर्वाचन आयोग से केन्द्र से पर्यवेक्षक भेजने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

दूसरे, औद्योगिक और शैक्षिक विकास की गति में तेजी लाने के लिए सरकार, निम्नलिखित बातों के लिए सहमत हो गई है :

(क) असम में एक तेल-शोधक कारखाने की स्थापना करना। निजी क्षेत्र में एक तेल-शोधक कारखाने की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार बैंक तथा संस्थागत ऋण के रूप में हर सम्भव सहायता देगी।

(ख) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को अशोक पेपर-मिल तथा जूट मिलों को पुनः चालू करने के उसके प्रयासों में राज्य सरकार को पूरी मदद देगी ; और

(ग) असम में एक आई० आई० टी० की स्थापना।

मुझे विश्वास है कि मेरे साथ सभा को यह उम्मीद होगी कि इस समझौते से असम के लोगों के लिए सौहार्द, सद्भाव और समृद्धि के नए युग की शुरुआत होगी।

इस अवसर पर मैं असम के सभी वर्गों के लोगों और इस सभा के सदस्यों से भी हार्दिक अपील करना चाहूंगा कि वे सामान्य स्थिति तथा सद्भावपूर्ण वातावरण लाने और इस समझौते के उपबन्धों के कार्यान्वयन में भी अपना सहयोग दें।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिनाबाद) : अपने दल, तेलगु देशम की ओर से मैं युवा प्रधान मन्त्री को बधाई देता हूं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : एक स्पष्टीकरण।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए आप मुझे एक और सूचना दे सकते हैं। आप नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा के लिए सूचना दे सकते हैं, लेकिन इस समय नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं।

श्री सी० माधव रेड्डी : श्रीमन्, हमें खुशी है कि समझौता हो गया है। हमें इस बात की भी खुशी है कि प्रधान मन्त्री ने समझौता होने से 15 मिनट पूर्व विपक्षी नेताओं से विचार-विमर्श करना उचित समझा। मैं महसूस करता हूं कि सलाह करने की यह प्रक्रिया एक अनुष्ठान मात्र नहीं रहनी चाहिए। भविष्य में बातचीत के साथ-साथ सलाह भी ली जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : शायद यह सम्भव न हो···

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। हमारी मंशा यह नहीं थी कि समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात विपक्ष की सलाह ली जाए। सभा पटल पर समझौते का ज्ञापन रखने से पूर्व विपक्ष को सूचित करने के लिए ऐसा किया गया।—**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : समस्या क्या है ? श्री जयपाल रेड्डी, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : श्रीमन्, गृह मन्त्री द्वारा घोषित समझौते के ज्ञापन

का पाठ बिल्कुल स्पष्ट है। यह वैसा ही है जैसा कि सभी समाचार पत्रों में छप चुका है...

अध्यक्ष महोदय : मैं यह पहले ही कह चुका हूं। यह सरकार की ओर से ही नहीं है। अन्य पार्टियां भी हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, इससे अन्तर नहीं पड़ता। आप इस पर उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? बैठ जाइए। इस पर उत्तेजित होने की कोई बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : श्रीमन्, वह इसके...असम आये...।

अध्यक्ष महोदय : अभी चर्चा नहीं। अभी इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नियम जानते हैं। कृपया बैठ जाइए।

12.20 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम सीमित के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा, सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : श्रीमन्, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम सीमित, शिलांग, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम सीमित, शिलांग का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1323/85]

सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : श्रीमन्, मैं सिक्का निर्माण अधिनियम,

1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) सिक्का-निर्माण ("विकास हेतु वानिकी" के लिए निर्मित 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल वाले 25 पैसे के स्मारक सिक्कों का मानक भार और उपचार) नियम, 1985 जो भारत के राजपत्र में 6 जुलाई, 1985 को अधिसूचना संख्या का० आ० 3083 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का० आ० 2502, जो भारत के राजपत्र में 8 जून, 1985 को प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारत के राजपत्र में 16 जून, 1984 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का० आ० 1904 को रद्द किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1324/85]

इंडिया टी एण्ड रैस्टोरेंट्स लिमिटेड बम्बई के वर्ष 1983-84 की वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की समीक्षा और उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) इंडिया टी एण्ड रैस्टोरेंटस लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डिया टी एण्ड रैस्टोरेंटस लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1325/85]

विधेयक पर अनुमति

पंजाब विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : श्रीमन्, 24 जुलाई, 1985 को सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद, चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त पंजाब विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1985 को, मैं सभा पटल पर रखता हूं।

12.21 म० प०

प्राक्कलन समिति

दसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : श्रीमन्, मैं शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय—प्रारंभिक शिक्षा के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (सातवीं लोक सभा) के 61वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी इस समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति

तीसरा, आठवां, नौवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री० ई० अय्यपु रेड्डी (कुरनूल) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) विजयवाड़ा ट्रंक स्वचालित मिलान-केन्द्र के विस्तार, टेलीफोन राजस्व की बकाया राशि तथा अधिक राशि के बिल बनाने, एस० टी० डी० रोधी सुविधा तथा टेलीफोन सम्बन्धी शिकायतों के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति (सातवीं लोक सभा) के 191वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही सम्बन्धी तीसरा प्रतिवेदन।

(2) सीमा शुल्क प्राप्तियों के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति (सातवीं लोक सभा) के 159वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही सम्बन्धी आठवां प्रतिवेदन।

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति (सातवीं लोक सभा) के 170वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही सम्बन्धी 9वां प्रतिवेदन।

(4) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद—इंजीनियरी विज्ञान दल के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति (सातवीं लोक सभा) के 171वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही सम्बन्धी 11वां प्रतिवेदन।

12.22 म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

प्रथम प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : मैं गृह मन्त्रालय—दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक दशा के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के 51वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के सम्बन्ध में इस समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

प्रथम प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि शेष सत्रावधि के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

(1) आज की कार्यसूची से बकाया किसी सरकारी मद पर विचार।

(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना :

(क) आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र (विशेष न्यायालय) संशोधन विधेयक, 1985

(ख) सरकारी बचत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1985

(ग) गुप्तचर संगठन (अधिकारों का निर्बन्धन) विधेयक, 1985

(घ) सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1985

(ङ) न्यायिक अधिकारी संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1985

(च) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 1985

(छ) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्व-विद्यालय, विधेयक, 1985

(ज) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में पांडिचेरी विश्वविद्याल विधेयक, 1985

(झ) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में आरोविल्ले (आपात उपबन्ध) संशोधन, विधेयक 1985

(3) सोमवार, 19 अगस्त, 1985 को सायं 5.00 बजे नियम 193 के अधीन भारतीय मूल के लोगों को प्रभावित करने वाले दक्षिणी अफ्रीका में हुए जातीय दंगों के संबंध में चर्चा।

(4) वित्त मन्त्री द्वारा 23 जुलाई, 1985 को "भारत में काले धन की अर्थ-व्यवस्था के पहलू" पर राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में दिए गए वक्तव्य पर नियम 193 के अधीन चर्चा।

12.23 म० प० [उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : महोदय, मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह के लिए सभा की

कार्य सूची में निम्नांकित विषयों को भी सम्मिलित किया जाए।

भारत सरकार के सामयिक कार्यक्रम के कारण, भारत सरकार और कुछेक राज्यों ने फसल बीमा योजना को लागू किया है। परन्तु यह योजना देश में उगाई जा रही सभी फसलों पर लागू नहीं होती है, यह तो केवल अनाज, धान्य वाली फसलों पर ही लागू होती है। सेव, आम, नारियल, केला, अनानास, अंगूर, मूंगफली, पटसन, गन्ना जैसी विदेशी मुद्रा कमाने वाली फसलों और पान के पत्ते, चाय आदि जैसी नकदी फसलों को इस योजना के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, जिसके परिणाम-स्वरूप देशभर के लाखों किसानों को भारी हानि उठानी पड़ रही है। इसके अतिरिक्त देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा से भी हाथ धोना पड़ रहा है। इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की आवश्यकता है।

इस देश में, रेल परिवहन, लाखों यात्रियों और लाखों टन माल की ढुलाई का मुख्य परिवहन स्रोत है। परन्तु यह बड़ी ही आघात पहुंचाने वाली दुर्भाग्यपूर्ण बात भी है कि सातवीं योजना में, रेलवे की गेज (लाइन) परिवर्तन की कोई योजना नहीं है और फिर यह भी दुःख की बात है कि छठी योजना में यद्यपि रेलवे ने 1606 किलोमीटर लम्बी मीटर गेज लाईन को बड़ी लाईन में परिवर्तित करने का काम आरम्भ किया था, परन्तु छोटी लाईन (नेरो गेज) का बड़ी लाईन में परिवर्तन करने का काम एक किलोमीटर का भी नहीं किया गया। रेलवे की नीति के अनुसार, यह परिवर्तन कुछेक शर्तों पर आधारित है। बहुत सी छोटी लाइनों में से, कुछ ऐसी भी हैं जो इन सभी नीतियों और शर्तों को पूरा कर रही हैं। एक ऐसी लाभकारी छोटी लाइन है दक्षिणपूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन की रूपसा—बंगीरिपोशी लाईन है। इसको बड़ी लाईन में बदलने और चाकुलिया के पास हावड़ा-बम्बई बड़ी रेलवे लाईन से जोड़ने के लिए कुछेक किलोमीटर तक लाईन बढ़ाने के बाद यह दूरी 180 किलोमीटर तक कम हो जाएगी और 6 घन्टे का समय भी कम हो जायेगा। अतः नेरोगेज (छोटी लाईन) को बड़ी लाईन में परिवर्तन करने के कार्य को अगले सप्ताह के कार्य में सम्मिलित करने की आवश्यकता है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नांकित दो मदें सम्मिलित करना चाहता हूं :—

ऐसा लगता है कि डा० अर्जुन सेन गुप्त समिति के प्रतिवेदन के आधार पर सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में मुख्य नीति निर्णय लेने जा रही है।

डा० अर्जुन सेन गुप्त समिति तत्कालीन सरकार द्वारा गठित की गई थी और यह पता चला है कि डा० सेनगुप्त ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। परन्तु सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि सरकार ने इसे अभी तक इसे अत्यन्त गोपनीय रखा हुआ है और यद्यपि समाचारपत्रों में समिति की कुछ सिफारिशें छप चुकी हैं, संसद सदस्यों को इसकी विषय वस्तु के बारे में पूर्णतया अन्धकार में रखा गया है।

समाचार-पत्रों में प्रकाशित और अन्य स्रोतों के माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ऐसे बहुत से निर्णय लेने जा रही है जिनसे सरकारी क्षेत्र के कामगारों और सरकारी क्षेत्र की इकाईयों के कार्यकरण में गम्भीर व्यवधान पड़ेगा और अव्यवस्था फैलेगी। वेतन बोर्डों द्वारा सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों के बीच द्विपक्षीय बातचीत की परिपाटी के स्थान पर वेतन बोर्ड लाने सम्बन्धी समिति की एक सिफारिश बहुत ही गम्भीर, खेदजनक हैं जिससे सामूहिक सौदेबाजी समाप्त हो जायेगी और कामगारों के हित को गम्भीर हानि पहुंचेगी। वास्तव में, श्रमिक संघों ने प्रतिवेदन की सिफारिशों के विरुद्ध पहले ही विरोध प्रकट कर दिया है।

यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। सरकार को डा० सेनगुप्त का प्रतिवेदन संसद के समक्ष

तुरन्त रखना चाहिए और सदस्यों को इस पर चर्चा का अवसर प्रदान करना चाहिये और साथ ही इस पर कार्यवाही करने से पूर्व सरकार को केन्द्रीय श्रमिक संघों से सलाह-मशविरा करना चाहिये।

ब्रिटिश एयरवेज ने 1 दिसम्बर, 1985 से कलकत्ता के लिए अपनी साप्ताहिक-ड्राईस्टार उड़ान रद्द करने का फैसला किया है। यह उड़ान बम्बई से चालू की जायेगी।

इस समय ब्रिटिश एयरवेज दिल्ली के लिए सात उडानें, बम्बई के लिए छः और कलकत्ता के लिए एक उड़ान सेवा चालू रखे हुए हैं।

कलकत्ता के लिए उड़ान रद्द करने का निर्णय आश्चर्यजनक और आकस्मिक है। ऐसी बात नहीं है कि कलकत्ता का व्यवसाय अच्छा नहीं है, परन्तु ब्रिटिश एयरवेज किसी और लाभदायक स्थान की खोज में है।

यह सही है कि गत वर्ष की तुलना में एयरवेज की आय दुगुनी से अधिक हो गई है।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, वे केन्द्रीय सरकार से इस मामले पर विचार करने और लोकहित में ब्रिटिश एयरवेज को अपना पूर्व निर्णय त्यागने के लिए उत्साहित करने का निवेदन करता हूं।

प्रो० सैफूद्दीन सोज (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि निम्नांकित मद को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित कर लिया जाय :

जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार लगभग 200 पर्यटक बंगले और कुटीरें निजी क्षेत्र को देने की योजना बना रही है और उन्हें ताज ग्रुप आर्फ होटल्स और अन्य अभिकरणों को देना चाहती है। इन बंगलों को, जिन्हें गत दो दशकों के दौरान पर्यटन विभाग और पर्यटन विकास निगम ने बनाया है, अब 60-90 वर्ष के लम्बे पट्टे पर इन निजी अभिकरणों को दिया जा रहा है। 9 अगस्त, 1985 के पत्र द्वारा पटटे की अनुमति देने का सरकार का इरादा पर्यटन के प्रबन्ध-निदेशक और पर्यटन-निदेशक को भेज दिया गया था। इस पटटे के अन्तर्गत गुलमर्ग, पहलगाम, चश्माशाही और सोनामार्ग के सभी आकर्षक पर्यटक बंगले आ जायेंगे।

इस प्रकार की सौदेबाजी के विरुद्ध राज्य की जनता ने आपत्ति उठाई है क्योंकि इसका अर्थ होगा कि सरकार वास्तविक लोक कल्याण के कार्यकलापों को नहीं चला सकती है। इससे पर्यटन विभाग और पर्यटन विकास निगम के लगभग 4,000 कर्मचारियों का भविष्य संकट में पड़ जायेगा, जो पहले से ही राज्य व्यापी आन्दोलन चालू कर चुके हैं।

राज्य के लोग यह अनुभव करते हैं कि यदि सरकार के इरादे जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटन का विकास करने का है तो बारामूला की लोलब घाटी, बंगस घाटी, तुल्लर झील, हपट नाला, बोनियार, वोमियन घाटी और खग पहाड़ियों जैसे नये क्षेत्रों को पट्टे पर दिया जा सकता है। चूंकि धन केन्द्रीय सरकार देती है, अतः उसे इस सम्पूर्ण मामले पर ध्यान देना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इस मामले पर अगले सप्ताह चर्चा हो ताकि केन्द्रीय सरकार इस मामले पर ध्यान दे सके।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं निवेदन करता हूं कि अगले सप्ताह की सरकारी कार्यसूची में निम्नांकित अविलम्बनीय मामले को सम्मिलित किया जाए।

उड़ीसा में गत सप्ताह आई भीषण बाढ़ में बहुत से लोग और पालतू पशु काल कलवित हो गये हैं और राज्य के सात जिलों के 98 ब्लाकों की 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। कटक, पुरी, बालासोर, क्योंझर, ढेंकनाल, सम्बलपुर और कोरापुट जिलों के 80 ब्लाकों में लगभग 5,000 गांव आते हैं। बाढ़ों से नदियों के तटबन्धों में 156 दरारें पड़ गई हैं।

पुरी जिले की नयागढ़ सबडिवीजन में महानदी, कौनरिया, कुसुमी, डकुआ और लूनीझारा नदियों के जल ने दसपारा, गनिया, नयागढ़, नौगांव, खाण्डपाड़ा और भापुर ब्लाकों के बहुत से क्षेत्रों और खोण्डा ब्लाक के लगभग 20 गांवों और पुरीजिले के कंस ब्लाक के 22 गांवों में दया एवं राजुआ नदियों की बाढ़ का पानी अभी तक खड़ा हुआ है।

मेरा सरकार मे अनुरोध है कि वह उड़ीसा में बाढ़ से हुई इस भारी हानि को अगले सप्ताह के कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, जिससे लगभग 4 लाख पीड़ित लोगों को सरकारी सहायता भेजने की दृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का केन्द्रीय दल तुरन्त दौरा करे।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह के लिए संसदीय कार्य मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में अन्य विषयों के अतिरिक्त निम्न विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए :

1. भोपाल ही केवल एकमात्र ऐसी राजधानी है जिसमें न तो हाई-कोर्ट है और न ही उसकी बेंच। राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था तभी से भोपाल में हाईकोर्ट की बेंच मांगी जाती रही है। 1976 में बेंच दिए जाने की पूरी तैयारी की जा चुकी थी परन्तु शासन परिवर्तन के कारण मामला खटाई में पड़ गया। 1983 में यह मामला भी जसवन्त सिंह आयोग को सौंप दिया गया था, जबकि भोपाल के मामले में किसी तर्क के जुटाने की आवश्यकता ही नहीं है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दो माह पूर्व ही दे दी है। सरकार को भोपाल में बैंच स्थापित करने के निर्णय की शीघ्र ही घोषणा करनी चाहिए।

2. 1980 के वन रक्षा कानून का अभिप्राय वनों की अवैध कटाई को रोकना है। उसका उद्देश्य यह कभी नहीं हो सकता कि सार्वजनिक हित की योजनाओं के निर्माण-कार्यों को अनिश्चित काल के लिए रुप कर दिया जाए। आज मध्य प्रदेश में कई सिंचाई योजनायें, सड़कों के निर्माण, विद्युत विस्तार के कार्य केवल इसलिए रुके पड़े हैं क्योंकि लम्बे समय से केन्द्र से मंजूरी प्राप्त नहीं हो सकी है। मुरम और पत्थर निकालना बन्द है, क्योंकि खदानें वन क्षेत्र में हैं। उदाहरण के रूप में कोलार योजना जो विश्व बैंक के सहयोग से निर्माणाधीन है, बांध में पानी रोकने का कार्य इस वर्ष नहीं किया जा सका क्योंकि दो वर्ष गुजर जाने के बाद भी केन्द्र से मंजूरी नहीं मिल पाई है।

[अनुवाद]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नांकित मद को भी सम्मिलित कर लिया जाए।

मैं सभा का ध्यान, वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी और भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री गुलजारी लाल नन्दा की दयनीय आर्थिक स्थिति के बारे में विभिन्न समाचार-पत्रों में और पत्रिकाओं में छपे समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं।

समाचार में यह कहा गया है कि केवल पांच सौ रुपये मासिक की पेंशन की राशि के सिवाय उनका आय का कोई अन्य साधन नहीं है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण, उनके लिए एक नौकर रखना भी मुश्किल है। क्योंकि नौकर को तनख्वाह नहीं दी जा सकी तो उन्हें अपने नौकर को हटाना पड़ा और इस वृद्धावस्था में देश के एक भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री नन्दाजी को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें स्वयं ही अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, कमरे साफ करने पड़ते हैं, खाना खुद बनाना पड़ता है और साग-भाजी, आटा, घी आदि खरीदने के लिए भी स्वयं ही जाना पड़ता है।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, इस सम्मानित सभा के सभी सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सैनानी और भूतपूर्व प्रधानमन्त्री महोदय, जो अपनी जीवन की सन्ध्या के कठिन समय से गुजर रहे हैं, के सहायतार्थ सरकार को कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। अतः, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि श्री नन्दाजी की पेंशन में वृद्धि कर दी जाए जिससे उन्हें प्रति-माह कम से कम दो हजार रुपये मिलने लगें।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : दिनांक 19-8-85 को शुरू होने वाले सप्ताह में मेरे निम्न-लिखित विषय एजेण्डा में सम्मिलित किये जावें :

1. माही नदी के उपयोग के बारे में राजस्थान एवं गुजरात सरकारों के दरम्यान सन् 1966 में एक समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत कहाणा बांध 419 फीट की ऊँचाई पर बन कर तैयार हुआ और उक्त बांध से माही नदी का पानी गुजरात प्रान्त के खेड़ा जिले को सिंचित करने के लिए लिया गया था। उक्त समझौते में यह शर्त थी कि नर्मदा के बारे में न्यायाधिकरण द्वारा फैसला करने के बाद खेड़ा जिला नर्मदा से सिंचित किया जायेगा और माही का पानी कहाणा नहर से गुजरात के ऊपरी इलाके में तथा राजस्थान के सब से सूखे इलाके बाड़मेर एवं जालौर में सिंचाई के लिए दिया जायगा। गुजरात सरकार उक्त समझौते का पालन नहीं कर रही है। अतः इस अविलम्बनीय प्रश्न को राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय जल स्रोत कौंसिल में रखा जावे और प्रधान मन्त्री विशेष दिलचस्पी ले कर जल्दी से जल्दी निर्णय करा कर राजस्थान प्रान्त के रेगिस्तानी बाड़मेर एवं जालौर जिलों में माही नदी का पानी पहुंचा कर उक्त क्षेत्र को सिंचित कर हरा-भरा करने की दिशा में सक्रिय कदम उठावें।

2. देश में अनेक प्रान्त विद्युत संकट के दौर से गुजर रहे हैं। राजस्थान प्रान्त में विद्युत संकट की स्थिति विषम से विषमतम है। अणु बिजलीघर, कोटा की प्रथम इकाई जो करीब तीन वर्ष से बन्द थी, कुछ दिनों के लिए शुरू हुई जो बन्द हैं। दूसरी इकाई एक महीने में 15 दिन बन्द रहती है।

सतपुड़ा थर्मल प्लांट से राजस्थान को पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है। सिंगरौली सुपर थर्मल प्लान्ट भी राज्य को पूरा हिस्सा नहीं दे रहा है।

रेगिस्तानी क्षेत्रों में पलाना लिगनाइट प्लांट को अभी तक प्लानिंग कमीशन ने क्लीअरेंस नहीं दिया है। कपूरडी लिग्नाइट प्लांट के लिए अभी तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार नहीं की है। रामगढ़ थर्मल प्लांट जो गैस पर आधारित इकाई है उक्त इकाई की गति धीमी चल रही है। उद्योगों में विद्युत की बराबर कटौती चल रही है। किसानों को दिन में चार घंटे बिजली मिलती है। पीने के पानी की नगरीय एवं ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का बिजली के संकट के कारण भविष्य अंधकार में है।

अतः देश की विशेषतः राजस्थान की विद्युत समस्या के बारे में सदन में बहस किए जाने के लिए विषय सम्मिलित किये जाने के लिए निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आसका) : मेरा निवेदन है कि निम्नांकित मामले को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित कर लिया जाए।

उड़ीसा अपने मनोरथ समुद्र तटों, सुन्दर वनों, वन्य जीवन में धनी और प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों और कई औषधीय पौधों (जड़ी-बूटियों) सहित सभी प्रकार के ऊष्ण कटीबन्धीय वनस्पतियों एवं जीव-

जन्तुओं से भरपूर होने के कारण, पर्यटकों को आकर्षित करने की भारी क्षमता रखता है। परन्तु बड़े ही दुःख की बात है कि भारत सरकार से पर्याप्त सहायता के अभाव में, उड़ीसा की पर्यटक क्षमता को अपेक्षित रूप में विकसित नहीं किया जा सकता है। उड़ीसा की पर्यटक क्षमता को विकसित करना देश के हित में, आवश्यक है। इससे देश में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय और विदेशी मुद्रा के आगम का मार्ग खुल जाएगा। अतः, मेरा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री महोदय से निवेदन है कि उड़ीसा में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु तुरन्त आदेश देने के लिए वह निम्नांकित उपाय करें :

(1) बनारस, खजुराहो, भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर भारत के पर्यटक मानचित्र पर हैं और इसलिए बनारस, खजुराहो, और भुवनेश्वर होकर दिल्ली और पोर्ट ब्लेयर के बीच दैनिक बोइंग विमान सेवा प्रदान की जानी चाहिए। इससे कलकत्ता हवाई-अड्डे की भीड़ भी कम होगी।

(2) विदेशी पर्यटकों की सुविधा हेतु कलकत्ता और मद्रास के बीच भुवनेश्वर से होते हुए एक बोइंग सेवा शुरू करनी चाहिए।

(3) भुवनेश्वर को राउरकेला, झारसगुडा, बहरामपुर, जैपोर तथा जोशीपुर जैसे स्थानों से प्रतिदिन मध्य स्तर की विमान सेवा (वायुदूत) द्वारा जोड़ा जाना चाहिए।

(4) भुवनेश्वर हवाई अड्डे का विस्तार किया जाना चाहिए।

(5) राज्य के चुने हुए पुरातात्विक स्मारकों पर पुंज प्रकाश योजना शुरू की जानी चाहिए।

(6) खंडगिरि तथा उदयगिरि के मध्य रज्जु मार्ग बनाया जाना चाहिए।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह निम्नलिखित मामले चर्चा के लिए जायें :

(1) सिओल में होने वाले अगले एशिया खेलों के लिए तैयारी तथा हमारे देश में किसी भी खेल के लिए सिओल में होने वाले अगले ओलंपिक खेलों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अभी तक शुरू नहीं किया गया है।

इस समय तक अन्य देशों ने पहले ही सभी विशेषज्ञों तथा महत्वपूर्ण विदेशी प्रशिक्षकों को इस कार्य पर लगा लिया है और भारत को विशेषकर हाकी, फुटबाल, तैराकी, शूटिंग तथा वाली-बाल जैसे खेलों में बढ़िया प्रशिक्षण दिलाने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

यह सच है कि खेल मन्त्रालय ने विभिन्न संघों से इस सम्बन्ध में परामर्श शुरू कर दिया है परन्तु सदन और जनता इसके परिणामों से बेखबर है। अतः मामले पर सदन में चर्चा करने की आवश्यकता है।

(2) पश्चिम बंगाल में फिल्म उद्योग अपने फिल्म अभिनेता उत्तमकुमार की अचानक मृत्यु के बाद गत कुछ वर्षों से बाक्स आफिस तथा फिल्म निर्माण दोनों मामलों में भारी संकट का सामना कर रहा है। यद्यपि कुछ बुद्धिमान तथा प्रतिभावान निर्देशकों एवं प्रोड्यूसरों ने हिम्मत करके कुछ कार्य शुरू किया है और उन्हें सफलता मिली है। फिर भी कुल मिलाकर स्थिति में अभी तक सुधार नहीं हुआ है।

एन० एफ० डी० सी० को पश्चिम बंगाल के फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम बनाना चाहिए तथा चलचित्र वित्त निगम को ऋण मंजूर करने तथा पश्चिम बंगाल

के फिल्म उद्योग की परियोजनाओं, जिनके लिए आधुनिक उपकरण, प्रौद्योगिकी, रंग प्रक्रिया, कैमरा कार्य तथा आधुनिक स्टूडियो प्रबन्ध, की ओर बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, की ओर उदारता का रवैया अपनाना चाहिए।

असन्तुलनों को मालूम करने के लिए तथा विपणन, प्रदर्शन तथा वितरण के सम्बन्धित केन्द्रों को आवश्यक सहायता देने के लिए भारत के समूचे फिल्म उद्योग के बारे में एक चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। एक चलचित्र वित्त प्राधिकरण की स्थापना की जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री बीरबल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि निम्नलिखित को अगले सप्ताह की कार्यवाही में लगाया जाए :

इस समय पंजाब में भारी वर्षा से हीरके बेरोज पर 30 हजार क्यूसेक पानी पाकिस्तान को जा रहा है। राजस्थान प्रदेश की इन्दिरा नहर या भाखड़ा सिस्टम की नहरें बन्द पड़ी हैं। घघर नदी के क्षेत्र में चावल की खेती बर्बाद हो रही है। अधिकारी गण इस समय भी कम मात्रा में पानी दे रहे हैं। इन्दिरा गांधी नहर इस समय 7000 क्यूसैक पानी ले रही है, जबकि इसकी क्षमता 18,000 क्यूसैक है। अगर पानी इस नहर में पंजाब से ज्यादा मिले तो इस परियोजना क्षेत्र एवं घघर क्षेत्र की फसलों को भारी नुकसान से बचाया जा सकता है। इसी प्रकार से भाखड़ा की नहरों को पंजाब से ज्यादा पानी मिले तो इस क्षेत्र की फसलों को भी नुकसान से बचाया जा सकता है।

अतः मैं भारत सरकार से एवं माननीय सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि जो पानी पाकिस्तान जा रहा है, उसको राजस्थान की नहरों को दिया जावे, तो उचित होगा।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गयी सभी बातों को कार्य मन्त्रणा समिति के सामने इसके विचार हेतु रखूंगा।

12.40 म० प०

*आतंकवादी प्रभावी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कार्यसूची की मद संख्या 11 पर विचार आरम्भ करेगी।

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : महोदय, श्री एस० बी० चव्हाण की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आतंकवादी प्रभावी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि आतंकवादी प्रभावी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

---

* दिनांक 16-8-1985 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

12.41 म० प०

आवश्यक सेवा (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981, में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

जैसा कि सदन को ज्ञात है कि आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 को संविधि-पुस्तक में इसलिए लाया गया था ताकि उत्पादन का चक्का चलता रहे तथा राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा एवं अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक सेवाओं को निरन्तर अत्यावश्यक बनाए रखा जा सके। मैं उन हालातों की याद दिलाना चाहूंगा जिनकी वजह से इस कानून को बनाने की आवश्यकता पड़ी थी। 1980-81 में श्रमिकों में अशान्ति के रुख के कारण अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो रही थीं। रेलवे के लोको कर्मचारियों का आन्दोलन तथा बंगलौर में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा चलाया गया लम्बा आन्दोलन ऐसे रुख के कुछ उदाहरण हैं। श्रमिकों की स्थिति उनमें बढ़ती हुई हिंसा की प्रवृत्ति के कारण चरम सीमा तक पहुंच गई थी। यह आवश्यक समझा गया था कि अगर समाज के सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त होने से बचाना है और अगर राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा एवं अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक उत्पादन को जारी रखना है तो अनुशासन तथा कार्य-कुशलता को सभी आवश्यक सेवाओं में बनाये रखना होगा। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 26 जुलाई, 1981 को आवश्यक सेवा अध्यादेश, 1981 लागू किया गया था। अध्यादेश का स्थान आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 ने ले लिया था, जिसका दायरा अध्यादेश से अधिक था, क्योंकि यह केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह न केवल हड़तालों पर बल्कि आवश्यक सेवाओं में तालाबन्दी और जारी छुट्टी पर रोक लगा सकती है।

जब संसद में इस कानून पर चर्चा की जा रही थी तो सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि इसका उद्देश्य एक स्वस्थ वातावरण तैयार करना है जिसमें तेजी से उत्पादन बढ़ेगा तथा आवश्यक सेवाओं को बिना किसी रुकावट के चालू रखा जा सकेगा। संसद में यह भी बार-बार कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार को दी जाने वाली शक्तियों का प्रयोग बड़ी सावधानी तथा सतर्कता के साथ केवल तभी किया जाएगा जब सरकार को यह विश्वास हो जाएगा कि अगर शक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया तो स्थिति बिगड़ जाएगी और लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अध्यादेश/अधिनियम के लागू होने के गत चार वर्षों के समय में केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का 30 (तीस) मौकों पर आवश्यक सेवाओं में हड़तालों पर रोक लगाने अथवा हड़तालों को रोकने सम्बन्धी आदेशों को लागू करने की अवधि बढ़ाने के लिए आदेश जारी करने में प्रयोग किया है। असम बन्द के आह्वान, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के इंजीनियरों द्वारा हड़ताल तथा भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भाण्डागार निगम, कोल इंडिया लि० मथुरा तेल शोधक कारखाना, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन,

केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग दिल्ली में सार्वजनिक स्वच्छता, सफाई जल तथा विद्युत पूर्ति से सम्बन्धित),सिक्यूरिटी पेपरमिल, होशंगाबाद, भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण, इत्यादि के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने की धमकियों से उत्पन्न गंभीर स्थिति से निपटने के लिए ये आदेश जारी किए गए थे। ऐसे प्रत्येक मौके पर जब इस अधिनियम के अन्तर्गत आदेश जारी किए गए थे तो श्रम मंत्रालय से पूरी तरह से परामर्श किया गया था। माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग बहुत ही कम किया गया है तथा केवल उस स्थिति से निपटने के लिए किया गया है जिसमें अगर अधिनियम के अन्तर्गत इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता तो उनके परिणाम गंभीर होते तथा समाज को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता।

अधिनियम की अवधि 22 सितम्बर, 1985 को समाप्त हो जाएगी। हमने अधिनियम की अवधि को इसके समाप्त होने की तारीख के बाद बढ़ाने के प्रश्न पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के साथ परामर्श करके विस्तार से विचार किया है। आम सहमति इस अधिनियम की अवधि 22 सितम्बर, 1985 के बाद बढ़ाने की है। रेलवे, डाक-व-तार, रक्षा, वित्त (बैंकिंग डिविजन), नौवहन और परिवहन, रसायन तथा उर्वरक, पेट्रोलियम, इस्पात, खाद्य, आदि जैसे मन्त्रालयों तथा विभागों, जिनमें बहुत संख्या में औद्योगिक श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियों को रोजगार मिला है, ने इस अधिनियम की अवधि को बढ़ाने की बड़ी जोरदार सिफारिश की है। बहुत सी राज्य सरकारें भी इस अधिनियम की अवधि को बढ़ाने के पक्ष में हैं। सरकार भी यह मानती है कि यद्यपि चार वर्ष पहले की अपेक्षा वर्तमान औद्योगिक सम्बन्धों का वातावरण बेहतर है, तथापि राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा तथा अर्थव्यवस्था के विकास के हित में उत्पादन क्रम तेज गति से बनाए रखने के प्रयासों में कोई ढील नहीं आनी चाहिए। अतः इस विधेयक का उद्देश्य अधिनियम की अवधि को पाँच वर्ष बढ़ाना है।

मैं आशा करता हूं कि मैंने जो स्थिति बनायी है उसको देखते हुए सभा इस विधेयक का समर्थन करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981, में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर 15 सितम्बर, 1985 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाए।" (1)

"कि आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाला विधेयक दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिसमें 15 सदस्य हों, इस सभा से 10 अर्थात् :

(1) श्री अजय विश्वास

(2) श्री एस० बी० चव्हाण

(3) श्री सेफुद्दीन चौधरी

(4) प्रो० मधु दण्डवते

(5) श्री इन्द्रजीत गुप्त

(6) श्रीमती गीता मुखर्जी

(7) श्री सी० माधव रेड्डी

(8) श्री अजित कुमार साहा

(9) श्री के० पी० उन्नीकृष्णन ; और

(10) श्री बसुदेव आचार्य

और राज्य सभा से 5 ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को 15 सितम्बर, 1985 तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य विषयों में संसदीय समितियों के सम्बन्ध में इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किए जाएं ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले 5 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।" (2)

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 में संशोधन करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाए जिसमें 12 सदस्य हों, अर्थात् :

(1) श्री बसुदेव आचार्य

(2) श्री अजय बिश्वास

(3) श्री एस० बी० चव्हाण

(4) श्री रेणुपद दास

(5) श्री अमल दत्ता

(6) श्री इन्द्रजीत गुप्त

(7) श्री मतिलाल हंसदा

(8) श्री सनत कुमार मंडल

(9) श्री अमर रायप्रधान

(10) श्री अजित कुमार साहा

(11) श्री जायनल अबेदिन, और

(12) श्री सत्यगोपाल मिश्र

और उसे 15 सितम्बर, 1985 तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाए।"

(3)

डा० जी० विजय रामाराव (सिद्दिपेट) : उपाध्यक्ष महोदय, 1980 से पहले आवश्यक सेवा अधिनियम लागू नहीं था परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के लगभग 30 वर्षों से 1950 में हमने इन सभी संगठनों—रेलवे, डाक सेवाएं, संचार तथा अन्य संगठनों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया। आजादी के शुरू के दिनों में श्रमिकों की स्थिति बिगड़ी नहीं थी,—जीवन-स्तर अधिक ऊंचा नहीं था। परन्तु आजादी के 25 वर्षों के बाद, जीवन स्तर में बहुत सुधार हुआ है तथा सामान्य मूल्य स्तर में भी काफी वृद्धि हुई है। परन्तु वेतन तथा अन्य सुविधाओं, जो हम कर्मचारियों को दे रहे हैं, उसके अनुरूप सुधार नहीं हुआ है। अतः भिन्न भिन्न संगठनों में, जिनमें श्रमिकों की कार्यदशायें 25 वर्षों तक अच्छी थी, कार्यदशायें खराब हो गई हैं और यही कारण है कि सारे देश में आन्दोलन हो रहे हैं। 1980 के बाद, ई० सी० आई० एल०, एच० एम० टी०, एच० ए० एल०, इत्यादि सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी हड़ताल करने लगे हैं और वे कभी-कभी अपनी न्यायोचित मांगों के स्वीकार न किए जाने की वजह से 77 दिनों तक हड़ताल की है। परन्तु सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के बारे में कभी नहीं सोचा। इसके विपरीत 1980 में आवश्यक सेवा अधिनियम पारित किया गया था जिसका उद्देश्य औद्योगिक श्रमिकों के अधिकारों का दमन करना था। यह विधान सरकार को काफी अधिकार देना है। मन्त्री महोदय ने हमें सूचित किया है कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद के चार वर्षों में सरकार ने इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों का तीस बार प्रयोग किया है। इन चार वर्षों में प्रबन्ध में कितना सुधार हुआ है ? श्रमिकों को हड़तालों, आदि से रोकने के फलस्वरूप हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया, आदि में इस अवधि में क्या सुधार हुए हैं ? यद्यपि कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन, आदि चलाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है परन्तु प्रबन्धक उनकी शिकायतों की ओर समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं और हर प्रकार से मनमर्जी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी अनियमितताओं को खतम करने और त्रुटियों को दूर करने के लिए कभी प्रयास नहीं किया। यदि आप कुछ संगठनों के कार्यचालन को देखें तो आप देखेंगे कि यद्यपि कर्मचारी हड़ताल नहीं कर रहे हैं फिर भी संगठनों को घाटा हो रहा है। इसका क्या कारण है ? उदाहरण को लिए हैदराबाद स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का लैम्प डिवीजन और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के अन्य यूनिट घाटे में चल रहे हैं। जब कर्मचारी हड़ताल नहीं कर रहे हैं तो यह सब क्यों हो रहा है ?

मेरे विचार में यह विधान पूर्णतया श्रमिक-विरोधी है, अलोकतान्त्रिक है, और व्यक्ति के मूल अधिकारों के विरुद्ध है। यह अधिनियम सरकार की अपनी अक्षमता, अकुशलता और देश की अर्थ-व्यवस्था को संभालने में असफलता पर पर्दा डालने के लिए है। यह श्रमिक वर्ग के मूल अधिकारों का दमन करने के लिए है। पिछले चार वर्षों में आप कितनी औद्योगिक शान्ति ला सके हैं और औद्योगिक विकास कर सके हैं ?

जैसाकि मैंने कहा है कि यह श्री राजीव गांधी के अधिकारवादी शासन की एक मिसाल है। यह तो पूर्णतया श्रमिक वर्ग के अधिकारों पर प्रहार है। मैं सरकार से इस विधेयक को वापस लेने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : उपाध्यक्ष जी, यह जो आवश्यक सेवा (संशोधन) विधेयक आया है, निश्चित रूप से कोई भी देश भक्त और समझदार व्यक्ति इसका समर्थन करेगा इसलिए कि देश की सुरक्षा और देश का उत्पादन आज सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है। इसी के साथ-साथ एक बात मैं शासन से कहना चाहता हूं कि औद्योगिक सम्बन्धों का जो हमारा पिछला इतिहास रहा है, उस पर हमें बहुत गहराई के साथ देखना पड़ेगा और इसलिए देखना पड़ेगा कि जहां तक प्राइवेट सैक्टर का

सवाल है, हमारे देश का पिछले 38 वर्षों का इतिहास इस बात का गवाह है कि उन्होंने केवल अपने लाभ पर ही ध्यान दिया है। उन्होंने कभी भी देश हित में या उत्पादन के हित में नहीं सोचा और उन्होंने जो भी कदम उठाया है, उसमें केवल इस बात को ध्यान में रखा है कि उन्हें कितना लाभ होता है। जहां तक पब्लिक सेक्टर का सवाल है, मन्त्री जी ने कितने ही उदाहरण दिये हैं। वे सब मैंने सुने हैं। उससे मुझे ऐसा लगता है कि वे पब्लिक सेक्टर से कितने सम्बन्धित हैं।

श्रीमन्, पब्लिक सैक्टर में जो सबसे बड़ी कमी देखने को मिलती है वह है कमिटिड केडर की कमी की। पब्लिक सेक्टर में ऐसे अधिकारी अच्छे-अच्छे स्थानों पर बैठ जाते हैं जिन्होंने कि काफी घपले किए होते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि इससे दूसरे लोगों में असंतोष फैलता है।

मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं कि बी० एच० ई० एल० भोपाल में जिन्होंने काफी घपले किए हैं वही आज ऊंचे-ऊंचे पदों पर बैठ कर वहां का मैनेजमेंट चलाते हैं और अपनी व्हिम्स से चलाते हैं। इससे छोटे-छोटे कर्मचारियों में असंतोष है। उनकी ग्रिवांसिज हैं। पूरे बी० एच० ई० एल० के लिए नियम बने हुए हैं लेकिन उनके विपरीत वे चलते हैं। आर्टिजंस ग्रेड थ्री के प्रमोशन के लिए नियम है कि उन्हें पांच वर्ष में प्रमोशन दी जायेगी लेकिन मैनेजमेंट वाले उन्हें पांच वर्ष में भी प्रमोशन देने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने पे में अनोमलीज मंजूर की हैं लेकिन उनको दूर करने के लिए वे तैयार नहीं हैं। इस प्रकार की जो चीजें सामने आती हैं उनसे निश्चित रूप से असंतोष पैदा होता है। इसको सरकार को देखना चाहिए।

पिछले सेशन में बोनस के सम्बन्ध में कानून में संशोधन कर हमने एक अच्छा कदम उठाया है। पहले जो बोनस की सीलिंग साढ़े सात सौ रुपये थी, उसको बढ़ा कर हमने सोलह सौ रुपये तक कर दिया। अब हम सोलह सौ वेतन वालों को भी बोनस देंगे। उस समय श्रम मन्त्री जी ने इस बात को स्वीकार किया था कि बोनस कानून में जो 1600 रुपये की लिमिट है उसको भी हम बढ़ायेंगे। लेकिन उस बारे में अभी तक कोई अमेंडमेंट बिल नहीं आया है। कम से कम आप ऐसी चीजों को तो देखिए। जितने भी लेबर के या मजदूरों के झगड़े होते हैं उनमें आपको कदम उठाना चाहिए।

आप देखेंगे कि जितने भी मजदूरों और लेबर के झगड़े हुए हैं उनमें न्याय मजदूरों या लेबर के साथ रहा है। अगर मैनेजमेंट मजदूरों और लेबर के न्यायसंगत पक्ष को देख कर उनसे वार्ता करे तो फिर लेबर के साथ झगड़े की नौबत ही न आये। जब मैनेजमेंट अपनी जिद् पर कायम रहता है तभी यह स्थिति पैदा होती है।

जब हम इस बिल को ले कर आए हैं तो निश्चित ही हमें अपनी वर्किंग और अपने पुराने संबंधों को देखना पड़ेगा। हमारा लेबर डिपार्टमेंट रिकंसीलियेशन तो कराता है लेकिन वह मैनेजमेंट को मजबूर नहीं कर पाता कि उस चीज को मान लिया जाए क्योंकि उसके पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि वह मैनेजमेंट को मजबूर कर सके। तो हमें इसको भी देखना पड़ेगा।

मैं एक यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अपने कारखानों के लिए एक कमिटिड केडर तैयार करना पड़ेगा जिससे कि इस प्रकार की नौबत ही न आए। मैं कहना चाहूंगा कि मजदूर तो इस देश का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, इस देश को मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन हमें उनमें यह भावना नहीं आने देनी चाहिए कि जबर्दस्त मारे और रोने भी न दे।

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : मान्यवर, हमारे मन्त्री जी ने आवश्यक संशोधन विधेयक पेश किया है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं इसलिए मन्त्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि सचमुच में आज इसकी जरूरत थी।

मैं इस बिल पर बोलने के लिए इसलिए तैयार हुआ हूं कि मैंने अखबार में देखा था कि हमारे विरोधी दल के नेताओं ने, जब यह बिल लोक सभा में पेश हुआ था तो इसका बहुत विरोध किया था।

मुझे ताज्जुब होता है कि हमारे साथियों और मित्रों जिनकी कि हिस्ट्री में 'हड़ताल' शब्द तक नहीं है वे कैसे इसका विरोध करते हैं। वे लोग जब हुकूमत में नहीं होते हैं तो हड़ताल कराते हैं और जब वे हुकूमत में होते हैं तो हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाते हैं। क्या यह बात सच नहीं है? अगर यह बात सच नहीं है तो मैं अपने मित्रों से यह जानना चाहूंगा कि चाइना में कितनी हड़तालें हो रही हैं, रूस में कितनी हड़तालें हो रही हैं? वहां केवल डिक्टेटरशिप है।

मैं समझ रहा हूं कि मेरी बातें आपके दिल को छू रही हैं, चोट पहुंचा रही हैं, इसलिए आप उत्तेजित हो रहे हैं। मैं खासतौर से आप ही लोगों के लिए खड़ा हुआ हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बाद में अपना भाषण जारी रख सकते हैं। सभा 2.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए मध्याह्न भोजन हेतु स्थगित होती है।

1.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.06 म० प०

मध्याह्न भोजन के तत्पश्चात् लोक सभा 2 बज कर 6 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 में और संशोधन लाने वाले विधेयक पर अपने विचार व्यक्त कर रहा था और जिस समय मैं बोल रहा था तो हमारे एक विरोधी दल के कम्युनिस्ट भाई को मेरी बात उनके दिल में चुभ रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि किस कारण ऐसा हुआ लेकिन वे बहुत उत्तेजित हो रहे थे। हमें आश्चर्य तब होता है कि जब हमारे विरोधी दल के नौजवान दोस्त, यह माना कि विरोध करने के लिए वे यहां बैठे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह से विरोध किया और मेरी समझ में नहीं आया कि किस इतिहास के किस पन्ने पर ऐसा लिखा है। उनकी उम्र भी 50 से कम ही होगी और वे कह गए कि इस देश में जिस समय अंग्रेजों का राज था तब यहां का मजदूर बहुत खुशहाल था। पता नहीं वे किस यूनिवर्सिटी में पढ़कर आये थे। इस बिल के सम्बन्ध में सबसे पहले विरोध पक्ष के जिन नौजवान साथी ने अपने विचार व्यक्त किए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हमको आश्चर्य होता है कि क्या हमारे विरोधी दल में यही क्षमता है कि हकूमत पक्ष से जो कुछ कहा जाए, उसके विरुद्ध बात कहें, यदि सत्तापक्ष से कोई कहता है कि सूर्य पूर्व से निकलता है तो वे कहें कि नहीं पश्चिम से निकलता है और उसी तरह के तर्क प्रस्तुत करें। ऐसे तर्कों पर किसको आश्चर्य नहीं होगा।

मैंने इस बिल को लाने के लिए पहले ही मंत्री जी को धन्यवाद दिया, और उस समय भी हमारे साथी हंसे। लेकिन यह बात सत्य है कि आज मुल्क में ऐसे नियम की जरूरत है और हमारे यहां जितनी भी आवश्यक सेवाएं हैं उनमें हड़ताल नहीं होनी चाहिए। मैं अपने कम्युनिस्ट साथियों से पूछना चाहता

हूं कि संसार में जहां-जहां कम्युनिस्ट हकूमतें हैं, वे बता दें, यदि किसी एक भी देश में वे लोग हड़तालों का समर्थन करते हों···

श्री सैफुद्दीन चौधरी : किसी में भुखमरी है···

श्री राम नगीना मिश्र : यदि आपका दिमाग सही हो तो आप अपने दिल पर हाथ रख कर बतायें कि भारत में आज कौन-सा व्यक्ति भूख से मर रहा है। हमें अपने देश पर नाज है, कितना बड़ा मुल्क है। अंग्रेजों के राज में जब बंगाल में अकाल पड़ा था तो उसमें तीसों लाख लोग मर गए और आपने उफ तक नहीं की। आज भी वही मुल्क है और मैं चैलेन्ज करता हूं, कोई भी विरोधी दल का नेता यह बता दे कि भूख से कोई इन्सान आज मर रहा है। एक भी व्यक्ति इतने बड़े मुल्क में कहीं भूख से नहीं मरता है।

इसलिए आज इस मुल्क में ऐसे नियम का होना आवश्यक है। आप बिजली विभाग को ले लीजिए, जब वहां के कर्मचारी या इन्जीनियर हड़ताल करते हैं तो उसका असर किस पर पड़ता है—किसान पर। रेल, डाक तार विभाग में हड़ताल होती है तो उसका असर किस पर पड़ता है—किसान पर। जब भी सिंचाई का समय होता है, उसे सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पातीं क्योंकि सम्बन्धित विभाग में हड़ताल कर दी जाती है। मैं अपने विरोधी दल के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जरा किसान की तरफ भी नजर डाल लें, मजदूर की तरफ भी नजर डाल लें, गांव में रहने वाले की तरफ भी नजर डाल लें। वैसे आप किसान और मजदूर के नाम पर यहां बहुत बड़ा लैक्चर करते हैं लेकिन क्या आपने कभी ख्याल किया किया है कि देहात में रहने वाले मजदूर की आज क्या दशा है। आज उसको साल में मुश्किल से तीन महीने काम मिल पाता है परंतु आपने कभी इस विषय में आवाज नहीं उठायी। आपकी आवाज कहां उठती है, आप किसी मिल-गेट पर जाकर नेतागिरी करेंगे, मैनेजर और हकूमत के खिलाफ गालियां देंगे, मजदूरों को भड़कायेंगे और मजदूर समझेगा कि हमारा नेता बड़ा अच्छा है, गालियां देने में माहिर है। और क्या करेंगे हमने ऐसे कई मजदूर नेताओं को देखा है जो प्राइवेट सैक्टरों में एक तरफ हड़ताल का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ मिल-मालिकों से मिलकर हड़ताल तुड़वा देते हैं। मैं ऐसे कई नेताओं को जानता हूं और मैंने स्वयं देखा है, यदि आप कहें तो नेता और फैक्टरी दोनों के नाम आपको बता सकता हूं, जहां इन नेताओं ने 10 दिन तक हड़ताल कराई···मैनेजर को ये जाकर कहते थे कि मजदूर ठीक काम नहीं कर रहा है और मजदूरों के सामने कहते थे कि मैनेजर आपके हितों के विरुद्ध काम कर रहा है। तो यह तो इनका चरित्र है। ये लोग दोहरी चाल चलते हैं। मैं तो कहता हूं मान्यवर मुल्क के नाम पर इनको इतना तो तरस खानी चाहिए कि कम से कम आपस आपस में मजदूर और मैनेजमेंट को न लड़ाएं।

मान्यवर, ये लोग कहते थे कि मजदूर क्रांति लाएगा, हमने देखा कि न तो मजदूर क्रांति लाया और न ला सकता है। जय प्रकाश जी का नारा था कि युवक क्रांति लाएंगे, मान्यवर वह नारा भी फेल हो गया, युवक भी क्रांति नहीं लाए। मान्यवर, मैं कहता हूं कि न तो मजदूर क्रांति ला सकता है और न युवक क्रांति ला सकता है, क्रांति तो मिडिल क्लास ला सकती है। किसान ला सकता है। आज उसकी क्या दशा है, इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। गांव वालों की क्या दशा है, इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए।

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हड़ताल कभी नहीं होनी चाहिए, यह बिलकुल ठीक है क्योंकि हड़ताल से हमारे देश की इकनौमी नष्ट होती है, किन्तु हमें यह भी सोचना है कि मजदूरों के हितों की रक्षा भी ठीक ढंग से हो। वैसे इसके लिए अदालतें बनाई गई हैं, इस काम के

लिए जज मुकर्रर किए गए हैं, उनके फैसले के विरुद्ध एक अदालत से दूसरी अदालत में अपील करने का हक भी दिया गया है, यह अच्छी बात है।

मान्यवर, इस बिल में यह भी शामिल कर लिया गया है कि प्रायवेट सैक्टर में कोई भी मिल मालिक अपनी मर्जी से मिल बन्द नहीं कर सकता है। मान्यवर, इस बात की तो कम से कम हमारे विरोधी साथियों को प्रशंसा करनी चाहिए। जो हमारी सरकार के अच्छे काम हैं, उनकी तो सराहना हमारे विरोधी पक्ष के साथियों को जरूर करनी चाहिए, किन्तु ये अच्छी चीजों की भी सराहना नहीं करते हैं। इसलिए मान्यवर मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि हड़तालों को कर के अनावश्यक रूप से देश की शक्ति को क्षीण नहीं करना चाहिए।

महोदय, तीन-चार साल से हमारे मुल्क में यह नियम लागू रहा, जिसका नतीजा बहुत अच्छा निकला है। आपको मालूम है कि आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में किसकी हुकूमत है···(**व्यवधान**) ·· श्रीमन्, ये तो शासन में रहकर हड़ताल कराते हैं। ये तो इस किस्म के लोग हैं, जब द्वितीय विश्वयुद्ध हो रहा था, हमें उस वक्त के इनके कारनामे याद हैं। ये तो मान्यवर पूर्व को पश्चिम कर देंगे अगर इनका वश चले तो ये तो कुछ भी उलट-पुलट कर दगे। जब द्वितीय विश्वयुद्ध हो रहा था और जब रशा उनके साथ था तो ये कहते थे कि युद्ध अन्यायपूर्ण है और जब अलग हो गया तो यह कहने लगे कि युद्ध न्यायसंगत था। तो महोदय, इनका कुछ पता नहीं है। इसलिए मान्यवर मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन कर रहा था कि मजदूरों के हकों की भी रक्षा होनी चाहिए। इस प्रतिबन्ध की वजह से हमारे विरोधी भाई कहते हैं कि प्रायवेट सैक्टर वाले नफा पर उठाएं, यह नहीं होना चाहिए। वैसे हमारे विरोधी साथी तो चाहते ही ये हैं कि सारी बातें प्रायवेट सैक्टर में चली जाएं। जितने भी उद्योग हैं वे सब प्रायवेट सैक्टर में चले जाएं, ये तो यही चाहते हैं। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हमारी यह स्थिति नहीं आई है। हमारी अभी यह स्टेज नहीं है, हमारे में अभी यह भावना में नहीं है। राष्ट्रीयता की भावना ठीक ढंग से अभी तक हम में नहीं आई है। अब आ रही है। क्योंकि अभी तक तो हमारी यही मान्यता रही है कि कम से कम काम करो अधिक से अधिक प्राप्त करो। लेकिन अब धीरे-धीरे हम में यह भावना भी आ रही है कि अधिक से अधिक काम करो और कम से कम प्राप्त करो। यह राष्ट्रीय भावना अब धीरे-धीरे आ रही है।

अभी तक हमारे पब्लिक सैक्टर में इस भावना की कमी के कारण बहुत घाटा हो रहा है। जितनी भी हमारी ऐसी संस्थाएं हैं वे सब घाटे में इसी कारण जा रही हैं। अरबों रुपयों का घाटा इन संस्थाओं में हो रहा है क्योंकि अभी तक हमारे मन में यह भावना ठीक ढंग से नहीं आई है कि हम राष्ट्रीय सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति समझें। इसलिए मैं आपको एक यह सुझाव देना चाहता हूं कि मजदूरों को भी आप शेयर देकर कम्पनी में भागीदार बना दीजिए और दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि पब्लिक सैक्टर में जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं उनमें आप ऐसा कर दीजिए कि यदि घाटा जाएगा तो आपके वेतन से वह पूरा होगा और यदि संस्थान फायदे में होगा तो आपको बोनस मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अपने मंत्री महोदय से बहुत खुश हूं कि समय का तकाजा था इस बिल को लाने का और मन्त्री महोदय ठीक समय पर इस बिल को लाए। इसलिए मेरा आप सभी से और विरोधी दल के साथियों से भी निवेदन है कि वे एक स्वर से इस बिल का समर्थन करें और इसको पास करें।

[**अनुवाद**]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं इस क्रूर विधान का विरोध करता हूं। आवश्यक सेवा अधिनियम की अवधि पांच वर्ष तक और बढ़ाने वाले इस संशोधनकारी विधेयक का हमने इसकी पुरःस्थापना के समय भी कड़ा विरोध किया था। हमने इसका विरोध इस आधार पर किया था कि

यह श्रमिकों के मूल अधिकारों का हनन करता है। हमने वर्ष 1981 में एक इतिहास का निर्माण किया था जब मूल विधेयक पर विचार किया जा रहा था और इसे पारित किया जा रहा था। हमने इस विधेयक के प्रत्येक खण्ड का विरोध किया था। अब सरकार यह दावा कर रही है कि आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इसकी अवधि पांच वर्ष और बढ़ाई जाए, यद्यपि मूल अधिनियम में यह अवधि चार वर्ष रखी गई थी। क्या यह अधिनियम अपने उद्देश्य में सफल रहा है? मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं। जिनसे पता चलता है कि इन चार वर्षों में इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका और सरकार मजदूरों को हड़ताल करने से नहीं रोक सकी।

वर्ष 1983 में हड़तालों और तालाबन्दी से क्रमश: 247.72 करोड़ रुपये और 164.68 करोड़ रुपये की हानि हुई। वर्ष 1984 में 140.18 करोड़ रुपए और 78.38 करोड़ रुपए की हानि हुई। वर्ष 1981 में जब इसे काले और कठोर विधेयक को संसद द्वारा पारित किया गया था 365.80 लाख कार्य दिवसों की क्षति हुई 1982 में 332.1 लाख कार्य दिवसों की, 1983 में 250.5 लाख कार्य दिवसों की और 1984 में 404.7 लाख कार्य दिवसों की क्षति हुई। इस प्रकार संसद से इस विधेयक को पारित करा लेने के बाद भी सरकार श्रमिकों को हड़ताल करने से नहीं रोक सकी।

श्री हरुभाई मेहता (अहमदाबाद) : क्या ये आंकड़े केवल आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित हैं या कुल हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : कुल।

सरकार ने यह भी दावा किया है कि औद्योगिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। यदि ऐसी बात है तो श्रमिकों के मूल अधिकारों का हनन करने वाले इस विधेयक की अवधि बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? यह विधेयक वास्तव मे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अभिलंघन करता है। इस अधिनियम धारा 12 के अनुसार इस अधिनियम के उपबन्ध और उनके अन्तर्गत जारी अन्य कोई आदेश, अन्य किसी बात के होते हुए भी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अथवा लागू किए जा रहे अन्य किसी कानून के अनुरूप होंगे। परन्तु गृह मंत्री महोदय ने कहा है कि यह विधेयक औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 पर प्रभाव नहीं डालता। विधेयक पुरःस्थापित करते समय गृह मन्त्री ने कहा है कि आवश्यक सेवा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम का मजदूर संघों की गतिविधियों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। उस समय गृह मंत्री ने यह कहा था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में पारित किया गया था और 1981 में लोको कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। उन्होंने हड़ताल क्यों की? सरकार और लोको कर्मचारियों के बीच समझौता हुआ और उस समझौते की घोषणा तत्कालीन रेल मन्त्री ने इसी सभा में की। समझौते के अनुसार उनके काम के घन्टे कम करके 10 घन्टे कर दिए गए। यह समझौता लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन और भारत सरकार के बीच 1973 में हुआ था परन्तु इसे 1981 तक लागू नहीं किया गया था। इस प्रकार उन्हें हड़ताल के लिए बाध्य किया गया। यद्यपि कई बार कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का मजदूरों और मजदूर संघों के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जाएगा परन्तु इस अधिनियम का वास्तव में रेल कर्मचारियों के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया। हजारों रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और बिना मुकदमा चलाए जेलों में डाल दिया गया। हजारों मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया और वे अब भी जेल में हैं। अब सरकार ऐसे और क्या अधिकार प्राप्त करना चाहती है जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में नहीं हैं। यह विधेयक सरकार को किसी भी उद्योग को 'आवश्यक' घोषित करने का और किसी औद्योगिक इकाई में हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार प्रदान करता है। अब देखिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम में किस बात का उल्लेख है औद्योगिक विवाद अधिनियम

की धारा 22 पृष्ठ 24 पर इस बात का उल्लेख है :

किसी लोकोपयोगी सेना में कार्यरत कोई भी व्यक्ति संविदा के उल्लंघन में—

(क) हड़ताल करने से छः सप्ताह पूर्व नियोजक को हड़ताल की सूचना दिए बिना, जैसा कि इसके बाद उपबन्ध किया गया है ; या

(ख) ऐसी सूचना दिए जाने के 14 दिनों के भीतर ; या.....हड़ताल नहीं करेगा।

इस प्रकार औद्योगिक विवाद अधिनियम में यह अधिकार पहले से ही है। सरकार आवश्यक सेवा अधिनियम, के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का प्रयोग कर सकती है। वह किसी भी उद्योग को 'लोकोपयोगी सेवा, घोषित कर सकती है। और उसमें हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगा सकती है। मजदूरों के मूल अधिकारों का हनन करने वाले इस क्रूर विधेयक को लाने का क्या लाभ है। इस अधिनियम में क्या है ? जब कोई मजदूर आवश्यक सेवा में हड़ताल करता है तो उसके लिए क्या सजा है ? सजा एक महीने से छः महीने तक की हो सकती है। और हड़ताल के लिए उकसाने की सजा छः महीनों से एक वर्ष तक हो सकती है। वित्तीय सहायता के लिए भी यह छः महीनों से लेकर एक वर्ष तक की हो सकती है। कैद के अलावा उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस प्रकार आप एक मजदूर को उसके अधिकार से और उसके परिवार को रोटी से वंचित कर रहे हैं। आवश्यक सेवा अधिनियम में यह दोहरी सजा की व्यवस्था है।

भारत सरकार का अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विभिन्न अभिसमयों और सिफारिशों में हाथ रहा है क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार को यह अधिकार है कि वह अपने अधिकतम बहुमत के बल पर ऐसा कोई विधेयक लाए जो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों के उन अभिसमयों और सिफारिशों के विरुद्ध हो जिनमें स्वयं सरकार का हाथ रहा है ?

सामूहिक समझौते का अर्थ है विवाद निपटाना और हड़ताल से बचना। और यदि यह सफल नहीं होता है तब मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं। हड़ताल करना कोई मजाक नहीं है। जब कोई मजदूर हड़ताल करता है तब वह भूखों मरता है। हमने 1974 में रेल कर्मचारियों की 22 दिन तक चली ऐतिहासिक हड़ताल देखी है। हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था। उन्हें नौकरी से निकाला गया और जेलों में डाल दिया गया। इस प्रकार हड़ताल करना कोई मजाक नहीं है। मजदूर हड़ताल तब करते हैं जब अन्य सभी रास्ते बन्द हो जाते हैं। जब सामूहिक समझौता सफल नहीं होता है तब वे हड़ताल करते हैं।

आपने कोल इंडिया लिमिटेड पर 1983 में आवश्यक सेवा अधिनियम लागू किया। वहां क्या हुआ ? 'इन्टक' सहित सभी मजदूर संघों का कोल इंडिया लिमिटेड से समझौता हुआ था। इस समझौते पर मजदूर संघों और कोल इंडिया लिमिटेड के प्रबन्धकों ने हस्ताक्षर किए थे। परन्तु समझौता हो जाने के बाद समझौते की स्याही सूखने से पूर्व ही कोल इंडिया लिमिटेड ने समझौते को लागू करने से इन्कार कर दिया। जब इस समझौते का पालन नहीं किया गया और इसे लागू नहीं किया गया तो इन्टक के विरोध के बावजूद तीन दिन तक कोल इंडिया लिमिटेड के मजदूर हड़ताल करने के लिए बाध्य हुए। कोल इण्डिया लिमिटेड के 95% मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया।

श्री दामोदर पांडे (हजारीबाग) : मेरे विचार में यह कहना गलत है कि हड़ताल समझौते के बाद की गई। दूसरे, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के किस अभिसमय का उल्लंघन हुआ है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं हार नहीं मानने वाला हूं। आप कहेंगे कि प्रबन्धकों को समझौता क्रियान्वित करने के लिए बाध्य किया गया।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से बैठने जाने का अनुरोध करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : इस अधिनियम की अवधि क्यों बढ़ाई जा रही है? औद्योगिक स्थिति और श्रमिक सम्बन्धों में सुधार के दावे के बावजूद सरकार इस काले और क्रूर विधेयक की अवधि क्यों बढ़ाना चाहती है? आपने भरती पर 15 महीने के लिए पूरी तरह रोक लगा दी है। रोजगार कार्यालयों में इस समय तीन करोड़ बेरोजगार युवाओं के नाम दर्ज हैं। रोजगार की तलाश में वे सड़कों पर भटक रहे हैं। आपने एक नई वस्त्र नीति, नई इलेक्ट्रानिकी नीति एक नई आयात-निर्यात नीति की घोषणा की है। उससे क्या फायदा होगा। जितनी नई नीतियों की आप घोषणा करेंगे उतनी बेरोजगारी और बढ़ेगी। आपके द्वारा घोषित नई आयात नीति क्या है? आयात उदारीकरण नीति के नाम पर आपने देश के द्वार विदेशियों को खोल दिए हैं। विदेशों से आप सिक्कों का आयात कर रहे हैं। आप अपने ही देश की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आप विदेशों से सिक्के आयात कर रहे हैं। आपकी नई वस्त्र नीति क्या है? इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। अधिक आधुनिकीकरण का मतलब है अधिक बेरोजगारी। आप कम्प्यूटर लाना चाहते हैं। अति आधुनिक मशीनें लाना चाहते हैं। मशीनों और कम्प्यूटरों से रोजगार की सम्भावनाएं और कम होंगी। हम इनके खिलाफ नहीं है। लेकिन हमारे जैसे देश में जहां तीन करोड़ बेरोजगार युवक रोजगार प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जहां 13 करोड़ खेतिहर मजदूरों को साल में केवल 100 ही दिन काम मिलता है, वहां आप कम्प्यूटर लगाकर हजारों कर्मकारों को बेरोजगार करना चाहते हैं। यह स्थिति है।

कोल इण्डिया लिमिटेड में 3-4 सालों में 50,000 कामगारों को नौकरी से निकाला गया है। इनमें से अधिकांश श्रमिक हैं। वे आन्दोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हांगकांग बैंक, कलकत्ता के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। वे अपने कार्यालयों में कंप्यूटर लगाने का विरोध कर रहे हैं। जीवन बीमा कर्मचारी अपने कार्यालयों में कम्प्यूटर लगाने का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए आप डर गए हैं और निगम के कर्मकारों की आवाज को दबाने के लिए इस काले और क्रूर कानून की समयावधि बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा करने में आप सफल नहीं हुए हैं और मुझे विश्वास है कि सफल होंगे भी नहीं। बम्बई की कपड़ा मिलों के कर्मकारों ने हड़ताल की थी जो डेढ़ साल चली। हड़ताल से उन्होंने जता दिया कि वे कितने दृढ़-निश्चयी हैं। अतः मैं गृह मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को वापिस ले लें।

इन शब्दों के साथ मैं इस काले क्रूर और प्रजातन्त्र-विरोधी विधेयक का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, एसेंशियल सर्विसेज (अमेंडमेंट) बिल, 1985 जो सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। 1981 में भी यही एसेंशियल सर्विसेज बिल प्रस्तुत किया गया था जिसको बहुमत से इस सदन ने स्वीकार किया था। वही बिल ऐक्ट के रूप में परिणत हुआ। अब पुनः उन्हीं सेक्शन्स को, उसी बिल को पांच साल आगे बढ़ाने के लिए वह संशोधन विधेयक लाया गया है और इसका मैं समर्थन करता हूं।

विरोधी दल की ओर से विशेष तौर से जो विचार रखे गए हैं, उनमें इस बात पर बल दिया गया है कि मजदूरों के फण्डामेंटल राइट्स पर कुठाराघात होता है। यह बिल्कुल सही बात है कि इस विधेयक से मजदूरों के फण्डामेंटल राइट्स पर कुठाराघात होता है, परन्तु राष्ट्र की उन्नति में, हमारे

देश की सुरक्षा में, हमारे देश के प्रोडक्शन में और हमारी इकानामी में अगर कोई शक्ति बाधक है, तो उन शक्तियों को प्रजातन्त्र में कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।···(**व्यवधान**)···प्रश्न फैक्ट्री के एम्पलायार्स के बारे में भी है। फैक्ट्रीज में जो लॉक-आउट्स करते हैं, अपने कारखाने बन्द कर देते हैं, उनके लिए भी यह कानून लागू होता है। ऐसी बात नहीं है कि यह कानून सिर्फ मजदूरों पर लागू होता है···(**व्यवधान**)···इसलिए यह जो बिल लाया गया है, यह राष्ट्र की उन्नति के लिए लाया गया है। राष्ट्र की प्रगति के लिए हमारी इकानोमी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार पहले बम्बई के अन्दर टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज में काफी अर्से तक हड़ताल चलती रही। मेरे ख्याल से वह हड़ताल 18 महीने तक चली, इससे हमारे देश का प्रोडक्शन रुक जाता है। देश के प्रोडक्शन के रुक जाने से हमारी इकानोमी पर बड़ा भारी धक्का लगता है। (**व्यवधान**)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : बैलेट से यूनियन को नहीं मानते हैं। बैलेट से सरकार आती है, तो बैलेट से यूनियन को क्यों नहीं माना जाता है।···(**व्यवधान**)···

श्री वृद्धि चन्द जैन : यह आवश्यक और जरूरी है कि आवश्यक सुविधाओं के लिए स्ट्रिक्ट प्रोवीजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की सेवाएं जिनसे विशेष तौर पर हमारी इकानामी पर प्रहार होता है, डिफेंस पर प्रहार होता है, सुरक्षा पर प्रहार होता है, उनसे निपटने के लिए ऐसा कानून लाना बहुत ही आवश्यक है। पीने के पानी के विभाग ने कार्य करना बन्द कर दिया, और इसी ने कार्य करना बन्दकर दिया, बिजली विभाग ने कार्य करना बन्द कर दिया, इससे बड़ा भारी नुकसान होता है। ···(**व्यवधान**)···मेरे कहने का अर्थ यह है कि इन प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए ऐसे कानून बनाने पड़ते हैं। यदि पीने पानी वाले विभाग ने अपना कार्य करना बन्दकर दिया तो एक्शन लेना आवश्यक हो जाता है। अभी आपने यह स्थिति पैदा कर दी है कि बैंक आफिसर भी हड़ताल करने लगे हैं, जिनको सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलती है। आप उनकी एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, आज सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलती है, तो बैंक के कर्मचारी को मिलती है और बैंक के अधिकारी को मिलती है।

एक माननीय सदस्य : टाटा और बिरला।

श्री वृद्धि चन्द जैन : हम कौन से पूंजीपतियों के पक्ष में हैं। हम इस प्रकार की पूंजी प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, हम समाजवाद को मानने वाले हैं।···(**व्यवधान**)···हम धीमे-धीमे पूंजीवाद को समाप्त करना चाहते हैं, और समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं और कदम उठा रहे हैं। हमने राष्ट्रीयकरण के कदम उठाए हैं। हमने बहुत से उद्योगों में राष्ट्रीयकरण के कदम उठाए हैं और जहां आवश्यक होगा, वहां भी कदम उठाएंगे। जो उद्योग जन-जीवन से सम्बन्ध रखने वाले हैं, उनमें हमने राष्ट्रीयकरण किया है और करते जा रहे हैं और करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि जो आवश्यक सुविधाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए यह कानून बहुत आवश्यक है और इसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा जो विचार प्रकट किए गए हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। इस प्रकार का कानून बनने से यदि किसी के विचारों को आक्षेप पहुंचता है, यदि किसी के अधिकारों को आक्षेप पहुंचता है, तो भी राष्ट्र की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए, राष्ट्र की इकानामी के लिए हमें कदम उठाना पड़े तो उठाना चाहिए।

इन शब्दों के एक साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आवश्यक सेवा संशोधन बिल, 1985 का समर्थन करती हूं। 1981 में पहली बार यह कानून बना, उस समय परिस्थितियां ऐसी थीं कि देश में हड़तालें और अव्यवस्था की वजह से हमारा आर्थिक ढांचा कमजोर हो गया था इस लिए उस समय मजबूर होकर हमने चार साल के लिए इस कानून को लागू किया था। इस समय भी

परिस्थितियों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है और यह आवश्यक हो गया है कि इसकी अवधि पांच साल के लिए और बढ़ा दी जाय।

मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि अभी हमारे भाई श्री वासुदेव आचार्य ने बतलाया कि यह काला और कट्टर कानून है। मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप एक तरफ तो ऐसी बात करते हैं कि देश में मंहगाई बढ़ रही है, एक तरफ आप मुद्रास्फीति की बात करते हैं और दूसरी ओर आप इस कानून का विरोध करते हैं। वास्तव में मुद्रा स्फीति और देश का उत्पादन इन दोनों में गहरा सम्बन्ध है। अगर हड़तालें होती हैं, यदि उद्योगों में अव्यवस्था फैलती है तो निश्चित तौर पर उत्पादन कम होगा और जब मांग के मुकाबले उत्पादन कम होगा तो निश्चित तौर पर मूल्य वृद्धि होगी, देश में मुद्रास्फीति बढ़ेगी। इसलिए मुद्रास्फीति को रोकने के लिए और हमारे आर्थिक ढांचे में हड़तालों की वजह से जो अव्यवस्था आ जाती है, उसको रोकने के लिए इस अधिनियम में संशोधन करना अतिआवश्यक था। महात्मा गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन के द्वारा जो रास्ता दिखाया था उसका दुरुपयोग होना शुरू हो गया। लोगों ने सविनय को हटा दिया और अवज्ञा के आधार पर लोग चलना शुरू कर दें तो उससे स्थिति डगमगा जाएगी। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा न रहा जो हड़तालों से अछूता रहा हो। डाक्टर्स, रेलवे कर्मचारी सब जगह यह बीमारी पहुंचने लगी है। परिणाम यह हुआ है कि जनता पार्टी के शासन काल में जब आपकी सरकार सत्ता में थी, उस समय कितना अधिक नुकसान हुआ, मैं उसकी एक छोटी-सी रूपरेखा यहां पर देना चाहती हूं। 1978-79 में जब आपकी सरकार सत्ता में थी, उस समय देश को 285.32 करोड़ तथा 445.02 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। इन परिस्थितियों में इस कानून में संशोधन करना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी था, इसलिए मैं मन्त्री जी की सूझबूझ और हमारी सरकार की इस सूझबूझ के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूं।

मान्यवर, श्रम और प्रबन्ध में जबरदस्ती राजनीति को नहीं डालना चाहिए। यदि राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, तो परिणाम यह होता है कि उग्रवादियों का उसमें प्रवेश हो जाता है। आप कल्पना कीजिए, यदि हमारी आवश्यक सुविधाओं में लगातार इस प्रकार की हड़तालें होती रहतीं तो आज देश की क्या स्थिति होती। रेलों में हड़तालों का उदाहरण आपको मालूम है। टैक्सटाइल में जो हुआ वह भी आपको मालूम है। बिजली, पानी, डाक्टर्स, एयर स्टाफ सबके सब हड़तालों पर जाते हैं, तो उनका देश की आम जनता पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। तो यह एक बुद्धिमानी का कदम है। कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं, जोकि जबर्दस्ती हड़ताल कराना चाहते हैं। उन गुंडों और उन दादाओं की कमी नहीं है, जो कि श्रमिक आन्दोलन में जबरदस्ती प्रवेश कर गए हैं। जो लोग हड़ताल नहीं करना चाहते हैं, उनको डरा-धमकाकर, अपनी धौंस जमाकर और अन्य अस्त्रों का उपयोग करके वे उनको हड़ताल करने पर मजबूर कर देते हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि आज जो हमारे देश पर आर्थिक दबाव है और जो मुद्रास्फीति की स्थिति है, उसको देखते हुए यह कानून अतिआवश्यक है और इसके बारे में विरोधी दलों के लोगों को विचार करना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य ने मूल अधिकारों के हनन की बात भी कही और यह कहा कि यह श्रम विरोधी कानून है। तो मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार जो है वह हमेशा से श्रमिकों की समर्थक रही है और श्रमिकों की अवहेलना कभी नहीं की गई। मैं उदाहरण देकर बताना चाहती हूं कि प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी की बात किसने सोची? वह हमारी सरकार ने सोची और झगड़े आर्बीट्रेशन से सुलझाने वाली बात किस सरकार ने सोची? वह इसी सरकार ने सोची और इसी सरकार ने मजदूरों के लिए मिनीमम वेज फिक्स करने की बात सोची। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि कर्म-

चारी स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा योजना की बात भी इसी सरकार के द्वारा सोची गई है। इसलिए यह कहना कि हमारी सरकार जो है, वह श्रमिकों के बारे में नहीं सोचती, गलत है। मैं यह कहूंगी कि आप अपनी इस बात को करेक्ट करें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि यदि आपके श्रमिक संगठन और मजदूर संगठन देश के भले की बात सोचते हैं, देश के विकास की बात सोचते हैं, मुद्रास्फीति की बात सोचते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए था परन्तु वे परिवर्तन नहीं लाए और उस परिवर्तन की तरफ आगे नहीं बढ़े, तो सरकार को मजबूरन यह अवधि बढ़ानी पड़ती। मैं मन्त्री जी से यह भी कहना चाहूंगी कि आपने जो यह कानून बनाया है, उसका हमने हृदय से स्वागत किया है परन्तु मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगी। पहला तो यह है कि हमारे जो श्रमिक प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष तौर पर आपको ध्यान देना होगा। आपके मन्त्रालय में एक श्रमिक सैल बनना चाहिए जहां पर उनकी ग्रीवान्सेज को जल्दी सुना जा सके और उनका समाधान भी हो सके।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारें जो हैं, वे श्रमिक सलाहकार बोर्ड बनाएं और उनको फिर से री-आर्गेनाइज करें ताकि उनकी कठिनाइयों के बारे में, उनके वैजेज में सुधार लाने के बारे में पुनर्विचार हो सके।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि आज तो आपकी लेबर कोर्ट भी हैं और ट्रिब्यूनल्स भी हैं परन्तु उनके कार्य करने की प्रक्रिया इतनी लम्बी-चौड़ी है और उसमें इतना अधिक समय लगता है कि श्रमिक बहुत अधिक समय तक इन्तजार करते करते परेशान हो जाता है। इसलिए जो ट्रिब्यूनल्स हैं और लेबर कोर्ट्स हैं, इनको फिर से री-आर्गेनाइज करने की आवश्यकता है ताकि श्रमिकों को शीघ्र और सस्ता न्याय मिल सके।

मैं मन्त्री जी को उनकी सूझ-बूझ के लिए धन्यवाद देते हुए, अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : महोदय, हमने विधेयक का इसके पुरःस्थापित करने के समय ही विरोध किया था। और हमारे तर्क के जबाव में उस समय गृह मंत्री जी ने कुछ विचार व्यक्त किए थे। इस अधिनियम की समयावधि बढ़ाने का हमारे द्वारा विरोध करने का वास्तविक कारण यह है कि यह पूरी तरह से एकतरफा विधेयक है। यह विधेयक कामगारों के हितों के पूर्णतया विरुद्ध है। सदन के दूसरे पक्ष के अपने कुछ मित्रों के साथ मैं हड़ताल के दर्शन पर हड़ताल करना ठीक होता है या गलत आदि पर सैद्धांतिक तर्क नहीं करना चाहता।

इसके बाद बहुधा यह प्रश्न पूछा जाता है कि चीन या रूस में हड़तालों की अनुमति क्यों नहीं है। प्रश्न तो इस बात का है कि हमारा सामाजिक आर्थिक समाज कैसा है जिसमें हम काम करते हैं।

हाल ही में चीन में गए विभिन्न प्रतिनिधि मण्डलों के कुछ ऐसे सदस्यों से मैंने बात की थी जो कांग्रेस दल के हैं। आजकल बहुत से प्रतिनिधि मंडल विदेशों में जा रहे हैं और उनमें बहुत से सदस्य कांग्रेस दल के हैं। इनमें से सभी ने यह बात स्वीकार की है—मुझे मालूम नहीं कि सार्वजनिक तौर पर वे यह बात स्वीकार करेंगे या नहीं, लेकिन निजी तौर पर उन्होंने यह बात स्वीकार की है— कि चीन में उन्होंने बहुत-सी बातें ऐसी देखी हैं जो उन्हें पसन्द नहीं हैं। लेकिन जो कुछ उन्होंने वहां देखा उसमें से कुछ बातें तो उन्हें स्वीकार करनी ही पड़ेंगी। उन्होंने वहां देखा है कि काम करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए वहां समान अवसर हैं। उन्होंने वहां यह भी देखा है कि कीमतों पर कड़ाई से नियन्त्रण रखा जा रहा है। सच बात तो यह है कि वहां गरीब-अमीर के बीच उतना अन्तर नहीं है जितना कि हमारे देश

में है। वहां एक ओर टाटा और बिड़ला जैसे पूंजीपति तथा एकाधिकारवादी और दूसरी ओर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लाखों लोग नहीं हैं। वहां ये चीजें नहीं हैं। आपको यह बात माननी होगी लेकिन ऐसी स्थिति अन्य समाजवादी देशों में भी तो हैं।

पिछले दिनों सदन के दूसरे पक्ष का कोई सदस्य कह रहा था कि सोवियत संघ, जहां का मंत्रियों सहित सत्तारूढ़ दल के अनेक सदस्यों ने दौरा किया था, में उन्होंने देखा कि वहां आवश्यक वस्तुओं खाद्य पदार्थों आदि की कीमतें वास्तव में वही हैं जो पच्चीस वर्ष पहले थीं। उनमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। वहां भारी मुद्रास्फीति नहीं है। काला बाजारी नहीं है। उन देशों में बेरोजगारी नहीं है। उन देशों में कारखाने महज इसलिए बन्द नहीं पड़े हैं कि किसी नियोक्ता ने उन्हें बन्द करने का निर्णय लिया हो। वहां ऐसी बातें नहीं हैं। इसीलिए ये प्रश्न बहुत असंगत हैं क्योंकि उन देशों में हड़तालें क्यों नहीं होती हैं। किसी ने आरोप लगाया है कि वहां हड़तालों को दबा दिया जाता है। उन देशों में हड़ताल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वहां के कामगारों की भी शिकायतें हैं। क्यों न हो? कामगारों की बहुत-सी शिकायतें हो सकती हैं। लेकिन बात यह है कि वहां जो मजदूर संघ हैं उनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मजदूर संघों का वहां बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मजदूर संघ की अनुमति के बिना फैक्टरी से किसी को भी नहीं निकाला जा सकता।

क्या इस बात की कल्पना आप इस पूंजीवादी समाज या किसी और पूंजीवादी देश में कर सकते हैं?

दोनों प्रकार के देशों की स्थिति पूरी तरह से भिन्न है। इस तरह से तुलना करने से कोई फायदा नहीं है। इस विधेयक से आप किस प्रकार के औद्योगिक सम्बन्ध बनाना चाहते हैं? अब आप सातवीं पंचवर्षीय योजना शुरू करने वाले हैं और नए औद्योगिक ढांचे, आधुनिकीकरण प्रौद्योगिकी कामगारों द्वारा और अधिक दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता और देश में उत्पादन बढ़ाने वाली नई किस्म की मशीनें चलाना सीखने की आवश्यकता के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। देखना तो यह है कि ऐसा होता है या नहीं।

इस प्रकार के ढांचे के अनुरूप आप इस देश में किस प्रकार के औद्योगिक सम्बन्धों की व्यवस्था चाहते हैं? क्या यह मजदूर संघों को समुचित मान्यता दिए जाने तथा उनके लिए सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों पर आधारित होगा या यह एक ऐसी औद्योगिक सम्बन्ध प्रणाली होगी जो कि मुख्यतः कामगारों को धमकियां देने पर आधारित होगी? अगर वे किसी मांग या शिकायत को लेकर काम बंद कर दें या हड़ताल कर दें तो उनके विरुद्ध कठोर और दमनकारी विधेयक का इस्तेमाल किया जाएगा।

हाल ही में मेरे विचार में गृह मंत्री ने 1980 में पारित हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का उल्लेख किया था। सदन में आश्वासन दिया गया था कि इसे मजदूर संघों के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तथा यह ऐसे लोगों तथा ताकतों के लिए है जिनसे देश की सुरक्षा को गम्भीर खतरा है।

परन्तु मैं सदस्यों का ध्यान उस बात की ओर दिलाता हूं जो हम इस सदन में अनेक बार कह चुके हैं कि इन आश्वासनों के बावजूद इस राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग एक बार नहीं, अनेक बार मजदूर संघों के नेताओं को गिरफ्तार करने तथा उन्हें जेल में डालने के लिए किया गया है जबकि उनके विरुद्ध कोई ऐसा साक्ष्य या प्रमाण या कोई आरोप नहीं मिला है जिसका राज्य की सुरक्षा से कोई सम्बन्ध हो है। मैं पुनः माननीय सदस्यों और मंत्री जी को श्री ए० के० राय के बारे में याद दिलाना चाहता हूं जो पिछले सदन में वहां बैठा करते थे और धनबाद से चुन कर आए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा

अधिनियम पारित होने के बाद इसके पहले शिकार लोक सभा सदस्य श्री ए० के० राय बने थे जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया था, जेल में रखा गया था और मजबूर होकर सरकार को कुछ समय बाद उन्हें रिहा करना पड़ा था, क्योंकि उनके खिलाफ ऐसा कोई भी आरोप नहीं था जिसके आधार पर उन्हें नजरबन्द रखा सकता। नजरबन्दी के बाद वापस आने पर श्री ए० के० राय ने इस सदन में खड़े होकर सरकार के विरुद्ध यह प्रत्यारोप लगाया कि उन्हें इसलिए बन्दी बनाया गया था क्योंकि धनबाद में म्युनिसिपलटी के चुनाव हो रहे थे, वहां के कुछ लोग नहीं जानते थे कि वे चुनावों के दौरान वहां हों तथा चुनावों में उनका भाग लेना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अतः उन्होंने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जेल में डाल दिया। क्या मैं जान सकता हूं कि सुरक्षा से उसका क्या सम्बन्ध है?

मैं दिल्ली के पास ही स्थित गाजियाबाद जो यहां से बहुत दूर नहीं है, के मजदूर संघ नेता श्री सुखबीर त्यागी का उदाहरण दे सकता हूं··· (व्यवधान)

श्री दामोदर पाण्डे : वह चुनाव हार गए थे·· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पांडे जी, आप बैठ जाइए। आपको मैं बोलने का अवसर दूंगा। श्री इन्द्र जीत गुप्त, कृपया बोलना जारी रखिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं गाजियाबाद के मजदूर संघ नेता श्री सुखबीर त्यागी का एक और उदाहरण दे सकता हूं और वह इसलिए क्योंकि उस फैक्टरी में कामगारों में असंतोष था और आन्दोलन जारी था। निजी क्षेत्र के नियोक्ता के साथ उनका झगड़ा चल रहा था। नियोक्ताओं तथा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस और स्थानीय अधिकारियों के बीच बहुत अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है। वे उनके पास जाकर शिकायत करते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत उसे बन्दी बनाकर वहां से निकलवा देते हैं। कुछ सप्ताह पहले मैंने श्री चव्हाण को एक पत्र लिखा था जिसका बदकिस्मती से मुझे कभी भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। सामान्यतः वह उत्तर देते हैं परन्तु बम्बई में टाटा आयल मिल्स और एलाइड वर्कस यूनियन के महासचिव श्री माइकेल डिसूजा के मामले के बारे में मुझे कभी भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। यह फैक्ट्री भी टाटा की थी। वहां मजदूरों के साथ लम्बे अर्से से झगड़ा चला आ रहा था। बातचीत विफल हो गई थी और कम्पनी नहीं चाहती थी कि मजदूर संघ का यह नेता मजदूरों की ओर से दृढ़ रूख अपनाने के लिए वहां रहे तथा एक दिन सुबह को श्री माइकेल डि सूजा, जो फैक्ट्री के कर्मचारी और यूनियन के महासचिव हैं, को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार और नजर बन्द किया गया तथा नासिक जेल ले जाया गया था और उन्हें सभी साधारण अपराधियों के साथ वहां जेल में रखा गया। उन्हें दो या तीन महीनों के पश्चात् किसी स्पष्टीकरण, आरोप-पत्र के बिना चुपचाप रिहा कर दिया गया। अतः कृपया यह मत कहिए कि ट्रेड यूनियन की गतिविधियों या लोकतन्त्रीय आन्दोलनों को दबाने के लिए ऐसे मामलों में इस प्रकार के विधान का प्रयोग नहीं किया जाता है। उन का प्रयोग किया जाता है और हम इस तरह के आश्वासनों पर विश्वास नहीं करते हैं जिन्हें सदन में दिया जाता है, क्योंकि, आखिरकार स्थानीय अधिकारियों, पुलिस, स्थानीय मजिस्ट्रेट और इस तरह के अन्य लोगों द्वारा इन अधिनियमों को लागू किया जाता है। इसी विधेयक में आवश्यक सेवा अधिनियम में किसी भी पुलिस अधिकारी को शक्ति प्रदान की जाती है। "किसी भी पुलिस अधिकारी को" शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस अधिनियम की धारा 10 में यह उल्लेख है कि कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसको वह पुलिस अधिकारी यह समझता है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत वह अपराधी है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। इन लोगों को ये विकट शक्तियां दी गई हैं।

धारा 2(ख) में दी गई एक परिभाषा में इस बात का उल्लेख कि इस अधिनियम के प्रयोजकों

के लिए 'हड़ताल' में समयोपरि कार्य करने को इनकार करना भी शामिल है। मैंने किसी भी देश में कहीं भी यह नहीं सुना है। इसके उचित कारण हो सकते हैं कि विशेष मामलों में मजदूर समयोपरि कार्य क्यों नहीं करना चाहते। यदि वे समयोपरि कार्य करते हैं तो उन्हें दुगनी मजदूरी मिलती है। अतः अपने हित में मजदूर समयोपरि काम करना चाहते हैं ताकि उन्हें दुगुनी मजदूरी मिल सके। लेकिन यदि कोई ऐसा विशेष मामला है जिसमें कुछ कारणों से मजदूर समयोपरि काम करना नहीं चाहते हैं— उन्हें कभी-कभी अनुचित रूप से लम्बे समय तक समयोपरि कार्य करने के लिए कहा जाता है तो यह भी आवश्यक सेवा अधिनियम के अन्तर्गत 'हड़ताल' के अन्तर्गत आएगा। तब उसे उसकी नौकरी से निकाला जा सकता है। उसे जेल भेजा जा सकता है। उस पर जुर्माना किया जा सकता है। स्थिति यह है। यह इस तरह का अधिनियम है जिसका उद्देश्य कर्मकारों को नियोजकों की आशाओं के अनुसार चलने के लिए आतंकित करना और डराना धमकाना है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि आप इस तरह से घण्टी बजायेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं?

इसे पांच वर्षों के लिए और लागू किया जाएगा और हम पांच वर्षों के भीतर कुछ नहीं कर सकेंगे। निस्सन्देह हम हड़ताल करेंगे। क्योंकि डराने, धमकाने से मजदूर कभी भी उनके अधीन नहीं होगा। यदि हड़ताल करने के उचित कारण हैं तो आप उसे रोक नहीं सकते। आप उन्हें डण्डा दिखाकर हड़तालों को रोक नहीं सकते।

3.00 म० प०

पिछले चार वर्षों की अवधि में ऐसे दर्जनों मामले हुए हैं जिससे यह साबित हो गया है। बम्बई हड़ताल के बारे में निरन्तर उल्लेख किया जा रहा है। बम्बई टेक्सटाइल हड़ताल के बारे में एक सदस्य ने उल्लेख दिया है। मैं उस हड़ताल का संचालन नहीं कर रहा था। किसी अन्य सदस्य ने उसका संचालन किया था। लेकिन यह 1-1/2 वर्ष तक चली। आप उनके विरुद्ध इस अधिनियम का प्रयोग करके उसे क्यों नहीं दबा सके। आप यह नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा कई हड़तालें की जा रही हैं। वे कई महीनों से चल रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और कई अन्य स्थानों पर हड़तालें हुई हैं। गुजरात का मामला मिला है। यह एक राजनैतिक मामला है जिसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन राज्य सरकार के ये कर्मचारी निस्सन्देह इस अधिनियम के दायरे में आते हैं। यह उनको रोकता नहीं है।

महोदय, मैं अपनी बात को लम्बे समय तक जारी नहीं रखना चाहता हूं। मेरा मूल प्रश्न यह है : सातवीं योजना में संगठित मजदूरों के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? क्या आप किसी ऐसी नई औद्योगिक सम्बन्ध प्रणाली द्वारा उनका सहयोग प्राप्त कर रहे हैं जिसमें वे यह महसूस करें कि वे भी साझेदार हैं। आप प्रबन्ध में उनके भाग लेने के बारे में बात कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वे कम से कम सरकारी क्षेत्र में यह महसूस करें कि वे साझेदार हैं। लेकिन यह विधेयक मुख्यतः सरकारी क्षेत्र में ही लागू होता है। रेल, परिवहन, हवाई अड्डा, पत्तन, रक्षा, खाद्यान्न, स्वच्छता, पानी की सप्लाई, अस्पताल, बैंक, कोयला, बिजली, इस्पात, उर्वरक, तेल, पेट्रोल, टकसाल और सिक्यूरिटी प्रेस कुछ ऐसे उपक्रम या स्थापनाएं हैं। जिनका उल्लेख इस अधिनियम में किया गया है। इनमें से अधिकांश सरकारी क्षेत्र में है। आप अपने ऊपर इतना भी विश्वास नहीं रखते हैं कि उनके विरुद्ध कठोर कानूनों को लागू किये बिना आप सरकारी क्षेत्र के भी इन मजदूरों का सहयोग प्राप्त कर सकें। मैं समझता हूं कि जहां तक औद्योगिक सम्बन्धों का सम्बन्ध है सातवीं योजना के लिए इसकी सम्भावना बहुत कम है। यदि आप मुद्रास्फीति होने देते हैं और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ने देते हैं और किए जा रहे सुधार

सम्बन्धी उपायों, कम्प्यूटरीकरण, नई प्रौद्योगिकी आदि के कारण लोगों को उनकी नौकरी से हटाया जाएगा तो देश में पहले से विद्यमान बेरोजगारी और बढ़ जाएगी और तब लोग इन बातों को सहज ही सहन नहीं करेंगे। उन्हें अपने अधिकारों, रोजगार के अधिकारों, मजदूरी के अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा और यदि सरकार इस तरह के विधान से उनके अधिकारों को दबाने की कोशिश करेगी तो मेरा विचार है कि इससे काम नहीं चलेगा। इससे यह होगा कि श्रमिक वर्ग आपसे पूरी तरह से विमुख हो जाएगा, वे शत्रु बन जायेंगे। यदि आप उनको शत्रु बना देंगे तो आप उनका वह सहयोग प्राप्त नहीं कर सकेंगे जो वे सरकारी क्षेत्र में देने को तैयार हैं। जहां तक निजी क्षेत्र का सम्बन्ध है, उसकी दूसरी बात है। यह अधिनियम उन निजी नियोजकों को संरक्षण देता है जिन्होंने कई बार तालाबन्दी की है और कारखाने बन्द किए हैं। मंत्री जी शायद कहेंगे और यह बताने के लिए कुछ खण्डों को उद्धृत करेंगे कि यह तालाबन्दी के भी विरुद्ध है मैं जाना चाहता हूं कि इसे कितनी बार लागू किया गया है। 80,000 कारखाने बन्द पड़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगला मद लेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तो अगले दिन मैं अपना भाषण जारी रख सकता हूं। मैं सोमवार को अपना भाषण समाप्त करने के लिए दो मिनट लूंगा।

3.04 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति
चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री डालचन्द्र जैन (दमोह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति के 14 अगस्त, 1985 को सभा में प्रस्तुत किए गए चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 14 अगस्त, 1985 को सभा में प्रस्तुत किए गए चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.05 म० प०

पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 2 अगस्त, 1985 को श्री हरीश रावत द्वारा पेश किए गए संकल्प पर आगे चर्चा करेगी। श्री हरीश रावत अपना भाषण जारी रखें।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : महोदय, योजना मन्त्री जी यहां नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : चिन्ता मत करिए, आप भाषण जारी रखें। संसदीय कार्य मंत्री जी यहां हैं वह इसको बाद में देखेंगे।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष जी, विज्ञान और तकनीक के युग में समय प्रहारी के रूप में हिमालय का महत्व चाहे कुछ घट गया हो, मगर सारे उत्तरी भारत की जलवायु और गंगा-यमुना के मैदान की उर्वरकता को प्रभावित करने का जहां तक सवाल है, उस हिसाब से हिमालयन रीजन के महत्व को घटाकर नहीं देखा जा सकता है और आज यही हिमालय रुग्ण हो रहा है। इसके स्वास्थ्य पर हमें जितना ध्यान देना चाहिए था, उतना ध्यान हम नहीं दे पा रहे हैं। न केवल पहाड़ों के हित में, बल्कि उत्तरी भारत और हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था में हित में हिमालय को स्वस्थ बनाने के लिए एक मल्टी चैनल प्रोजैक्ट अपनाने की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि हमारे देश के योजनाकारों ने आजादी के इतने वर्षों में पहाड़ों के विकास के लिए कुछ काम नहीं किया या इस दिशा में सोचा नहीं गया, ऐसा कहना योजनाकारों के प्रयत्नों को नकारना होगा। योजनाकारों ने सोचा भी, काफी पैसा भी दिया, परन्तु इसका वांछित फल वहां की धरती पर नहीं दिखाई दे रहा है, जितना कि देना चाहिए था। इसके क्या कारण हैं। मेरी नजर में इसके निम्नलिखित कारण हैं—

[अनुवाद]

1. राज्यों के लिए संसाधनों की कमी।
2. विभिन्न कार्यक्रमों के बीच पर्याप्त सम्बन्ध से होना।
3. राज्यों की भावी आयोजना बनाने में कमी।
4. फील्ड स्तर पर वास्तविक रूप से निगरानी का न होना।

3.06 म० प० [श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन के सम्मुख दो चित्रण प्रस्तुत करना चाहूंगा। पहला चित्रण है—पर्वतीय क्षेत्रों की एक आम नारी का जो 95 प्रतिशत महिलाओं के जीवन चित्र का प्रतिनिधित्व करती है। यह महिला प्रातः चार बजे उठकर गाय-भैंसों को घास देना, दूध दुहना, दिन भर के लिए, अपने लिए व घर के अन्य सदस्यों के लिए मोटी रोटियां बनाती है और दो किलोमीटर घर से दूर, घर भर के लिए पानी लाती है। गाय-भैंसों के लिए घास लाकर उनकी खाद के टोकरे को सर पर रखकर औसत तीन साढ़े तीन किलोमीटर दूर खेत में ले जाती है। फिर खेत की गुड़ाई आदि करके घास लेकर घर लौटती है। घर भर के लिए धुंआदार चूल्हे में खाना बनाती है। बर्तन मांज कर 5 किलोमीटर दूर लकड़ी लाने जाती है। घर आकर उखल में धान कूटती है। गाय-भैंसों की देखभाल कर पानी लाती है। रात का खाना तैयार कर कम से कम एक घण्टा हाथ-चक्की में गेहूं आदि का आटा दलती है।

एक माननीय सदस्य : यह तो पहाड़ों की क्या सभी गांवों की हालत है।

श्री हरीश रावत : सर, यदि यह सब गांवों में है, तो इसको दूर करने के लिए माननीय मंत्री जी को और उनकी सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए, यही तो मैं निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा चित्रण मान्यवर एक औसत प्रतिनिधि पुरुष का है। प्रातः उठकर पानी लाना, दूर-दूर छिटके खेतों में जुताई-निराई, मरम्मत का काम करना, फिर दिन भर मजदूरी के लिए औसतन 5 किलोमीटर दूर जाना, शाम को घर लौटते समय लकड़ी आदि लेकर घर आना, फिर पानी लाना, घर के काम-काज में महिला का हाथ बंटाना, यह वही पुरुष है जिसका 10 वर्ष का बच्चा स्कूल छोड़कर शहर में काम करने के लिए चला गया है। यही जीवन क्रम औसत पर्वतीय परिवार का आजादी से पूर्व था व आज भी चला आ रहा है।

मान्यवर, कुछ अन्तर आया है। यह अन्तर सकारात्मक व नकारात्मक दोनों दिशाओं में आया है। यदि आज सड़क, स्कूल व अस्पताल निकट हैं, तो धीरे-धीरे घर-गांव के निकट का जंगल दूर होता गया है, समाप्त होता गया है। पानी के स्रोत सूखते गए हैं। वर्षा पर निर्भर खेती के लिए वर्षा का औसत भी घटा है। आज उसे ईंधन की लकड़ी के लिए, फॉडर के लिए पहले से दूर जाना पड़ रहा है। यही कारण है माननीय मंत्री जी, औसतन 15-16 घंटे काम करने वाले पर्वतीय परिवार की वार्षिक आय में पिछले 35 वर्षों के योजना गत विकास के बावजूद मात्र 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

महोदय, यहां पर माननीय मंत्री जी नहीं हैं, जो मेरी बात को उन तक पहुंचाने वाले हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जब भी मंत्री जी आएं वे कम से कम रिकार्ड को पढ़ लें जिससे मैंने जो कुछ भी कहा है, उसको वे जान सकें, इससे मुझे बड़ा संतोष होगा। आज भी वहां औसतन 15 घंटे काम करने वाले पर्वतीय परिवार की औसत आय में इन 35 सालों में हम 10 प्रतिशत की वृद्धि नहीं कर पाये हैं। महिलाओं की मृत्यु-दर का प्रतिशत भी घटा नहीं है। वहां आज भी एक व्यक्ति को जीने के लिए जितनी औसत कैलोरी की आवश्यकता है उससे 25 प्रतिशत कम मिलता है।

प्लानिंग कमीशन ने गरीबी के जो 3 स्ट्रेटा बनाये हैं, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए, पर्वतीय क्षेत्र में आज भी 35 से 38 प्रतिशत लोग तीसरी श्रेणी, जो सबसे निम्न श्रेणी है, उसमें जीवन-यापन करते हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों की हमारी अर्थ-व्यवस्था के इस समय दो आयाम हैं, एक तो कृषि से सम्बन्धित उद्यम और दूसरा मनिआर्डर। कृषि और उससे सम्बद्ध उद्यम के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी वहां ढलवा खेती वर्षा पर निर्भर और दूर-दूर छिटके खेत, परम्परागत एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट से खेती का तरीका, पुराने बीज, वही खाद डालने का तरीका, इसमें कोई परिवर्तन वर्षों से आज तक नहीं हुआ है और न परिवर्तन लाने की ऐसी कोई समग्र कोशिश हुई है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र का मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। वहां एक कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत है। दो प्रयोगशालाएं, एक प्रान्तीय सरकार की और दूसरी हमारे डिफैन्स एग्रीकल्चर से संबंधित वहां पर कार्यरत हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी यदि आप उनसे यह पूछें कि उन्होंने वहां के खेती के तौर-तरीके में परिवर्तन के लिए हल और दूसरे तरीके के इम्पलीमेंट्स आदि में कुछ काम किया है, कोई माध्यम उन्होंने निकाला है तो उनका उत्तर ना होगा। यदि यह पूछें कि उन्होंने खेती का चक्र बदला है या फसल का चक्र बदला है तो उसका उत्तर भी ना होगा। यदि आप पूछेंगे कि प्रति-एकड़ पैदावार बढ़ी है तो किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में, उत्तरप्रदेश के 6 पर्वतीय जिलों के बारे में मैं कहूंगा कि वहां प्रति-एकड़ पैदावार में एक प्रतिशत भी वृद्धि नहीं हुई है बावजूद 3 इंस्टीट्यूशन वहां होने के।

खेती के साथ हमारा पशु-पालन भी जुड़ा हुआ है। आज भी वहां यही मरियल गाय है जो पावभर दूध देती है, वही भैंस है जो एक किलो से ज्यादा दूध नहीं देती है। किसान के पास मुर्गीपालन, मत्स्य-पालन और दूसरे जो तरीके हो सकते हैं खेती के साथ, जो एलाइड सबजैक्ट्स हैं, उनकी दिशा में भी किसान के रुझान को बढ़ाने वाला कोई काम नहीं हुआ है।

हार्टीकल्चर के क्षेत्र में अंग्रेज के समय जो बगीचे लगे थे, उनकी हालत खतरनाक, शोचनीय और चिन्ताजनक है। नये बगीचे लगाने के नाम पर कृषकों को जो ऋण दिए गए हैं, आज कृषकों से उनकी जो जमीन थी, वह बेचकर उनसे उनकी भरपाई वसूल की जा रही है। बगीचे लगाना तो दूर, अगर किसी ने बगीचे लगाए और सर-सब्ज किया तो उसको आज अपने सेब और नारंगी को बेचने के लिए मार्केट नहीं मिल पाता है। सरकार की कोई एजेंसी काम नहीं कर रही है। उसके प्रोड्क्ट्स के

यूज के लिए वहां कोई लोकल इंडस्ट्री डैवलप नहीं कर पाई है जिसमें सेब का जाम बन सके या नारंगी का जूस इत्यादि निकालकर उसका उपयोग हो सके।

आलू यदि कहीं पैदा होता है तो उसको रखने के लिये शीतगृहों आदि की स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। क्योंकि रेल हैड दूर है, मार्केट में ले नहीं जा सकता है। अगर ले जाता है तो मार्केट में उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है। हमारे दोस्त रामगढ़ की फैक्टरी का जिक्र कर रहे थे। वह फैक्टरी ऐसी है जो सालभर में केवल 10 दिन चलती है और कितना घाटा उठाकर चलती है, वह शायद मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हों तो वहां के कृषि मन्त्री से पत्र लिखकर जानकारी ले लें कि फैक्टरी किस तरह काम कर रही है।

सिल्वीकल्चर और मेरी कल्चर के क्षेत्र में जो कुछ पहले हुआ था, शुरू-शुरू में, यह भी नीचे की तरफ जा रहा है।

परम्परागत चाय के बागान भी धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं। उनकी देखभाल की दिशा में कोई काम नहीं हो पाया है।

मैं योजना मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के एक-एक परिसर, एक-एक कैम्पस गढ़वाल और कुमायूं में होने चाहिए जो कि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन, वहां के टेरीन, को देखकर रिसर्च और डैवलपमैंट एक्सटेंशन का काम करें और वहां की एटोनामी को बढ़ाने में सहयोग दें।

वहां खेत की चकबंदी की जानी बहुत जरूरी है। वहां के खेत इतने दूर-दूर तक छिटके हुए होते हैं कि कोई भी कितना ही सक्षम किसान क्यों न हो, वह उस खेत से अपनी आवश्यकता के अनुरूप पैदावार नहीं ले सकता है। जो चकबन्दी से प्रभावी परिवार हों, उनको मकान, डीजल और खेती के विकास के निदान और दीर्घकालीन ऋण दिलाने का काम सरकार को करना चाहिए। बागवानी चाय बागान मेरीकल्चर और हर्ब्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार को व्यापक योजना बनानी चाहिए और साथ-साथ इसकी मार्किटिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। उत्तरप्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में टम्परेट फूड्स के बहुत स्कोप हैं। वह वहां इतना फल पैदा कर सकते हैं कि उनके लिए दुनिया में मार्किट की कमी नहीं हैं। अरब कंट्री में बहुत बड़ी मार्किट मिल सकती है और उससे विदेशी मुद्रा मिल सकती है, लेकिन अच्छा टैम्परेट फ्रूट उपलब्ध हो, इसके लिए हमारे देश में रिसर्च की व्यवस्था नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में टैम्परेट फ्रूट के डैवलमेंट के लिए कोई रिसर्च इंस्टीच्यूट स्थापित होना चाहिए।

आपकी फलों की जो बीमा योजना है उसको परव्यू से बाहर रखा है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि तिलहन को तो बीमा योजना में रखा है, लेकिन फल को शामिल नहीं किया है। ऐसा लगता है कि फलों के पक्ष में एग्रीकल्चर और फाइनांस मिनिस्ट्री में कोई लॉबी न होने के कारण और उसका महत्व न समझने के कारण इसको अलग रखा गया है।

पशुपालन के क्षेत्र में चल रहे कार्यक्रमों के लिए आई० आर० डी० पी०, फलड टू कार्यक्रम और बैंकों द्वारा विभिन्न प्रकार की ऋण योजनायें चलायी जा रही है ताकि लोगों को अच्छे किस्म के दुधारू पशु, मुर्गी पालन, भेड़ पालन और मत्स्य पालन के लिए सुविधाएं मिल सकें। इसके साथ मार्किटिंग की सुविधा को ठीक तरीके से डैवलप किया जाना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों की जो एग्रोनमी है वह वनों और वन नीति के साथ जुड़ी हुई है। आज ज्यों-ज्यों जनसंख्या का प्रसार हो रहा है वह एक तो गरीबी के कारण ही हो रहा है।

आज हमारी वन नीति भी ठीक नहीं है। पहाड़ों से धीरे-धीरे वन समाप्त हो रहे हैं और लोगों में यह धारणा फैल गई है कि इकोलोजिकल प्रोटेक्शन की बात वहां के लोगों के लिए नहीं की जाती है बल्कि वहां के लोगों से आज सरकार इकोलोजिकल का प्रिजर्व कराना चाहती है। मैं मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस दिशा में अवश्य विचार करें और यह कहने की कृपा करें कि पर्वतीय क्षेत्र में आपने जो पैसा दिया है, उससे जो सड़कें बनी हैं, वह कैसे बनी हैं? मैं आपको एक उदाहरण दूं जिस प्रकार की यह हमारी बैंच है, यह बीच का पोर्शन कट गया, बीच के पोर्शन में पेड़ आ गया, फिर उसे छोड़ दिया। वह सड़कें किसी के उपयोग के लायक नहीं बन पाई हैं। पैसा उसमें खर्च हुआ है, लेकिन पर्यावरण को बचाने की दिशा में कोई सार्थक उपयोग नहीं हो पा रहा है। इससे लोगों में नाराजगी आ रही है। एक पुल मैंने अपनी आंख से देखा है जिसका एक्टमैंट बन गया, दूसरा इसलिए नहीं बन पा रहा क्यों उसको बनाने के लिए भारत सरकार की अनुमति जरूरी है क्योंकि वह वन भूमि में है, कोई पेड़ नहीं कटना है, लेकिन नाम वन भूमि रखा गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताऊं कि पर्वतीय क्षेत्र में 75 प्रतिशत ऐसी जमीन है जहां आरक्षित वन हैं, यदि उसमें किसी प्रकार का निर्माण कार्य करना है तो उसके लिए भारत सरकार की अनुमति लेना लोगों के लिए जरूरी हो रहा है। लोगों ने अपने पंचायती वन जिसको कि लोगों ने खुद बनाया है, उसको अपनी भूमि के अन्दर बनाया है। उसकी लकड़ी का एक टुकड़ा काटना है तो उसके लिए भारत सरकार की अनुमति लेनी जरूरी है। मैंने देखा है कि शमशानघाट में लोगों ने आधे-आधे मुर्दों को जलाकर छोड़ दिया है। इधर हम कहते हैं कि वनों का संरक्षण करना चाहिए, लेकिन उसका संरक्षण लोगों को नाराज करके नहीं किया जाता है। हमारी जो वन नीति है उसमें वैज्ञानिक दोहन के नाम पर लीसा लगा रहे हैं और कमर्शियल यूज के लिए राज्य सरकार टिम्बर को एक्सैप्ट नहीं कर रही है, उसको आप नहीं रोक रहे हैं। आप सिविल फौरेस्टी के अन्दर बन लगा रहे हैं। वहां पर आप रेशेदार चीड़ के वन लगा रहे हैं। यदि एक पेड़ चौड़ी पत्ती का लगा रहता है तो 100 पेड़ चीड़ का लगा रहे हैं। वनीकरण का उद्देश्य ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं है। फ्यरल, फाडर, इम्पलीमेंट्स या लोकल इण्डस्ट्री की पूर्ति नहीं है, बल्कि केवल कामर्शियल यूज के लिए राज्यों के कोष को भरने के लिए आप सिविल फारेस्ट्री, वनीकरण कर रहे हैं। मास पार्टिसिपेशन के बजाय केवल गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेशन की बात को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोगों को उसके साथ मिलाकर जोड़ा नहीं जा रहा है। इस स्थिति को बदलने के लिए जब तक कारगर कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक न तो एकोलाजी ही प्रिजर्व हो पाएगी न स्थानीय लोगों के हित ही संगठित हो पाएंगे।

मेरा निवेदन है कि वन संरक्षण अधिनितम का प्रभाव मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के तहत चल रही सड़क विद्युत सिंचाई पेय-जल आदि की योजनाओं पर नहीं पड़ना चाहिए। सोशल फारेस्ट्री के अन्तर्गत वनीकरण की व्यापक दीर्घकालीन योजना बनाई जाए एवं एक कानून द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्मित वनों का स्वामित्व स्थानीय लोगों को सौंपा जाय और उनको यह बता दिया जाए कि इन वनों पर तुम्हारा प्रभुत्व रहेगा। यदि उनको यह बता देंगे तो यकीन मानिए जितने प्रतिशत जमीन पर आप वन लगाना चाहेंगे उतने प्रतिशत पर वन लगेंगे।

यदि मेरे पास समय होता तो मैं आपको बताता कि 1918 से लेकर आज तक बल्कि पर्वतीय क्षेत्र में देश की स्वतन्त्रता के आन्दोलन के साथ भी वनों का इतिहास जुड़ा हुआ है। जब भी अंग्रेज सरकार ने वनों पर स्थानीय लोगों के राइट्स के साथ इण्टरफेयर करना चाहा तो स्थानीय लोगों ने उठकर के अंग्रेज सरकार का प्रतिवाद किया, उनसे लड़ाई की। आज वहीं के लोगों के दिमाग में हमने यह भावना भर दी है कि आपके वनों को हम छीन लेंगे, ये हमारी प्रापर्टी हो जाएंगे, या सरकार की प्रापर्टी

हो जाएंगे। यह यकीन करिए कि सरकार की चीज बचती नहीं है, बचती वही चीज है जिसको वे लोग बचाना चाहते हैं।

वनीकरण का आधार वैज्ञानिक होना चाहिए और आप उसकी शिक्षा भी लोगों को दें। आप के पास जितने प्रचार और प्रसार के माध्यम हैं उनका उपयोग नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने चाहिए थे, वन-विज्ञान केन्द्र खोलने चाहिए थे जहां इन लोगों को भी शिक्षित करते। उनको आज आप शिक्षित नहीं कर रहे हैं। जो अनौपचारिक केन्द्र हैं उनके जरिए से शिक्षा दी जा सकती है। वहां पर भी शिक्षा देने की कोशिश नहीं की जा रही है। जहां इन चीजों पर आप ध्यान दें वहां महिलाओं और हरिजनों के पर्यावरण रक्षक दल तैयार किए जाएं। वह यदि आप बनाएंगे तो लोग आगे आकर शिक्षा लेंगे और आपकी नीति को साकार करने में सहयोग देने की कोशिश करेंगे।

एक और बिन्दु की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह यह है कि क्योंकि वन राज्यों के साथ हैं, चाहे आप उनको कान्करेंट लिस्ट में ले आए हैं लेकिन उसके बावजूद वन राज्यों के लिए आय के स्रोत बने हुए हैं। जब तक राज्यों की इनकम में वनों के कटान पर रोक लगाने से उनको जो नुकसान होता है उसकी आप भरपाई नहीं करेंगे तब तक आप राज्यों को वनों के कटान से रोक नहीं सकेंगे। मेरा निवेदन है कि जिस राज्य में जितना वन हो और जितना पर्वतीय क्षेत्रों के वनों के दोहन से कमा रहे हों उसकी आप क्षति पूर्ति करने की कृपा करें।

एन० आर० ई० पी०, डी० पी० ए० पी०, भूमि संरक्षण कैचमेंट एरिया प्रोग्राम आदि को समन्वित रूप दे करके माइक्रो कैचमेंट तक भूमि संरक्षण और वनीकरण के काम को ले जाने की जरूरत है।

उपलब्ध पानी और भूमि की क्षमता और उपयोग की एक वैज्ञानिक योजना बनानी चाहिए जिसको सामाजिक वानिकी के साथ जोड़ कर उसका प्रबन्ध ग्रामीण लोगों के हाथ में देना चाहिए।

नदी घाटी की योजना के लिए विभिन्न एजेंसियां हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है। वर्ल्ड बैंक से और दूसरी एजेंसियों से भी इस दिशा में काम लेने की आवश्यकता है।

जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं उनका प्रसार जब तक पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं करेंगे तब तक यदि आप हम लोगों से कहते हैं कि ये जंगल तो तुम्हारे हैं इनको कम से कम काटो तो वह उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लोग कहते हैं कि यदि हम जंगल की लकड़ी न काटें तो हम अपना चूल्हा कैसे जलाएं। तो कम से कम इस दृष्टिकोण से जब तक सोशल फारेस्ट्री के अन्तर्गत हम उनके फुयुएल, फाडर की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते तब तक कोई न कोई विकल्प हमें उनको उपलब्ध कराना होगा और वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के प्रसार पर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, मैंने परसों एक प्रश्न के रूप में साइंस और टेक्नालाजी से सम्बन्धित मन्त्री महोदय का ध्यान आकृष्ट किया था और आज फिर करना चाहूंगा कि हिमालयन रीजन के लिए एक अलग एजेंसी बनानी चाहिए जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों के विकास का काम करें। वनों को जब तक आप पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक लोग नहीं समझेंगे कि वनों से सौन्दर्य बढ़ता है और वनों से इनकम बढ़ती है। तब तक लोग वनों के संवर्धन के प्रति आकर्षित नहीं हो सकते। तो आपसे मेरा निवेदन है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सारे ट्रैकिंग रूट्स हैं, ग्लैशियर्स हैं, जहां पर आप नये-नये टूरिस्ट ग्रोथ सेन्टर्स खोल सकते हैं। पहले उनको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण के साथ-साथ, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके दोहन में दोनों का समन्वय होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में नेचुरल

रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। वहां पर हाइडल रिसोर्सेज तो इतने हैं लेकिन उनका दोहन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पिठौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी—ये तीन जिले ही इतनी जल-विद्युत पैदा कर सकते हैं जिससे पूरे उत्तर प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है लेकिन अभी तक वहां पर जल-विद्युत की क्षमता का दोहन नाम-मात्र ही हुआ है। वहां पर छोटे-छोटे माइक्रो-हाइडल योजनाएं बहुत कम पैसे में बनाई जा सकती हैं लेकिन पांच साल में मैं केवल एक ही माइक्रो-हाइडल स्कीम को स्वीकृत करवा पाया और उसका कार्य भी अभी प्रारम्भिक स्तर पर है। (**व्यवधान**)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि पर्वतीय क्षेत्रों में एग्रोनामी के अलावा मनी-आर्डर एकोनामी है जोकि कंजम्शन ओरिएन्टेड है, इन्वेस्टमेंट ओरिएन्टेड नहीं है। उसको अगर इन्वेस्टमेंट ओरिएन्टेड बनाना है तो उसके लिए आवश्यक है पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों का विकास करने का प्रयास किया जाए। इसके लिए हैण्डलूम व सघन हथकरघा विकास योजनाएं बनाई जानी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एलेक्ट्रानिक्स उद्योगों, विशेषकर असेम्बली यूनिट्स के लिए आरक्षण किया जाना चाहिए। साथ ही स्थानीय दस्तकारी को प्रोत्साहन देने की के० वी० आई० सी० की योजना बनानी चाहिए।

सभापति महोदय, वर्तमान जो छूटें आदि हैं उनको आपको व्यावहारिक तथा तर्कसंगत बनाना चाहिए ताकि उसका फायदा केवल रेल-हेडस को ही ज्यादा न मिले। आप उत्तर प्रदेश की योजना को फाइनलाइज करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 8 पर्वतीय जिले हैं उनके इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आपने छूटें दे रखी हैं—आप इन्वेस्टमेंट सब्सीडी देते हैं, ट्रांसपोर्ट-सब्सीडी देते है, घटी हुई दर पर बिजली उपलब्ध कराते हैं और 24 घंटे बिजली देते हैं—यह बहुत अच्छी बात है लेकिन उसका प्रभाव यह है एक रेल हेडपर जो जिले हैं, जैसे नैनीताल का जिला और देहरादून का जिला, वे इण्डस्ट्रियली इतने डेवलप हो गए है कि इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बीच में वहां पर एक प्रकार के तनाव की शुरुआत हो गई है। यदि आप रेल-हेड के जिले को जो सुविधा देंगे वही सुविधा चमोली या रेल हेड से तीन सौ किलोमीटर दूरी जो दूसरे पर्वतीय जिले हैं, उनको भी देंगे, वही इन्वेस्टमेंट सब्सीडी उनको भी मिलेगी तो कोई भी उद्यमी चमोली, उत्तरकाशी और पिठौरागढ़ में अपने उद्योग स्थापित करना नहीं चाहेगा। वह तो अपने उद्योग नैनीताल और देहरादून में ही लगायेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जब उत्तर प्रदेश की योजना फाइनलाइज कर रहे हैं तो कम से कम आप उत्तर प्रदेश की सरकार से कहें कि यदि इन 6 पर्वतीय जिलों का भी उद्योगीकरण आप करना चाहते हैं, यदि वहां भी आप आंतरिक रीजनल इंबैलेन्स को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि इन 6 पर्वतीय जिलों को सरकार अपनी ओर से 10-15 परसेन्ट इन्वेस्टमेंट सब्सीडी बढ़ाए। ऐसा करने से ही वहां की मनी-आर्डर एकोनामी में किसी प्रकार का परिवर्तन आ सकेगा।

मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत चलने वाली शिक्षा, रूरल हैल्थ, पेय-जल, विद्युत-गृहों का निर्माण, कुटीर-उद्योगों आदि का विकास इन सभी चीजों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन यह है कि आपने जो माप-दण्ड बना रखा है वह जनसंख्या के आधार पर है, भौगोलिक दिक्कतों को उसमें ध्यान में नहीं रखा गया है। जनसंख्या प्लस टेरेन का आधार बनाने का लाभ जो है वह पर्वतीय क्षेत्रों के साथ सम्बद्ध जो मैदानी क्षेत्र है, उनको ज्यादा मिल रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि देहरादून जैसे जिले के एक-एक ब्लाक में दस-दस एस० ए० सी० खुल गए हैं जबकि उत्तर प्रदेश के दूरस्थ पर्वतीय अंचलों, जैसे पिठौरागढ़ जनपद में 25-30 किलोमीटर दूर स्वास्थ्य के लिए, दवा लेने के लिए अस्पतालों में जाना पड़ता है। वहां स्कूल नहीं हैं, वहां स्कूलों का सैचूरेशन हो गया है। नैनीताल जनपद में रोड्स का सैचूरेशन हो गया है। कहीं भी जाने के लिए 30-35 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्रों के रेल विकास के लिए

मन्त्रालय को ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ रोड़ डेवलपमेंट के लिए काम करने और वायुदूज को आपने केवल डवेलप्ड सैक्टर के लिए रखा है, वहीं पर उनका प्रसार हो रहा है। दूरस्त पर्वतीय क्षेत्रों जिनके लिए घोषित किया गया था कि उनको लिंक किया जाएगा, लेकिन उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। हैलीकाप्टर सेवा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए चलनी चाहिए। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में हैलीकाप्टर की सेवा है, लेकिन हमारे यहां हैलीकाप्टर सेवा न होने के कारण वहां के लोगों और उद्यमियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

एक बात मैं संचार के मामले में भी कहना चाहूंगा। पोस्टल और टेलीकाम्यूनिकेशन के क्षेत्र में नार्म्स स्थापित किए गए हैं, उनको रिलैक्स करने की जरूरत है। टी० वी० कवरेज और रेडियो के लिए भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इनको वहां की जनसंख्या के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए, बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों के क्षेत्रफल के हिसाब से कार्य करने की आवश्यकता है। इसी आधार पर बैंक और प्रशासनिक इन्स्टीचूशन्स को भी स्थापित करने की जरूरत है।

महोदय, इन क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन व निराकरण के लिए आवश्यक है कि इस क्षेत्र में कहीं कोई ऐसा ओटानाम्स माउन्टेन रिसर्च इन्स्टीच्यूट स्थापित हो, जहां इन समस्याओं का वैज्ञानिक सूक्ष्म अध्ययन हो। टैक्नालाजी, मेडिकल, इन्जीनियरिंग, वैटनरी व एग्रीकल्चर विज्ञान का यहां की परिस्थितियों में उपयोग को सम्भव बनाने में इस इन्स्टीच्यूट का व्यापक नेटवर्क सारे सीजन में स्थापित किया जाए। इनके माध्यम से समस्त रीजन की व्यापक प्लान्टस व रिर्सोस सर्वे की जाए। यहां रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं जैसे इनर्जी, फूड, कपड़े, आवास, पशु, शिक्षा-दीक्षा का अध्ययन करे। यहां की क्लाइमेटिक कन्डीशन्स व मेडिकल रिक्वायरमेंट का अध्ययन किया जाए। यहां की कला व संस्कृति के संरक्षण व विकास की आवश्यकताओं का अध्ययन व आधुनिक टैक्नालाजी व विज्ञान के प्रभाव के साथ इनके संवर्धन के लिए कार्य करे। यह स्टैटिसटिक डाटा-क्लैक्शन विनिमय कार्य करे।

महोदय, हिमालय की हिमालय सरीखी समस्याओं व आवश्यकताओं के निदान के लिए राज्यों के पास स्रोतों की कमी है। अतः मेरा निवेदन है कि पहाड़ों के विकास का शत-प्रतिशत भार केन्द्रीय सरकार को उठाना चाहिए। प्रत्येक सम्बद्ध केन्द्रीय मन्त्रालय में एक डिपार्टमेंट आफ माउन्टेन डवेलपमेंट होना, जिसके पास पहाड़ों क्षेत्रफल के अनुरूप धनराशि विकास कार्यों के लिए पृथक से आरक्षित हो। उन पर्वतीय क्षेत्रों, जो किसी राज्य के अंग हैं, एक प्रथक योजना योजना आयोग को बनानी चाहिए। केन्द्रीय योजना आयोग में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक सदस्य की नियुक्ति की जाए, जो पर्वतीय क्षेत्रों के आयामों, जैसे :

[अनुवाद]

(क) सूक्ष्म स्तरीय अपवाद क्षेत्रोन्मुख वैज्ञानिक आयोजना माइक्रो लेवल कैचमेंट ओरियन्टेड साइन्टिफिक (प्लानिंग)

(ख) स्थानीय संसाधनों का विकास, उचित मानव शक्ति आयोजना और स्थानीय प्रतिभा का उपयोग।

(ग) योजना कार्यान्वयन।

(घ) निगरानी और मूल्यांकन।

(ङ) सभी लोगों को लाभ न कि प्रतिष्ठित वर्ग के।

(च) समाज में उपभोग के स्थान पर निवेश करने के लिए परिवर्तन।

[हिन्दी]

जी-इन्टर रीजन डिसपैरिटीज का अध्ययन कर गैप को भरने के लिए रिसोर्स उपलब्ध करवाए।

इन शब्दों के साथ मैं सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्रों को पर्वतीय क्षेत्र के रूप में न देखें। पर्वतीय क्षेत्र, जैसा मैंने शुरू में कहा सारे देश की इकानामी, सारे देश की जलवायु, सारे देश का संतुलन जुड़ा हुआ है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों के लिए चाहे जितने धन की आवश्यकता हो, उसको उपलब्ध करवाने के लिए प्लानिंग कमीशन पर दबाव डाला जाना चाहिए। क्योंकि जब पर्वतीय क्षेत्र विकसित होंगे, पर्वतीय क्षेत्र की इकालाजी प्रीजर्व होगी, तो उससे हमारे देश की प्रगति होगी।

[अनुवाद]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प में,—

(एक) "उनके विकास का समूचा" **के स्थान पर**—

"तथा सम्बन्धित राज्य सरकारें उनके विकास क्रमशः 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत" **प्रतिस्थापित किया जाए** ;

(दो) भाग (क) में,—

"मन्त्रालयों में" **के पश्चात्** "विशेषकर, प्रधान मन्त्री के कार्यालय में" **अन्तःस्थापित किया जाये**।

[हिन्दी]

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : सभापति महोदय, रावत जी जो प्रस्ताव लाए हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। उन्होंने ठीक ही कहा है कि देश के आजाद होने के बाद से अभी तक पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसी कारण आज हमारे पहाड़ी क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। उनकी बहुत सी विशिष्ट समस्यायें हैं तथा ये समस्यायें मैदानी क्षेत्रों से अलग हैं। जब तक देश में एक साथ सभी क्षेत्रों का समन्वित विकास नहीं होगा, तब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने बहुत सोच-समझ कर पहाड़ी क्षेत्रों और सीमावर्ती इलाकों को अपने स्वार्थ के लिए पिछड़ा रखा, उनका कोई विकास नहीं किया तथा न विकास होने दिया। उन्होंने इन पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले भोले-भाले पहाड़वासियों को अपना किराये का टट्टू बनाकर रखा, औपनिवेशवादी सत्ता को बनाए रखने के लिए, दूसरे देशों की आजादी की लड़ाई को कुचलने के लिए, उनका इस्तेमाल किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश के मूल स्रोत से उन लोगों को अलग रखा, शिक्षा से अलग रखा, विकास कार्यों से अलग रखा और आगे नहीं बढ़ने दिया। पहाड़ी क्षेत्रों को विशेषकर सीमावर्ती पहाड़ी इलाकों को "एक्सक्लूडेड" अथवा "पार्शियली एक्सक्लूडेड" एरियाज घोषित करके इन इलाकों को अलग रखा, आजादी की लड़ाई से अलग रखा, अग्रसर होने नहीं दिया, विकसित होने का मौका नहीं दिया।

मेरा यह कटु अनुभव है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मेरे अपने क्षेत्र दार्जिलिंग और मेरे पड़ोसी पहाड़ी क्षेत्रों की आज जो स्थिति है वह इसी का उदाहरण है। सारा उत्तर पूर्वांचल और उससे जुड़े हुए पहाड़ी क्षेत्रों में पिछड़ापन, अशिक्षा, अनाहार, बेरोजगारी, कल-कारखाने और

उद्योग-धन्धों का अभाव व्याप्त है, जिससे उनके अन्दर हताशा, निराशा आ गई है और प्रतिक्रियावादी शक्तियां, विछिन्नवादी शक्तियां इसका समूचा लाभ उठा कर उनको गुमराह कर रही हैं तथा देश की अखण्डता और सार्वभौमता को चुनौती दे रही हैं। हमारे सामने इसका ज्वलंत उदाहरण है।

मैंने शुरू में ही कहा था, अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में, सीमावर्ती इलाकों के बारे में हमारी सरकार का भी वही रवैया रहा, वही नीति रही, उनकी समस्याओं के बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए यदि देश को मजबूत करना है, देश के सभी क्षेत्रों में सम-विकास लाना है तो आज समय का तकाजा है कि आप कुछ ठोस कदम उठायें। माननीय रावत जी ने ठीक ही कहा है कि यदि पहाड़ी क्षेत्रों की पर्वत समान समस्याओं का हल करना है तो केन्द्रीय सरकार को अग्रसर होना पड़ेगा, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास का समूचा खर्च वहन करना होगा, क्योंकि इतना खर्च कोई भी राज्य सरकार वहन नहीं कर सकती है। केन्द्रीय सरकार पहाड़ी क्षेत्रों के विकास परिषदों को कुछ धनराशि अनुदान के रूप में देती है, लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त कौन से सैक्टर में कितना खर्च करना है, इसका निर्णय केन्द्रीय सरकार के योजना कमीशन को ही करना है और वास्तविकता यह है कि कहां पर कितना और किस मद में खर्च होना चाहिए योजना कमीशन का ध्यान उस ओर नहीं जाता है। जिसके कारण भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार विकास की रूपरेखा तैयार करना मुश्किल हो जाता है। जैसे आप दार्जलिंग के क्षेत्र को देखिए, वहां के पर्वतीय विकास परिषद को जो धनराशि दी जाती है, उसमें से ज्यादा अनुदान कृषि के लिए रखा जाता है। लेकिन कुछ···पहाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पर कृषि का ज्यादा विकास करने की संभावना नहीं है क्योंकि वहां की मिट्टी और जमीन मैदानी क्षेत्रों से बहुत अलग है, भिन्न है। इसलिए केवल कृषि पर ही बहुत ज्यादा जोर देने से नहीं चलेगा जो विशिष्ट समस्या है, उस पर आपको गौर करना है। पहाड़ी क्षेत्रों का भौगोलिक गठन ऐसा है कि वहां पर व्यापक खेती नहीं की जा सकती है। बहुत से इलाकों में आने जाने और यान वाहन चलाने के रास्ते नहीं हैं और वहां के लोग हर समय बाहरी दुनिया से कटे रहते हैं विच्छिन्न रहते हैं। विकास के साधन उनके यहां नहीं पहुंच सकते। जब तक रास्ते नहीं होंगे, दूर दूर इलाकों में लोग नहीं जा सकते। कृषि का विकास यदि इन अंचलों में हुआ भी, तो यातायात और यान वाहन के अभाव में वहां उत्पादित कृषि द्रव्य बाजार में नहीं पहुंचते और उनको अपने द्रव्य का मुनासिब दाम नहीं मिलता है। इन इलाकों में डाक-तार और दवाई और पानी कुछ भी नहीं पहुंच सकता है। बाहर से कोई नहीं जा सकता है। इंजीनियर नहीं जा सकता, डाक्टर नहीं जा सकता और वहां कोई नहीं पहुंच सकता है। इसलिए जब तक रोड और कम्युनिकेशन का बन्दोबस्त नहीं होगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ओवरआल डेवलपमेंट के लिए यह प्रायर कंडीशन है कि रास्तों का निर्माण हो और यातायात तथा यान वाहन का विकास हो। हमारी सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा।

पहाड़ी क्षेत्रों में बेकारी की समस्या बढ़ रही और गंभीर से गंभीर होती जा रही है। उसको हल करने के लिए वहां पर बहुत से लघु और गृह उद्योगों की स्थापना करना जरूरी है। भारी उद्योग वहां नहीं बसाए जा सकते हैं। इसके लिए विशेष अनुदान देने की आवश्यकता है। पहाड़ी क्षेत्रों के सामग्रिक पिछड़ेपन को हटाने के लिए केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वहां के सामग्रिक विकास के लिए विशेष पूंजी नियोग की व्यवस्था करे ताकि रोजगार बढ़ सकें, बेकारों को काम मिले और शिक्षा का प्रसार हो।

एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि वहां की जलवायु में इलेक्ट्रोनिक्स, घड़ी तथा टेलीविजन और रेडियो का पुर्जा जोड़ने का यूनिट वहां पर अच्छी तरह से चलोया जा सकता है। इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

गाय तथा पशु पालन, मधु मक्खी पालन, रेशम के कीड़े और धागे निकालने की रीलिंग वहां पर अच्छी तरह से चल सकती है। इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

वहां पर तीव्र गति से बहने वाली नदियां, झरनों में सब समय पानी उपलब्ध होता है। इससे अनेकों माइक्रो मिनी हाइडल प्रोजेक्ट तैयार करके बिजली शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है। इससे लोगों को बिजली मिल सकेगी और लघु और गृह उद्योग चलाए जा सकेंगे और बहुत से दूसरे काम किए जा सकेंगे।

वहां पर चाय बागानों के विकास, वन, जंगल का विकास, पर्यटन का विकास और बहुत से विकास की सम्भावनाएं हैं। इसकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मिट्टी की ऊपरी तह शेष हो रही है, उर्वरता नष्ट हो रही है। इसको रोकने का बन्दोबस्त करना चाहिए।

मुझे उम्मीद है कि केन्द्रीय सरकार पहाड़ी क्षेत्रों की इन समस्याओं को समझेगी और समाधान करने के लिए उचित कदम उठाएगी।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री सुखराम (मंडी) : सभापति महोदय, संकल्प का प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति प्रशंसा का भाग है क्योंकि उसने जो विषय चुना है, वह न केवल पहाड़ी इलाकों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि देश के शेष भागों के लोगों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पूरी सभा जानती है कि शताब्दियों से हिमालय उपेक्षित रहा है। सर्वप्रथम प्रकृति प्रेमी पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पहली बार हिमालय में उपलब्ध सम्भावनाओं को जान सके। उपलब्ध इसकी सभी अन्तःशक्तियों ने उनका ध्यान आकर्षित किया था और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से इसका विकास आरम्भ हुआ। स्वर्गीया प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी हिमालय के क्षेत्र में स्थित राज्यों के विकास में पर्याप्त योगदान दिया था। स्वतन्त्रता से पूर्व हिमालय को भारत का प्रहरी मात्र समझा जाता था और इसके विकास के लिए कोई काम नहीं किया गया। आज भी हिमालय के अन्तःवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मोटर गाड़ियों के बारे में नहीं जानते क्योंकि वे स्थान दुर्गम हैं।

हम लोग योजना आयोग से यह अनुरोध करते रहे हैं कि मैदानी तथा पहाड़ी इलाकों के लिए एक ही मानक लागू नहीं हो सकता। यह बड़े दुःख का विषय है कि योजना आयोग से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, उसने पहाड़ी इलाकों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है जिसके परिणाम स्वरूप पहाड़ी क्षेत्र अभी तक पिछड़े हुए हैं और देश के अन्य भागों में जो आधुनिकीकरण हुआ, उससे वे अछूते रह गए हैं। यही कारण है कि वहां आज भी कृषि कार्य पुराने ढंग से किया जाता है और योजना आयोग ने स्वर्गीया प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के हस्तक्षेप करने पर पहाड़ी इलाकों के लिए एक कक्ष बनाया मैं योजना आयोग का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले हम लोगों की समस्यायें कुछ भिन्न हैं। योजना आयोग को पहाड़ी क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार वहां की योजना बनानी होगी।

महोदय, पहाड़ी क्षेत्रों की प्रथम प्राथमिकता कृषि नहीं है, और योजना आयोग की कृषि को मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : सभापति महोदय, वहां से विरोधी पक्ष का कोई भी माननीय सदस्य नहीं है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : क्या वहां किसी हवाई जहाज का अपहरण हुआ है ?

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : उन्हें पहाड़ी क्षेत्र में कोई रुचि नहीं है।

श्री सुखराम : मैं यह बात पुनः दोहराता हूं कि मैदानी इलाकों में कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमारे अधिकांश क्षेत्र परिवहन समस्या के कारण आप लोगों की पहुंच से बाहर हैं और इसीलिए ये क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। योजना बनाने वालों को तथा अन्य माननीय सदस्यों को यह बात याद रखनी चाहिए कि देश के अन्य भागों का हिमालय से सहज सम्बन्ध है। और हिमालय के क्षेत्र में स्थित राज्यों के विकास के लिए वित्तीय परिव्यय मैदान के राज्यों की आवश्यकता के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र की आवश्यकता के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसी समस्यायें हैं जिनका अनुभव न केवल पहाड़ी लोग ही कर रहे अपितु सारे देश के लोग कर रहे हैं।

उदाहरण के तौर पर, वहां भू-स्खलन बहुत अधिक होता है। भूक्षरण की समस्या केवल पहाड़ी इलाकों की समस्या नहीं है अपितु पूरे देश की है। पन बिजली उत्पादन के लिए बनाए गए बड़े-बड़े बांधों में समय से पूर्व ही गाद भर गई थी जिसके कारण बिजली के उत्पादन में गिरावट आई है। यह हानि केवल पहाड़ी लोगों की हानि नहीं है अपितु पूरे देश की हानि है। मैं योजना आयोग को सुझाव देता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूसंरक्षण के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जायें और इस पर आने वाला व्यय भारत सरकार तथा वे राज्य वहन करें जिन राज्यों को इससे लाभ पहुंचता हो।

पहाड़ी इलाकों में संचार समस्या बनी हुई हैं। सड़कों के अभाव में विकास कार्य अपेक्षित गति पूरे नहीं किए जा सके हैं। इसके अलावा मैदानी इलाकों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मानदण्ड पहाड़ी इलाकों पर लागू नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सड़क निर्माण को लिया जा सकता है। पथरीले इलाकों में एक कि०मी० सड़क के निर्माण पर 5 से 10 लाख रुपये तक खर्च होते हैं जबकि मैदानी इलाकों में एक लाख रुपया पर्याप्त होता है। इसलिए योजना के लिए राशि का नियतन वास्तविक लक्ष्यों के अनुरूप किया जाना चाहिए। पहले वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए और इसके बाद योजना के लिए राशि नियतन किया जाना चाहिए। जहां तक कृषि का सम्बन्ध है ; पहाड़ी इलाकों के लिए उसकी कोई प्राथमिकता नहीं है। पहाड़ी इलाकों, विशेषकर हिमालय के क्षेत्र में मुश्किल से कुल पांच प्रतिशत भूमि में कृषि होती है। हिमालय के क्षेत्र की जलवायु नकदी फसल के अनुकूल है, जैसे बीज वाले आलू, बेमौसम की सब्जियां, खुबली, तिलहन और अन्य अनेक नकदी फसलें। इसलिए नकदी फसलों के उत्पादन को प्राथमिक दी जानी चाहिए। इससे न केवल पहाड़ी इलाके के लोगों को लाभ होगा बल्कि सारे देश को लाभ होगा।

वहां प्राकृतिक संसाधन है। यदि प्राकृतिक संसाधनों का ठीक ढंग से विदोहन किया जाय तो उससे न केवल पहाड़ी इलाके के लोग लाभान्वित होंगे अपितु सारा देश खुशहाल हो जाएगा। हिमालय के क्षेत्र में स्थित राज्यों में जल विद्युत उत्पादन की क्षमता पर्याप्त मात्रा में है। किन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अब तक कुल मिलाकर जितनी बिजली का उत्पादन किया गया है, उसमें केवल एक चौथाई बिजली पन-बिजली है तथा शेष तापीय विद्युत है। जल बिजली का उत्पादन न करने के दो प्रमुख कारण है। एक कारण है कि इसमें धन अधिक व्यय होता है और दूसरा कारण यह है कि उसे पूरा करने में अधिक समय लगता है। लेकिन आधुनिक प्रौद्योगिकी ने इन दोनों समस्याओं का समाधान ढूंढ़ लिया है। वर्ष 1980 में मैं एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार में फ्रांस गया था। मैंने देखा कि गुफा के निर्माण के लिए वहां जिन मशीनों का प्रयोग किया जाता है वह जल विद्युत परियोजना का एक प्रमुख घटक है जो परम्परागत तरीकों की तुलना में शीघ्र कार्य करती हैं। यदि निर्माण अवधि कम हो जाए तो खर्चा भी निश्चित रूप

से कम हो जाएगा। इसलिए, वहां के बड़े-बड़े संसाधनों का दोहन करना ही पड़ेगा। योजना आयोग तथा ऊर्जा मन्त्रालय से मेरा अनुरोध है कि विद्युत के दोहन की ओर और अधिक ध्यान दिया जाय जो संसार में सबसे सस्ता, प्रदूषण मुक्त और अक्षय संसाधन है। दूसरी ओर तापीय विद्युत से प्रदूषण फैलता है तथा इसका स्रोत क्षय होने वाला होता है। मैं यह कहना चाहूंगा विशेषतया उत्तरी भारत के बारे में हमें तापीय विद्युत के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए बल्कि हमें जल विद्युत का दोहन करना चाहिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश की नाथपा-झखरी नाम की परियोजना को शामिल करने के लिए मैं अपने प्रधान मन्त्री को बधाई देता हूं। यह परियोजना लगभग 6-7 वर्षों से अधर में लटकी हुई थी। अपने एक प्रश्न के उत्तर में मुझे पता चला कि इसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसे शामिल कर लिया गया है। मुझे भारत सरकार, विशेषकर ऊर्जा मन्त्री की समस्या का अहसास है और वह समस्या है धन का अत्यधिक अभाव। किन्तु मेरे विचार से यह एक ऐसी ऊर्जा है कि यदि इसके लिए हमें अपने देश में साहूकारों से और विदेश से कर्जा लेना पड़े तो इसके लिए हमें धन मिल सकता है। पन-बिजली उत्पादन पर बहुत कम लागत आती है। इस पर 25 से 40 पैसे तक प्रति यूनिट लागत आती है और हम जिस किसी भी एजेंसी से इसके लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं तथा उस ऋण को ब्याज सहित 10 वर्ष के अन्दर लौटा सकते हैं। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि सरकार इसके बारे में और अधिक सोच विचार न करे।

एक और महत्वपूर्ण समस्या है जिसे समझना होगा कि अज्ञानतावश या लोभवश हिमालय के वनों का तेजी से विनाश हो रहा है। अच्छा मानसून जो कभी पूरे राष्ट्र के लिए खुशहाली का प्रतीक माना जाता था अब मैदानी इलाकों में क़हर ढा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार बाढ़ से हर साल खड़ी फसलों पशुओं, सड़कों, इमारतों, से कृषि वाली भूमि को लगभग 1000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। इस राशि में उस हानि की राशि शामिल नहीं है जो अन्य आर्थिक क्षेत्र को होती है, यथा जल भंडारों का समय से पूर्व गाद से भर जाना। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि हिमालय के और अधिक क्षेत्र को हरा-भरा बनाया जाए। योजना राशि का नियतन हिमालय के क्षेत्र में स्थित विभिन्न राज्यों की आवश्यकता के आधार पर न करके सम्पूर्ण राष्ट्र की आवश्यकता के आधार पर किया जाय।

यह अत्यधिक प्रसन्नता की बात है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में अधिक क्षेत्र में वृक्ष लगाने पर जोर दिया गया है। वर्तमान 23 प्रतिशत के स्थान पर 33 प्रतिशत भू क्षेत्र में वृक्ष

4.00 म० प०

लगाने का विचार किया गया है। किन्तु नीति संबंधी दस्तावेजों में यह नहीं बताया गया है कि इसमें कितना समय लगेगा। यह विचार किया गया कि शताब्दी के अन्त तक 1000 लाख हेक्टेयर भूमि में वृक्ष लगाये जायेंगे और उपलब्ध प्राक्कलनों के अनुसार केवल 307 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी हैं जहां अच्छे वन हैं और 700 लाख हेक्टेयर भूमि में वृक्ष लगाये जाने हैं। इसलिए 1950 से और 1980 के बीच की अवधि में, यदि जीवित रहने वाले वृक्षों की गणना करें, तो हम पायेंगे कि अब तक केवल 37 लाख हेक्टेयर भूमि में वृक्ष लगाए जा सके हैं। इसीलिए भारत सरकार तथा योजना आयोग से मेरा सुझाव है कि और अधिक भूमि में वृक्ष लगाने के लिए 15 वर्षीय कार्य योजना तैयार की जाए। विशेषज्ञों के प्राक्कलनों के अनुसार इस समय जिस गति से वनों का विनाश हो रहा है यदि इसी प्रकार होता रहा तो 60 वर्ष के अन्दर उत्तरी भारत मरुस्थल बन जाएगा। यहां तक ईश्वर भी उत्तरी भारत को मरुस्थल होने से नहीं बचा सकता। इसलिए, इस भयावह स्थिति से सम्पूर्ण उत्तरी भारत के राज्यों को बचाने के लिए हिमालय के क्षेत्र में स्थित राज्यों को इस प्रयोजन के लिए बहुत अधिक धन की व्यवस्था करनी होगी।

गत चार या पांच वर्षों से भारत सरकार तथा हिमालय के क्षेत्र में स्थित राज्य इसके खतरे के प्रति सचेत हो गए हैं। कोई विधि सम्मत उपाय करना होगा तथा कोई निर्णय भी लेना होगा। जहां तक हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है, हमने सभी वनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है किन्तु अब सरकारी उपक्रमों द्वारा वनों का वाणिज्यिक आधार पर विदोहन शोषण किया जा रहा है। लगभग चालिस हजार क्युविक मीटर का विदोहन किया जाएगा। यदि केवल हिमाचल प्रदेश के लिए अपेक्षित ईंधन का हिसाब लगाया जाय तो केवल हिमाचल प्रदेश को ही प्रतिवर्ष 40-50 लाख टन लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। यदि वाणिज्यिक ईंधन के लिए अपेक्षित लकड़ी के वार्षिक दोहन और खपत का हिसाब लगाया जाए तो हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि इन वनों का कितना विनाश हो जाएगा। जहां तक हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है ; यह सम्पूर्ण राष्ट्र के हित में है कि हम लोग अगले 15 या 20 वर्ष तक के लिए वृक्षों के काटने पर प्रतिबन्ध लगा दें। यद्यपि ऐसा करने से हमें लगभग 20-25 करोड़ रुपये का घाटा होगा तो भी राष्ट्र के हित में भारत सरकार से हमारा अनुरोध है कि वन विभाग की स्थापना पर आने वाले व्यय को भारत सरकार वहन करे जो लगभग 14 करोड़ रुपया प्रति वर्ष होगा। यदि हम उत्तर भारत को बचाना चाहते हैं; तो मेरा सुझाव है कि हिमालय के क्षेत्र में स्थित राज्यों के अलावा अन्य राज्यों पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना होगा। हम लोग ऐसा करने के लिए तैयार हैं किन्तु शर्त यह है कि इस स्थापना कार्य पर व्यय होने वाले खर्चे की प्रति पूर्ति कर दी जाए।

4.04 म० प० **[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]**

मेरा सुझाव है कि भारत सरकार और विशेषकर योजना आयोग के लिए प्रत्येक विभाग में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक कक्ष बनाना सम्भव नहीं है तो उन्हें कम से कम योजना आयोग में बने कक्ष को क्रियाशील बनाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं से परिचित व्यक्ति को ही कक्ष का मुख्य अधिकारी बनाया जाए। पर्वतीय क्षेत्र के लिए मानक पृथक होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपने विद्वान मित्र द्वारा पेश किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों के लोग जो भी विचार व्यक्त करेंगे उन पर योजना आयोग सातवीं योजना को अन्तिम रूप देते समय विचार करेगा। मैं सभा के अन्य माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे भी इस संकल्प का समर्थन करें, ताकि हम वांछित परिणाम प्राप्त कर सकें।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, श्री हरीश रावत ने जो प्रस्ताव रखा है, वह देश के विकास के लिए, यों कहिए कि पिछड़े हुए क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

हमने राजनीतिक आजादी प्राप्त की, उसके बाद जब तक हम आर्थिक और सामाजिक आजादी प्राप्त नहीं करते हैं, हमारी राजनीतिक आजादी अधूरी है। अभी तक हमारे देश में क्षेत्रीय असंतुलन है, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं हैं। ऐसी स्थिति है कि एक बहुत ही रईस है और एक बहुत ही गरीब है और दोनों के बीच में बड़ा अन्तर है। ऐसे प्रान्त हैं जिनमें एक बहुत पिछड़ा हुआ है और दूसरा विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और विकसित हो रहा है। हमें इन क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक असंतुलन को मिटाना होगा और इसके लिए श्री रावत ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

हमारे प्रधान मन्त्री ने गंगा की शुद्धि के लिए बहुत ही ठोस कदम उठाए हैं। हिमालय पहाड़

हमारे देश की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिससे हमारी बड़ी नदियां गंगा, यमुना, कावेरी, सिंध आदि निकलती हैं और हमारे देश की कृषि की पैदावार बढ़ाती हैं, देश की उन्नति होती है और देश का विकास होता है। हिमालय पहाड़ अगर उजड़ जाता है और वनों का नाश हो जाता है तो हमारी उन्नति, तरक्की रुक जाती है। इसलिए हिमालय पहाड़ की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए।

पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए लोगों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर गया है। श्री सुखराम जी ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ केन्द्रीय सरकार का ध्यान नहीं गया है, यह बात गलत है। केन्द्रीय सरकार का ध्यान पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस ओर गया है। पहली से लेकर चौथी पंचवर्षीय योजना में ध्यान जरूर नहीं गया था, लेकिन पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने पहाड़ी क्षेत्र के लिए दो योजनाएं बनाई। एक नार्थ-ईस्टर्न योजना, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए बनाई गयी जिसके लिए 340 करोड़ की विशेष सहायता रखी गई और केन्द्रीय सरकार ने सारी मदद की।

दूसरी योजना, यू० पी० के लोक-सभा सदस्य श्री हरीश रावत ने जो प्रस्ताव रखा है, यू० पी० के 8 जिलों के लिए बनाई गई और यू० पी० के साथ-साथ असम का क्षेत्र और बंगाल का दार्जिलिंग का क्षेत्र भी उसमें आता है। उसमें पश्चिम के नीलगिरि के क्षेत्र भी आते हैं। इस प्रकार से इन सब को लेकर 2 लाख 30 हजार वर्ग किलोमीटर के लिए योजना बनी। 4 करोड़ की जनसंख्या के आधार पर इन क्षेत्रों के विकास के लिए योजना बनाई गई।

यह 560 करोड़ की योजना, जिसमें 90 प्रतिशत सबसीडी और 10 प्रतिशत लोन की योजना बनी। इस ओर केन्द्रीय सरकार और प्लानिंग कमीशन का ध्यान गया है। परन्तु हमारा निवेदन यह है कि प्लानिंग कमीशन ने जो 560 करोड़ का प्रावधान किया है, यह भी कम पड़ता है क्योंकि हिमालय पहाड़ के वनों के विकास के लिए बहुत ज्यादा कार्य करना है। वनों का अगर विकास नहीं किया जाता है तो यह जो बाढ़ आती है, इसको आप रोक नहीं पायेंगे। वनों का विकास न होने के कारण ही यह बाढ़ आती है, इसलिए यह आवश्यक है कि वनों का विकास किया जाए और पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ों को उगाने के लिए जो कार्यक्रम श्री सुन्दर लाल बहुगुणा ने चिपको आन्दोलन के हिसाब से रखा है और जिसके लिए 560 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, सांतवी पंचवर्षीय योजना में उसको और बढ़ाकर एक हजार रुपए का प्रावधान किया जाए। ऐसा प्रावधान करके सबसे ज्यादा सोशल फोरेस्टी पर ध्यान दिया जाए। उसके बाद एप्पल और टमाटर की खेती पर ध्यान दिया जाए।

महोदय, आप तो जानते हैं कि पहाड़ों में हर चीज की पैदावार हो नहीं सकती। गेहूं की पैदावार हो नहीं सकती, कुछ मात्रा में चावल की पैदावार होती है, इसलिए जो भी पासीबल हो सके यह अवश्य करना चाहिए। एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि अगर मैदानी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण पर अगर सवा लाख रुपए लगते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में 5 लाख रुपए लगते हैं या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। अगर दुर्गम पहाड़ी हो तो 8 लाख रुपए भी लग जाते हैं, इसलिए पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए विशेष तौर से और प्रावीजन करना पड़ेगा।

पहाड़ी क्षेत्रों में केवल शिमला या देहरादून आदि में ही रेल लाइन पहुंच पाई है। जिस समय अंग्रेजों का राज्य था तो उन्होंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए और आराम के लिए वहां रेल लाइन बिछायी थी, इसलिए अब आपको और अधिक पहाड़ी क्षेत्रों में रेल लाइनें बिछानी होगी। जैसे नार्दन-ईस्टर्न में रेल लाइनें बिछायी जा रही हैं, उसी प्रकार इन पहाड़ी क्षेत्रों में भी इनका विस्तार करना होगा। राजस्थान में भी अरावली की पहाड़ियां हैं। हमारे प्रधान मन्त्री जी ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर

आदि अनेक इलाकों का दौरा किया। अरावली पहाड़ियों को इस पहाड़ी क्षेत्र के विकास के अन्दर सम्मिलित किया जाना चाहिए और इसमें विशेष दिलचस्पी लेनी होगी।

इसी प्रकार रेगिस्तानी क्षेत्र के विकास की तरफ भी ध्यान देना होगा। हमारे प्रधान मन्त्री जी ने राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों का दौरा किया। वह इसके लिए बधाई के पात्र हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र का विकास करने में भी सरकार का खर्चा बहुत अधिक आता है और पर्याप्त साधन भी उपलब्ध नहीं होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए नो-इंडस्ट्री डिस्ट्रक्ट घोषित करके और सबसिड़ी देकर इसका विकास किया जाना चाहिए। वहां पर इलैक्ट्रानिक इंडस्ट्री भी स्थापित की जा सकती है, ऐसा करने से ही यह यह क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों के बराबर आ पायेंगे। जब यह मैदानी क्षेत्रों से आगे बढ़ जायेंगे तो हमारा देश भी उन्नति कर पायेगा। इन क्षेत्रों में इंडस्ट्री स्थापित करने के विशेष स्कोप और गुंजाइश है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट की वील-पावर होनी चाहिए। इसके लिए प्लैनिंग कमिशन को विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी इनका विकास हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि रेगिस्तानी क्षेत्रों को भी वही सुविधायें मिलनी चाहिए जो कि पहाड़ी क्षेत्रों को दी जाती हैं, तभी यह जो क्षेत्रीय असंतुलन है वह मिट पायेगा।

[अनुवाद]

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे एक साथी श्री हरीश रावत द्वारा पेश किए गए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संकल्प पर चर्चा के लिए सभा ने समय निकाला है।

महोदय, तीन वर्ष पूर्व इसी विषय पर मेरे एक संकल्प पर लम्बे समय तक चर्चा हुई थी और उस समय योजना मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने सभा को आश्वासन दिया था कि वह पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए भरसक प्रयास करेंगे क्योंकि वह योजना मन्त्री भी हैं। मैं समझता हूं कि दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया है। परन्तु इसे ठोस रूप नहीं दिया गया पर्वतीय क्षेत्रों की प्रशंसा करना बहुत अच्छा है। पर्वतीय क्षेत्रों के सौंदर्य, देवदार वृक्षों, हिमाच्छादित पर्वतों और भोले-भाले लोगों एवं अपराध हीन वातावरण प्रशंसा करना तो बहुत सरल बात है। परन्तु आवश्यकता इस बात की नहीं है कि ऐसी मनमोहक बातें बनायी जायें अपितु आवश्यकता इस की बात है कि प्रत्येक मन्त्रालय में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए और शुरू की जाने वाली, मंजूर शुदा तथा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए वास्तविक रूप से धनराशि आबंटित की जाए और परियोजनाओं को उन्हें कुछ प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उत्तर-पूर्व पर्वतीय परिषद् का गठन पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए किया गया तथा उसके लिए पृथक योजना परिव्यय का हम स्वागत करते हैं परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि जब उत्तर-पूर्व पर कुछ ध्यान दिया गया है तो देश के उत्तर पश्चिम पर्वतीय क्षेत्रों पर जिनमें जम्मू काश्मीर, हिमालय प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र आते हैं, अभी तक समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। हम सातवीं पंचवर्षीय योजना चालू कर रहे हैं। परन्तु छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई परियोजनाओं के लिए भी पर्याप्त धनराशि आबंटित नहीं की गयी है। इसका क्या कारण है। कारण है, धन नहीं है, और धन की कमी है। जब तक आप अपना पैमाना लाभ प्रदता के पहलू के आधार पर तैयार करते हैं तब तक पर्वतीय क्षेत्रों के प्रति कोई न्याय नहीं किया जा सकता। सभा को तथा सरकार को पता होना चाहिए कि नौकरशाहों, व्यापारियों और मुझे कहने में खेद होता है कि योजना आयोग को भी मैदानों में वाणिज्यिक कार्यकलाप शुरू करना अधिक अच्छा लगता है। जिसका परिणाम यह होता है कि मैदानी क्षेत्रों की परियोजनाओं को अधिक धनराशि आबंटित की जाती है। यदि संचार मन्त्रालय का

मामला है तो बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली इन तीनों सर्वाधिक अंश मिलता है। यदि एस० टी० डी० का मामला है तो बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली एक ऐसा त्रिकोण है जिसे अत्यधिक महत्व दिया जाता है। रेलवे के मामले में भी बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली को ही महत्व दिया जाता है।

हम जानना चाहते हैं कि यह स्थिति कब तक बनी रहेगी। क्या पिछड़े क्षेत्र जिनमें रेगिस्तानी, जनजातीय तथा पर्वतीय क्षेत्र सम्मिलित हैं, राष्ट्र के अंग नहीं हैं। वे हैं। वे देश के अभिन्न अंग हैं। इन लोगों को विषम मौसम एवं जलवायु में रहना पड़ता है, फिर भी योजना भवन में योजना बनाने वाले इन पर ध्यान नहीं देते।

महोदय, मैं योजना मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह इस बात पर विचार करें, कि प्रत्येक मन्त्रालय ने पर्वतीय क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए कितना कितना धन आवंटित किया है। यदि रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए, जैसे नांगल-तलवाडी, अथवा काठगोदाम अथवा जम्मू ऊधमपुर लाइनों के लिए आबंटन किया गया है तो यह इसलिए किया गया है कि परियोजना बनी रह सकें। हम चाहते हैं कि परियोजनाएं समाप्त न हों। हम उन्हें पूरा करना चाहते हैं। हम उन्हें रचनात्मक बनाना चाहते हैं और इसलिए योजना आयोग को हमारी सहायता करनी चाहिए।

माननीय सदस्य ने प्रत्येक मन्त्रालय में कक्ष बनाने की मांग की है। चाहे कक्ष बनें अथवा न बने इसका महत्व नहीं है परन्तु योजना आयोग को राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के मुख्य अंग राष्ट्रीय विकास के संरक्षक तथा राष्ट्रीय एकता का पहरेदार होने के नाते यह सुनिश्चित करना है कि इन क्षेत्रों को अपेक्षित धन मिले चाहे यह मन्त्रालय में स्थापित किए जाने वाले कक्षों के माध्यम से दें अथवा आप हमारे राज्य के प्रत्येक पर्वतीय क्षेत्र की प्रत्येक परियोजना के आंकड़े मंगायें। इससे पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के मामले से आप का सम्बन्ध कायम हो जाएगा।

हमारे देश के पर्वतीय क्षेत्रों का क्षेत्रफल तो अधिक है परन्तु जन संख्या थोड़ी है। यह हमारा दोष नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 50 लाख से कम है। यह जम्मू और काश्मीर का दोष नहीं है। यह गढ़वाल तथा कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों का दोष नहीं है। यह तो अच्छी बात है कि जन-संख्या कम है तथा क्षेत्रफल अधिक है। परन्तु आप इसके विकास के लिए क्या कर रहे हैं? अतः इस प्राकृतिक सम्पदा पर भी विचार करना होगा। पर्वतीय क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों को मैदानी क्षेत्रों के वाणिज्यिक बांधों द्वारा नष्ट किया जा रहा है। मैदानी क्षेत्रों में फैक्टरियां बनती हैं तथा तरक्की करती हैं। बड़े नगरों का विकास होता है तथा पर्वतीय क्षेत्रों को हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि वहां पर परिवहन की बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। वहां पर रेलवे लाइनें नहीं हैं। वहां पर सड़कें और पुल नहीं हैं और सबसे खराब बात तो यह है कि पहली पंचवर्षीय योजना से ही हम आयोजना से हानि उठा रहे हैं। आपने इन बांधों भाखड़ा, पोंग आदि का निर्माण हमारी धरती पर किया है, तथा हजारों परिवारों को वहां से हटाया गया है। वे राजस्थान तथा हरियाणा में बसे हैं। परन्तु कुछ मामलों में इसके बदले भूमि उन्हें नहीं दी गई है। उन्हें दी गई भूमि का स्वामित्व नहीं मिला है जबकि उन्हें बिलासपुर तथा अन्य स्थानों से बांधों के निर्माण के कारण, छोड़कर आना पड़ा है बांधों का निर्माण हुआ है, परियोजनायें बनी हैं बिजली तथा सिंचाई की सुविधाएं हुई हैं, परन्तु उन स्थानों के लोग न्याय के लिए चिल्ला रहे हैं।

छठी लोक सभा की याचिका समिति को हिमाचल प्रदेश के उन लोगों ने एक याचिका दी थी जिन्हें हिसार तथा हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में अपनी भूमि नहीं मिल पाई। क्योंकि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ नहीं उठा सके। उनके नाम में वहां पर कोई भूमि नहीं है। वहां पर स्थानीय दबाव बहुत अधिक है।

मैं आपसे वस्तुस्थिति जानने के लिए निवेदन करता हूं। एक ओर तो पर्वतीय क्षेत्रों के लोग अपना घरबार छोड़कर आते हैं। झील में उनकी उपजाऊ भूमि जलमग्न, हो जाती है। वे पानी के बांधों, विद्युत परियोजाओं, सिंचाई परियोजनाजों पर काम करते हैं और दूसरी ओर काम के लिए इधर-उधर भटकते हैं। वे इस सुन्दर पर्वतीय क्षेत्र के नागरिक हैं, हमें केवल मौखिक सहानुभूति ही देते हैं और आप उनकी दयनीय दशा पर ध्यान ही नहीं देते।

अत: मेरा सुझाव है कि योजना आयोग का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्या योजना आयोग पर्वतीय क्षेत्रों की स्थिति के प्रति गंभीर है।

मंत्री महोदय सभा को बतायें कि प्रत्येक परियोजना को चाहे वह रेलवे, सड़क, पुलों अथवा पन-बिजली दूर-संचार, डाक या पर्यटन विकास की हो अथवा अन्य कार्यों से संबन्धित हो, वास्तविक रूप से कितना धन आबंटित किया गया है। प्रत्येक बजट में, पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में वास्तविक रूप से कुल कितना धन आवंटन किया गया है ?

बहुत ही मधुर वाक्यों का प्रयोग किया जाता है।

हमें बताया गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों के विषय का सम्बन्ध राज्य सरकार से है। परन्तु संविधान निर्माताओं ने अपनी बुद्धिमत्ता से तीन सूचियां बनायी—समवर्ती सूची, केन्द्रीय सूची तथा राज्य सूची। ठीक है। कृषि विकास विषय का सम्बन्ध राज्यों से है, क्योंकि वह राज्य सूची में है। केन्द्रीय सूची में दिए गए विषय क्या हैं। जहां तक रेलों, दूर-संचार प्रणाली पर्यटन और नागर विमानन तथा अन्य विषयों के मामले में पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है ?

हम शिमला में एक हवाई अड्डा की मांग कर रहे हैं और बार-बार फाइलें इधर-उधर जाती हैं तथा हमें बताया जाता है कि हम इसे छोड़ दें। शिमला राज्य की ऐसी राजधानी है जहां विमान सेवा उपलब्ध नहीं है। इसी तरह से हमारी कुछ अन्य आवश्यकताएं हैं। हमें हवाई अड्डे की आवश्यकता है तथा पर्यटन पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। हम पठानकोट से दिल्ली तक सीधी गाड़ी के मांग करते रहे हैं परन्तु गाड़ियां जम्मू तथा काश्मीर तक बढ़ाई जा रही हैं। यह एक अच्छी बात है। वह भी देश का भाग है। परन्तु हिमाचल के लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है क्योंकि गाड़ियां पठानकोट नहीं रुकेंगी। रेल मन्त्रालय बात नहीं सुनेगा।

हमारे मुख्य मन्त्री ने नेप्था जाखरी परियोजना का प्रस्ताव किया है तथा अन्य पाइपलाइन परियोजनायें सतलज वेसिन के साथ-साथ स्थापित की जा रही हैं। नांगल रामपुरा से मंडी तक रेलवे लाइन है। यह एक बहुत अच्छी परियोजना होगी तथा बिलासपुर तक यह लाइन लाभप्रद है। परन्तु योजना आयोग इस पर विचार करने से इनकार कर देगा क्योंकि संसाधनों की कमी है।

जब पर्वतीय क्षेत्रों के विकास का मामला आता है तो संसाधनों की कमी हो जाती है। यदि बम्बई में रेल लाइनों को दोहरा अथवा तेहरा करना हो तो संसाधनों की कोई कमी नहीं होती है। यदि आप कलकत्ता में किसी परियोजना की आवश्यकता समझते हैं तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है। कलकत्ता से दिल्ली तक पूरी लाइन के विद्युतीकरण के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है। चूंकि ये विभागीय मामले हैं तथा आवर्ती व्यय की परियोजनाएं हैं। परन्तु जब हिमाचल अथवा जम्मू और काश्मीर अथवा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में किसी नयी चीज की मांग हो तब हमें संधाधनों की कमी बतायी जाती है जैसे कि हम पर्वतीय क्षेत्र के लोग दूसरे दर्जे के नागरिक हों। परन्तु ऐसा नहीं है। केवल हिमाचल प्रदेश में ही 1000 से अधिक लोगों ने स्वतंत्रता के बाद चीन अथवा पाकिस्तान के साथ युद्धों में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। और हम हिमाचल के लोगों को क्या मिला ? किसी बैंक की शाखा भी स्थापित नहीं

हो सकती क्योंकि हमारी जन-संख्या कम है। किसी पुल का निर्माण नहीं हो सकता क्योंकि पहले कभी किसी ने कोई पुल बनवाया था। मैं श्री चन्द्र शेखर सिंह को धन्यवाद देता हूं। क्योंकि उन्होंने जब वह ऊर्जा मंत्री थे तब उन्होंने देहर में एक पुल बनवाया था। उन्होंने लोगों की वास्तविक कठिनाई को अनुभव करके इसे बनवाया था। परन्तु बिलासपुर के निकट अलहीखंड पर पुल का कार्य अभी भी बकाया पड़ा हुआ है क्योंकि भाखड़ा-व्यास पास प्रबन्धक मंडल, जोकि भाखड़ा तथा नागल की नहरों तथा बिजली परियोजनाओं से बहुत सा धन कमाता है, इस बात से इनकार करता है कि हिमाचल का भी उसपर कुछ दावा है। पंजाब के धनधान्य में हमारा हिस्सा है। तथा अन्य क्षेत्रों के विद्युतीकृत नगरों पर हमारा दावा है : यदि वे हमारी कीमत पर समृद्ध हो सकते हैं तो कोई कारण नहीं है कि पर्वतीय क्षेत्रों की उपेक्षा की जाये। लोग इसे अधिक समय तक सहन नहीं करेंगे। मैं यह बात बताना चाहता हूं कि हमारे राज्य के लोग चाहे वे सेना में हों अथवा नागरिक सेवाओं में हों, न्याय के लिए चिल्ला रहे हैं, तथा योजना आयोग को न्याय दिलाना है।

इसी भांति, हमारे मुख्यमंत्री और राज्य सरकार विभिन्न परियोजनाओं का सुझाव देते रहे हैं। उदाहरण के लिए मेरे मित्र श्री सुखराम ने बर्फीले क्षेत्रों का जिक्र किया है। स्वर्गीया प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी लाहौल-स्पीति गई थीं और यह कहा था कि लाहौल-स्पीति क्षेत्र को जोड़ने के लिए रोहतांग दर्रे के नीचे एक सुरंग बनाई जानी चाहिए। वे लोग देश के साथ ईमानदार रहे। चीन के हमले को इस लिए असफल किया जा सका क्योंकि इस क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभूमि का ख्याल था ; उन्होंने कहा था कि "यह हमारी मातृभूमि है, हम भारतीय हैं।" वर्ष में करीब 9 महीनें ये क्षेत्र बर्फ से ढके रहते हैं। देश उनकी परवाह नहीं करता। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी वहाँ गईं तो सबने सोचा था कि वहां के लिए भी कुछ किया जाएगा सुरंग का। लेकिन सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस सुरंग का उल्लेख ही कहां किया गया है ? प्रस्तावित बेहरामपुर, बिलासपुर मंडी/रामपुर रेलवे लाइन का जिक्र नहीं किया गया है। नांगल-तलवाड़ा रेलवे लाइन का जिक्र भी नहीं किया गया है। वहां का कुछ जिक्र नहीं किया गया है। बल्कि यह कहा गया है कि संसाधनों की कमी है। अतः मैं इसके लिए निवेदन करता हूं। बाढ़ों को रोकने के लिए वनारोपण बहुत सही कदम है। परन्तु जब तक पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के साथ न्याय नहीं किया जाता, वनारोपण की परियोजनाएं नहीं बनाई जातीं, मूल ढांचा तैयार करने, विभिन्न क्षेत्रों को पुलों, रेलवे लाइनों, सड़कों से जोड़ने तथा संचार और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम नहीं उठाए जाते तब तक पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में असंतोष की भावना बनी रहेगी, जो देश के हित में नहीं है। राष्ट्रीय अखण्डता का तकाजा है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के स्वपन को साकार करने के लिए और श्री राजीव गांधी की दृढ़ता का तकाजा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जानी जाहिए। यह केवल पहाड़ी क्षेत्रों के हित में ही नहीं अपितु समूचे देश के हित में होगा कि योजनाओं के सफल बनाने के लिए इन्हे प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि ये क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और हमारे देश के भविष्य का महत्वपूर्ण अंग है।

श्री एन० तोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं अपने माननीय सहयोगी श्री हरीश रावत का, जिन्होंने यह संकल्प पेश किया, तथा हिमाचल प्रदेश के नए सदस्य, श्री सुख राम का, जिन्होंने इस पर पहला भाषण दिया, वास्तव में आभारी हूं।

मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, हिमालय के पूर्वी भाग का प्रतिनिधित्व करता हूं और हमारी विशेष समस्याएं हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में हमारा प्रदेश बहुत अशांत रहा है। इतिहास गवाह है, स्वतंत्रता के बाद मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और हाल में त्रिपुरा का जो एक हिस्सा इसमें आया है, में काफी समय

से अशांति बनी हुई है। पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्ति के 38 वर्षों के बाद भी यह हालत है कि अधिकांश छोटे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कोई रेलवे लाइन नहीं है। वहां कोई बड़ा उद्योग नहीं है। शिक्षित बेरोजगारों की बहुत बड़ी समस्या है। यातायात की कठिनाइयों के कारण मूल्य असामान्य रूप से अधिक हैं। उदाहरण के लिए, एक ईंट की कीमत दो रुपये है। एक हजार बढ़िया ईंटों की कीमत 2 हजार रुपए पड़ती है। लोग इसके अभ्यस्त हो गए हैं। इस अशांत राज्य में, विशेषकर युवकों में बहुत रोष है, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। कई बार यह कहा गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास लिए पर्याप्त धन आवंटित किया गया है और उनकी ओर अपेक्षित ध्यान दिया गया है। महोदय, कल ही मैंने वाद-विवाद में भाग लिया और इस बात का जिक्र किया कि 'पूर्वोत्तर क्षेत्र' जैसे क्षेत्र की सामान्य परिभाषा करना बहुत कठिन है।

इन छोटे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की अपनी समस्याएँ हैं। ये छोटी-छोटी समस्याएँ अब बहुत बढ़ गई हैं क्योंकि इनका कोई समाधान नहीं किया गया है। मूल समस्या बेरोजगारी की है। इस समस्या के समाधान का एकमात्र तरीका यही है कि यहां कृषि और वन उत्पादों पर आधारित उद्योग स्थापित किए जाएं। लेकिन इन क्षेत्रों के बनों की अंधाधुंध कटाई से यहां की वन संपदा समाप्त हो जाएगी।

मणिपुर राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में बांस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। काफी अर्से से मणिपुर में कागज और लुगदी उद्योग स्थापित किए जाने की मांग की जाती रही है। इस पर विचार नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकार के इसके कारण हो सकते हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि मणिपुर के बांसों का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है।

रोजगार की तलाश करने वाले व्याक्तयों के लिए रेलवे लाइन बहुत अच्छा समाधान हो सकती हैं। लेकिन इन क्षेत्रों तक रेलवे लाइन पहुंचने की कोई सम्भावना ही नहीं है। इसका क्या उपाय है?

वहां हमने केवल शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की है। शिक्षा से समस्याएं गढ़ गई थीं किन्तु हमने स्कूलों और कालेजों की कमी की समस्या का समाधान किया है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में विकास के साथ साथ हमारे यहां शिक्षित बेरोजगारों की समस्या बढ़ गई है। मणिपुर में, 60 प्रथम श्रेणी के कालेज हैं, जिनमें कुछ प्राइवेट कालेज भी शामिल है, इन्हें अभी तक स्थायी रूप से विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध नहीं किया गया है। इसका अर्थ है कि हर वर्ष यहां लोग स्नातक की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। जो लोग मैट्रिक पास करने के बाद पढ़ाई छोड़कर कोई रोजगार कर सकते थे, अब आगे पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि यही एक रास्ता है। उनके माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ न कुछ करते रहें और ये कालेज उपयुक्त स्थल है जहां बच्चों को पढ़ाई में व्यस्त रखा जा सकता है। स्नातक स्तर के पश्चात् कुछ हद तक ये लड़के और लड़कियां स्नात्तकोत्तर शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। एम० ए०, एम० एस० सी० करके और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उनके सामने कोई रास्ता नहीं होता।

हर राज्य की अपनी अपनी समस्याएं हैं। यहां तक कि असम जैसे बड़े राज्य की भी अपनी समस्याएं हैं। वे छोटे-छोटे पड़ोसी राज्यों की सहायता नहीं कर सकते। आरम्भ से ही हम यह सुझाव देते आ रहे हैं कि हमें वन क्षेत्र में सुधार करना चाहिए। मैं विशेषकर अपने राज्य का जिक्र कर रहा हूं जिसका क्षेत्रफल 22,000 वर्ग मील है। इसके दसवें भाग में घाटी है और यहीं पर सब उद्योग हैं और खेती बाड़ी, सब्जियां उगाने का काम किया जाता है और शेष 9/10 भाग में लोग रहते हैं तथा शेष पहाड़ी क्षेत्र है, जिसका अब अंधाधुंध सफाया किया जा रहा है। इसका हम पर कई तरह से प्रभाव पड़ा है। पहले वनों की कटाई से कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ा है क्योंकि बाढ़ें आती हैं और बाढ़ों के खत्म होते ही सूखा पड़ जाता है। बाढ़ और सूखा एक दूसरे के आगे पीछे आते हैं और इस घाटी की

स्थालाकृति ऐसी है कि यह इतनी ढलाऊ है कि वहां पानी नहीं रुकता और कैचमेंट क्षेत्र से नदी तक पानी जितनी अधिक तेजी से आता है उतनी ही जल्दी बह जाता है। स्वभावतः पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण तथा जलवायु पर प्रभाव पड़ रहा है। नागालैंड और मिजोरम के मामले में भी यह सही हो सकता है। यदि इसे रोका नहीं गया तो समूचे क्षेत्र पर इसकी अर्थ-व्यवस्था और कृषि पर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव होगा।

अतः हमारा पहला सुझाव है कि वनों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाना चाहिए। यहां आई० सी० ए० आर० महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्योंकि कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में टेरेस कल्टीवेशन होता है, एक कार्यक्रम इस तरह बनाया जाना चाहिए कि यहां भूमियां खेती अर्थात इन क्षेत्रों में हमारे अधिकांश आदिवासियों द्वारा बदल बदल कर की जाने वाली खेती को रोका जा सके। ऐसा केवल नारे लगाकर नहीं अपितु उन्हें प्रशिक्षण देकर और वैकल्पित उपाय करके ही किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ईंधन के लिए हमें पहाड़ी क्षेत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे हमें जलाने की लकड़ी मिलती है। हमारे यहां कोयले की सप्लाई नहीं होती। मकान बनाते समय, फर्नीचर और निर्माण के काम आने वाली अन्य वस्तुओं के लिए हमें वन-क्षेत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः सर्वप्रथम हमें व्यापक वनारोपण कार्यक्रम बनाना होगा। दूसरे, जो भी संसाधन इस समय उपलब्ध हैं, हम उनका उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मणिपुर के पश्चिमी क्षेत्र में उपलब्ध बांस के संसाधनों का उपयोग कागज उद्योग स्थापित करने के लिए किया जा सकता है यह उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है·····

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : इससे वही वन नष्ट होंगें। कुछ और उपाय सोचिए।

श्री एन०तोम्बी सिंह : पहाड़ी क्षेत्रों में अन्य संसाधनों के रूप में हमारे क्षेत्र में चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस बारे में उचित सर्वेक्षण नहीं किया गया है। किसी जगह पर सर्वेक्षण किया गया था और एक परियोजना की स्वीकृति भी दी गई थी परन्तु उसे उचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया और अधिकारियों को यह जानकारी भी है कि इसे कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया। हम गृह मंत्रालय तथा सम्बन्धित मंत्रालयों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से दिलाना चाहते हैं ताकि हमें केवल इसके लिए औपचारिक स्वीकृति और औपचारिक निदेश ही न मिलें अपितु बड़ी परियोजनाओं के लिए धनराशि भी स्वीकृत की जाए जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आए। मैं समझता हूं कि यदि ऐसा किया जाता है तो इससे हमारे राज्य के विकास में सहायता मिलेगी और बिगड़ती हुई राजनीति परिस्थिति से भी लोगों का त्राण होगा।

मैं टसर रेशम योजना का भी जिक्र करना चाहता हूं। यह योजना बड़ी सफल रही है किन्तु यह किसी कारण बीच में ही बन्द कर दी गयी। रेशम कीट विशेषकर टसर कीट पालन के लिए ओक के पेड़ बहुत सहायक होते हैं। अतः मैं वस्त्र मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस योजना को आगे बढ़ाएं।

श्री वी० शोभानाद्रीश्वरा राव (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, श्री हरीश रावत द्वारा प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। चर्चा के लिए इस संकल्प को संसद में लाने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं सकल्प की भावना से पूरी तरह सहमत हूं।

महोदय, यह अच्छी बात है कि हाल में सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया है। चूंकि नियोजित विकास के फायदे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों तक नहीं पहुंचते जबकि इनके फायदे देश के मैदानी 9 अन्य भागों को ही मिलते हैं इसमें कई तरीके भी निकाले गए हैं जिनके द्वारा विभिन्न

राज्यों को व्यवस्थित ढंग से आवंटन किया जाता है।

मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि जिन क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए चुना गया है उनमें पूर्वी घाट के क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है। मैं नहीं कहता कि यह भेद-भाव है। हो सकता है यह अनजाने में छूट गया हो। जिन मापदण्डों के आधार पर इन क्षेत्रों का पता लगाया जाता है या इन्हें चुना जाता है उस दृष्टि से यहां तक कि अगर हम ऊंचाई या ढलान (चढ़ाई) को दृष्टिगत रखें तो पूर्वी घाट के क्षेत्रों को इन क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाना न्यायोचित है तथा वे विशेष केन्द्रीय सहायता दिये जाने के भी अधिकारी हैं।

हमारे राज्य में पूर्वी गोदावरी, विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम जिले तथा पूर्वी घाट हैं और वहां के लोग बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं। मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहूंगा कि नक्सलबाड़ी आन्दोलन श्रीकाकुलम पर्वतीय क्षेत्र में भी शुरू हुआ था जहां अधिकतर आबादी आदिवासी लोगों तथा अनपढ़ लोगों की है। उन्हें आधुनिक कृषि विकास का ज्ञान नहीं है। देश के अन्य भागों में हो रहे आर्थिक विकास से ये लोग एकदम अलग हैं। इसी वजह से ये नक्सलवादी लोग इन गरीब आदिवासी लोगों पर प्रभाव डालते हैं तथा उन्हें अपने अधीन करते हैं तथा लम्बे समय तक इस आन्दोलन के चलते रहने से वहां के लोगों को, राज्य को तथा अर्थ-व्यवस्था को काफी नुकसान होता रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप इस आन्दोलन की तीव्रता में कमी आई है। आन्ध्र प्रदेश आदिवासी विकास निगम उन पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंच गए हैं जहां आदिवासी लोग उपलब्ध वन सम्पदा से जीविका कमाते हैं तथा जिनका विचौलियों तथा व्यापारियों द्वारा शोषण किया जाता है वे सारा लाभ बटोरकर ले जाया करते थे और इस प्रकार इन लोगों को सदा गरीब रखते थे और अब आदिवासी विकास निगम के बन जाने के बाद उनको कुछ राहत मिली है। परन्तु आज भी मुझे दुःख के साथ केवल यह कहना पड़ रहा है कि स्थिति में कोई अधिक सुधार नहीं हुआ है। भारत सरकार द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में स्पष्टरूप से कहा गया है कि विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी और श्रीकाकुलम जिले जो पूर्वी घाटों का अंग हैं, काफी, काली मिर्च तथा अन्य प्रजातियों के पौधों के रोपणार्थ उपयुक्त हैं। इन क्षेत्रों से बहुत ही मूल्यवान वन-सम्पदा प्राप्त की जा सकती है। अतः, मेरा सरकार से निवेदन है कि वह पूर्वी घाटों को भी उन अभिज्ञात क्षेत्रों में सम्मिलित कर ले जिससे कि वे भी विशेष घटक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र बन जाएं और वे लोग भी उन फसलों को प्राप्त करने और सामाजिक वनरोपण एवं रेशम-कीटपालन उद्योग को विकसित करने में सहायता ले सकें। वहां गौ-पालन का भी बड़ा अच्छा अवसर है। हम आपरेशन फ्लड-दो पर बहुत सारा धन खर्च कर रहे हैं और हमारे राज्य में उस दिशा में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। परन्तु दुर्भाग्य से, मैदानों में, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां बहुत ही खराब होने के कारण किसान गौपालन में कोई बहुत अधिक रुचि नहीं लेता है। अतः, किसान अपनी गायों को ही बेच रहे हैं। परन्तु पहाड़ी क्षेत्रों में, गौपालन बहुत ही कम लागत में किया जा सकता है। और जब वे बड़ी हो जाएं तो उन्हें मैदानी लोगों को बेचा जा सकता है। इस प्रकार पहाड़ों पर रहने वाले लोग कुछ धन कमा सकते हैं। अतः, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इन सभी कार्य-क्रमों को चलाये और इसी के साथ ही साथ इन लोगों के भलाई हेतु इलेक्ट्रानिक्स और कुछ लघु उद्योग इन क्षेत्रों में स्थापित करे। मैं सरकार से सामाजिक वानिकी कार्यक्रम लागू करने का भी निवेदन करता हूं जिसके द्वारा पर्यावरण में भी सुधार किया जा सकता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह पूर्वी घाटों को आन्ध्र प्रदेश में सम्मिलित करे, विशेषकर विशाखापत्तनम पूर्वी गोदावरी और श्रीकाकुलम जिलों को जिससे ये केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के पात्र बन सकें।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : सभापति महोदय, मैं वास्तव में बहुत प्रसन्न हूं कि यह प्रश्न इस सभा में महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आया है। अनेक सदस्य पहले ही इस बात का ब्यौरा दे चुके हैं कि

किस प्रकार वन सम्पदा को नष्ट-भ्रष्ट किया जा रहा है तथा जंगलों के नष्ट होने से पहाड़ी क्षेत्रों में कटाव हुआ है। अतः, स्वयं सरकार ने इन क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता को मान्यता दी है और उन्होंने इन समितियों का गठन किया है। ऐसा करते समय, उन्होंने कुछ क्षेत्रों को अपेक्षित विचारण और केन्द्रीय सहायता से वंचित करने का प्रयास किया है। मैं माननीय सदस्य श्री सोभनादरिश्वरा राय के इस सुझाव से सहमत हूं कि उड़ीसा के बेलेडीला क्षेत्र से लेकर ठीक नीचे नाल्लूमूल्ला तक और फिर महेन्द्रगिरि से लेकर शेवाश की पहाड़ियों तक तथा उसके बाद नीलगिरि में पश्चिमी-घाटों तक मिलने वाले पूर्वी घाटों के पहाड़ी क्षेत्रों को उन क्षेत्रों की सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए जिन पर विशेष विचारण अपेक्षित है। उत्तर-पूर्व राज्य मणिपुर के मेरे माननीय मित्र ने अपना मामला बहुत ही योग्यता से उठाया है। उनके एक कागज के कारखाने की स्थापना करने के सुझाव को छोड़कर मैं उनके लगभग सभी मुद्दों और सुझावों का समर्थन करता हूं ; उसकी तो वन सम्पदा के संरक्षण एवं विकास की आवश्यकता के प्रकाश में बड़ी ही सावधानीपूर्ण ढंग से जाच करनी पड़ेगी। प्रथम दृष्टि में तो वह क्षेत्र बांसों से भरा लगता है, मालाबार की भी यही स्थिति हैं और कोंकण के कुछ क्षेत्र भी ऐसे ही दिखते हैं तथा विन्ध्य प्रदेश का भी यही हाल है। परन्तु जब इसे एक कारखाने और बांसों की अनेकानेक टनों की उसकी मांग तथा इन तमाम बांस के झुरमुटों, झुण्डों को नष्ट करने की आवश्यकता के सन्दर्भ में देखा जाए तो हमें इस बात की पूर्णतया सावधानी बरतनी होगी कि इससे उस क्षेत्र में वनों के बढ़ते हुए विनाश में और बढ़ावा होने की कितनी सम्भावना है। इस प्रकार इस क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए भी आए प्रत्येक अन्य सुझाव को यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अध्ययन करना पड़ेगा कि इन क्षेत्रों की सामान्य पारिस्थितिकीय दृष्टि से उन्हें सही ढंग से अनुरक्षित और संरक्षित रखी जाए।

इस सबके अतिरिक्त, यदि हम इन सभी सुझावों को स्वीकार कर लेते हैं और उनको कार्यान्वित करने की कामना करते हैं तो धन का प्रश्न आता है, वित्तीय संसाधनों का प्रश्न आता है। यह सच है कि आजादी मिलने के समय से हमारी सरकार अंग्रेजों के शासनकाल में यहां जो कुछ हो रहा था उसकी तुलना में बहुत ही अधिकाधिक धन देती रही है। परन्तु इन क्षेत्रों के विकास के लिए जो धन रखा गया है वह उनकी मांग और आवश्यकता की तुलना में बहुत ही कम है। यह धन आयेगा कहां से ? हम उद्योग-विहीन, अविकसित जिलों आदि क्षेत्रों जैसे अविकसित क्षेत्रों के विकास हेतु बहुत विशेष उपाय कर रहे हैं। इसी प्रकार, हमें पूर्ण जोर-शोर से पहाड़ी क्षेत्रों और विशेषतया आदिवासी लोगों की आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए। यह कहना हमारे लिए आसान है पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, परन्तु पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों से हमारा तात्पर्य क्या है ? क्या वे मैदानों के ऐसे लोग हैं जो वहां व्यापारी, उद्योगपति आदि के रूप में जाते हैं जो आदिवासियों का शोषण करना चाहते हैं या ये वह लोग हैं जो मैदानों में जनसंख्या के दबाव के कारण सदियों से वहां रहने को बाध्य हुए हैं और इसलिए उन्हें इन पहाड़ियों के निगूढ़ स्थलों और खोलियों, खोहों में जाकर अपना सिर छुपाना पड़ा ? इन आदिवासी लोगों को तो प्रथम वरीयता दी जानी चाहिए। यह भी एक कारण है कि मैंने उस दिन क्यों एक मन्त्री महोदय से यहां एक प्रश्न किया था कि जब हम इन क्षेत्रों में लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग संगठित और विकसित करने हेतु लोगों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने की सोच रहे हैं तो सरकार को यह याद रखना चाहिए, योजनाकारों को याद रखना चाहिए कि इन लोगों प्रथम वरीयता प्रदान की जाए, वास्तव में इन उद्योगों के विकासार्थ इन आदिवासी लोगों को ही समग्र प्राथमिकता दी जानी चाहिए, परन्तु क्या हम ऐसा करने की स्थिति में हैं ? क्या उनके पास इसका तकनीकी ज्ञान है, क्या प्रबन्धकीय क्षमता है उनमें और क्या उनके पास वित्त है आदि आदि ? जहां तक सरकारी उपक्रमों और अन्य लघु उपक्रमों का सम्बन्ध है जिन्हें आदिवासी लोग स्वयं भी चला सकते

हैं। क्या सरकार के लिए वहां सहकारी उपक्रम संगठित करने और संरक्षणवादी मां की भूमिका निभाने की दिशा में विचार करना आवश्यक नहीं है।

इसके अतिरिक्त, क्या सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि स्थानीय लोगों के सहयोग से इन उद्योगों को चलाने में पहल करे और इन उद्योगों को चलाने और उनका विकास करने में आदिवासी लोगों के सहयोग का स्वागत करें जो पहले तो कामगार के रूप में काम कर सकते हैं और उसके बाद प्रबन्धकों और निदेशकों के रूप में।

अतः, इन सभी दिशाओं में, इन आदिवासी लोगों की सहायता करने के एकमात्र उद्देश्य को लेकर सावधानीपूर्वक इस पर नये ढंग से विचार करना पड़ेगा जिससे वे स्वयमेव आगे बढ़ सकें। हम इन आदिवासी लोगों को उन लोगों से कैसे बचायेंगे जो मैदानों से वहां पहुंचे हैं? मैदानी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है और उसको उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन यह आदिवासी लोगों की तमाम आवश्यकताओं और मांगों के उनके दावों को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी के तहत ही होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

मान लो, हम ये सब बातें कर लेते हैं तो, धन कहां से आयेगा? द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद, पश्चिमी जगत के यूरोप भर में, उन्होंने उन क्षेत्रों के सहायतार्थ 'पुनर्निर्माण कर' के नाम का कर लगाया था जो विनष्ट कर दिए गए थे। इस देश में भी ऐसे ही प्रयास करने पड़ेंगे। सारे भारतवर्ष में आयात कर और उत्पादनशुल्क पर पांच या दो प्रतिशत जो भी हो, विशेष उपकर लगाना चाहिए और प्रति-वर्ष इससे एक विशेष धनराशि एकत्र करके एक कोष बनाना चाहिए और उसमें से आप विभिन्न क्षेत्रों को उनके विकास हेतु अनुदान दें। जब तक हम इन क्षेत्रों और इन आदिवासियों के विकास के लिए इस प्रकार के उपकर द्वारा शेष भारतवर्ष के लोगों को ईमानदारी से अपना अंशदान देने लिए राजी न कर लें तब तक मैं नहीं समझता कि योजना आयोग के लिए यह सम्भव हो सकेगा कि वह इन क्षेत्रों और इन लोगों के विकासार्थ कुछ ऐसा रास्ता निकाल सके जिससे वे पर्याप्त धन सम्भवतया उनके लिए अलग निकाल सकें।

इन क्षेत्रों में हथकरघा बुनाई उद्योग है। यह एक घरेलू उद्योग है, परन्तु उसी के साथ ही इसे वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। और फिर रेशम कीट पालन उद्योग भी है। वन-सम्पदा के संरक्षण और विकास की समग्र आवश्यकता को देखते हुए और बहुत से उद्योगों पर विचार किया जा सकता है। इन सभी उद्योगों को बहुत ही बड़े विशाल पैमाने पर विकास किया जा सकता है, परन्तु यह सब भारी संख्या में लघु इकाईयों के सहयोग संयोजन से किया जा सकता है जो इन लोगों की औद्योगिक ज्ञान की सीमा के भीतर हो।

इसीलिए, मैंने इस मामले का प्रधानमन्त्री महोदय से उल्लेख किया और वह स्वयं भी इस विशेष समस्या के महत्व को समझ गए हैं। वह इसके बारे में विचार कर रहे हैं और मेरे विचार से योजना आयोग भी अब इस पर कुछ ध्यान दे रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधान मन्त्री महोदय के लिए ऐसी योजनाओं के बारे में और इन लोगों की सहायता करने के बारे में सोचना सम्भव हो सकेगा और शतप्रतिशत उत्तरदायित्व लेना तथा स्थानीय सरकार के कन्धों पर से वित्तीय भार हटाना जो पहले से ही अधिक दबी हुई हैं, तथा यह देखना सम्भव हो सकेगा कि पर्याप्त धन प्रदान किया जाए।

इस दिशा में, मैं यह रचनात्मक सुझाव देता हूं कि एक विशेष उपकर या कर होना चाहिए। योजना आयोग, वित्त मन्त्री और भारत सरकार के सम्बद्ध विकास मन्त्रालयों को कुछ ऐसे विशेष साधनों के बारे में सोचना चाहिए। जिससे समस्त भारत से, जिसका अच्छा विकास हुआ है और अधिकाधिक हो रहा है, इन क्षेत्रों के विकास-विशेष हेतु उनके विशिष्ट अंशदान की आशा की जा सकती

है और इस प्रकार अपनी मातृभूमि के विकास में योगदान दे सकते हैं।

अतः, सरसरी तौर पर मैं एक शब्द चम्बल क्षेत्र के बारे में भी कहूंगा। जैसे आप सड़क या रेल से यात्रा करते हैं तो आप देखेंगे कि सहस्रों एकड़ भूमि कटी-फटी पड़ी है, जैसे मातृभूमि को अनेकानेक गहरे घावों से जख्मी कर दिया गया है। उस सारे क्षेत्र का विकास किया जाना है। ऐसी ही स्थिति राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बहुत बड़े क्षेत्र की है। ये सभी क्षेत्र और उसके लोग विकास के लिए चिल्ला रहे हैं। इसलिए, हम यदि इस पर थोड़ा सा विचार करें तो अन्य लोगों की उदारता, बलिदान और कष्ट उठाने की क्षमता और योगदान पर उनका दावा जोरदार हो जाता है। महात्मा गांधी इन लोगों के बारे में रात-दिन सोचा करते थे और ठक्कर बापा भी। अतः, मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी।

5.00 म० प०

सभापति महोदय : इस संकल्प के लिए निर्धारित समय पूरा हो गया है। क्या हम समय बढ़ायें ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यदि आप समय बढ़ा रहे हैं तो मेरा प्रस्ताव कब आयेगा ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या हम समय बढ़ाएं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : कितना ?

कुछ माननीय सदस्य : एक घन्टा।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : जो दूसरा रेज्यूलूशन या बिल होता है, वह खत्म नहीं होता है। उसको मूव करने की इजाजत दे दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा को संकल्प के लिए एक घन्टे का समय बढ़ाना स्वीकार्य है।

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : हम अपने प्रस्ताव को प्रस्तावित कर दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह निर्णय करना सभा का काम है। श्री के० डी० सुल्तानपुरी।

5.02 म० प० **[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]**

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया।

हिमालय के जितने पर्वत हैं, अगर उनके विकास के काम की ओर ध्यान दिया जाए तो मैं समझता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जितनी सड़कें बनी हैं, चाहे यू० पी० हो, काश्मीर हो, हिमाचल हो या नागालैंड हो, जहां-जहां भी सड़कें बनी हैं, वह कच्ची सड़कें बनाई गई हैं। ये सड़कें जब वारिश होती हैं तो एक साल में ही खत्म हो जाती हैं। जितना पैसा हम इन पर खर्च करते हैं, वह सारा जाया जाता है। उसकी देख-रेख के लिए सरकारों के पास पैसा नहीं होता है। राज्य सरकारें बड़ी अक्षम होती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अगर टैक्स वसूल किया जाये तो टैक्स देने की क्षमता लोगों में नहीं होती है।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर पहाड़ी क्षेत्रों की तरक्की करनी है और इनके गांवों को सड़कों से जोड़ना है तो उसके लिए आवश्यक है कि ज्यादा पैसे का प्रावधान किया जाना चाहिए।

बहुत सारी बातें प्रो० रंगा जी ने कही हैं कि वृक्षों का कटान होने से पहाड़ की भूमि का कटाव हो रहा है। यह अधिक मात्रा में देश को तवाह करने वाली बात हो रही है। अगर पहाड़ की सारी मिट्टी अधिक वारिश होने से मैदान में बह कर आ जायेगी और इससे सारी खेती धरम-भरम हो जाएगी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे पहले पहाड़ी क्षेत्रों में सूखा पड़ा है और वहां के लोगों को उसका सामना करना पड़ा है। कई गांवों में महिलाओं को पानी के लिए जाना पड़ता है। पुरुष लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन स्त्रियों की दशा बड़ी शोचनीय है। स्त्रियों को जगह-जगह पानी इकट्ठा करने के लिए, पशुधन के लिए और पीने के लिए पानी लाना पड़ना है। इस तरह से पिछड़े हुए वर्ग के लोगों को बड़ा भारी नुकसान होता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लिफ्ट इरिगेशन की, लिफ्ट वाटर सप्लाई की स्कीम बननी चाहिए।

हमारी योजना ऐसी है कि जहां हाई स्कूल है, जिस पैमाने से मैदान में हाई स्कूल बनता है, उसी तरह से पहाड़ों के लिए आंकना कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे मणिपुर के मैम्बर ने कहा कि हमारे यहां एक ईंट का भाव 2 रुपये पड़ता है। उससे कैसे वहां स्कूल और कालेज बन सकते हैं।

आज एजूकेशन का बुरा हाल पहाड़ी क्षेत्रों में है। शिक्षा प्रणाली इस तरह की है कि दूर-दराज में कहीं मिडिल स्कूल है, कहीं हाई स्कूल है और 10, 10, 12, 12 मील में कहीं कालेज भी है।

एक तरफ तो हम उनकी बेरोजगारी को दूर कर उनको रोजगार दिलाना चाहते हैं और उन को प्रतियोगिता में खड़े होने के लिए बोलते हैं, लेकिन फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल पाती इसी कारण वह हर क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं। बैंकों में नौकरी के लिए यहां से अधिकारी भेजे जाते हैं, लेकिन वह वहां जाकर ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि हमें यहां से जल्दी छुटकारा मिले। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको कि वहां की कलाइमेंट सूट करती है। इसलिए आपको वहां का इस प्रकार से विकास करना होगा कि हर कोई वहां पर जाना पसन्द करें, इसके लिए ऐसी सुविधाएं जुटानी होंगी कि उसको वहां किसी प्रकार की कठिनाई न हो जैसे कि उनके बच्चों की अच्छी तालीम आदि की व्यवस्था करना। वैसे हमारे प्रधान मन्त्री जी ने हर जगह का दौरा भी किया है। इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। पहाड़ी क्षेत्र की गरीबी दूर करने के लिए कार्यक्रम भी अच्छा बनाया है।

आज हम देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र के गरीब लोगों को पब्लिक स्कूल और सेन्ट्रल स्कूल आदि में दाखिला मिलता नहीं है। अंग्रेजी बोलने वालों और बैरिस्टर आदि के बच्चों को ही इन स्कूलों में दाखिला मिलता है। इस असमानता को भी आपको दूर करना होगा।

आई० आर० डी० पी० आदि कार्यक्रमों द्वारा जो मदद मिल रही है वह भी पहाड़ी वासियों को मिल नहीं पाती है। वह बेचारे पढ़े लिखे होते नहीं हैं। उनको मालूम ही नहीं होता कि ऋण कैसे लिया जाता है, इसलिए वह इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं।

आज पहाड़ी क्षेत्रों से वृक्ष कटते चले जा रहे हैं। इनको रोकने के लिए भी आपको कदम उठाना होगा। इस सम्बन्ध में हमारे मित्र श्री हरीश रावत जी ने जो प्रस्ताव रखा है, इसमें बहुत अच्छी बातें हैं, इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। यह ऐसा प्रस्ताव है जिससे हमारे हिमाचल प्रदेश, यू० पी०, नागालैंड, मिजोराम और कशमीर आदि पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्ष कटते चले जा रहे हैं, वह रुकने में सहायता मिलेगा। इसमें मेरा एक सुझाव यह है कि यह देखने के लिए हर मिनिस्ट्री में एक कक्ष बनाया जाये कि पहाड़ी क्षेत्रों का विकास हो रहा है या नहीं। हम देखते हैं कि आजादी के बाद यानि कि अंग्रेजों के जाने के बाद पहाड़ों में कोई नई रेल लाइन नहीं बिछाई गई। सड़कों की हालत भी बहुत खराब है। जो सड़कें वहां अभी तक कच्ची बनी हुई हैं, उनको पक्का किया जाये। वह लोग अपनी जीवन बहुत कठिन अवस्था में व्यतीत कर रहे हैं।

आज जितने भी नये उद्योग लग रहे हैं, वह सब मैदानी क्षेत्रों में ही लग रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र इसमें बहुत पीछे रह गया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि वहां आप कारखाने लगायें और बड़े उद्योगों को लाइसेंस दें, लेकिन आप उनको लाइसेंस नहीं देते हैं क्योंकि वह गरीब हैं। उनको पता ही नहीं है कि किस तरह उद्योग लग सकता है। जो सबसिडी खाने वाले लोग हैं, वह बहुत होशियार होते हैं। वह पहले ही उद्योग मंत्रालय से मिल कर अपने लिए लाइसेंस लेकर जाते हैं और आठ-आठ दस-दस साल तक वहां कोई कारखाना नहीं लगाते हैं, न ही वहां के लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। तो उन कारखानों से हम को क्या फायदा है ?

अभी पंजाब के बोर्डर पर जो झगड़े हुए तो हिमाचल प्रदेश को भी ला ऐंड आर्डर का सामना करना पड़ा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश को भी मैंने देखा है। कोटबार की तरफ से आगे पियौरागढ़ की तरफ को जाय कहीं कोई इंडस्ट्री नहीं है। अगर आप चमोली डिस्ट्रिक्ट के अन्दर या और ऊपर के इलाके में कहीं भी लगाना चाहें, गढ़वाल में लगाना चाहें, ऋषिकेष के ऊपर कहीं भी लगाना चाहें तो कोई लगाने के लिए तैयार नहीं है। कौन जाए वहां पर ?

जितनी हमारी पनबिजली योजनायें बनी हुई हैं हिमाचल प्रदेष और उत्तर प्रदेश में, कटाव की वजह से वह डैम भर रहे हैं। उसके लिए आपको अधिक मात्रा में पैसा देना पड़ेगा ताकि उससे वहां पर वन लगें, प्लांटेशन हो जिससे भूमि के कटाव को रोका जा सके। इसकी तरफ खास तौर से आपको तवज्जह देनी चाहिए।

यहां पर कहा गया कि ऊंचाई के क्षेत्र में एलेक्ट्रानिक कांप्लेक्स लगाना चाहिए यह बिल्कुल सही है। वहां पर एलेक्ट्रानिक्स का बड़ा भारी स्कोप है। यहां तो एयर-कंडीशनर लगाकर लगाते हैं, वहां एयर कंडीशनर की जरूरत नहीं है। तो आगे ज्यादा से ज्यादा एलेक्ट्रानिक्स के कारखाने लगाने के लिए लाइसेन्स पहाड़ों पर दें।

पहाड़ों पर दूर-संचार की हालत भी बड़ी खराब है। कहीं पर टेलीफोन नहीं है। टेलीफोन विभाग को लिखते हैं तो अम्बाले या लंखनऊ से वे लिखते हैं कि वहां पर माप-दण्ड पूरे नहीं होते हैं। माप-दण्ड तब पूरे होंगे जब पहाड़ी क्षेत्र खत्म हो जायेंगे ? इसलिए वहां पर दूर-सचार व्यवस्था को भी ठीक ढंग से चलाने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में मदद मिलनी चाहिए।

सेब और आलू की हमारे यहां खेती होती है। उसमें कई तरह की बीमारियां लगती हैं। मैं

मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उनको आप वहां पर अफीम बोने का अवसर दें ताकि अफीम बोकर वे कम से कम अफीम तो निकाल सकें और उससे बीमारियां भी खेती-बाड़ी की खत्म हो जायेंगी। दवाइयां जो हम देते हैं (**व्यवधान**) डागाजी, आप हंस रहे हैं, आपको वहां की मुसीबत का पता नहीं है। तो ये सब चीजें सबसे पहले हमारे यहां होनी चाहिए।

माननीय ब्रह्मदत्त जी यहां पर बैठे हुए हैं, वे उत्तर प्रदेश के वित्त मन्त्री रह चुके हैं। उनका क्षेत्र ऋषिकेष से चलता है और हमारे क्षेत्र तक चला जाता है। वह ट्राइबल एरिया घोषित है। मैं यहां यह मांग करूंगा कि रेणुका, शिलाई, चौपाल और रोहू विधान सभा क्षेत्र जितने भी हैं इनको ट्राइबल घोषित करें और जो सुविधा उत्तर प्रदेश वालों को मिलती है वह उनको भी दें ताकि वे भी तरक्की कर सकें।

श्री जनक राज गुप्ता (जम्मू) : सभापति महोदय, हरीश रावत जी ने जो रेजोल्यूशन पेश किया है, मैं मशकूर हूं उनका और आपका भी कि यहां पर अपनी एरिया की बातें कहने का और वह गरीब लोग जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उनकी बातें यहां रखने का मौका मिला। आप पंजाब से ज्यों ही जम्मू कश्मीर की रियासत में चलें तो हमारा जो क्षेत्र है उसके एक तरफ तो पाकिस्तान का बार्डर है और दूसरी तरफ सारे पहाड़ ही पहाड़ हैं। वह ऐसा एरिया है जहां पर, जैसा कि सुल्तानपुरी जी ने कहा कि पीने का पानी भी लाना हो तो शायद दस किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा। जहां तक खेती का ताल्लुक है, अव्वल तो कुछ पैदा नहीं होता है और यदि कहीं पर मक्के की फसल वे लगायें तो या तो बारिश नहीं होती है या बारिश भी हो तो जो जंगली जानवर रीछ वगैरह हैं, वे कुछ होने नहीं देते हैं। इस किस्म का वह इलाका है। दूसरी तरफ हमारे जो भदरवा और किस्तवार के इलाके हैं, यह ठीक है कि वहां पर रा-मैटीरियल बहुत है, माइन्स वगैरह को एक्सप्लाइट किया जा सकता है लेकिन वहां तक पहुंचने के रास्ते कोई नहीं हैं। सबसे मशहूर नीलम की खान उसी इलाके में है लेकिन वहां तक अगर आपको राशन भी ले जाना हो तो शायद भेड़ बकरी की पीठ पर ही ले जाना पड़े, दूसरा कोई जरिया नहीं है जिससे राशन पहुंच सके। इसलिए मेरा निवेदन है, जैसा कि उन्होंने भी कहा है, हर मिनिस्ट्री में एक ऐसा सेल होना चाहिए जो पहाड़ी इलाकों के डेवलपमेंट पर पूरी तवज्जह दे सके। वहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और बहुत सारे काम किए जा सकते हैं—इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। उस इलाके में सरकार ने काफी कोशिश भी की है काम करने की, लेकिन वह बहुत नाकाफी है। हमारे यहां हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। यह सही है कि दो प्रोजेक्ट शुरू भी किए गए हैं—एक किस्तवार में और एक सलाल में—लेकिन यही काफी नहीं हैं। वहां के गरीब लोगों की हालत को सुधारने के लिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के कुछ ऐसे इन्तजामात किये जायें जिससे वह इलाका कुछ डेवलप हो सके। सबसे पहली तवज्जह तो सड़कें बनाने की तरफ जानी चाहिए ताकि टूरिस्ट्स वहां पर जा सकें। लोग वहां पर जाना चाहते हैं लेकिन आज की हालत में जा नहीं सकते हैं। वहां पर लोगों की आमदनी का ज्यादातर दारोमदार टूरिज्म पर ही है लेकिन अगर वहां तक सड़क ही नहीं बनेगी तो टूरिस्ट किस तरह से जा सकेंगे ? अगर टूरिस्ट नहीं जायेंगे तो लोगों की वहां पर वही हालत बनी रहेगी क्योंकि कोई मजदूरी है नहीं और दरख्त कटते जा रहे हैं।

यह ठीक है कि जम्मू से ऊधपुमर के बीच में 60 किलोमीटर की बात है, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है लेकिन उसका काम इतन स्लो चल रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कम से कम दस साल उस में लग जायेंगे और फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। फिर जो लेबर है वह भी कहीं बाहर से वहां पर लाया जाता है। इसलिए मैं वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रहा हूं, दूसरे वहां पर भेड़-बकरियां पालने का बड़ा स्कोप है। आप लोगों को उसके लिए कर्जा मोहैया करायें। आप सुनकर हैरान होंगे कि वहां पर अगर गोस्त भी पहुंचाना हो तो उसके लिए भी राजस्थान से बकरे जाते हैं।

कश्मीर में दूध भी अमृतसर से जाता है। सरकार ने जो स्कीमें बनाई हैं उनमें काफी प्राविजन्स किए गए हैं।

जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, वहां तक पैसा नहीं पहुंच पाता है। आज सवेरे ही इस मुद्दे पर बात हो रही थी कि मैदानी इलाकों में जहां सब्सिडी देते हैं, वहां सब्सिडी मिलने में यदि चढ़ावा न चढ़ाया जाए तो नहीं मिलती है। इस बात को देखते हुए पहाड़ी क्षेत्रों का कम से कम आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वहां की हालत क्या होगी। इसमें कोई दो राय नहीं हैं, वहां पर सरकार ने काफी काम किया है। इन क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने काफी काम किया है। वह इतनी महत्वपूर्ण जगह है, जहां मुगल बादशाह जब वहां से निकलते थे, तो दो-चार दिन वहां जरूर ठहरते थे। लेकिन वह जमाना तो अब नहीं रहा, वहां के गरीब की हालत को बेहतर करना है तो मीन्स आफ काम्युनिकेशन्स होने चाहिए, दूसरे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए।

तीसरी मुख्य बात यह है कि हिंदुस्तान के दूसरे राष्ट्रों से लोगों ने पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर जंगलों को काटकर लकड़ी और रेजिन के रूप में करोड़ों-अरबों रुपयों का मुनाफा किया है, लेकिन वहां के जो गरीब आदमी हैं, उसके हिस्से में एक पैसा भी नहीं आया है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि सरकार को इस पर तवज्जह देनी चाहिए, ताकि उन गरीब लोगों की हालत सुदृढ़ हो सके।

मैं प्रधान मंत्री साहब को बधाई देना चाहता हूं, वे जिस तरह से देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को यह अंदेशा होने लगा था और बहुत से लोगों ने इस किस्म का वातावरण पैदा करने की कोशिश की, कि अंदरूनी और बाहरी तौर पर देश के हालात बिगड़ने वाले हैं और सुधरने वाले नहीं हैं। पंजाब की समस्या थी, असम की समस्या थी या गुजरात में ऐसे हालात पैदा किए जा रहे थे, लेकिन इन समस्याओं को जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हल किया उससे जाहिर होता है कि वे एक फरिश्ते के रूप में आए और जो लोग गड़बड़ करना चाहते थे, उनको रोक दिया और कहा कि हम देश की उन्नति के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। आदिवासियों के कैम्पों में जाकर उनके हालात को देखा और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी गरीबी को कैसे दूर किया जाए। जिस तरह से उनके दिन में इन लोगों के लिए दर्द है, उसी तरह से इन लोगों के लिए भी उनके दिल में दर्द है। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए फण्ड्स रखकर उनकी बेहरतरी करेंगे—मुझे ऐसा पूरा विश्वास है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, चांदनी रात का मजा वही ले सकता है, जो दिन भर दोपहरी में काम करता है। पहाड़ों का आनन्द वही ले सकता है, जो पहाड़ों को छेड़ता नहीं है। मुझे क्षमा करेंगे, रावत साहब आपने पहाड़ों के विकास के लिए मांग की, पहाड़ों के अन्दर आप हमें जगलों में रहने दें, यदि शहर वाले वहां जाकर छेड़खानी न करे, तो अच्छा होगा। इन्होंने वहां जंगलों को बरबाद किया। पेड़ों की छाया में अगर संस्कृत के स्लॉलर पैदा हो सकते थे, कालीदास पैदा हो सकते थे, वहां पुष्पक विमान उड़ सकता था, तो आज ये वायुदूत की मांग करते हैं। योजना मंत्री जी आप जरा वहां की समस्याओं पर फिर से विचार करें और ठण्डे दिमाग से सोचें। इन शहरी लोगों ने वहां जाकर पहाड़ के लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया है। रावत जी तुम्हारे यहां सब देवता रहते हैं। वह देवताओं की भूमि है, बद्रीनाथ का मन्दिर है, देहरादून नैनीताल—ये सब देवताओं के स्थान हैं, लेकिन इन शहर वालों ने जब से वहां जाना शुरू किया, वहां पर सड़के बनाई, वहां के जंगलों का नाश कर दिया। पहाड़ों के रहने वाले जितने मजबूत होते हैं, रावत जी अब आप उतने मजबूत नहीं रहे। दिल्ली की सड़कों और मोटरों में चलने से आपकी मजबूती खत्म हो गई। रेगिस्तान के टीलों में

पैदल चलने वाले जितने मजबूत हो सकते हैं, उतने शहर के लोग मजबूत नहीं हो सकते। आज हमारे हिल स्टेशनों की हालत क्या है, आप का महाबलेश्वर, ऊटकमंड कैसे हिल स्टेशन बन कर रह गए हैं। कलकत्ते के पास दार्जलिंग को ले लीजिए। हमारे राजस्थान में माउंट-आबू को लीजिए, वहां क्या हुआ है ? बड़े-बड़े लोगों के बंगले बन गए हैं। वहां से पेड़-पौधे खत्म हो गए हैं। लोगों ने वहां के जंगलों का नाश कर दिया है···(**व्यवधान**)···इन शहर के रहने वाले हमारे साथियों ने हमारा भला नहीं किया है।

समापति महोदय : आप चेयर को एड्रैस कीजिए।

श्री मूलचंद डागा : श्रीमन्, ये सारे के सारे एक साथ बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे प्रोटैक्शन चाहता हूं और मैं आपके सहारे बोल रहा हूं। मेरे दिमाग में तो यह बात आई है, अगर पहाड़ों को कोई नहीं छेड़ता, जंगलों को कोई नहीं छेड़ता, तो उनकी यह हालत नहीं होती। वहां पर कागज के कारखाने बने और हजारों एकड़ जमीन के पेड़ों को काट दिया—यह आपने योजना बनाई है। आप वहां पर कैसी योजना चाहते हैं ? सौभाग्य से हमारे सांइस और टैक्नालाजी के मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं। सब इस बात पर गंभीरता से विचार करें। हमारे राजस्थान में जो लोग वहां के रेगिस्तानों में चलते हैं, वे इतने मजबूत और टार्डी होते हैं कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, फुटबाल के खिलाड़ी भी उनको नहीं जीत सकते। अगर हिमालय की रक्षा चीन से करनी है, तो पहाड़ के लोग ही बदादुरी के साथ उनका मुकाबला कर सकते हैं। वे लोग ही उनका मुकाबला कर सकते हैं, हमारे रावत जी वहां जाकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह जो नई बातें शुरू की हैं, हमारे यहां इण्डस्ट्री लगानी चाहिए, सांइस और टैक्नालॉजी के काम वहां शुरू होने चाहिए, मैं पिछले 38 सालों से आपकी प्लानिंग को देख रहा हूं। प्लान बने और दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी योजनाओं में इतना रुपया खर्च करने के बाद भी इच्छित् विकास पहाड़ी इलाकों में रहने वालों का नहीं हुआ···

[**अनुवाद**]

समापति महोदय : गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों का समय समाप्त हुआ। यह चर्चा अगली बार जारी रहेगी। श्री डागा अपना भाषण जारी रखेंगे।

5.30 म० प०

आधे घंटे की चर्चा

रंगीन टेलीविजन सैटों के मूल्य

[**अनुवाद**]

श्री चिन्त मोहन (तिरुपति) : नवम्बर 1982 में एशियाड के समय हमने 90,000 टेलीविजन किटों का आयात किया था। उस समय हमने 400 लाइसेंस दिए थे जिनमें से 50 निर्माता इस समय हमारे देश में रंगीन टी० वी० सैटों का निर्माण कर रहे हैं। वास्तव में भारत में प्रतिवर्ष 60,000 टी० वी० सैट बनाये जाते हैं किन्तु टी० वी० सैट निर्माता अपनी रिपोर्टों में गलत जानकारी देते हैं कि वे 20 लाख टी० वी० सेट बना रहे हैं। यय सब केवल कागज पर है।

जहां तक 24 जुलाई 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 261 का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया था कि उन्होंने भारतीय टी० वी० निर्माताओं से एकवचन ले लिया था। उन्होंने

यह भी कहा था कि कुछ टी० वी० निर्माता नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। मंत्री महोदय ने यह भी कहा था कि उन्होंने एकाधिकार तथा निर्बंधनकारी व्यापारिक व्यवहार आयोग को एक जांच नोटिस दे दिया है।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंने एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार आयोग को कब पत्र लिखा है और यदि टी० वी० निर्माता नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो सरकार और मंत्रालय ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया था कि छः निर्माताओं ने सुपर बाजार और सहकारी समितियों के माध्यम से टी० वी० सेट बेचने के लिए सहमति प्रकट की है। मैं जानना चाहता हूं कि वे छः निर्माता कौन-से हैं जो सहकारी समितियों और सुपर बाजार के माध्यम से टी०वी० सेट बेचना चाहते हैं और वे किस कीमत पर ये सेट बेचना चाहते हैं।

मंत्री महोदय ने कहा था कि उन्होंने टी०वी० निर्माताओं से वचन ले लिया है। मैं उस वचन को पढ़कर सुना रहा हूं जो मन्त्री महोदय ने टी० वी० निर्माताओं से 2 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प कागज पर लिया है। विवरण इस प्रकार है :

> "हमने सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अन्तर्गत रंगीन टी० वी० सेटों के निर्माण के लिए अपेक्षित विभिन्न पुर्जों के लिए आयात लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। हम वचन देते हैं कि रंगीन टी० वी० सेट का कारखाना-द्वार कीगत साधारण सेट के लिए 5200 रुपए से और इलेक्ट्रानिक ट्यूनर के लिए 5600 रुपए से अधिक नहीं होगी। कीमतों के आधार पर हम व्यापारियों से वचन लेंगे कि उपभोक्ता को हमारे द्वारा निर्मित रंगीन टी० वी० सेट के लिए 7500 रुपये से अधिक नहीं देने पड़ेंगे।"

उन्होंने यह भी वचन दिया था कि व्यापारी इलेक्ट्रानिक ट्यूनर वाले टी० वी० सेट को 8000 रुपये से अधिक कीमत पर नहीं बेचेंगे। उन्होंने अपने करार में इस बात का वचन दिया था। इस कीमत में गारंटी और वारंटी शामिल हैं और दिल्ली में बिक्री के लिए बिक्री कर देना होता है। दिल्ली से बाहर के राज्यों में बिक्री के लिए बिक्री कर को स्थानीय दरों के अनुसार समायोजित करना होता है।

उन्होंने यह भी कहा था कि :

> "हम वचन देते हैं कि निर्माताओं द्वारा दिए गए इस वचन का उल्लंघन किए जाने पर निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें आयात नियंत्रण विनियमों के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही शामिल है।"

किन्तु जैसा कि आपने अतारांकित प्रश्न के अपने उत्तर में कहा था कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, मैं जानना चाहता हूं कि आप उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

इसके साथ ही स्वर्गीय प्रधान मन्त्री ने 14 अप्रैल 1984 को अपने वक्तव्य में कहा था कि :

> "सरकार ने अनुमान लगाया है कि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में कमी किए जाने के बाद 51 सेंटीमीटर वाले रंगीन टी० वी० सेट लगभग 5000 रुपए में मिल सकते हैं। इस प्रकार के कुछ सेट बाजार में स्थानीय करों को छोड़ कर 5000 रुपयों में मिल रहे हैं।"

किन्तु वे इन्हें 10,000 रुपये से 15000 रुपये के बीच बेच रहे हैं।

यदि आपको इस वक्तव्य का जरा भी ख्याल रहे और यदि आप सोचते हैं कि यह वक्तव्य तथ्यों की दृष्टि से सही है तो मैं जानना चाहता हूं कि आप इन टी० वी० निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

इस अवसर पर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 90,000 टी० वी० किटों का वितरण इनमें से कुछ फर्मों को निम्न रूप से किया गया है :

भारत टेलीविजन लि०, बंगलौर	2627 किट
हाईवीन इलैक्ट्रानिक्स	2034 किट
बुश इण्डिया लि० बम्बई	829 किट और
	940 किट
कास्मिक कम्पनी	100 किट
वेस्टर्न इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लि०	1371 और
	3680 किट
बेलटेक	5486 और
	1580 किट
नेल्को	96 किट

क्या आपने टी० वी० निर्माताओं से कभी यह जानने की कोशिश की है कि क्या उन्होंने उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर टी० वी० सेट बेचे हैं ?

मैं कहना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में और भारत के अन्य भागों में टी० वी० निर्माता विभिन्न कीमतों पर टी० वी० बेच रहे हैं जो 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए के बीच हैं।

मैं आपकी जानकारी तथा सदन की जानकारी के लिए कुछ उदाहरण दे रहा हूं।

श्री के० आर० नागाराजन ने मेसर्स अपोलो इलेक्ट्रानिक्स, तिरुपति से, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है डायनोरा रंगीन टी० वी० 10000 रुपये में खरीदा। उनका बिल नं० है 67 दिनांक 22-1-85,

मेरे राज्य में विशाखापटनम के श्री ई० श्रीरामचन्द्र ने मेसर्स नीड्स इलेक्ट्रानिक्स से 15000 रु० में एक डायनोरा रंगीन टी० वी० खरीदा। उनका बिल नं० है 42 दिनांक 26-11-84,

सिकन्दराबाद के श्री वेंकटस्वामी ने मेसर्स जे०पी० इलेक्ट्रानिक्स सिकन्दराबाद से 10000 रु० में एक डायनोरा रंगीन टी० वी० खरीदा। उनका बिल नं० है 308 दिनांक 10-8-83,

जमशेदपुर के श्री जी० नागराजन ने 10000 रुपये के एक टेलीविस्टा रंगीन टी० वी० खरीदा। उनका बिल नं० है 194 दिनांक 20-1-85,

अनंतपुर की श्रीमती पी० शंकुलतंलम्मा ने मेसर्स जेमिनी रेडियो सेंटर से, एक क्राउन रंगीन टी० वी० 10500 रुपये में खरीदा। इनका बिल नं० है 173 दिनांक 24-11-84,

मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा था कि ये लोग 5000 रुपये और 5500 रुपये के बीच बेचेंगे। ये लोग वस्तुतः सरकार के नियमों का उल्लघंन कर रहे हैं। अतः आप उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में आपने यह कहा है कि आपने एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार आयोग को जांच का नोटिस दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने उक्त आयोग को पत्र कब भेजा था ? हाल में मैं आयोग के कार्यालय गया था और उन्होंने मुझे बताया कि उस दिन तक उन्हें कोई पत्र नहीं मिला था। उन्होंने बताया कि किसी स्वयं सेवी संगठन 'वायस' या ऐसे ही किसी संगठन ने पत्र लिखा है जिसमें से तथ्य दिए गए हैं।

मेरा कहना यह है कि आपने अतारांकित प्रश्न के अपने उत्तर में यह कहा है कि आपने स्वयं एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार आयोग को शिकायत की है किन्तु उन्होंने मुझे स्वयं कहा है कि उन्हें सरकार, मंत्रालय या कि मंत्री महोदय से कोई पत्र नहीं मिला है।. उन्होंने मुझसे यही कहा है।

मैं कहना चाहता हूं कि ये सब टी० वी० निर्माताओं की मिलीभगत से हुआ है। मंत्रालय के कुछ नौकरशाहों और अधिकारियों तथा टी० वी० निर्माताओं की मिलीभगत से टी० वी० निर्माताओं को कीमतें बढ़ाने दी गई हैं। मुझे नहीं मालूम कि मंत्रालय इस प्रकार की बातों पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पाता है। स्वर्गीय प्रधानमन्त्री और टी० वी० निर्माताओं द्वारा वचन दिए जाने के बावजूद मंत्रालय टी० वी० निर्माताओं के कदाचारों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। मैं इस समय यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार की असफलता है ; यह मंत्रालय की असफलता है कि वह इस प्रकार की प्रथा को रोक नहीं पा रही है। मेरे विचार से यह सरकार की पूरी असफलता है। अब मैं आपको सुझाव देता हूं जिनसे आप इस प्रकार कीमतों को बढ़ने में रोक सकते हैं।

मेरा सुझाव है कि हमें महीने में एक बार टी० वी० कार्यक्रमों आकाशवाणी के कार्यक्रमों और समाचार पत्रों एजेंसियों के माध्यम से टी० वी० की कीमतें घोषित करनी चाहिए। कुछ समाचार पत्र एजेंसियां रिपोर्टें प्रकाशित कर रही हैं किन्तु वे बिलकुल असत्य है। इसके साथ ही, सुपर बाजार और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से टी० वी० सेटों की बिक्री भी सम्भव है। वे कीमतें बढ़ाकर नहीं बेच सकते हैं।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आपने एकाधिकार और निर्बंधनकारी व्यापारिक व्यवहार आयोग को फर्जी टी० वी० निर्माताओं के बारे में नहीं लिखा है तो मेरा अनुरोध है कि कम से कम अब तो ऐसा कर डालिये और यह सुनिश्चित कीजिए कि उपभोक्ताओं को कुछ लाभ हो। यदि निर्माता दोषी पाए जाएं तो उनके लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिए जाने चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने 10,000 रुपये या 15000 रुपए से अधिक में टी० वी० सेट खरीदे हैं, उन्हें अधिक लिया गया पैसा वापस किया जाना चाहिए। तभी उन लोगों के साथ न्याय होगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : महोदय, एशियाड के समय हम दर्शकों को रंगीन टी० वी० सेट उपलब्ध कराना चाहते थे। इसलिए हमने भारत में टी० वी० सेटों के आयात की अनुमति दे दी। उस समय उनके आयात पर आपत्ति उठाई गई। अतः हमने किटों के आयात की अनुमति दे दी। ई० टी० टी० डी० कारपोरेशन ने, जो इलेक्ट्रानिक उपकरणों, पुर्जों, सामग्री आदि का व्यापार करता है, इलेक्ट्रानिक्स विभाग की अनुमति से किटों का आयात किया।

किट टेलीविजन निर्माताओं को दिए गए थे। सरकार उस समय यह चाहती थी कि उपभोक्ताओं को टेलीविजन उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए। इस प्रकार सरकार और निर्माताओं

के बीच एक समझौता हुआ था कि टेलीविजन सेट 7500 रुपए या 800 रुपए या इसके लगभग एक निश्चित मूल्य पर बेचे जायेंगे। टरेट ट्यूनर वाला 7500 रुपए में और दूसरी प्रकार का इलैक्ट्रोनिक ट्यूनर वाला 8000 रुपए में बेचा जाएगा। किट निर्माताओं को वितरित किए गए थे। उन्होंने टेलीविजन सेटों का निर्माण किया और डीलरों के मध्यम से उन्हें बाजार में बेचा गया। हमें कुछ क्रेताओं से शिकायतें प्राप्त हुई और हमने डीलरों पर न कि उत्पादकों पर लगाए गए सभी आरोपों की जांच की और हमने पाया कि डीलरों ने एक विलक्षण तरीके से इस शर्त का पालन नहीं किया। उन्होंने सेट निर्धारित मूल्य पर ही बेचा परन्तु उन्होंने कहा था कि बढ़ी हुई अवधि की वारंटी के लिए वे उस राशि से अधिक वसूल करेंगे जिसकी वास्तव में अनुमति दी गई है।

बढ़ी हुई वारंटी अवधि के लिए उन्होंने कुछ मामलों में 1000 रुपए अधिक वसूल किए और कुछ अन्य मामलों में 1500 रुपए अधिक वसूल किए। इस सम्बन्ध में उन्होंने संभवतः कानून विशेषज्ञों से सलाह ली थी और इन शर्तों का उल्लंघन किया। बढ़ी हुई अवधि के लिए वे सेटों के लिए वसूल करेंगे। अन्यथा वे केरल समझौते द्वारा निर्धारित मूल्य वसूल करते। यहां यह बात समझने की है कि समझौता सरकार और उत्पादकों के बीच हुआ था न कि सरकार और डीलरों के बीच। हमारी कठिनाई यह थी। हमने डीलरों के साथ समझौता नहीं किया था। हमने उत्पादकों के साथ समझौता किया था। हमने निर्माताओं से कहा था कि वे शर्तों से बन्धे हैं और यह सुनिश्चित करना उनका काम है कि सेट बाजार में निर्धारित मूल्यों पर बेचे जाएं? हमने उनसे कहा कि वे डीलरों से आश्वासन लें और डीलरों को विवश करें कि सेट निर्धारित मूल्य पर बेचे जायेंगे। हमें उनकी एसोसिएशन से उत्तर मिला जिसमें उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण बाजार पर नियन्त्रण रखना उनके लिए कठिन है। उन्होंने तथा अन्यों ने यह रुख अपनाया कि वे डीलरों के साथ समझौता नहीं कर सकते। कुछ ने कहा कि वे इसे लागू नहीं कर सके। सरकार के समक्ष कठिनाई यह थी कि डीलरों पर समझौता लागू नहीं होता।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा): उत्पादकों के लिए समझौता लागू करना कठिन है परन्तु जनता को लूटना आसान है।

श्री चिन्त मोहन: हमने देखा है कि समझौते में डीलर भी सम्मिलित किए गए थे।

श्री शिवराज वी० पाटिल: परन्तु उस समझौते पर डीलरों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। उत्पादकों ने किए थे।

श्री चिन्त मोहन: उत्पादकों ने आश्वासन दिया था कि वे डीलरों का भी ध्यान रखेंगे।

श्री शिवराज वी० पाटिल: इसीलिए हमने उत्पादकों से कहा। हम डीलरों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते थे। उत्पादकों के विरुद्ध कर सकते थे।

अब यह अत्यन्त चतुराई और चालाकी से किया जा रहा है। कोई समझौते का उल्लंघन करने का प्रयास कर रहा है; कोई स्थिति से फायदा उठाने का और उपभोक्ताओं का शोषण करने का प्रयास कर रहा है।

श्री चिन्त मोहन: सरकार से सब चुस्त हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल: अतः महोदय, हमने उत्पादकों से कहा कि वे उनके विरुद्ध कार्यवाही करें और हम भी उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। हमें जो उत्तर प्राप्त हुआ वह वास्तव में युक्तियुक्त नहीं था। उपभोक्ताओं ने भी हमें लिखा। एक उपभोक्ता संगठन ने एम० आर० टी० पी० आयोग को एक आवेदन भेजा और आयोग उस पर विचार कर रहा है। हमें एम०आर०टी०पी० अधिनियम की भी अत्यन्त सावधानी से जांच करनी होगी ताकि उनके विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। अन्यथा

उनके विरुद्ध आदेश प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस पर अत्यन्त सावधानी पूर्वक विचार करना होगा। हमें वे उपबन्ध सुनिश्चित करने हैं। जिनके अन्तर्गत एम० आर० टी० पी० आयोग के प्राधिकारियों को आवेदन भेजा जा सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकेऐसी बात पुनः न हो।

इस प्रकार मामला अब एम० आर० टी० पी० के विचाराधीन है। और वे इस सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं। वास्तव में एम० आर० टी० पी० अर्ध-न्यायिक निकाय है और एक बार निर्णय दिए जाने के बाद कार्यवाही की जा सकती है। हमारी स्थिति यह है।

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, यदि कोई कार्यवाही की जानी है तो वह कानून की परिधि में की जानी है। यदि वह कानून की परिधि में नहीं की जाती तो इसे अपीलीय न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और रद्द की जा सकती है। एक मुद्दा यह भी है और सरकार सदस्यों के प्रति भी उत्तर-दायी है। यहां कोई भी खड़ा होकर पूछ सकता है कि हम कार्यवाही कैसे कर सकते हैं।

एक सुझाव यह दिया गया था कि आप उत्पादको को दिए गए लाइसेंस रद्द क्यों नहीं करते। मान लीजिए हम बिना किसी जांच के उत्पादकों को दिए गए लाइसेंस रद्द कर दें तो वह तत्काल न्यायालय में जाएगा और निषेधादेश प्राप्त करेगा। इस प्रकार हमारी सारी योजना विफल हो जाएगी।

अतः ऐसे मामलों में कार्यवाही कर रहे हैं ताकि हम हतोत्साहित न हों और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में यह फिर न हो। यह इसका एक कानूनी पहलू है।

परन्तु हम केवल कार्यवाही करने के लिए उत्सुक नहीं हैं। हम तो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक हैं कि ये वस्तुएं उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर मिलें।

हमारी रुचि दण्ड देने में नहीं है परन्तु यदि यह आवश्यक हुआ तो दण्ड देना हमारा कर्तव्य है और उसे हम निभायेंगे। परन्तु इससे भी अधिक हमारा कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि वस्तुएं उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध हों।

इसलिए हमने कुछ कदम उठाये हैं। सरकार ने इस सम्बन्ध में यह कदम उठाया है कि उसने काफी लोगों को लाइसेंस दिए हैं। मैं आपको सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंसों की संख्या बता सकता हूं।

संगठित क्षेत्र की 74 आशय पत्र दिए गए हैं और अनुमानित स्थापित क्षमता 69 लाख की है। हमने इन आशय पत्रों को लाइसेंसों में परिवर्तित कराने और उत्पादन आरम्भ कराने की कुछ समय तक प्रतीक्षा की। उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमने और अधिक प्रतीक्षा नहीं की। हमने कहा उनके आशय पत्र रद्द कर देंगे और बाद में हमने रद्द कर भी दिया।

बत्तीस आशय पत्र रद्द किए गए और इन बत्तीस आशय-पत्रों की क्षमता 20 लाख थी।

42 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए और स्थापित क्षमता सात लाख है।

(व्यवधान)

केवल 15 इकाइयों ने उत्पादन आरम्भ किया और उनकी स्थापित क्षमता 6.5 लाख है।

लघु इकाइयों में 794 लघु उद्योगों को स्वीकृति प्रदान की गई। लम्बे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद 49 स्वीकृतियां रद्द की गई और 60 इकाइयों ने उत्पादन के लिए रिपोर्ट की।

इस प्रकार हम उत्पादन में रुचि रखने वाले अधिकाधिक लोगों को इन वस्तुओं का उत्पादन

करने की अनुमति देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हों और बाजार विक्रेता बाजार से क्रेता बाजार में बदल जाए।

परन्तु ऐसा नहीं हुआ। उत्पादकों ने हमें बताया कि इसके लिए अपेक्षित सामग्री, पुर्जों और पूंजीगत माल का बाहर से आयात करना होगा और उन्हें इन वस्तुओं पर काफी सीमा शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। हमने फिर क्या किया ? हमने शुल्क भी घटा दिया।

मैं सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का सिलसिलेवार ब्यौरा दे रहा हूं। पहले हमने टेलीविजन सेटों के आयात की अनुमति दी। बाद में हमने किटों के आयात की अनुमति दी। इसके बाद हमने लाइसेंस दिए और अपरिसीमा भी समाप्त कर दी। हमने उन्हें सीमाशुल्क में रियायत दी, इस सबके पीछे हमारा उद्देश्य था कि मूल्यों में कमी आए।

यदि इसके बाद भी मूल्य कम नहीं होते हैं तो हमें मूल्य कम करने के लिए कुछ प्रशासनिक उपाय करने होंगे। क्या प्रशासनिक उपाय किए जा सकते हैं, इसका निर्णय सरकार द्वारा उचित समय पर किया जाएगा।

सरकार का उपभोक्ताओं और उद्योग दोनों के प्रति कर्त्तव्य बनता है। क्योंकि उपभोक्ताओं और उद्योग दोनों के हितों की रक्षा करनी है। हमें दोनों के हितों की रक्षा करनी है और सन्तुलन बनाए रखना है। हमें सरकार के रूप में "सामाजिक कार्य" करना है जैसा कि वे कहते हैं और इसमें कुछ समय लगता है। कुछ लोग बहुत चुस्त बनने, और आंखों में धूल झोंकने, तथा अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। हमने यह नहीं कहा कि लोगों ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है। हमने कहा है लोगों ने अनुचित लाभ उठाया है। और विभाग कानून की परिधि में तथा उपलब्ध प्रशासनिक शक्तियों की परिधि में जो कुछ कर सकता है वह उसने किया है और भविष्य में करेगा।

हम आपकी इस बात से असहमत नहीं हैं कि कुछ लोगों ने मूल्य कम नहीं किए हैं। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि मूल्य कम हों और आपकी सूचना कि मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने अपने निगमों और अन्यों से टेलीविजन सेट 5600 रुपये में उपलब्ध कराने जैसे कदम उठाये हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कहां ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : आपको जितने टेलीविजन सेट चाहिए मैं आपको दे सकता हूं। आप कल सुबह आइये और मैं आपको अपने निगम से टेलीविजन सेट दिलवा दूंगा···**(व्यवधान)**

श्री चिन्त मोहन : अन्य स्थानों के बारे में क्या है ? आपको केवल दिल्ली की ही चिन्ता है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : अन्य स्थानों पर भी हम व्यवस्था करेंगे। मैं यह कह रहा हूं। आपको जितने रंगीन टेलीविजन सेट चाहिए दिए जा सकते है : मैंने निगम से कह दिया है कि यदि किसी संसद सदस्य को या अन्य किसी आम व्यक्ति को टेलीविजन सेट चाहिए तो वे तत्काल उपलब्ध कराए जाएं। आपको बताने का मेरा यही उद्देश्य था। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्यों में कमी आए कदम उठाए हैं। हमारा इरादा यह है कि मूल्यों में कमी आए और उपभोक्ताओं को नुकसान न हो। परन्तु इसके साथ ही हम यह नहीं कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने चतुराई से काम नहीं लिया है। उन्होंने चतुराई से काम लिया है और कुछ लोगों ने मूल्यों में कमी करने का भरसक प्रयास किया है और कुछ टेलीविजन निर्माताओं ने वास्तव में मूल्य कम किए हैं। हम इस बात को भी नहीं भूल सकते। और यदि कुछ लोगों ने चतुराई से काम लिया है तो हम उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में नहीं चूकेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कोई चर्चा नहीं। अब केवल प्रश्न ही पूछे जाएंगे। श्री अजय विश्वास। आप केवल प्रश्न पूछिए। यह आधे घंटे की चर्चा है।

श्री अजय बिश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : देश की प्राथमिकता क्या है ? पेय जल या रंगीन टेलीविजन ? स्पष्ट है—पेय जल।

सरकार ने टेलीविजन निर्माताओं को पिछले बजट में रियायतें दी थी परन्तु उत्पादकों ने शुल्क में रियायतों का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया। समस्या यह है। सरकार ने सभा में आश्वासन दिया था कि वह 5500 रुपये में रंगीन टेलीविजन सेट उपलब्ध कराएगी और ई० टी० टी० डी० सी० के अध्यक्ष ने भी कहा था कि वह दिल्ली के बाजार में 20 इंच वाले टेलीविजन सेट 5500 रुपये में उपलब्ध करायेंगे···।

सभापति महोदय : अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अजय बिश्वास : मेरा प्रश्न यह है। मंत्री महोदय ने उत्तर देते समय कहा था कि सरकार का डीलरों पर कोई नियन्त्रण नहीं है क्योंकि उन्होंने केवल निर्माताओं से समझौता किया है। परन्तु निर्माताओं का डीलरों पर नियन्त्रण है और यह सब डीलर करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निर्माताओं ने समझौते का उल्लंघन किया है। मेरा प्रश्न यह है। ई० टी० टी० डी० सी० द्वारा निर्माताओं को दी गई किट की कीमत क्या है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने निर्माताओं द्वारा रंगीन टेलीविजन सेट बनाने की लागत के बारे में कोई मूल्यांकन किया है ? क्या निगम मौजूदा वर्ष में तीन लाख टेलीविजन सेटों के लिए पूरी किट उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है ? क्या सरकार ने पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस और कोरिया के बहुत से निर्माताओं से रंगीन टेलीविजन ट्यूब्स के आयात के लिए बहुत आदेश दिए हैं।

6.00 म० प०

क्या निर्माता निगम से रंगीन टेलीविजन की ट्यूबों को लेने के लिए अनिच्छुक हैं और विशाल रंगीन टेलीविजन के ट्यूब इ० टी० एण्ड टी गोदाम में रखे हुए हैं क्योंकि उन्होंने बाजार को बनाए रखने के लिए नहीं खरीदे हैं। क्या यह सही है या नहीं।

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने विदेशों से रंगीन टेलीविजनों के हिस्से-पुर्जे आयात करने का निर्णय लिया है और इस आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है ?

सभापति महोदय : वास्तव में केवल एक ही प्रश्न की अनुमति है। अतः कृपया संक्षेप में कहें।

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। मैं केवल दो या तीन मिनट लूंगा।

यदि आप हमारे देश के विभिन्न स्थानों पर जाएं तो आप सार्वजनिक स्थानों पर टेलीविजन निर्माताओं के विज्ञापनों की भरमार देखेंगे। कभी-कभी आप यह देखेंगे कि टेलीविजन केन्द्रों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की अपेक्षा ये विज्ञापन देखने में अधिक अच्छे होते हैं।

महोदय, इस समय पूरे देश में दूरदर्शन सुविधाओं का जाल बिछाने के लिए स्थिति बहुत उपयुक्त है इसलिए टेलीविजन सेट की मांग भी बढ़ गई है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने हमारे देश की बाजार की स्थिति का गहराई से अध्ययन किया है और हमारे देश में रंगीन टेलीविजन सेटों की महीने की अनुमानित मांग क्या हैं। साथ ही देश में निर्माताओं की प्रति मास टेलीविजन सेटों की उत्पादन क्षमता क्या है। हमारे देश में तो कम से कम टेलीविजन सेट का बाजार मूल्य

सप्लाई और मांग के सिद्धान्त पर निर्भर करता है। इसलिए हमें टेलीविजन सेटों के सम्बन्ध में मांग और पूर्ति के प्रश्न पर अध्ययन करना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इसका अध्ययन किया है या नहीं।

दूसरा, महोदय, सरकार को टेलीविजन सेटों की गुणवत्ता पर नजर रखनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसे देखने के लिए उनके पास कोई मशीनरी है या नहीं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या विभिन्न रंगीन टेलीविजन सेटों की गुणवत्ता की गारंटी दी जाती है या नहीं। इन मामलों को देखने के लिए एक जांच सेल होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसे एककों को स्थापित किया है या नहीं।

अन्त में, मेरा कहना है कि हमारे देश के गरीब गांववालों के बारे में भी सोचा जाए। टेलीविजन कार्यक्रमों को देखने के लिए उन्हें कुछ अवसर देना चाहिए। उनके पास खरीदने की ताकत नहीं है। बहुत पहले जब रेडियो को शुरू किया गया था तो सामुदायिक सेट लगाये गए थे। महोदय, मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने हमारे देश में समुदाय द्वारा टेलीविजन कार्यक्रम देखने सम्बन्धी योजनाओं के लिए विचार किया है। इस योजना के लिए केन्द्रीय सरकार 50 प्रतिशत तक का अंशदान कर सकती है और राज्य सरकार अन्य 50 प्रतिशत का अंशदान करेगी। यह प्रक्रिया अपनायी जा सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस प्रश्न पर बिचार किया है या नहीं।

श्री सोमनाथ रथ (आसका) : निश्चित रूप से टेलीविजन माध्यम बहुत लोकप्रिय है। यह कला और संस्कृति को चित्रित करता है और बच्चों तथा कृषकों को शिक्षा देता है।

माननीय मन्त्री ने मूल प्रश्न में उत्तर दिया है कि निर्माताओं को सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। जैसे उदारतापूर्वक औद्योगिक मंजूरी देना तथा सीमा शुल्क के साथ-साथ उत्पाद शुल्क में भी कमी करना। अतः निर्माता इन रंगीन टेलीविजन सेटों का जो निर्माण कर रहे है उससे राजस्व के रूप में सार्वजनिक राजकोष को कम लाभ है। माननीय मन्त्री ने उत्तर दिया है कि एक समझौता निर्माताओं और सरकार के बीच हुआ है न कि डीलर के साथ और इसलिए सरकार असहाय है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार प्रतिनियुक्त किए जाने पर उनका दायित्व रहता है या नहीं। निर्माताओं ने डीलरों को नियुक्त किया है अतः यदि डीलर द्वारा कोई अवैध कार्य किया जाता है जो कि निर्माता का एजेंट है तो निर्माता और डीलर दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं यह नहीं है कि सरकार असहाय है और क्या निर्माता राजस्व और सार्वजनिक राजस्व की हानि कर सरकार को धोखा दे सकते हैं।

दूसरा, ऐसा पता चलता है कि इलेक्ट्रानिक विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उस समिति की क्या रिपोर्ट है ? जैसा कि बताया गया है, क्या सरकार ऐसा रंगीन टेलीविजन सेट का उत्पादन करने पर विचार कर रही है जिसे कि सामान्य लोग खरीद सकते हों और गुणवत्ता की दृष्टि से भी उपयुक्त हो। केवल कम लागत ही काफी नहीं होगी क्योंकि सस्ते सेट के उत्पादन के लिए नकली पुर्जे लगाए जा सकते हैं। इसलिए दोनों बातें गुणवत्ता और लागत आवश्यक है। यह उत्तम कोटि का होना चाहिए और कीमत भी इतनी सस्ती होनी चाहिए जिससे कि आम आदमी इसे खरीद सके।

तीसरा, माननीय मंत्री ने कहा कि कानून की आवश्यकता है। यदि कानून की आवश्यकता है तो क्या सरकार दृढ़तापूर्वक नया कानून बना नहीं सकती ? अतः यह बात नहीं है कि सरकार असहाय है और निर्माता लोगों को हानि पहुंचा कर सभी लाभ उठा रहे हैं ? सरकार का यह इरादा है कि इस

प्रचार माध्यम को आम व्यक्ति के लिए कार्य करना चाहिए।

इस प्रकार क्या मैं मन्त्री जी से उत्तर देने का अनुरोध कर सकता हूं कि इस सम्बन्ध में वह कौन सा विशेष कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : रंगीन टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिए हिस्सों-पुर्जों का आयात किया गया था। क्या मैं माननीय मन्त्री से जान सकता हूं कि रंगीन टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिए इस प्रकार के कितने हिस्से-पुर्जे निर्माताओं को सप्लाई किए गए थे?

क्या यह सही है कि इसे सरकार के ध्यान में लाया गया है कि इस प्रकार के आयातित हिस्से-पुर्जों को बड़ी मात्रा में काले बाजार में बेचा जाता है। यदि हां तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

क्या यह भी सही है कि रंगीन टेलीविजन के मूल्य विदेश में 15 प्रतिशत तक कम हुए हैं और जिसके लिए मेरे माननीय साथी श्री सोमनाथ रथ ने कहा कि काला-श्वेत के साथ-साथ रंगीन टेलीविजन सेटों में उपयोग होने वाले आयातित उपकरणों पर शुल्क कम करने पर सरकार ने विचार किया है? अतः जब निर्माता और डीलर कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं तथा सरकार को धोखा देने की कोशिश करते हैं और सरकार की इच्छा को पूरा नहीं करते हैं तो क्या सरकार रंगीन टेलीविजन सेटों के आयात करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि रंगीन टेलीविजन कब तक उपलब्ध होंगे तथा आयातित रंगीन टेलीविजन सेट की खुले बाजार में कितनी कीमत होगी?

व्यापार और प्रौद्योगिकी निगम रंगीन टेलीविजन सेटों के लिए हिस्से-पुर्जों का उत्पादन करने लगेगा। यह इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है अतः क्या मैं जान सकता हूं कि इस निगम द्वारा प्रतिवर्ष कितने हिस्से-पुर्जों का उत्पादन किया जाएगा और देश में क्या मांग होगी? क्या रंगीन टेलीविजन के हिस्से-पुर्जों का देशी उत्पादन पर्याप्त होगा ताकि हमें विदेश से आयात करने की आवश्यकता न पड़े? सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक इस तरह के हिस्से-पुर्जों की क्या मांग होगी? क्या यह सही है कि सरकार रंगीन सेटों को आयात करने पर विचार कर रही है तथा निर्माता इस पर आपत्ति उठा रहे हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? वास्तविक लाइसेंसधारी जो इन रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण कर रहे हैं वे बताते हैं कि वे प्रति महीने एक लाख सेटों का उत्पादन कर सकते हैं जबकि जनवरी के महीने में उन्होंने केवल 50,000 सेटों का उत्पादन किया था। अतः क्या मैं जान सकता हूं अगले दो या तीन वर्षों के भीतर रंगीन टेलीविजन सेटों की देश में क्या मांग होगी और उन निर्माताओं, जिनको लाइसेंस जारी किए गए हैं द्वारा कितना उत्पादन किया जाएगा।

श्री चिन्त मोहन : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह स्पष्ट है कि सरकार टेलीविजन सेटों की कीमतों को रोकने में असफल रही है। मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि मन्त्री जी ने एम० आर० टी० पी० आयोग को पत्र क्यों नहीं लिखा? दूसरा, आपने कुछ आयातित सेटों का वितरण किया है। क्या मन्त्री जी कह सकते हैं कि उनका उचित रूप से और निर्धारित कीमत पर वितरण किया गया है और वे वास्तविक निर्माता हैं न कि व्यापारी।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, मेरे पास लगभग 30 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न भारत सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में है। यह बड़ा प्रश्न है। मैं इसे स्पष्ट करने में कुछ समय ले सकता हूं कि भारत सरकार की क्या प्राथमिकता है लेकिन मुझे समय नहीं मिलेगा। अतः बहुत संक्षिप्त रूप से मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की प्राथमिकताएं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग पर हैं और इसके बाद अन्य प्राथमिकताएं आती हैं। आप शायद जानते हैं कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने से पहले

भी हम शिक्षा पर जोर देते थे और शिक्षा का एक माध्यम टेलीविजन है। दूसरे सदन में हमने एक विधेयक पारित किया है जिसमें सरकार को मुक्त विश्वविद्यालय शुरू करने के अधिकार दिए गए और टेलीविजन का उपयोग मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षा देने के लिए भी किया जाएगा। टेलीविजन वह माध्यम होगा जो देश की अखण्डता में सहायता करेगा। एक व्यक्ति जो केरल में बैठा है वह यह देखने योग्य होगा कि असम में कौन से प्राकृतिक दृश्य है और वहां पर किस तरह की संस्कृति है। वहां पर जाए बिना वह यह जान सकता है कि वहां किस तरह के लोग रहते हैं। यह राष्ट्रीय अखण्डता में सहायता करेगा। आधुनिक युग में टेलीविजन सूचना का स्रोत बन गया है। टेलीविजन पर बहुत से कृषि कार्यक्रमों द्वारा हम कृषकों को जानकारी दे रहे हैं। टेलीविजन पर कार्यक्रमों को दिखाने से हम कारीगरों को जानकारी दे रहे हैं। अतः टेलीविजन केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं है टेलीविजन अनौपचारिक शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बन गया है। वह शिक्षा जो केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि व्यवसायों को भी मिलेगी और उस दृष्टिकोण से मैं कहता हूं कि देश में बड़े पैमाने पर टेलीविजन को शुरू करने के लिए कोई आपत्ति नहीं उठाएगा।

इसके बाद, मुझसे पूछा गया था कि हिस्से-पुर्जों का क्या मूल्य होगा और सप्लाई किए गए हिस्से-पुर्जों की क्या कीमत थी? अब, सप्लाई किए गए सामान का मूल्य 3650 रुपए था। यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या निगम 'डीलक्स माडल' का उत्पादन करेगा। यह इन चीजों की मांग और आवश्यकता पर निर्भर करता है। जो माडल सस्ते हैं उनका उत्पादन किया जाएगा। उन माडलों का भी उत्पादन किया जाएगा जिन्हें ऊंची कीमत पर बेचा जा सकें। लेकिन आपकी सूचना के लिए और माननीय सदस्यों की सूचना के लिए मैं कहना चाहता हूं कि ई० टी० एण्ड टी० ने एक मांडल का निर्माण किया है जो केवल 1200/-रुपए में उपलब्ध है। यह श्वेत और काला सेट है जो कि उपलब्ध है और आप मुझसे इसके लिए कह सकते हैं तथा हम वह सेट कल या एक दो दिन के अन्दर आपको दे सकते हैं। अतः जिस मुद्दे को मैं कहने की कोशिश कर रहा था वह यह था कि हम टेलीविजन सेटों के मूल्य में कमी लाए हैं। काला और श्वेत टेलीविजन सेट केवल 1200 रुपए में उपलब्ध है।

एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या टेलीविजन ट्यूबों और हिस्से-पुर्जों के लिए बड़ी मात्रा में आर्डर दिए जाते हैं जब आप निगम के माध्यम से बड़ी मात्रा में ट्यूबों को खरीदते हैं तो वे इस कीमत पर उपलब्ध होते हैं जो निर्माता को स्वीकार होता है हम उन्हें बड़ी मात्रा में खरीदते हैं और हम उन्हें निर्माताओं को देते हैं ताकि उससे भी मूल्यों में कमी आ सके। इसके बाद यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या निर्माता टेलीविजन ट्यूबों को लेने के लिए अनिच्छुक हैं। लगभग 1-1/2 वर्ष या 2 वर्ष पहले एक ऐसा समय था जबकि इस तरह की कुछ अनिच्छा थी।

लेकिन इस समय, जहां तक मुझे जानकारी है, टी०वी०ट्यूब लेने से कोई इन्कार नहीं है। जहां तक विदेशी मुद्रा की राशि का सम्बन्ध है यह प्रश्न बहुत मुश्किल है। मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि आप को बता सकूं कि इसमें कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी। यह तो मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। इस समय आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी फिलहाल मैं इसकी सूचना नहीं दे सकूंगा। मुझे वाणिज्य मंत्रालय तथा अन्य विभागों से आंकड़े एकत्र करने होंगे।

एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि देश में टी० वी० के बाजार की स्थिति क्या है। मैं तो कहूंगा कि हमें अलग अलग सूचनाएं दी गयी हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि बाजार में स्वीकार्य कीमतों पर टेलिविजन सेट उपलब्ध नहीं है। निर्माताओं का कहना है कि बाजार में टेलिविजन सेट भरे पड़े हैं। और भारत सरकार का कहना है कि बाजार में टेलिविजन सेट तो है लेकिन उनकी भरमार नहीं है। मेरे ख्याल से टेलिविजन सेट बहुतायत में न होने के कारण उनकी कीमतें कुछ ज्यादा ही हैं। टेलिविजन सेट उपलब्ध कराए जाएंगे। हमें इनका अधिक निर्माण करना होगा ताकि ये बाजार में

उपलब्ध हों और इसके लिए हमें इनका उत्पादन बढ़ाना होगा।

एक प्रश्न पूछा गया था कि टेलिविजन सेटों की मांग कितनी है। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। लेकिन मैं यह बात स्वीकार करूंगा कि विभाग आदि द्वारा मुझे इस सम्बन्ध में जो विभिन्न आंकड़े दिए गए हैं उनमें से कुछ आंकड़ों के बारे में मैं स्वयं भी संतुष्ट नहीं हूं। उनका कहना है कि 1990 के अन्त तक टेलिविजन सेटों की मांग 40 लाख हो जाएगी। मेरे विचार से सैटलिट उपग्रह उच्चशक्ति वाले तथा कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने तथा शहरों और गांवों में रहने वाले लोगों द्वारा टेलिविजन सेट खरीदने की इच्छा के कारण अधिक टेलिविजन सेटों की मांग इससे भी अधिक होगी। मैं इनकी मांग के बारे में सही वैज्ञानिक आंकड़े देने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1990 के अन्त तक इनकी मांग 50 लाख हो जाएगी।

मैं यह मानता हूं कि इतना ही काफी नहीं है कि टेलिविजन सेटों की कीमतों में कमी लाई जाए। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि अच्छी किस्म के टेलिविजन सेट बनाए जाएं। अगर बहुतायत में टेलिविजन सेटों का निर्माण करके उन्हें दूर-दराज के ऐसे स्थानों में बेचा जाए जहां रखरखाव की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं होने के कारण टेलिविजन सेट ठीक से काम नहीं करें तो खरीददारों में असंतोष व्याप्त होने की संभावना है। हमारा प्रयास यह देखना होगा कि गुणवत्ता बनाए रखी जाए और इसके लिए हमने देश में चार या पांच स्थानों पर कुछ संगठनों की स्थापना की है। साथ ही साथ निर्माताओं से गुणवत्ता नियन्त्रण उपकरण तैयार करने के लिए कहा गया है ताकि उनसे टेलिविजन सेटों का परीक्षण करके बढ़िया किस्म के सेट लोगों को उपलब्ध कराए जा सके। हम प्रयास कर रहे हैं कि गुणवत्ता नियन्त्रण बनाए रखा जाए। लेकिन मैं सदन को झूठे आश्वासन नहीं दूंगा। टेलिविजन उद्योग विकास कर रहा है और बाह्य अन्तरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने तथा उच्च शक्ति तथा कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की व्यवस्था से इस उद्योग को बहुत प्रोत्साहन मिला है। इसीलिए मांग बढ़ गई है। निर्माण-क्षमता को स्थिर किया जा रहा है। हम इस उद्योग को स्थापित कर रहे हैं। गुणवत्ता की ओर भी हम पूरा-पूरा ध्यान देंगे। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया गया "गांव वाले टेलिविजन देखना चाहते हैं, क्या सरकार उन्हें टेलिविजन सेट उपलब्ध कराएगी।" एक ओर मुझसे प्राथमिकता के बारे में पूछा गया है तो दूसरी ओर यह पूछा गया है कि क्या हम गांवों में टेलिविजन सेट उपलब्ध कराएंगी। सरकार ने गांवों में कुछ सामुदायिक टेलिविजन सेट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। भले ही इनकी संख्या कम है लेकिन हम उपलब्ध करा रहे हैं। हमने राज्य सरकारों से भी टेलिविजन सेट उपलब्ध कराने के लिए कहा है और कुछ राज्यों ने ग्राम पंचायतों तथा तथा गांव की समितियों को टेलिविजन सेट उपलब्ध कराने की बात स्वीकार भी कर ली है ताकि लोग उससे लाभ उठा सकें। जैसाकि मैं इस माननीय सदन को सूचित कर चुका हूं एक टेलिविजन सेट की कीमत में 1200 रुपए की कमी आई है। गांवों में रहने वाले मध्यमवर्गीय लोगों को निश्चय ही यह कीमत स्वीकार्य होगी। इस तरह के टेलिविजन सेट उपलब्ध हैं। हमारा प्रयास होगा कि इस दिशा में और भी प्रयास किया जाए।

मुझे बताया गया है कि प्रतिनिधि मूलक दायित्व है। मुझे प्रतिनिधिमूलक दायित्व के सिद्धान्त को समझना बड़ा कठिन प्रतीत हुआ है। यह सिद्धांत दुष्कृति-दलाल की व्यवस्था के अन्तर्गत आता है दिवानी मामलों के अन्तर्गत नहीं। लेकिन कानूनी पहल होने के कारण मैं यहां इस बात पर तर्क नहीं करूंगा कि प्रतिनिधिमूलक दायित्व होता है या नहीं और क्या हम उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं या नहीं। ये सब कानूनी पहल हैं।

विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति है। यह समिति टेलिविजन सेटों के उत्पादन वितरण और उनकी कीमतों का ध्यान रखती है। समिति प्रयास कर रही है कि टेलिविजन सेट उपयुक्त तथा स्वीकार्य कीमतों पर बेचे जाएं। मेरे विचार से यह समिति इस कार्य में सफल भी हुई है कि कीमतें कम हो रही हैं। लेकिन कीमतों में जो गिरावट आ रही है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। इस सम्बन्ध में हमें निश्चय ही और प्रयास करने होंगे। एक प्रश्न सस्ते टेलिविजन सेटों के बारे में पूछा गया था जिसका मैंने जवाब दे दिया है। मैंने सदस्यों को गुणवत्ता सम्बन्धी पहलू की भी जानकारी दे दी है।

एक प्रश्न यह भी पूछा गया था कि क्या हम निर्माताओं पर नियन्त्रण बनाए रखने के लिए नया कानून बनाने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि एक विधेयक को तैयार करने, उसे सदन में प्रस्तुत करने, पारित कराने तथा दूसरे सदन में भेजने में कितना समय लगता है। हम मौजूदा कानून और नियमों का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। अगर किसी कानून में परिवर्तन करने की नितांत आवश्यकता पड़ी और वह पहलू महत्वपूर्ण हो जाए तभी कानून में परिवर्तन या संशोधन का प्रश्न पैदा होगा। मेरे विचार से अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है। हम और टेलिविजन सेट बनाने के लिए अन्य तरीके इस्तेमाल करेंगे। ऐसा हम बड़ी संख्या में टेलिविजन सेट बनाने लिए उत्पादन पर उच्चतम सीमा को समाप्त करके कर चुके हैं।

जहां तक किटों का सम्बन्ध है मैं सदन को पहले ही सूचित कर चुका हूं कि 'एशियाड' के समय 89,466 किट दिए गए थे। उस समय कुछ शिकायतें की गई थी कि किटों को काला बाजार में बेचा जा रहा है। लेकिन इस समय इन्हें काला बाजार में बेचने की कोई शिकायत नहीं है क्योंकि ये आसानी से मिल जाती हैं।

जहां तक शुल्क में कमी करने का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदन को सूचित कर चुका हूं कि हमने बड़े पैमाने पर सीमा शुल्क में रियायत दी है। पूंजीगत सामान, संघटकों तथा माल पर सीमाशुल्क में कमी की गई है। अतः सरकार से विचार विमर्श किए बिना मैं यह उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं कि क्या ऐसा किया जा सकता है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अधिक रियायत देना मुश्किल है क्योंकि जहां तक शुल्क का सम्बन्ध है हम उन्हें रियायत दे चुके हैं। मेरे विचार से शुल्क में लगभग 40% की कमी की गई थी। आप जरा सोचिए। हमने प्रयास किया कि कीमतों में भी 40% की कमी आ जाए और मुझे यह सूचित करते हुए खुशी है कि कीमतों में 40 प्रतिशत कमी तो नहीं हुई पर 40 प्रतिशत के लगभग कमी हुई है और इससे सचमुच सहायता मिलेगी।

एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार टेलिविजन सेटों का आयात करेगी। जब इसकी जरूरत पड़ी तो हमने आयात भी किया। लेकिन मैं सरकार की नीति बता चुका हूं। पहले हमने टेलिविजन सेटों का और फिर किटों का आयात किया और अब हम देश में यही टेलिविजन सेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अतः हम इस बात पर जोर देंगे कि टेलिविजन सेटों का निर्माण किया जाए उनका आयात नहीं।

एक प्रश्न पूछा गया था कि आयातित टेलिविजन सेट की कीमत क्या होगी। देखिए, यह कहना तो बहुत मुश्किल है कि आयातित टेलिविजन की कीमत क्या होगी। यह तो माडल और अन्य बहुत सी बातों पर निर्भर पड़ता है।

श्री चिन्तामणि जेना : ई० टी० टी० डी० सी० द्वारा टेलिविजन सेट निर्माण करने का क्या हुआ ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मेरे विचार से ई० टी० टी० डी० सी० किट बनाने वाला संगठन

नहीं है। यह एक व्यापारिक संगठन है। यह किट खरीदता है और उन्हें व्यापारियों को बेच देता है।

जहां तक क्षमता का सम्बन्ध है हमने कुछ क्षमता स्थापित की है। हम चाहते हैं कि क्षमता को और बढ़ाया जाए तथा देश की सहायता की जाए।

6.28 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 19 अगस्त, 1985/ 28 श्रावण 1907 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मित्तल प्रिण्टर्स, के-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 द्वारा मुद्रित